The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 & Rules, 2013

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013

रमेश साँखला

ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
जयपुर-302017

मार्गदर्शन:

डॉ. आर. वेंकेटेश्वरन, आई.ए.एस.
महानिदेशक, ह.च.मा. रीपा, एवं
अतिरिक्त मुख्य सचिव (प्रशिक्षण), राजस्थान सरकार

लेखन:

रमेश साँखला
वित्तीय सलाहकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

प्रकाशन सहयोग एवं त्रुटिशोधन:

ऋतु नन्दा
अतिरिक्त निदेशक (बीमा) एवं प्रभारी अधिकारी (प्रकाशन)
ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर

डॉ. अमृत कौर
प्रकाशन अधिकारी (प्रभार)
ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर

प्रथम संस्करण : फरवरी, 2022

© ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर

मुद्रक : राज. राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर/2000 प्रतियाँ/फरवरी, 2022

The Rajasthan Transparency In Public Procurement Act, 2012

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012

The Rajasthan Transparency In Public Procurement Rules, 2013

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013

रमेश साँखला

राजस्थान सरकार
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
जयपुर–302017

© प्रकाशकः

ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
जयपुर–302017

प्रथम संस्करणः फरवरी, 2022

मुद्रित प्रतियांः 2000

लेखक द्वारा प्रस्तुत यह पुस्तिका उसके स्वयं के ज्ञान व अनुभव पर आधारित है। पाठकों से निवेदन है कि इस पुस्तिका के अन्तर्गत किसी भी कार्यवाही/निर्णय लेने के समय राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित अधिनियम, नियम इत्यादि के प्रावधानों के आधार पर ही प्रमाणित मानें। लेखक उनके निर्णय के लिए उत्तरदायी नहीं है।

मुद्रकः
राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय, जयपुर

डॉ. आर. वेंकटेशवरन
आई.ए.एस.
महानिदेशक एवं अतिरिक्त
मुख्य सचिव (प्रशिक्षण)

सत्यमेव जयते

ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक
प्रशासन संस्थान,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
जयपुर–302017
फोन : 91–141–2706556
फैक्स : 91–141–2705420
Email : hcmripa@rajasthan.gov.in

प्राक्कथन

राजकीय कार्यालयों में लक्षित कार्यों एवं अन्य सहायक कार्यों के सम्पादन हेतु विविध प्रकार की सामग्री, संकर्म तथा परामर्शी सेवाओं के उपापन की राज्य के लोक कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए नियमित आवश्यकता सदैव रहती है। राज्य विधानसभा द्वारा लोक उपापन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 'राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012' पारित किया है।

तदनुरूप लोक उपापन में पारदर्शिता, प्रतियोगिता में अभिवृद्धि, दक्षता तथा मितव्ययता को बढाने और उपापन प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 'राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013' राज्य में दिनांक 26 जनवरी, 2013 से लागू हैं।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 में दिये गये विविध प्रावधानों को विषय अनुरूप एक ही स्थान पर संकलित करने तथा यथोचित स्थान पर संक्षिप्त टिप्पणी मोनोग्राम में उपलब्ध कराने का कार्य लेखक श्री रमेश साँखला, वित्तीय सलाहकार, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सम्पादित किया गया है, जो निश्चय ही पाठकों को उक्त अधिनियम एवं नियमों को समझने एवं ठीक प्रकार से लागू करने में सहायक होगा।

आशा है कि यह मोनोग्राम प्रशिक्षु अधिकारियों एवं कार्मिकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

जयपुर, फरवरी, 2022

डॉ. आर. वेंकटेशवरन,
आई.ए.एस.

प्रस्तावना

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 (The Rajasthan Transparency In Public Procurement Act, 2012 and The Rajasthan Transparency In Public Procurement Rules 2013) पर एक अद्यतन लेखन की लम्बे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। लेखक राजस्थान लेखा सेवा के सुपर टाईम स्केल का अधिकारी हैं तथा वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग में वित्तीय सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं, द्वारा पुस्तक के लेखन का विनम्र प्रयास आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है।

उक्त मोनोग्राम के प्रथम संस्करण के लेखन हेतु प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन हेतु मैं डॉ. आर. वेंकटेश्वरन, आई.ए.एस., प्रमुख शासन सचिव (प्रशिक्षण) एवं निदेशक का अत्यन्त आभारी हूँ।

इस पुस्तक में अधिनियम की धाराओं का नियमों के साथ संयोजन करते हुए संबंधित अधिसूचनाएँ, परिपत्र, आदेश, मॉडल चैकलिस्ट, उपापन पद्धति चयन तालिका इत्यादि को विवेचना व आवश्यक टिप्पणी सहित प्रस्तुत किया गया है।

पुस्तक की रचना में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहयोग व सहायता देने वाले मेरे साथी अधिकारियों, सहकर्मियों एवं समस्त व्यक्तियों के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ।

यह पुस्तक लोक उपापन से सम्बन्धित नियमों की जानकारी हेतु राज्य सरकार के समस्त प्रशिक्षु अधिकारियों एवं कार्मिकों के लिए निश्चय ही उपयोगी साबित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

(रमेश साँखला)
वित्तीय सलाहकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग

Index

Section	Particulars	Relevant Rules No.	Page No.	Notifications / circular/ orders for Amendments
	CHAPTER I Preliminary			
1	Short title, extent and commencement	1	2	
2	Definitions	2	4	
3	Application	-	14	
	CHAPTER II Procurement			
	A. General Principles			
4	Fundamental principles of public procurement	-	18	
5	Determination of need for procurement	6	20	
6	Participation of bidders	13,32, 33,39	22	Notification dated 19.11.2015 28.08.2018 30.08.2018
7	Qualifications of bidders	38	34	
8	Obligations related to value of procurement	11 & 12	38	
9	Time frame for processing	40,51	40	
10	Documentary record of procurement proceedings and of communications	7 to 10 & 79	54	
11	Code of intergrity for procuring entity and bidders	80 to 82	64	

अनुक्रमणिका

धारा	विषय–वस्तु	प्रासंगिक नियम	पृष्ठ संख्या	संशोधन हेतु अधिसूचना / परिपत्र / आदेश
	अध्याय 1 **प्रारंभिक**			
1	संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारंभ	1	3	
2	परिभाषाएँ	2	5	
3	लागू होना	-	15	
	अध्याय 2 **उपापन** **क. साधारण सिद्धान्त**			
4	लोक उपापन के मूल सिद्धान्त	-	19	
5	उपापन की आवश्यकता का अवधारण	6	21	
6	बोली लगाने वालों का भाग लेना	13,32, 33 एवं 39	23	अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 28.08.2018 30.08.2018
7	बोली लगाने वालों की अर्हताएँ	38	35	
8	उपापन के मूल्य से संबंधित बाध्यताएँ	11 से 12	39	
9	प्रक्रिया के लिए समय सीमा	40	41	
10	उपापन कार्यवाहियों और संसूचनाओं के दस्तावेजी अभिलेख	7 से 10 एवं 79	55	
11	उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के लिए सत्यनिष्ठा संहिता	80 से 82	65	

Section	Particulars	Relevant Rules No.	Page No.	Notifications / circular/ orders for Amendments
12	Description of the subject matter of procurement	34	78	
13	Single part and two part bids	37	82	
14	Criteria for evaluation	35	84	
15	Price negotiations	69	88	
16	Terms and conditions of contracts	76	92	
17	State Public Procurement Portal	4	94	Circular Dt. 19. 12.12 31.08.15 27.09.16 31.03.17
18	Pre-qualification of bidders	31 & 41	104	Circular Dt. 11. 05.20
19	Registration of bidders	27 & 30	110	Circular Dt. 13.05.20
20.	Contents of bidding documents	36, 43, 44 & 45	118	Circular Dt. 04.02.2013 Instruction with Annexure ABCD
21	Time frame for submission of bids	51	150	
22	Pre-bid clarifications	46	154	
23	Changes to bidding documents	47	156	
24	The procedure relating to submission, opening and evaluation of bids	3, 42, 48 to 50, 52 to 61, 63 to 68 & 72 to 75	157	

धारा	विषय–वस्तु	प्रासंगिक नियम	पृष्ठ संख्या	संशोधन हेतु अधिसूचना / परिपत्र / आदेश
12	उपापन की विषय वस्तु का वर्णन	34	79	
13	एकल भाग या द्वि–भाग बोलियाँ	37	83	
14	मूल्यांकन की कसौटी	35	85	
15	कीमत की बातचीत	69	89	
16	संविदा के निबंधन और शर्ते	76	93	
17	राज्य लोक उपापन पोर्टल	4	95	परिपत्र दि. 19.12.12 31.08.15 27.09.16 31.03.17
18	बोली लगाने वालों की पूर्व–अर्हता	31 एवं 41	105	परिपत्र दि. 11.05.20
19	बोली लगाने वालों का रजिस्ट्रीकरण	27 एवं 30	111	परिपत्र दि. 13.05.20
20	बोली दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु / बोली तैयार करना	36, 43, 44 एवं 45	119	परिपत्र दि 04.02.2013 निर्देश मय परिशिष्ट ए,बी,सी,डी
21	बोलियों के प्रस्तुतीकरण की समय–सीमा	51	151	
22	बोली–पूर्व स्पष्टीकरण	46	155	
23	बोली दस्तावेजों में परिवर्तन	47	157	
24	बोलियों के प्रस्तुतीकरण. खोलने और मूल्यांकन से संबंधित प्रक्रिया	3,42, 48 से 50, 52 से 61, 63 से 68 एवं 72 से 75	159	

Section	Particulars	Relevant Rules No.	Page No.	Notifications / circular/ orders for Amendments
25	Exclusion of bids	62	220	
26	Cancellation of the procurement process	78	222	
27	Award of contract	70& 71	226	Circular 30.05.18
	B. Methods			
28	Methods of procurement	5 &14	232	Notification Dt 05.06.2015 16.09.2015 31.08.2016
29	Open competitive bidding	15, 34 to 79,	240	
	Swiss challenge Method	15(A), 79(A) to 79(O)	240	
30	Limited bidding	16	280	
31	Single source procurement	17	286	Notification dt. 28.08.2015
32	Two stage bidding	18	294	
33	Electronic reverse auction	19 to 23	300	
34	Request for quotations and spot purchase	24 to 26	312	
35	Competitive negotiations	28	318	
36	Rate contract	29	324	
37	Additional conditions for use of methods of procurement	-	330	

धारा	विषय–वस्तु	प्रासंगिक नियम	पृष्ठ संख्या	संशोधन हेतु अधिसूचना/परिपत्र/आदेश
25	बोलियों का अपवर्जन	62	221	
26	उपापन प्रक्रिया का रद्दकरण	78	223	
27	संविदा का अधिनिर्णय	70 व 71	227	परिपत्र दि. 30.05.18

ख. पद्धति

धारा	विषय–वस्तु	प्रासंगिक नियम	पृष्ठ संख्या	संशोधन हेतु अधिसूचना/परिपत्र/आदेश
28	उपापन की पद्धति	5 व 14	233	अधिसूचना दि. 05.06.2015 16.09.2015 31.08.2016
29	खुली प्रतियोगी बोली	नियम 15, 34 से 79	241	
	स्विस चैलेंज पद्धति	15(अ), 79(A) से 79(0)	241	
30	सीमित बोली	16	281	
31	एकल स्रोत उपापन	17	287	अधिसूचना दि. 28.08.2015
32	द्विप्रक्रमी बोली	18	295	
33	इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम	19 से 23	301	
34	कोटेशनों और मौके पर क्रय के लिए अनुरोध	24 से 26	313	
35	प्रतियोगी बातचीत	28	319	
36	दर संविदा	29	325	
37	उपापन की रीतियों का उपयोग करने के लिए अतिरिक्त शर्तें	-	331	

Section	Particulars	Relevant Rules No.	Page No.	Notifications / circular/ orders for Amendments
	CHAPTER III **Appeal**			
38	Appeals	83 to 85	332	Circular Dt. 04.02.2013 & 21.12.2016
39	Stay of procurement proceedings	-	338	
40	Appeal not to lie in certain cases	Refer Notification dated 4.02.2013 point No. 4 of the Annexure- C	340	
	CHAPTER IV **Offences and Penalties**			
41	Punishment for taking gratification or valuable thing in respect of public procurement	-	342	
42	Interference with procurement process	-	342	
43	Vexatious appeals or complaints	-	346	
44	Offence by companies	-	348	
45	Abetment of certain offences	-	350	
46	Debarment from bidding	Read with section 25	350	
47	Previous sanction necessary for prosecution	-	352	
	CHAPTER V **Miscellaneous**			
48	Requirement of professional standards, training and certification	-	352	
49	Confidentiality	77	354	

धारा	विषय–वस्तु	प्रासंगिक नियम	पृष्ठ संख्या	संशोधन हेतु अधिसूचना/ परिपत्र/आदेश
	अध्याय 3 **अपील**			
38	अपील	83 से 85	333	परिपत्र दि. 04.02.2013 एवं 21.12.2016
39	उपापन कार्यवाहियों को रोकना	-	339	
40	कतिपय मामलों में अपील नहीं होगी	अधिसूचना दिनांक 4.02.2013 परिशिष्ठ–C का बिन्दू सं. 4 देखें	341	
	अध्याय 4 **अपराध और शास्तियाँ**			
41	लोक उपापन के संबंध में परितोषण या मूल्यवान वस्तु लेने के लिए दण्ड	-	343	
42	उपापन प्रक्रिया में हस्तक्षेप	-	343	
43	तंग करने वाली अपीलें या परिवाद	-	347	
44	कम्पनियों द्वारा अपराध	-	349	
45	कतिपय अपराधों का दुष्प्रेरण	-	351	
46	बोली लगाने से विवर्जन	धारा 25 के साथ पढ़े	351	
47	अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति का आवश्यक होना		353	
	अध्याय 5 **प्रकीर्ण**			
48	वृत्तिक मानकों, प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण की आवश्यकता		353	
49	गोपनीयता	77	355	

Section	Particulars	Relevant Rules No.	Page No.	Notifications / circular/ orders for Amendments
50	State Procurement Facilitation Cell	-	356	Order dt 11.07.2012 05.03.2013 Circular 17.02.2017
51	Protection of action taken in good faith	-	360	
52	Application of other laws	36(3)(o)(r), 86	362	
53	Recovery of sums payable under the Act	-	362	
54	Service of notice, documents and orders	-	362	
55	Power of State Government to make rules	-	364	
56	Power to issue guidelines	-	370	
57	Power to remove difficulties	-	372	
58	Power to exempt	-	374	Notification Dt. 28.10.16 04.01.17 01.05.17 11.09.18 Circular 01.05.17 25.07.17
59	Savings	86	378	

धारा	विषय–वस्तु	प्रासंगिक नियम	पृष्ठ संख्या	संशोधन हेतु अधिसूचना / परिपत्र / आदेश
50	राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ		357	आदेश दि. 11.07.2012 05.03.2013 परिपत्र दि.17.02.2017
51	सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण		361	
52	अन्य विधियों का लागू होना	नियम 36(3)(ण)(द) 86 भी देखें।	363	
53	अधिनियम के अधीन संदेय राशियों की वसूली		363	
54	नोटिस, दस्तावेजों और आदेशों की तामील		363	
55	राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति		365	
56	मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी करने की शक्ति		371	
57	कठिनाईयों का निराकरण		373	
58	छूट देने की शक्ति		375	अधिसूचना. दि. 28.10.16 04.01.17 01.05.17 11.09.18 परिपत्र दि. 01.05.17 25.07.17
59	व्यावृत्तियाँ	86	379	

Rule	Particulars	Relevant Section	Page No.	Notifications / circular/ orders for Amendments
		Chapter-I		
		Preliminary		
1	Short title and commencement	1	2	
2	Definitions	2	10	
		Chapter-II		
		Organisational Structure for Procurement		
3	Procurement committees	24	158	
4	State Public Procurement Portal	17	96	Circular dt 19.12.2012 31.08.2015 27.09.2016 31.03.2017 11.05.2020 13.05.2020
5	e-procurement	28(2)	234	Circular dt 16.09.2015 31.08.2016
		Chapter-III		
		General principles of procurement		
6	Determination of need for procurement	5	20	
7	Procurement plan	10	56	
8	Numbering convention	10	58	

नियम	विषय–वस्तु	प्रासंगिक धारा	पृष्ठ संख्या	संशोधन हेतु अधिसूचना/परिपत्र/आदेश
	अध्याय–1			
	प्रारम्भिक			
1.	संक्षिप्त नाम और प्रारंभ	1	3	
2.	परिभाषाएँ	2	11	
	अध्याय–2			
	उपापन के लिए संगठनात्मक संरचना			
3.	उपापन समितियाँ	24	159	
4.	राज्य लोक उपापन पोर्टल	17	97	परिपत्र दि. 19.12.2012 31.08.2015 27.09.2016 31.03.2017 11.05.2020 13.05.2020
5.	ई–उपापन	28(2)	235	परिपत्र दि. 16.09.2015 31.08.2016
	अध्याय–3			
	उपापन के साधारण सिद्धान्त			
6.	उपापन की आवश्यकता का अवधारण	5	21	
7.	उपापन योजना	10	57	
8.	संख्यांकन परिपाटी	10	59	

Rule	Particulars	Relevant Section	Page No.	Notifications / circular/ orders for Amendments
9	Procurement Management Information System and tracking	10	58	
10	Procurement Register	10	60	
11	Administrative, Financial and Technical sanctions and availability of budget provision	8	38	
12	Obligations related to value of procurement	8	38	
13	Participation of bidders	6	24	Notification dt 19.11.2015 28.08.2018 30.08.2018

Chapter-IV

Method of Procurement

Rule	Particulars	Relevant Section	Page No.	Notifications / circular/ orders for Amendments
14	Methods of Procurement	28	236	Notification dt 05.06.2015 16.09.2015 31.08.2016
15	Open competitive bidding	29	240	
15 a	Swiss Challenge Method	-	240	Notification dt 5.06.2015
16	Limited bidding	30	282	
17	Single source procurement	31	288	Notification dt 28.08.2015

नियम	विषय–वस्तु	प्रासंगिक धारा	पृष्ठ संख्या	संशोधन हेतु अधिसूचना / परिपत्र / आदेश
9.	उपापन प्रबन्धन सूचना प्रणाली और ट्रेकिंग	10	59	
10.	उपापन रजिस्टर	10	61	
11.	प्रशासनिक,वित्तीय और तकनीकी स्वीकृतियाँ और बजट व्यवस्था की उपलब्धता	8	39	
12.	उपापन मूल्य से सम्बन्धित बाध्यताएँ	8	39	
13.	बोली लगाने वालों का भाग लेना	6	25	अधिसूचना. दि19.11.2015 28.08.2018 30.08.2018
		अध्याय–4 उपापन की पद्धतियाँ		
14.	उपापन की पद्धतियाँ	28	237	अधिसूचना. दि05.06.2015 16.09.2015 31.08.2016
15.	खुली प्रतियोगी बोली	29	241	
15 ए	स्विस चैलेन्ज पद्धति	.	241	अधिसूचना. दि05.06.2015
16.	सीमित बोली	30	283	
17.	एकल स्रोत उपापन	31	289	अधिसूचना. दि28.08.2015

Rule	Particulars	Relevant Section	Page No.	Notifications / circular/ orders for Amendments
18	Two stage bidding	32	296	
19	Procedure of electronic reverse auction	33	302	
20	Registration for the electronic reverse auction and the timing of holding the auction	33	306	
21	Requirements during the electronic reverse auction	33	308	
22	Requirements after the electronic reverse auction	33	310	
23	Other provisions for electronic reverse auction	33	310	
24	Request for Quotations	34	314	
25	Spot Purchase	34	316	
26	Procurement without quotations	34	316	
27	Procurement of works by work order system and piece work system	19	112	
28	Competitive negotiations	35	320	
29	Rate contract	36	324	
30	Registration	19	116	
31	Empanelment by pre-qualification process	18	106	
32	Direct procurement from notified agencies	6	30	Notification dt 19.11.2015 28.08.2018
33	Purchase or price preference in procurement	6	30	Notification dt30.08.18

नियम	विषय–वस्तु	प्रासंगिक धारा	पृष्ठ संख्या	संशोधन हेतु अधिसूचना/परिपत्र/आदेश
18.	द्विप्रक्रमी बोली	32	297	
19.	इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम की प्रक्रिया	33	303	
20.	इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम के लिए रजिस्ट्रीकरण और नीलाम आयोजित करने का समय	33	307	
21.	इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम के दौरान अपेक्षाएँ	33	309	
22.	इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम के पश्चात् अपेक्षाएँ	33	311	
23.	इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम के लिए अन्य उपबंध	33	311	
24.	कोटेशनों के लिए अनुरोध	34	315	
25.	मौके पर क्रय	34	317	
26.	कोटेशनों के बिना उपापन	34	317	
27.	कार्य आदेश प्रणाली और पीस वर्क प्रणाली द्वारा संकर्मो का उपापन	19	113	
28.	प्रतियोगी बातचीत	35	321	
29.	दर संविदा	36	325	
30.	रजिस्ट्रीकरण	19	117	
31.	पूर्व–अर्हता प्रक्रिया द्वारा पैनलित करना	18	107	
32.	अधिसूचित अभिकरणों से प्रत्यक्ष उपापन	6	31	अधिसूचना. दि 19.11.2015 28.08.2018
33.	उपापन में क्रय या कीमत अधिमान	6	31	अधिसूचना. दि 30.08.18

Rule	Particulars	Relevant Section	Page No.	Notifications / circular/ orders for Amendments
	Chapter-V **Bid process Management-Open Competitive Bidding**			
34	Description of subject matter of procurement	12	80	
35	Criteria for evaluation of bids	14	86	
36	Preparation of bidding documents	20	120	Circular dt 04.02.2013 with Annexure A,B,C,D
37	Single part and two part bids	13	82	
38	Qualification of bidders	7	36	
39	Eligibility of bidders	6	30	
40	Time frame for procurement process	9	42	
41	Prequalification proceedings	18	108	
42	Bid security	24	160	
43	Notice Inviting Bids	20	126	
44	Price for bidding documents, pre-qualification documents or bidder registration documents and processing fee or user charges	20	146	Circular dt 04.02.2013 instruction with annexure A,B,C,D

नियम	विषय–वस्तु	प्रासंगिक धारा	पृष्ठ संख्या	संशोधन हेतु अधिसूचना/परिपत्र/आदेश
	अध्याय–5 बोली प्रक्रिया प्रबंधन खुली प्रतियोगी बोली			
34.	उपापन की विषय–वस्तु का वर्णन	12	81	
35.	बोलियों के मूल्यांकन की कसौटी	14	87	
36.	बोली दस्तावेजों को तैयार करना	20	121	परिपत्र दि. 04.02.2013 मय परिशिष्ठ ए,बी,सी,डी
37.	एकल भाग और द्वि–भाग बोलियाँ	13	83	
38.	बोली लगाने वालों की अर्हता	7	37	
39.	बोली लगाने वालों की पात्रता	6	31	
40.	उपापन प्रक्रिया के लिए समय–सीमा	9	43	
41.	पूर्व–अर्हता कार्यवाहियाँ	18	109	
42.	बोली प्रतिभूति	24	161	
43.	बोली आमंत्रित करने वाली सूचना	20	127	
44.	बोली दस्तावेजों, पूर्व अर्हता दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों के लिए मूल्य और प्रक्रिया फीस या उपयोक्ता प्रभार	20	147	परिपत्र दि. 04.02.2013 निर्देश मय परिशिष्ट ए,बी,सी,डी

Rule	Particulars	Relevant Section	Page No.	Notifications / circular/ orders for Amendments
45	Sale of bidding documents	20	146	Circular dt 04.02.2013 instruction with annexure A,B,C,D
46	Pre-bid clarifications	22	154	
47	Changes in the bidding documents	23	156	
48	Period of validity of bids	24	166	
49	Format and signing of bids	24	168	
50	Sealing and marking of bids	24	170	
51	Deadline for the submission of bids	21	150	
52	Late bids	24	172	
53	Receipt and Custody of Bids	24	172	
54	Withdrawal, substitution and modification of bids	24	174	
55	Opening of bids	24	176	
56	Preliminary examination of bids	24	184	
57	Tabulation of Technical bids	24	184	
58	Tabulation of Financial bids	24	188	
59	Determination of responsiveness	24	192	
60	Clarification of bids	24	194	
61	Non-material Non-conformities in bids	24	196	
62	Exclusion of bids	25	220	

नियम	विषय–वस्तु	प्रासंगिक धारा	पृष्ठ संख्या	संशोधन हेतु अधिसूचना / परिपत्र / आदेश
45.	बोली दस्तावेजों का विक्रय	20	147	परिपत्र दि. 04.02.2013 निर्देश मय परिशिष्ट ए,बी,सी,डी
46.	बोली–पूर्व स्पष्टीकरण	22	155	
47.	बोली दस्तावेजों में परिवर्तन	23	157	
48.	बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि	24	167	
49.	बोलियों का रूप विधान और हस्ताक्षरित किया जाना	24	169	
50.	बोलियों को मुहरबंद करना और चिन्हित करना	24	171	
51.	बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए अंतिम समय–सीमा	21	151	
52.	विलंब से प्राप्त बोलियाँ	24	173	
53.	बोलियों की प्राप्ति और अभिरक्षा	24	173	
54.	बोलियों का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन और उपान्तरण	24	175	
55.	बोलियों का खोला जाना	24	177	
56.	बोलियों की प्रारंभिक परीक्षा	24	185	
57.	तकनीकी बोलियों की सारणी बनाना	24	185	
58.	वित्तीय बोलियों की सारणी बनाना	24	189	
59.	प्रत्युत्तरदायिता का अवधारण	24	193	
60.	बोलियों का स्पष्टीकरण	24	195	
61.	बोली में गैर–सारवान् और गैर–अनुरूपता	24	197	
62.	बोलियों का अपवर्जन	25	221	

Rule	Particulars	Relevant Section	Page No.	Notifications / circular/ orders for Amendments
63	Evaluation of Technical bids in case of two part bids	24	198	
64	Correction of arithmetic errors in financial bids	24	200	
65	Evaluation of financial bids	24	200	
66	Comparison of rates of firms outside and those in Rajasthan	24	204	
67	Price / purchase preference in evaluation	24	204	
68	Lack of competition	24	204	
69	Negotiations	15	88	
70	Acceptance of the successful bid and award of contract	27	228	Circular dt 30.05.2018
71	Information and publication of award	27	230	
72	Procuring entity's right to accept or reject any or all bids	24	208	
73	Right to vary quantity	24	208	
74	Dividing quantities among more than one bidder at the time of award	24	212	
75	Performance security	24	212	
76	Execution of agreement	16	92	
77	Confidentiality	49	354	
78	Cancellation of procurement process	26	224	
79	Documentary record of procurement proceedings	10	60	

नियम	विषय–वस्तु	प्रासंगिक धारा	पृष्ठ संख्या	संशोधन हेतु अधिसूचना / परिपत्र / आदेश
63.	द्वि–भाग बोलियों के मामले में तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन	24	199	
64.	वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार	24	201	
65.	वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन	24	201	
66.	राजस्थान की और बाहर की फर्मों की दरों की तुलना	24	205	
67.	मूल्यांकन में कीमत / क्रय अधिमान	24	205	
68.	प्रतियोगिता की कमी	24	205	
69.	बातचीत	15	89	
70.	सफल बोली का स्वीकार किया जाना और संविदा का अधिनिर्णय	27	229	परिपत्र दि. 30.05.2018
71.	अधिनिर्णय की सूचना और प्रकाशन	27	231	
72.	किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार	24	209	
73.	परिमाण में परिवर्तन का अधिकार	24	209	
74.	अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालें के बीच परिमाणों का विभाजन	24	213	
75.	कार्य सम्पादन प्रतिभूति	24	213	
76.	करार का निष्पादन	16	93	
77.	गोपनीयता	49	355	
78.	उपापन प्रक्रिया का रद्दकरण	26	225	
79.	उपापन कार्यवाहियों का दस्तावेजी अभिलेख	10	61	

Rule	Particulars	Relevant Section	Page No.	Notifications / circular/ orders forAmendments
	Chapter-V A **Bid Process Management- Swiss Challenge Method**			
79 A	Swiss Challenge Method of Procurement	29	242	
79 B	Eligible sectors under Swiss Challenge Method	29	242	
79 C	Projects, which shall not be acceptable under Swiss Challenge Method	29	246	
79 D	Procedure	29	246	
79 E	Preparation and submission of detailed and comprehensive proposal	29	250	
79 F	Earnest Security	29	254	
79 G	Detailed Project Report (DPR) preparation cost	29	256	
79 H	Clarifications regarding Detailed Project Report (DPR)	29	258	
79I	Bid Parameters and Bid Value	29	258	
79 J	Competent Authority for approval of Projects under SCM and Procedure to be followed thereof	29	260	
79 K	Bidding Process	29	262	
79 L	Transaction Advisor	29	264	
79 M	Time frame for the total process	29	268	
79 N	Eligibility criteria for the Project Proponent	29	272	
79 O	Power to call off the Project	29	278	

नियम	विषय–वस्तु	प्रासंगिक धारा	पृष्ठ संख्या	संशोधन हेतु अधिसूचना/परिपत्र/आदेश
	अध्याय–5 क **बोली प्रकिया प्रबंध–स्विस चैलेन्ज पद्धति**			
79 क	उपापन की स्विस चैलेन्ज पद्धति	29	243	
79 ख	स्विस चैलेन्ज पद्धति के अधीन पात्र सैक्टर	29	243	
79 ग	परियोजनाएँ, जो स्विस चैलेन्ज पद्धति के अधीन प्रतिग्राह्य नहीं होंगी	29	247	
79 घ	प्रक्रिया	29	247	
79 ड.	ब्यौरेवार और व्यापक प्रस्ताव तैयार करना और उसका प्रस्तुत किया जाना	29	251	
79 च	अग्रिम प्रतिभूति	29	255	
79 छ	ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की लागत	29	257	
79 ज	ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के संबंध मे ं स्पष्टीकरण	29	259	
79 झ	बोली परिमाप और बोली मूल्य	29	259	
79 ञ	स्विस चैलेन्ज पद्धति (एस.सी.एम.) के अधीन परियोजनाओं का अनुमोदन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और उसके लिए अनुसरण की जाने वाली प्रकिया	29	261	
79 ट	बोली प्रक्रिया	29	263	
79 ठ	संव्यवहार सलाहकार	29	265	
79 ड	संपूर्ण प्रक्रिया के लिए समय–सीमा	29	269	
79 ढ	परियोजना प्रस्तावक के लिए पात्रता मानदंड	29	273	
79 ण	परियोजना को वापस लेने की शक्ति	29	279	

Rule	Particulars	Relevant Section	Page No.	Notifications / circular/ orders for Amendments
	Chapter-VI Code of Integrity			
80	Code of integrity	11	68	
81	Conflict of interest	11	72	
82	Breach of code of integrity by the bidder	11	76	
	Chapter-VII Appeals			
83	Form of Appeal	38	336	Circular dt 04.02.2013 21.12.2016
84	Fee for filing appeal	38	336	
85	Procedure for disposal of appeal	38	338	
86	Repeal and savings	59	378	

नियम	विषय–वस्तु	प्रासंगिक धारा	पृष्ठ संख्या	संशोधन हेतु अधिसूचना / परिपत्र / आदेश
		अध्याय–6 **सत्यनिष्ठा की संहिता**		
80.	सत्यनिष्ठा संहिता	11	69	
81.	हित का विरोध	11	73	
82.	बोली लगाने वालों के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंग	11	77	
		अध्याय–7 **अपील**		
83.	अपील का प्ररूप	38	337	परिपत्र दि. 04.02.2013 21.12.2016
84.	अपील फाईल करने के लिए फीस	38	337	
85.	अपील के निपटारे की प्रक्रिया	38	339	
86.	निरसन और व्यावृत्तियाँ	59	379	

SELECTION OF PROCUREMENT METHOD

S. No.	Value of Procurement		Procure-ment Method	Condition	Relevant Section & Rule
	On single occasion	Total Procure ment in a one financial Year			
1	2	3	4	5	6
1.	Upto Rs.10 Thousand	Below Rs.1 lac	Pro-curement without quotation	From Govt. Deptt./ Corporations/ Authorised dealers/ Co-operative stores/ or Bona-fide dealers	Section 34 Rule 26
2.	Below Rs. 50 thousand	Upto Rs. 3 Lac	Spot purchase	On the recommendation and certificate of spot purchase committee regarding market rates	Section 34 Rule 25
3.	Below Rs. 1 Lac	Not more than Rs. 5 Lacs	Request for Quotation	Minimum three quotation	Section 34 Rule 24
4.	Below Rs. 1 lac works	Upto Rs. 5 Lac	Work order system	To registered bidder on scheduled rates,performance security be obtained, rates should not be more than market rates	Section 19 Rule 27

उपापन पद्धति का चयन

क.सं.	उपापन का मूल्य एक अवसर पर	उपापन का मूल्य एक वित्तीय वर्ष में कुल उपापन	उपापन पद्धति	शर्तें	सम्बन्धित धारा व नियम
1	2	3	4	5	6
1	10 हजार रू. तक	1 लाख रू. से कम	कोटेशन के बिना उपापन	सरकारी विभागों/ निगमों/प्राधिकृत व्यवहारियों/सहकारी स्टोर या फुटकर सद्भावी व्यवहारी	धारा 34 नियम 26
2	50 हजार से कम	3 लाख तक	मौके पर क्रय	मौका क्रय समिति की सिफारिश एवं बाजार दरों संबंधी प्रमाण पत्र पर	धारा 34 नियम 25
3.	1 लाख से कम	5 लाख से अधिक नही	कोटेशनों के लिए अनुरोध	न्यूनतम तीन कोटेशन	धारा 34 नियम 24
4	1 लाख से कम संकर्म	5 लाख रू. तक	कार्य आदेश प्रणाली	केवल रजिस्ट्रीकृत फर्मों को अनुमोदित दरों की अनुसूची पर,, कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्राप्त की जाएगी, प्राप्त दरें खुली बोली की दरों से अधिक न हो।	धारा 19 नियम 27

S. No	Value of Procurement On single occation	Total Procurement in a one financial Year	Procure-ment Method	Condition	Relevant Section & Rule
1	2	3	4	5	6
5.	Below Rs. 1 lac works	Upto Rs. 5 Lac	Piece work system	Normally avoidable from registered bidder on approved rates by inviting open bids, without security deposit, maximum period 21 days	Section Rule 27
6.	Below Rs. 2 lac	not more than Rs. 10 Lac	limited bidding	To be uploaded on SPP portal, time of 7 days (in case of emergency3 days), from minimum 3 firm if registered firm is not available	Section 30 Rule 16
7.	No financial limit, for consultancy and professional services upto 12 Lakh in each case.	No financial limit, for consultancy and professional services upto 12 Lakh in each case.	Single source procurement	Above 1 lac to be uploaded on port - al, Price adminis - tered by govt., without bid security and perfor mance security, in case of emergency on maximum rates approved by the committee, regist -ered bidder (scheduled rates of other deptt.)	Section 31 Rule 17

क. सं.	उपापन का मूल्य एक अवसर पर	एक वित्तीय वर्ष में कुल उपापन	उपापन पद्धति	शर्तें	सम्बन्धित धारा व नियम
1	2	3	4	5	6
5	1 लाख से कम संकर्म	5 लाख तक	पीस वर्क प्रणाली	सामान्यतः परिवर्जन योग्य, रजिस्ट्रीकृत फर्मों से ही, खुली बोली से अनुमोदित दरों पर, बिना प्रतिभूति जमा कराए, कालावधि अधिकतम 21 दिन	धारा नियम 27
6	2 लाख से कम	10 लाख से अधिक नही	सीमित बोली	पोर्टल पर अपलोड 7 दिवस का समय (आपातकालीन दशा में 3 दिन) रजिस्ट्रीकृत फर्में नहीं होने पर कम से कम 3 फर्मों से	धारा 30 नियम 16
7.	कोई वित्तीय सीमा नहीं, केवल परामर्शी या वृतिक सेवाओं में प्रत्येक मामले में 12 लाख तक	कोई वित्तीय सीमा नहीं, केवल परामर्शी या वृतिक सेवाओं में प्रत्येक मामले में 12 लाख तक	एकल स्रोत उपापन	1 लाख से अधिक पर पोर्टल पर अपलोड, सरकार द्वारा प्रशासित मूल्य, बिना बोली प्रतिभूति, बिना कार्य सम्पादन प्रतिभूति, आपात परिस्थिति में समिति द्वारा निर्धारित अधिकतम दरों की सीमा तक। रजिस्टर्ड बोलीदाता (अन्य विभाग की सूची अनुमत)	धारा 31 नियम 17

S. No.	Value of Procurement On single occation	Total Procurement in a one financial Year	Procurement Method	Condition	Relevant Section & Rule
1	2	3	4	5	6
8.	No financial limit	No financial limit	Two stage bidding	If it is not feasible for procuring entity to identify technical aspect, bid security shall not be fore feited if bidder withdraw from bidding process due to change in specification	Section 32 Rule 18
9.	No financial limit	No financial limit	Open competi-tive bidding	Most preferred method.	Section 29 Rule 15, 34 to 79
10.	No financial limit	No financial limit	Rate contract	Where subject matter of procurement arise on an urgent basis.	Section 36 Rule 29
11.	Unsolicit-ed proposal for Govt. Project above 50 crore	-	Swiss Challenge method	Challenge the original proposal through open bidding by counter match the most competitive offer.	Section Rule 15 (a) 79 (a) to 79 (o)

क.सं.	उपापन का मूल्य एक अवसर पर	एक वित्तीय वर्ष में कुल उपापन	उपापन पद्धति	शर्तें	सम्बन्धित धारा व नियम
1	2	3	4	5	6
8.	कोई वित्तीय सीमा नहीं	कोई वित्तीय सीमा नहीं	द्विप्रक्रमी बोली	यदि उपापन संस्था को तकनीकी पहलुओं की पहचान करने हेतु बोली दाताओं का अभिमत प्राप्त करना आवश्यक लगे। विनिर्देशों में परिवर्तन के कारण उपापन प्रक्रिया से पीछे हटने पर प्रतिभूति जप्त नहीं होगी।	धारा 32 नियम 18
9	कोई वित्तीय सीमा नहीं	कोई वित्तीय सीमा नहीं	खुली प्रतियोगी बोली	सर्वाधिक अधिमानित पद्धति	धारा 29 नियम 15,34 से 79
10	कोई वित्तीय सीमा नहीं	कोई वित्तीय सीमा नहीं	दर संविदा	जहाँ उपापन की विषय वस्तु की आवश्यक आवृति आधार पर उत्पन्न हो।	धारा 36 नियम 29
11	50 करोड से उपर के किसी सरकारी परियोजना के लिए अनापेक्षित प्रस्ताव	—	स्विस चैलेन्ज पद्धति	अनपेक्षित प्रस्ताव पर खुली बोली के माध्यम से मूल प्रस्ताव को चुनौती द्वारा सर्वाधिक प्रतियोगी प्रस्ताव का प्रति मिलान	धारा नियम 15 (क) 79 (क) से 79 (ण)

S. No.	Value of Procurement On single occation	Total Procurement in a one financial Year	Procure-ment Method	Condition	Relevant Section & Rule
1	2	3	4	5	6
12	No financial limit	No financial limit	Electronic reverse auction		Section 33 Rule 19 to 23
13	No financial limit	No financial limit	GeM Portal		FD Notification No. F2(1)FD/SPFC/2017 Dated 01.05.2017 31.5.2019 26.6.2019 18.6.2020

---x---x---

क.सं.	उपापन का मूल्य एक अवसर पर	एक वित्तीय वर्ष में कुल उपापन	उपापन पद्धति	शर्तें	सम्बन्धित धारा व नियम
1	2	3	4	5	6
12	कोई वित्तीय सीमा नहीं	कोई वित्तीय सीमा नहीं	इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम		धारा 33 नियम 19 से 23
13	कोई वित्तीय सीमा नहीं	कोई वित्तीय सीमा नहीं	जैम पोर्टल		वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 17 एफडी/एसपीएफसी/2017 दिनांक 01.05.2017 31.05.2019 26.06.2019 18.06.2020

---x---x---

The Rajasthan Transparency In Public Procurement Act, 2012

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012

The Rajasthan Transparency In Public Procurement Rules, 2013

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013

Short title, extent and commencement

The title, extend and commencement of Act & rules has been narrated in the Sec. 1 & Rule 1 respectively as follows:-

Section 1.

Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date[1] as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint;

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such Provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

S.O.217. - In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No.21 of 2012), the State Government hereby appoints 26th January, 2013 as the date, on which all the provisions of said Act shall come into force.

Rule 1.

Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013.

(2) They shall come into force on such date[2] as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

---

1. [Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 24.1.2013, published in Raj.Gazette EO Pt.4(Ga) (II) dated 24.1.2013]

2.FD Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 24.1.2013. published in Rajasthan Gazette Ext.Ord.Pt.4(Ga)(I) dated 24.1.2013 effective from 26.1.2013.

संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ

अधिनियम तथा नियम का नाम, प्रसार और प्रारंभ क्रमशः अधिनियम की धारा 1 तथा नियम 1 में वर्णित है जो इस प्रकार हैः–

धारा 1.

संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.– (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख[1] से प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे;

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारम्भ के सम्बन्ध में ऐसे किसी उपबंध के किसी निर्देश से यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस उपबंध के प्रवर्तन के प्रति कोई निर्देश है।

एस.ओ. 217ः– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियिम संख्या 21) की धारा 1 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा 26 जनवरी, 2013 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के समस्त उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

नियम 1.

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 है।

(2) ये उस तारीख[2] से प्रवृत्त होंगे जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

---

1. अधिसूचना संख्या प. 1 (8) वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 24.1.2013, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4 (ग) (II) दिनांक 24.1.2013 में प्रकाशित (26.1.2013 से प्रभावी)।

2. वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या प.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 24.1.2013 द्वारा राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग) उप–खण्ड (I) दिनांक 24.1.2013 में प्रकाशित एवं दिनांक 26.1.2013 से प्रभावी।

Definitions

There are total 22 definitions in the Section 2 of the Act and& 7 definitions in the rule 2, which are as follows:-

Section 2

Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(i) **“bid”**means a formal offer made in pursuance of an invitation by a procuring entity and includes any tender, proposal or quotation;

(ii) **“bidder”** means any person participating in a procurement process with a procuring entity;

(iii) **“bidder registration documents”** means the documents issued by a procuring entity, including any amendments thereto, that set out the terms and conditions of registration proceedings and includes the invitation to register;

(iv) **“bidding documents”** means documents issued by the procuring entity, including any amendments thereto, that set out the terms and conditions of the given procurement and includes the invitation to bid;

(v) **“bid security”** means a security provided to the procuring entity by a bidder for securing the fulfilment of any obligation in terms of the provisions of the bidding documents;

(vi) **“electronic reverse auction”** means an online realtime purchasing technique utilised by the procuring entity to select the successful submission, which involves presentation by bidders of successively lowered bids during a scheduled period of time and the automatic evaluation of bids;

परिभाषाएँ

अधिनियम की धारा 2 में कुल 22 तथा नियम 2 में कुल 7 परिभाषाएँ दी गई है जो इस प्रकार है:–

धारा 2.

परिभाषाएँ.– इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(i) **''बोली''** से किसी उपापन संस्था द्वारा किसी आमंत्रण के अनुसरण में किया गया कोई औपचारिक प्रस्ताव अभिप्रेत है और इसमें कोई निविदा, प्रस्थापना या कोटेशन सम्मिलित है;

(ii) **''बोली लगाने वाला''** से किसी उपापन संस्था के साथ किसी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(iii) **''बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज''** से किसी उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये दस्तावेज, ऐसे किन्ही संशोधनों को सम्मिलित करते हुए, जो रजिस्ट्रीकरण कार्यवाहियों के निबंधन और शर्तें उपवर्णित करें, अभिप्रेत हैं और इसमें रजिस्ट्रीकृत करने के लिए आमंत्रण सम्मिलित है;

(iv) **''बोली दस्तावेज''** से उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये दस्तावेज, ऐसे किन्हीं संशोधनों को सम्मिलित करते हुए, जो किये गये उपापन के निबंधन और शर्ते उपवर्णित करें, अभिप्रेत है और इसमें बोली के लिए आमंत्रण सम्मिलित है;

(v) **''बोली की प्रतिभूति''** से बोली के दस्तावेजों के उपबंधो के निबंधनानुसार किसी बाध्यता की पूर्ति को प्रतिभूत करने (पूर्ण करने) के लिए किसी बोली लगाने वाले द्वारा उपापन संस्था को उपलब्ध करायी गयी कोई प्रतिभूति अभिप्रेत है;

(vi) **''इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम''** से उपापन संस्था द्वारा सफल अनुरोध को चयनित करने के लिए उपयोग की गयी ऑनलाइन वास्तविक–समय क्रय तकनीक अभिप्रेत है, जिसमें बोली लगाने वालों द्वारा नियत समय की कालावधि के दौरान क्रमवर्ती रूप से कम होती हुई बोलियों के संबंध में प्रस्तुति और बोलियों का स्वचालित मूल्यांकन अन्तर्वलित है;

(vii) **“goods”** includes all articles, material, commodities, electricity, livestock, furniture, fixtures, raw material, spares, instruments, software, machinery, equipment, industrial plant, vehicles, aircraft, ships, railway rolling stock and any other category of goods, whether in solid, liquid or gaseous form, purchased or otherwise acquired for the use of a procuring entity as well as services or works incidental to the supply of the goods if the value of services or works or both does not exceed that of the goods themselves;

(viii) **“invitation to bid”** means a document published by the procuring entity inviting bids relating to the subject matter of procurement and any amendment thereto and includes notice inviting tender and request for proposal;

(ix) **“notification”** means a notification published in the Official Gazette;

(x) **“prescribed”** means prescribed by rules made under this Act;

(xi) **“pre-qualification”** means the procedure set out to identify, prior to inviting bids, the bidders that are qualified;

(xii) **“pre-qualification documents”**means the documents issued by a procuring entity, including any amendments thereto, that set out the terms and conditions of the pre-qualification proceedings and includes the invitation to pre-qualify;

(xiii) **“procurement”or “public procurement”**means the acquisition by purchase, lease, license or otherwise of works, goods or services, including award of Public Private Partnership projects, by a procuring entity whether directly or through an agency with which a contract for procurement services is entered into, but does not include any acquisition without consideration, and “procure” or “procured” shall be construed accordingly;

(xiv) **“procurement contract”** means a contract entered into between the procuring entity and a successful bidder concerning the subject matter of procurement;

(vii)''**माल**'' में समस्त वस्तुएँ, सामग्री, विक्रयवस्तुएँ, विद्युत, पशुधन, फर्नीचर, फिक्सचर, कच्ची सामग्री, स्पेअर, उपकरण, सॉफ्टवेयर, मशीनरी, उपस्कर, औद्योगिक संयंत्र, यान, वायुयान, जलयान, रेलवे रॉलिंग स्टॉक और माल का कोई अन्य प्रवर्ग चाहे वह ठोस, तरल या गैसीय रूप में हो, किसी उपापन संस्था के उपयोग के लिए क्रय किया गया हो या अन्यथा अर्जित किया गया हो, साथ ही माल के प्रदाय से आनुषंगिक सेवाएँ या संकर्म, यदि ऐसी सेवाएँ या संकर्म या दोनों का मूल्य स्वयं उस माल के मूल्य से अधिक न हो, सम्मिलित है;

(viii)**"बोली लगाने के लिए आमंत्रण''** से उपापन संस्था द्वारा उपापन की विषय–वस्तु और उसके किसी संशोधन के सम्बन्ध में बोलियाँ आमंत्रित करते हुए प्रकाशित कोई दस्तावेज अभिप्रेत है और इससें निविदा आमंत्रित करने वाला नोटिस और प्रस्थापना के लिए अनुरोध सम्मिलित है;

(ix)**"अधिसूचना''** से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(x)**"विहित''** से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(xi)**"पूर्व–अर्हता''** से बोलियाँ आमंत्रित करने से पूर्व, ऐसे बोली लगाने वालों की, जो अर्हित है, पहचान करने की उपवर्णित प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(xii)**"पूर्व–अर्हता के दस्तावेज''** से उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये दस्तावेज, जिसमें ऐसे किन्हीं संशोधनों को सम्मिलित करते हुए जो पूर्व–अर्हता की कार्यवाहियों के निबंधन और शर्ते उपवर्णित करें, अभिप्रेत है और इसमें अर्हित होने से पूर्व का आमंत्रण सम्मिलित है;

(xiii)**"उपापन या लोक उपापन''** से किसी उपापन संस्था द्वारा चाहे प्रत्यक्षतः या किसी अभिकरण, जिसके साथ उपापन सेवाओं के लिए कोई संविदा की गयी है, के माध्यम से लोक निजी भागीदारी परियोजनाओं के अधिनिर्णय सहित संकर्म, माल या सेवाओं के क्रय, पट्टे अनुज्ञप्ति या अन्यथा द्वारा अर्जन अभिप्रेत है, किन्तु इसमें प्रतिफल के बिना अर्जन सम्मिलित नहीं है, और "उपाप्त'' करना या "उपाप्त'' का अर्थान्वयन (अर्थ लगाना) तदनुसार किया जायेगा

(xiv)**"उपापन संविदा''** से उपापन संस्था और किसी सफल बोली लगाने वाले के बीच उपापन की विषय–वस्तु के सम्बन्ध में की गयी संविदा अभिप्रेत है;

(xv) **"procurement process"** means the process of procurement extending from the issue of invitation to pre-qualify or to register or to bid till the award of the procurement contract or cancellation of the procurement process, as the case may be;

(xvi) **"procuring entity"** means an entity referred to in subsection (2) of section 3;

(xvii) **"Public Private Partnership"** means an arrangement between the State Government, statutory entity or any other government owned entity on one side and a private sector entity on the other, for the provision of public assets or public services or both, through investments being made or management being undertaken, or both investments being made and management being undertaken, by the private sector entity, for a specified period of time, where there is well defined allocation of risk between the private sector and the State Government, statutory entity or any other government owned entity, as the case may be, and the private entity receives performance linked payments that conform (or are benchmarked) to specified and pre-determined performance standards, measurable by the State Government, statutory entity or any other government owned entity, as the case may be, or its representative;

(xviii) **"rate contract"** means an agreement between a procuring entity and one or more bidders which specifies the terms and conditions including the price, for the supply of a subject matter of procurement required on a recurring basis;

(xix) **"registered bidder"** means any bidder who is on a list of registered bidders of the procuring entity maintained under section 19;

(xx) **"services"** means any subject matter of procurement other than goods or works and includes physical, maintenance, professional, intellectual, consultancy and advisory services or any service classified or declared as such by a procuring entity and does not include appointment of any person made by any procuring entity;

(xv) **"उपापन प्रक्रिया''** से अर्हित होने से पूर्व का आमंत्रण जारी होने से या रजिस्ट्रीकृत किये जाने या बोली लगाये जाने से विस्तारित होकर उपापन संविदा के अधिनिर्णय या, यथास्थिति, उपापन प्रक्रिया के रद्दकरण तक, उपापन की प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(xvi) **"उपापन संस्था''** से धारा 3 की उप–धारा (2) में निर्दिष्ट कोई संस्था अभिप्रेत है;

(xvii) **"लोक निजी भागीदारी''** से किसी विनिर्दिष्ट समय की कालावधि के लिए प्राइवेट सेक्टर संस्था द्वारा किये जा रहे विनिधान या जिम्मे लिये जा रहे प्रबंध या दोनों के माध्यम से लोक आस्तियों या लोक सेवाओं या दोनों के लिए एक ओर राज्य सरकार, कानूनी संस्था या सरकार के स्वामित्वाधीन कोई अन्य संस्था और दूसरी ओर किसी प्राइवेट सेक्टर संस्था के बीच, जहाँ प्राइवेट सेक्टर और राज्य सरकार, कानूनी संस्था या, यथास्थिति, सरकार के स्वामित्वाधीन किसी अन्य संस्था के बीच जोखिम का सुपरिभाषित आवंटन हो और प्राइवेट संस्था कार्य आधारित संदाय प्राप्त करती हो, जो विनिर्दिष्ट और पूर्वावधारित कार्य मानकों के अनुरूप (या बेंचमार्क का) हो, राज्य सरकार, कानूनी संस्था या सरकार के स्वामित्वाधीन किसी अन्य संस्था या, यथास्थिति, उसके प्रतिनिधि द्वारा अनुमान योग्य हो, कोई इंतजाम अभिप्रेत है;

(xviii) **"दर संविदा''** से किसी उपापन संस्था और एक या अधिक बोली लगाने वालों के बीच कोई करार अभिप्रेत है जो किसी आवर्ती आधार पर अपेक्षित उपापन की किसी विषय–वस्तु के प्रदाय के लिए कीमत सहित निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट करें;

(xix) **"रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वाला''** से ऐसा कोई बोली लगाने वाला अभिप्रेत है जो उपापन संस्था की धारा 19 के अधीन संधारित रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूची में है;

(xx) **"सेवा''** से माल या संकर्म से भिन्न उपापन की कोई विषयवस्तु अभिप्रेत है और इसमें शारीरिक, अनुरक्षण, वृतिक, बौद्धिक, परामर्श और सलाहकारी सेवाएँ या कोई सेवा, जो किसी उपापन संस्था द्वारा इस प्रकार वर्गीकृत या घोषित हो, सम्मिलित है और इसमें उपापन संस्था द्वारा की गयी किसी व्यक्ति की नियुक्ति सम्मिलित नहीं है;

(xxi) **“subject matter of procurement”** means any item of procurement whether in the form of goods, services or works;

(xxii) **“works”** mean all works associated with the construction, reconstruction, site preparation, demolition, repair, maintenance, or renovation or railways, roads, highways or a building, an infrastructure, or structure or an installation or any construction work relating to excavation, drilling, installation of equipment and materials, as well as services incidental to the works if the value of those services does not exceed that of the works themselves.

Rule 2

Definitions (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
(i) **“Act”**means the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012);

(ii) **“competent authority”** means an authority or officer to whom the relevant administrative or financial powers have been delegated for taking decision in a matter relating to procurement;

[1][ii-a) **“Earnest Security”**means an amount of security provided by the Project Proponent to the Administrative Department concerned as a token of sincerity and good faith, as specified in sub-rule (6) of rule 79F;

(ii-b) **“Eligible Sector”**means the Sector, as specified in rule79B, in which the project proposals can be accepted under the Swiss Challenge method;]

---

1. Inserted by FD Notification No. F. 1 (8) FD/GF & AR/2014 dated 5-6-2015, published in Raj. Gazette Ext.Ord.Pt 4 (Ga)(I) dated 5.6.2015 effective from 5.06.2015.

(xxi) **"उपापन की विषय–वस्तु"** से उपापन की कोई भी मद अभिप्रेत है, चाहे वह माल, सेवा या संकर्म के रूप में हों;

(xxii) **"संकर्म"** से सन्निर्माण, पुनर्निर्माण, स्थल तैयारी, विध्वंस, मरम्मत, अनुरक्षण या नवीकरण या रेलवे, सड़क, राजमार्ग या कोई भवन, कोई अवसंरचना, या ढाँचा या कोई प्रतिष्ठापन या उत्खनन से संबंधित कोई सन्निर्माण कार्य, ड्रिल करना, उपस्कर का प्रतिष्ठापन और सामग्री साथ ही संकर्म से आनुषंगिक सेवाएँ अभिप्रेत है यदि ऐसी सेवाओं का मूल्य स्वयं उन संकर्मों के मूल्य से अधिक न हो।

नियम 2.

परिभाषाएँ.– (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(i) **''अधिनियम''** से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) अभिप्रेत है;

(ii)**''सक्षम प्राधिकारी''** से ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी अभिप्रेत है जिसे उपापन से संबंधित किसी मामले में विनिश्चय लेने के लिए सुसंगत प्रशासनिक या वित्तीय शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गयी हैं;

[1][ii–क) **''अग्रिम प्रतिभूति''** से नियम 79च के उप–नियम (1) में यथा–विनिर्दिष्ट, संबंधित प्रशासनिक विभाग को परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्यनिष्ठा और सद्भाव के प्रतीक के रूप में दी गयी प्रतिभूति की रकम अभिप्रेत है;]

(ii–ख) **''पात्र सेक्टर''** से नियम 79ख में यथा–विनिर्दिष्ट सेक्टर अभिप्रेत है, जिसमें स्विस चैलेन्ज पद्धति के अधीन परियोजना के प्रस्ताव स्वीकृत किये जा सकते हैं;

1.अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक 5.6.2015 द्वारा अन्तःस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग) (1) दिनांक 5.6.2015 में प्रकाशित (5.6.2015 से प्रभावी)।

(iii) "**form"**means form appended to these rules;

(iv) **"international competitive bidding"**means a bidding process in which qualified bidders from all over the world, except those having nationality of a country declared ineligible by the Central Government, are allowed to participate;

(v) **"National competitive bidding"**means a bidding process in which qualified bidders only from within India are allowed to participate [1][;]

[2][(v-a) **"Project Proponent"**means a Legal entity or a Person who submits a proposal under Swiss Challenge Method;]

(vi) **"section"**means section of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 [3][;and]

[4][(vii) "State Level Empowered Committee (SLEC)" means the State Level Empowered Committee constituted by the State Government under the chairmanship of the Chief Secretary for consideration/ examination/ approval of the project, received under Swiss Challenge Method.]

(2) Words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

---

1. Substituted expression "; and" by FD Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2014 dated 5.6.2015, published in Rajasthan Gazette Ext.Ord.Pt.4(Ga)(I) dated 5.6.2015 effective from 5.6.2015.
2. Inserted by FD Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2014 dated 5.6.2015, published in Rajasthan Gazette Ext.Ord.Pt.4(Ga)(I) dated 5.6.2015 effective from 5.6.2015.
3. Substituted "." by FD Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2014 dated 5.6.2015, published in Rajasthan Gazette Ext.Ord.Pt.4(Ga)(I) dated 5.6.2015 effective from 5.6.2015.
4. Added by FD Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2014 dated 5.6.2015, published in Rajasthan Gazette Ext.Ord.Pt.4(Ga)(I) dated 5.6.2015 effective from 5.6.2015.

(iii) ''प्ररूप'' से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(iv)''अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली'' से बोली की ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा अपात्र घोषित किये गये किसी देश की राष्ट्रीयता वालों को छोड़कर, संपूर्ण विश्व से अर्हित बोली लगाने वाले भाग लेने के लिए अनुज्ञात किये जाते है;

(v) ''राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली'' से बोली की ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें केवल भारत के अर्हित बोली लगाने वाले भाग लेने के लिए अनुज्ञात किये जाते है; [1][;]

[2][v–क) **''परियोजना प्रस्तावक''** से कोई ऐसी विधिक संस्था या व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्विस चैलेन्ज पद्धति के अधीन कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करता है;]

(vi) ''धारा'' से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा अभिप्रेत है; [3][;और]

[4]**[(vii)''राज्य स्तरीय सशक्त समिति (रा.स्त.स.स.)''** से स्विस चैलेन्ज पद्धति के अधीन प्राप्त परियोजना पर विचार/परीक्षण/अनुमोदन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की गयी राज्य स्तरीय सशक्त समिति अभिप्रेत है।]

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदिष्ट (नियत) किया गया है।

---

1. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक 5.6.2015 द्वारा विद्यमान अभिव्यक्ति ''; और'' के स्थान पर प्रतिस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(1) दिनांक 5.6.2015 में प्रकाशित (5.6.2015 से प्रभावी)।

2. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक 5.6.2015 द्वारा अन्तःस्थापित, राज. राज–पत्र विशेषांक भाग–4(ग) (1) दिनांक 5.6.2015 में प्रकाशित (5.6.2015 से प्रभावी)।

3. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक 5.6.2015 द्वारा ''।'' के स्थान पर प्रतिस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(1) दिनांक 5.6.2015 में प्रकाशित (5.6.2015 से प्रभावी)

4. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक 5.6.2015 द्वारा जोडा गया, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(1) दिनांक 5.6.2015 में प्रकाशित (5.6.2015 से प्रभावी)।

Application

Section 3 of the Act explains about the applicability of the Act, which is as follows:-

Section 3

Application (1) This Act shall apply to all procuring entities referred to in sub-section (2).

(2) For the purposes of this Act, "procuring entity" means,-

(a) any department of the State Government or its attached or subordinate office;

(b) any State Public Sector Enterprise owned or controlled by the State Government;

(c) any body established or constituted by the Constitution whose expenditure is met from the Consolidated Fund of the State;

(d) any body or board or corporation or authority or society or trust or autonomous body (by whatever name called) established or constituted by an Act of the State Legislature or a body owned or controlled by the State Government;

(e) any other entity which the State Government may, by notification, specify to be a procuring entity for the purpose of this Act, being an entity that receives substantial financial assistance from the State Government in so far as the utilisation of such assistance towards procurement is concerned.

लागू होना

अधिनियम की धारा 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि यह अधिनियम किन–किन पर लागू होगा, जो इस प्रकार है:–

धारा 3

लागू होना,– (1) यह अधिनियम उप–धारा (2) में निर्दिष्ट समस्त उपापन संस्थाओं पर लागू होगा।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ''उपापन संस्था'' से,–

(क) राज्य सरकार का कोई भी विभाग या इससे संलग्न या उसका अधीनस्थ कार्यालय;

(ख) राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई भी राज्य पब्लिक सेक्टर उद्यम;

(ग) संविधान द्वारा स्थापित या गठित कोई भी निकाय, जिसके व्यय की पूर्ति राज्य की समेकित निधि से की जाती है;

(घ) राज्य विधान–मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या गठित कोई निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या सोसाइटी या न्यास या स्वायत्त निकाय (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाये) या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई निकाय;

(ङ) कोई अन्य संस्था, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, किसी उपापन संस्था के रूप में विनिर्दिष्ट करे, जो ऐसी संस्था होने के कारण, जहाँ तक उपापन के पेटे ऐसी सहायता के उपयोग का सम्बन्ध है, राज्य सरकार से सारवान् वित्तीय सहायता प्राप्त करती हो, अभिप्रेत है।

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) provisions of this Act shall apply to a procuring entity subject to any obligation of the State Government under or arising out of any agreement,-

(a) Entered into by the Central Government with any other country or with an intergovernmental international financing institution; or

(b) To which it is party with one or more other State Governments or with the Central Government, and the requirements of such agreement shall prevail over the provisions of this Act.

(4) Subject to such rules as may be made in this behalf consistent with the provisions of sections 4 and 11, the provisions of Chapters II and III shall not apply to any procurement the estimated cost or value of which is less than one lakh rupees or such higher value as the State Government may, by notification, specify.

Comment:- *It has been clearified about applicability in the sections 3 of the act, so no comments have been given in the rules.*

(3) उप–धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध किसी करार,–

(क) जो केन्द्र सरकार द्वारा किसी भी अन्य देश के साथ या अन्तर सरकारी अन्तर्राष्ट्रीय वित्त पोषण संस्था के साथ किया गया हो; या

(ख) जिसमें किसी एक या अधिक अन्य राज्य सरकारों के साथ या केन्द्र सरकार के साथ वह पक्षकार हो, के अधीन या से उद्भूत राज्य सरकार की किसी बाध्यता के अध्यधीन रहते हुए किसी उपापन संस्था पर लागू होंगे और ऐसे करार की अपेक्षाएँ इस अधिनियम के उपबंधों पर अभिभावी होगी।

(4) धारा 4 और 11 के उपबंधो से संगत इस निमित्त बनाये गये ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, अध्याय 2 और 3 के उपबंध ऐसे किसी उपापन पर लागू नहीं होगें, जिसकी प्राक्कलित कीमत या मूल्य एक लाख रूपये या ऐसे उच्चतर मूल्य, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, से कम है।

टिप्पणीः–*लागू होने के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 3 में स्पष्ट कर दिया गया है अतः नियमों में इस बारे में पुनः टिप्पणी नहीं की गई है।*

Fundamental principles of public procurement

The fundamental principles of public procurement are described in section 4 which are as under:-

Section 4

Fundamental principles of public procurement.- (1) In relation to a public procurement, the procuring entity shall have the responsibility and accountability to -

(a) ensure efficiency, economy and transparency;

(b) provide fair and equitable treatment to bidders;

(c) promote competition; and

(d) put in place mechanisms to prevent corrupt practices.

(2) Subject to the provision of sub-section (3) of section 3, every procuring entity shall carry out its procurement in accordance with the provisions of this Act and the rules and guidelines made thereunder.

Comments:- *Fundamental principales of the public procurement are described in Act only.*

लोक उपापन के मूल सिद्धान्त

लोक उपापन के मूल सिद्धान्त धारा 4 में दिए गए हैं जो इस प्रकार हैः–

धारा 4

लोक उपापन के मूल सिद्धान्त,– (1) लोक उपापन के सम्बन्ध में उपापन संस्था का–

(क) दक्षता, मितव्ययता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने का;

(ख) बोली लगाने वालों से उचित और साम्यपूर्ण व्यवहार करने का;

(ग) प्रतियोगिता में अभिवृद्धि करने का; और

(घ) भ्रष्ट आचरण को रोकने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया निर्धारित करने का उत्तरदायित्व और जवाबदारी होगी।

(2) धारा 3 की उप–धारा (3) के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक उपापन संस्था इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाये गये नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार अपने उपापन को कार्यान्वित करेगी।

टिप्पणीः– *लोक उपापन के मूल सिद्धान्त अधिनियम में ही वर्णित है।*

Determination of need for procurement

The provisions pertaining to determination of need have been given in section 5 & Rule 6 which are as follows:-

Section 5.

Determination of need for procurement.- (1) In every case of a procurement made under this Act the procuring entity shall first determine the need for the subject matter of procurement.

(2) While assessing the need under sub-section (1), the procuring entity shall take into account the estimated cost of the procurement and also decide on the following matters, namely;-

(a) the scope or quantity of procurement, if determined;

(b) the method of procurement to be followed with justification thereof;

(c) need for pre-qualification, if any;

(d) limitation on participation of bidders in terms of section 6, if any applicable, and justification thereof; and

(e) any other matter as may be prescribed.

(3) The procuring entity shall maintain documents relating to the determination of the need for procurement under sub-section (1) and the assessment made under sub-section (2).

Rule 6.

Determination of need.- In every case of a procurement, the procuring entity shall first determine the need and maintain documents relating to determination and assessment of need in accordance with the provisions of section 5.

उपापन की आवश्कता का अवधारण

उपापन की आवश्यकता को तय करने के प्रावधान धारा 5 तथा नियम 6 में दिये गये है जो इस प्रकार है:–

धारा 5

उपापन की आवश्कता का अवधारण,– (1)इस अधिनियम के अधीन किये गये उपापन के प्रत्येक मामले में उपापन संस्था पहले उपापन की विषय वस्तु की आवश्यकता अवधारित करेगी।

(2) उपापन संस्था, उप धारा (1) के अधीन आवश्यकता निर्धारित करते समय, उपापन की प्राक्कलित लागत का ध्यान रखेगी और निम्नलिखित मामलों पर विनिश्चय भी करेंगी, अर्थात्:–

(क) उपापन का विस्तार या परिमाण, यदि अवधारित (तय/निश्चित) हो:

(ख) उपापन की अपनाई जाने वाली पद्धति उसके न्यायोचित्य सहित:

(ग) पूर्व–अर्हता की आवश्यकता, यदि कोई हो:

(घ) धारा–6 के निबंधनों के अनुसार बोली लगाने वालों के भाग लेने पर परिसीमा, यदि कोई लागू हो, और उसका न्यायोचित्य: और

(ड़) कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाये।

(3) उपापन संस्था उप–धारा (1) के अधीन उपापन की आवश्कता के अवधारण और उप–धारा (2) के अधीन किये गये निर्धारण के सम्बन्ध में दस्तावेजों का अनुरक्षण करेगी।

नियम 6

आवश्यकता का अवधारण.– उपापन के प्रत्येक मामले में उपापन संस्था पहले आवश्यकता का अवधारण करेगी और अवधारण और आवश्यकता के निर्धारण से संबंधित दस्तावेजों का धारा 5 के उपबन्धों के अनुसार अनुरक्षण करेगी।

Participation of bidders

Procuring entity shall not discriminate among the bidders but the state government' s powers to make rules to promote domestic industries or according to socio economic policies have been described in section 6 rule 13,32, 33 and 39 which are as under

Section 6.

Participation of bidders.- (1) The procuring entity shall not establish any requirement aimed at limiting participation of bidders in the procurement process that discriminates against or among bidders or against any category thereof, except when authorised or required to do so by this Act or the rules or guidelines made thereunder or by the provisions of any other law for the time being in force.

(2) The State Government may, by notification in this behalf, provide for mandatory procurement of any subject matter of procurement from any category of bidders, and purchase or price preference in procurement from any category of bidders, on the following grounds, namely;-

(a) the promotion of domestic industry;

(b) socio-economic policy of the Central Government or the State Government;

(c) any other consideration in public interest in furtherance of a duly notified policy of the Central Government or the State Government:

Provided that any such notification shall contain a reasoned justification for such mandatory or preferential procurement, the category of suppliers chosen and the nature of preference provided.

(3) The procuring entity, when inviting the participation of bidders in the procurement process, shall declare whether participation of bidders is limited pursuant to this section and on what ground and any such declaration may not ordinarily be later altered.

बोली लगाने वालों का भाग लेना

उपापन संस्थाएँ बोली दाताओं के मध्य विभेदकारी व्यवहार न करे किन्तु राज्य सरकार घरेलू उद्योगों की अभिवृद्धि अथवा सामाजिक आर्थिक नीतियों के अनुरूप नियम बनाने सम्बन्धी प्रावधान धारा 6 नियम 13, 32, 33 और 39 में वर्णित है, जो इस प्रकार हैं–

धारा 6

बोली लगाने वालों का भाग लेना,–(1) उपापन संस्था, सिवाय इसके जब इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या मार्गदर्शक सिद्धान्तों द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबधों द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित हो, उपापन प्रक्रिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने के किसी उद्देश्य की, जो बोली लगाने वालों के विरूद्ध या उनके मध्य या उनके किसी प्रवर्ग के विरूद्ध विभेद करे, अपेक्षा नहीं करेगी।

(2) राज्य सरकार, इस निमित्त अधिसूचना द्वारा, बोली लगाने वालों के किसी प्रवर्ग से उपापन की किसी विषय–वस्तु के आज्ञापक (अनिवार्य) उपापन के लिए और बोली लगाने वालों के किसी प्रवर्ग से उपापन में क्रय या कीमत अधिमान के लिए निम्नलिखित आधारों पर उपबन्ध कर सकेगी, अर्थात्ः–

(क) घरेलू उद्योग की अभिवृद्धिः

(ख) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की सामाजिक–आर्थिक नीतिः

(ग) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की सम्यक् रूप से अधिसूचित किसी नीति को अग्रसर करने में लोकहित में कोई भी अन्य प्रतिफलः

परन्तु ऐसी किसी भी अधिसूचना में ऐसे आज्ञापक (अनिवार्य) या अधिमानी उपापन, चुने हुए प्रदायकर्ताओं के प्रवर्ग और उपबंधित अधिमान की प्रकृति का युक्तियुक्त औचित्य अन्तर्विष्ट होगा।

(3) उपापन संस्था, उपापन प्रक्रिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को आमंत्रित करते समय, यह घोषित करेगी कि बोली लगाने वालों का भाग लेना इस धारा के अनुसरण में है और किस आधार पर सीमित है तथा ऐसी कोई घोषणा साधारणतया बाद में परिवर्तित नहीं की जा सकेगी।

(4) Nothing in this section shall be construed as preventing the State Government or any procuring entity from imposing or enforcing measures limiting participation on account of the need –

(a) to protect public order, morality or safety;
(b) to protect human, animal or plant life or their health;
(c) to protect intellectual property;
(d) to protect the essential security and strategic interest of India.

Rule 13.

Participation of bidders.- (1) The procuring entity, at the time of inviting the participation of bidders in the procurement process, shall declare whether participation of bidders is limited or not and if limited, grounds thereof. Such declaration may not ordinarily be altered later.

(2) Normally the procedure of National Competitive Bidding (NCB) shall be adopted. The procedure of International Competitive Bidding (ICB) may be adopted if there is such a condition of adopting International Competitive Bidding for certain procurements under an obligation of an agreement with an intergovernmental international financing institution, or the subject matter of procurement is such that in the opinion of the procuring entity, it will be in the public interest to adopt International Competitive Bidding, after recording reasons.

[1][(3) Normally the procedure of International Competitive Bidding (ICB) for Government Bids upto Rs. 200 crores shall not be allowed. In case, International Competitive Bidding is to be adopted for Government Bids below Rs. 200 crores, then prior approval of the Finance Department shall be obtained. International Competitive Bidding may be adopted in Government bids above Rs. 200 crores if the subject matter of procurement is such that in the opinion of the procuring entity, it will be in the public interest to adopt International Competitive Bidding, after recording reasons.

1. Added by FD Notification No.F.2(1)FD/G&T-SPFC/2017 dated 01.01.2021, published in Rajasthan Gazette Ext.Ord.Pt.4(Ga)(I) dated 1.1.2021.

(4) इस धारा की किसी भी बात का अर्थ, राज्य सरकार या किसी उपापन संस्था को–

(क) लोक आदेश, सदाचार या सुरक्षा को संरक्षित करनेः–
(ख) मानव, पशु या वनस्पति जीवन या उनके स्वास्थ्य को संरक्षित करनेः
(ग) बौद्धिक सम्पत्ति को संरक्षित करनेः
(घ) भारत की आवश्यकता सुरक्षा और युद्धनीतिक हित को संरक्षित करने, की आवश्यकता के कारण भाग लेने को सीमित करने के उपाय अधिरोपित करने या प्रवर्तित करने से निवारित करने के रूप में नहीं लगाया जायेगा।

नियम 13.
बोली लगाने वालों का भाग लेना.– (1) उपापन संस्था, उपापन प्रक्रिया में बोली लगाने वालों को भाग लेने के लिए आमंत्रित करते समय घोषणा करेगी कि क्या बोली लगाने वालों का भाग लेना सीमित है या नहीं और यदि सीमित है तो उसके आधार। ऐसी घोषणा में साधारणतया बाद में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(2) सामान्यतः राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली (रा प्र बो) की प्रक्रिया को अंगीकृत किया जायेगा। अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली (अ प्र बो) की पद्धति को अंगीकृत किया जा सकेगा यदि किसी अन्तरसरकारी (अन्तर्शासकीय) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के साथ किसी करार की बाध्यता के अधीन कतिपय उपापनों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली अंगीकृत करने की ऐसी कोई शर्त विद्यमान हो, या उपापन की विषय वस्तु ऐसी है कि उपापन संस्था की राय में, कारण अभिलिखित करने के पश्चात्, अर्न्तराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली को अंगीकृत किया जाना लोकहित में होगा।
[1] [(3) सामान्यतः रूपये 200 करोड़ तक की सरकारी बोलियों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली (आईसीबी) की प्रक्रिया अनुमत नहीं होगी। रूपये 200 करोड़ से कम की सरकारी बोलियों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया अंगीकृत करने की स्थिति में वित्त विभाग की पूर्वानुमति ली जावेगी। रूपये 200 करोड़ से अधिक की सरकारी बोलियों हेतु अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली अंगीकृत की जा सकती है, यदि उपापन संस्था की राय में उपापन की विषय–वस्तु की प्रकृति ऐसी है, जिसके लिए लोक–हित में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली अंगीकृत किया जाना उचित हो, कारणों को अभिलिखित किया जायेगा।

1.अधिसूचना सं एफ.2(1)एफ डी/जीएण्डटी –एस.पी.एफ.सी./2017 दिनांक 01.01.2021 द्वारा जोड़ा गया, राज. राज–पत्र विशेषांक भाग–4(ग)(I)दिनांक 01.01.2021 में प्रकाशित।

(4) The bidders belonging to or with beneficial ownership from countries sharing land border with India, for participation in any public procurement in the State, shall only be allowed after prior registration with the Industries Department of the Government of Rajasthan.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) and (3) above, as the case may be, the State Government may by order in writing, impose restrictions, including prior registration and/or screening, on procurement from bidders from a country or countries, or a class of countries, on grounds of defence of India, or matters directly or indirectly related thereto including national security, to protect the essential security and strategic interest of India as specified in clause (d) of sub section (4) of section 6, no procurement shall be made in violation of such restrictions.

Explanation : For the purpose of this rule,-

(i) "Agent" means a person employed to do any act for another, or to represent another in dealings with third persons;

(ii) "Beneficial owner" means,-

(a) In case of a company or Limited Liability Partnership, the "beneficial owner" is the natural person or persons who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has a controlling ownership interest or who exercises control through other person;

(b) "Controlling ownership interest" is the ownership of, or entitlement to, more than twenty-five per cent of shares or capital or profits of the company;

(c) "Control" shall include the right to appoint the majority of the directors or to control the management or policy decisions, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements;

(d) In case of a partnership firm, the "beneficial owner" is the natural person or persons who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has ownership of entitlement to more than fifteen percent of capital or profits of the partnership;

(4) भारत के साथ भू–सीमा साझा करने वाले देशों के बोलीदाता अथवा लाभकारी स्वामित्व वाले राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग से पूर्व पंजीकरण पश्चात् ही राज्य के लोक उपापन में भाग ले सकते हैं।

(5) उप–नियम (2) और (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा भारत की रक्षा के आधार पर, या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में, धारा 6 की उपधारा (4) के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट भारत की सुरक्षा और सामरिक हितों की रक्षा के लिए देशों या देशों के वर्ग के बोलिदाताओं से उपापन में प्रतिबंध या पूर्व पंजीकरण या स्क्रीनिंग की शर्त लगा सकती है, उक्त प्रतिबंधों की अवहेलना कर कोई उपापन नहीं किया जावेगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए

(i) ''ऐजेन्ट'' से तात्पर्य किसी अन्य के लिए कोई कार्य करने हेतु नियोजित व्यक्ति, या तीसरे व्यक्तियों से व्यवहार करने के लिए प्रतिनिधित्व करना;

(ii) ''लाभार्थी स्वामी'' से तात्पर्यः–

(क) कम्पनी या सीमित देयता भागीदारी के मामले में ''लाभार्थी स्वामी'' वह प्राकृतिक व्यक्ति या व्यक्तियों जो अकेले या साथ अथवा एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य कर रहा हो, जो हित स्वामित्व पर नियंत्रण या अन्य व्यक्ति के माध्यम से नियंत्रण रखता हो;

(ख) ''हित स्वामित्व नियंत्रण'' से तात्पर्य किसी कम्पनी के 25 प्रतिशत से अधिक अंशो या पूंजी या लाभ पर स्वामित्व या अधिकार, अंशधारिता या प्रबंधकीय अधिकार या अंशधारकों का करार;

(ग) ''नियंत्रण'' में या मताधिकार के आधार पर अधिकांश निवेशकों की नियुक्ति का अधिकार या प्रबंधन को नियंत्रित करना या नीति निर्धारण;

(घ) साझेदारी फर्म के मामले में ''लाभार्थी स्वामी'' प्राकृतिक व्यक्ति या व्यक्तियों जो अकेले या साथ में या एक या अधिक न्यायिक व्यक्तियों के माध्यम से साझेदारी के 15 प्रतिशत से अधिक पूंजी या लाभ में स्वामित्व या अधिकार रखते हो;

(e) In case of an unincorporated association or body of individuals, the "beneficial owner" is the natural person or persons, who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has ownership of or entitlement to more than fifteen percent of the property or capital or profits of such association or body of individuals;

(f) Where no natural person is identified under sub-clause (a), (b), (c), (d) or (e) above, the "beneficial owner" is the relevant natural person who holds the position of senior managing official;

(g) In case of a trust, the identification of beneficial owner or owners shall include identification of the author of the trust, the trustee, the beneficiaries with fifteen percent or more interest in the trust and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust through a chain of control or ownership;

(iii) "Bidder from a country which shares a land border with India" means,-

(a) An entity incorporated, established or registered in such a country;
(b) A subsidiary of an entity incorporated, established or registered in such a country;
(c) An entity substantially controlled through entities incorporated, established or registered in such a country;
(d) An entity whose beneficial owner's situated in such a country;
(e) An Indian (or other) agent of such an entity;
(f) A natural person who is a citizen of such a country;
(g) A consortium or joint venture where any member of the consortium or joint venture falls under any of the above."

(ड) एक अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय के मामलों में ''लाभार्थी स्वामी'' प्राकृतिक व्यक्ति या व्यक्तियों जो अकेले या साथ में, या एक अथवा अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से, ऐसे संघ या व्यक्तियों के निकाय की सम्पत्ति या पूंजी या लाभ में 15 प्रतिशत से अधिक स्वामित्व या अधिकार रखते हैं;

(च) जहां उपरोक्त उपखण्ड (क), (ख), (ग), (घ) या (ड) के अन्तर्गत किसी प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान नहीं की जाती है, ''लाभार्थी स्वामी'' वह प्राकृतिक व्यक्ति जो वरिष्ठ प्रबंधकीय अधिकारी का पद धारित करता हो;

(छ) ट्रस्ट के मामले में लाभार्थी स्वामी या स्वामियों की पहचान में, ट्रस्ट के लेखक, ट्रस्टी, ट्रस्ट में 15 प्रतिशत से अधिक हित रखने वाले लाभार्थी तथा अन्य कोई प्राकृतिक व्यक्ति जो ट्रस्ट पर नियंत्रण की श्रृंखला या स्वामित्व के माध्यम से अंतिम प्रभावी नियंत्रण प्रयोग करता हो, सम्मिलित है।

(iii) भारत के साथ भू–सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से तात्पर्य है:–

(क) उक्त देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत संस्था ;

(ख) उक्त देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत संस्था की एक सहायक संस्था ;

(ग) उक्त देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत संस्था के द्वारा पर्याप्त रूप से नियंत्रित संस्था ;

(घ) एक संस्था जिसके लाभार्थी स्वामी उक्त देश में स्थित हो ;

(ड) एक संस्था का एक भारतीय (या अन्य) एजेन्ट ;

(च) एक प्राकृतिक व्यक्ति जो उक्त देश का नागरिक हो;

(छ) संघ या संयुक्त उद्यम का एक सदस्य जो उपरोक्त श्रेणी में आता हो

<u>**नोटः–**</u> दिनांकः 01.01.2021 से नियम 13 के उप–नियम (2) के बाद उपनियम (3) से (5) तथा स्पष्टीकरण जोड़ा गया है। इस अधिसूचना का हिन्दी भाषा में अधिकृत रूपांतरण आदिनांक प्रगतिरत है। उपरोक्त अनुवाद पाठकों की सुविधा हेतु लेखक द्वारा किया गया हैं।

Rule 32.

Direct procurement from notified agencies.- A procuring entity may procure subject matter of procurement from the category of bidders, without inviting bids, as notified by the State Government, from time to time.[1]

Comments:- please refer S.O 135 dated 04.09.2013 to know the notified category of bidders for procurement without inviting bids.

Rule 33.

Purchase or price preference in procurement.- A procuring entity shall provide price preference or purchase preference in procurement, to the category of bidders as notified by the State Government, from time to time.[2]

Rule 39.

Eligibility of bidders.- (1) A bidder may be a natural person, private entity, government-owned entity or, where permitted in the bidding documents, any combination of them with a formal intent to enter into an agreement or under an existing agreement in the form of a Joint Venture. In the case of a Joint Venture; -

(a) all parties to the Joint Venture shall sign the bid and they shall be jointly and severally liable; and

(b) a Joint Venture shall nominate a representative who shall have the authority to conduct all business for and on behalf of any or all the parties of the Joint Venture during the bidding process. In the event the bid of Joint Venture is accepted, either they shall form a registered Joint Venture company/firm or otherwise all the parties to Joint Venture shall sign the Agreement.

---

1 In this regard Notification dated 04.09.2013 has been issued by F.D

2 In this regard Notification dated 19.11.2015 has been issued by F.D. for Price/Purchase Preference MSME.

नियम 32.

अधिसूचित अभिकरणों से प्रत्यक्ष उपापन.– कोई उपापन संस्था, बोली आमंत्रित किये बिना, समय–समय पर, राज्य सरकार द्वारा यथा–अधिसूचित बोली लगाने वालों के प्रवर्ग से उपापन की विषय–वस्तु उपाप्त कर सकेगी।[1]

टिप्पणीः– बिना निविदाएँ आमंत्रित किए उपापन हेतु अधिसूचित बोली लगाने वालों के प्रवर्ग की जानकारी के लिए एस.ओ. 135 दिनांक 04.09.2013 देखें।

नियम 33.

उपापन में क्रय या कीमत अधिमान.– उपापन संस्था, समय–समय पर, राज्य सरकार द्वारा यथा–अधिसूचित बोली लगाने वालों के प्रवर्ग से उपापन में कीमत अधिमान या क्रय अधिमान के उपबंध करेगी।[2]

नियम 39.

बोली लगाने वालों की पात्रता.– (1) कोई बोली लगाने वाला नैसर्गिक व्यक्ति, प्राइवेट संस्था, सरकारी स्वामित्व वाली संस्था या जहां बोली दस्तावेजों में अनुज्ञात हो, किसी करार के किये जाने के औपचारिक आशय से उनका कोई समुच्चय या विद्यमान करार के अधीन सहउद्यम के रूप में हो सकता है। सहउद्यम की दशा मेंः–

(क) सहउद्यम के समस्त पक्षकार बोली को हस्ताक्षरित करेंगे और वे संयुक्त रूप से और पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे ; और

(ख) सहउद्यम एक प्रतिनिधि को नामनिर्दिष्ट करेगा जिसको बोली लगाने की प्रक्रिया के दौरान सहउद्यम के किसी या समस्त पक्षकारों के लिए और उनकी ओर से समस्त कारबार संचालित करने का प्राधिकार होगा। उस दशा में जहाँ सहउद्यम की बोली स्वीकृत की जाती है, या तो वे रजिस्ट्रीकृत सहउद्यम कम्पनी/फर्म गठित करेंगे या अन्यथा सहउद्यम के समस्त पक्षकार करार हस्ताक्षरित करेंगे।

1.इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा दिनांक 04.09.2013 को अधिसूचना जारी की गयी है।

2.इस संबंध में M.S.M.E. को क्रय/कीमत अधिमान दिये जाने के संबंध में वित्त विभाग द्वारा दिनांक 19.11.2015 को अधिसूचना जारी की गयी है।

(2) A bidder should not have a conflict of interest in the procurement in question as stated in rule 81 and the bidding documents. The procuring entity shall take appropriate actions against the bidder in accordance with section 11 and Chapter IV of the Act, if it determines that a conflict of interest has flawed the integrity of any procurement process. All bidders found to have a conflict of interest shall be disqualified.

(3) A bidder debarred under section 46 shall not be eligible to participate in any procurement process undertaken by,-

(a) any procuring entity, if debarred by the State Government; and

(b) a procuring entity if debarred by such procuring entity.

(4) In case of procurement of goods, bidder must be a manufacturer, distributor or bona-fide dealer in the goods and it shall furnish necessary proof for the same in the specified format. Where applicable, proof of authorisation by the manufacturer or country distributor in India, shall be enclosed.

---x---x---

(2) बोली लगाने वाले का प्रश्नगत उपापन में नियम 81 और बोली दस्तावेजों में यथा–वर्णित हित का विरोध नहीं होना चाहिए। उपापन संस्था अधिनियम की धारा 11 और अध्याय 4 के अनुसरण में बोली लगाने वाले के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करेगी यदि यह अवधारित किया जाता है कि हित के विरोध ने किसी उपापन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा में दोष उत्पन्न किया है। समस्त बोली लगाने वाले जो हित का विरोध रखते पाये जाये, निरर्हित किये जायेंगे।

(3) धारा 46 के अधीन विवर्जित बोली लगाने वाला निम्नलिखित के द्वारा की जाने वाली किसी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने का पात्र नहीं होगा,–

(क) किसी भी उपापन संस्था, यदि राज्य सरकार द्वारा विवर्जित किया गया हो; और

(ख) उपापन संस्था, यदि उस उपापन संस्था द्वारा विवर्जित किया गया हो।

(4) माल के उपापन की दशा में, बोली लगाने वाला माल का विनिर्माता, वितरक या सद्भावी व्यवहारी होना चाहिए और वह विनिर्दिष्ट रूपविधान में उसके लिए आवश्यक सबूत देगा। जहाँ लागू हो, वहाँ विनिर्माता या भारत में वितरक द्वारा प्राधिकार का सबूत संलग्न किया जायेगा।

---x---x---

Qualifications of bidders

Qualifications of bidders have been described in section 7 and Rule 38 which are as under:-

Section 7.

Qualifications of bidders.- (1) A procuring entity may determine and apply one or more of the requirements specified in sub-section (2) for a bidder to be qualified for participating in a procurement process.

(2) Any bidder participating in the procurement process shall –

(a) possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the bidding documents, pre-qualification documents or bidder registration documents, as the case may be, issued by the procuring entity;

(b) have fulfilled his obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government or the State Government or any local authority as may be specified in the bidding documents, pre qualification documents or bidder registration documents;

(c) not be insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have its affairs administered by a court or a judicial officer, not have its business activities suspended and must not be the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

(d) not have, and their directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to their professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to their qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of the procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

(e) not have a conflict of interest as may be prescribed and specified in the pre-qualification documents, bidder registration documents or bidding documents, which materially affects fair competition;

बोली लगाने वालों की अर्हताएँ

बोली लगाने वालों की अर्हताएँ धारा 7 तथा नियम 38 में वर्णित है जो इस प्रकार है:—

धारा 7

बोली लगाने वालों की अर्हताएँ,— (1) उपापन संस्था, किसी बोली लगाने वाले के उपापन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्हित होने के लिए उप—धारा (2) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक अपेक्षाओं को अवधारित और लागू कर सकेगी।

(2) उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी बोली लगाने वाला—

(क) आवश्यक वृत्तिक, तकनीकी, वित्तीय और प्रबन्धकीय स्त्रोत तथा उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये बोली दस्तावेजों, पूर्व—अर्हता दस्तावेजों या, यथास्थिति बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों, द्वारा अपेक्षित सक्षमता धारित करेगा;

(ख) ऐसे करों को संदत्त करने की, जो बोली दस्तावेजों, पूर्वं—अर्हता दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या, यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय है, अपनी बाध्यता की पूर्ति करेगा;

(ग) दिवालिया, रिसीवर के अधीन, शोधन अक्षम नहीं होगा या परिसमापन नहीं कर रहा होगा, न किसी न्यायलय या किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्यकलाप रखेगा, न अपने कारबार के क्रियाकलाप निलंबित रखेगा और न पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक कार्यवाहियों के अध्यधीन होगा;

(घ) अपने वृत्तिक आचरण या उपापन प्रक्रिया के प्रारम्भ के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किये जाने के लिए अपनी अर्हताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दुर्व्यपदेशन सम्बन्धी किसी दांडिक अपराध के सम्बन्ध में न तो स्वयं, और न उनके निदेशक और अधिकारी दोषसिद्ध हुए हैं, या विवर्जन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरर्हित हुए है;

(ड़) ऐसे हित, जो पूर्व—अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विहित और विनिर्दिष्ट किये जायें, के प्रति कोई विरोध नहीं रखेगा, जो उचित प्रतियोगिता को तात्विक रूप में प्रभावित करें।

(f) Fulfil any other qualifications as may be prescribed.

(3) Subject to the right of bidders to protect their intellectual property or trade secrets the procuring entity may require a bidder to provide any such information or declaration as it considers necessary to make an evaluation in accordance with sub-section (1).

(4) Any requirement established pursuant to this section shall be set out in the pre-qualification documents or bidder registration documents, if any, and in the bidding documents and shall apply equally to all bidders.

(5) The procuring entity shall evaluate the qualifications of bidders only in accordance with the requirement specified in this section.

Rule 38.

Qualification of bidders.- In addition to the provisions regarding qualification of bidders as set out in section 7,-

(a) the procuring entity shall disqualify a bidder if it finds at any time that,-

(i) the information submitted, concerning the qualifications of the bidder, was false or constituted a misrepresentation; or

(ii) the information submitted, concerning the qualifications of the bidder, was materially inaccurate or incomplete; and

(b) the procuring entity may require a bidder, who was pre-qualified, to demonstrate its qualifications again in accordance with the same criteria used to prequalify such bidder. The procuring entity shall disqualify any bidder that fails to demonstrate its qualifications again, if requested to do so. The procuring entity shall promptly notify each bidder requested to demonstrate its qualifications again as to whether or not the bidder has done so to the satisfaction of the procuring entity.

(च) कोई भी अन्य अर्हताएँ, जो विहित की जायें, पूर्ण करेगा।

(3) बोली लगाने वालों की उनकी बौद्धिक सम्पत्ति या व्यापार सम्बन्धी गोपनीय बातों को संरक्षित करने के अधिकार के अध्यधीन रहते हुए, उपापन संस्था किसी बोली लगाने वाले से ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध कराने या घोषणा करने की अपेक्षा कर सकेगी, जो वह उप–धारा (1) के अनुसार कोई मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक समझे।

(4) इस धारा के अनुसरण में स्थापित कोई भी अपेक्षा पूर्व–अर्हता दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में, यदि कोई हों, और बोली दस्तावेजों में उपवर्णित की जायेगी और समस्त बोली लगाने वालों पर समान रूप से लागू होगी।

(5) उपापन संस्था इस धारा में विनिर्दिष्ट अपेक्षा के अनुसार ही बोली लगाने वालों की अर्हताओं का मूल्यांकन करेगी।

नियम 38.

बोली लगाने वालों की अर्हता.– बोली लगाने वालों की अर्हता से संबंधित धारा 7 में यथा–उपवर्णित उपबंधों के अतिरिक्त.–

(क) उपापन संस्था किसी बोली लगाने वाले को निरर्हित करेगी यदि वह किसी भी समय पर यह पाती है कि ,–

(i)बोली लगाने वाले की अर्हताओं से संबंधित प्रस्तुत सूचना असत्य या दुर्व्यपदेशन गठित करने वाली थी ; या

(ii)बोली लगाने वाले की अर्हताओं से संबंधित प्रस्तुत सूचना सारवान रूप से गलत या अपूर्ण थी ; और

(ख) उपापन संस्था किसी बोली लगाने वाले से जो पूर्व–अर्हित था, ऐसे बोली लगाने वाले से पूर्व–अर्हता के लिए प्रयुक्त उसी कसौटी के अनुसार पुनः उसकी अर्हता का प्रदर्शन करने के लिए अपेक्षा कर सकेगी। उपापन संस्था किसी बोली लगाने वाले को, यदि उससे ऐसा करने का अनुरोध किया जाये, जो पुनः अर्हता प्रदर्शित करने में असफल हो जाता है, को निरर्हित करेगी। उपापन संस्था प्रत्येक बोली लगाने वाले को, जिसे उसकी अर्हता का पुनः प्रदर्शन करने का अनुरोध किया गया है, तत्परता से अधिसूचित करेगी कि क्या बोली लगाने वाले ने उपापन संस्था के समाधान के लिए ऐसा किया है या नहीं।

Obligations related to value of procurement

Obligations related to value of procurement have been described in Section 8 and rule 11 & 12 which are given below:-

Section 8.

Obligations related to value of procurement.- (1) Every procuring entity shall obtain the approval of the authority which has the necessary financial powers before initiating a procurement process.

(2) A procuring entity shall neither divide its procurement nor use a particular valuation method for estimating the value of procurement so as to avoid its obligations under sub-section (1) or to limit competition among bidders or otherwise avoid its obligations under this Act;

Provided that in the interest of efficiency, economy and timely completion or supply, a procuring entity may, for reasons to be recorded in writing, divide its procurement into appropriate packages.

Rule 11.

Administrative, Financial and Technical sanctions and availability of budget provision.- For each procurement, it shall be necessary to obtain all required approvals and sanctions as applicable. In case of procurement of works, this shall include administrative sanction, financial sanction, technical sanction and appropriation or re-appropriation. The procuring entity must have the necessary financial powers delegated to it for procurement of the subject matter.

Rule 12.

Obligations related to value of procurement.- The obligations related to value of procurement shall be as per the provisions of section 8.

उपापन के मूल्य से संम्बधित बाध्यताएँ

उपापन के मूल्य से सम्बन्धित बाध्यताएँ धारा 8 तथा नियम 11 व 12 में वर्णित है जो इस प्रकार है:–

धारा 8.

उपापन के मूल्य से सम्बन्धित बाध्यताएँ.–(1) प्रत्येक उपापन संस्था उपापन प्रक्रिया प्रारम्भ करने के पूर्व ऐसे प्राधिकारी का अनुमोदन अभिप्राप्त करेगी, जिसके पास आवश्यक वित्तीय शक्तियाँ हों।

(2) उपापन संस्था, उप धारा (1) के अधीन अपनी बाध्यताओं से बचने या बोली लगाने वालों के मध्य प्रतियोगिता को सीमित करने या इस अधिनियम के अधीन अपनी बाध्यताओं से अन्यथा बचने के लिए, उपापन के मूल्य को प्राक्कलित करने हेतु न तो अपने उपापन को विभाजित करेगी और न ही किसी मूल्यांकन रीति विशेष का उपयोग करेगी:

परन्तु दक्षता, मितव्ययता और समय पर पूर्णता या प्रदाय के हित में उपापन संस्था, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, अपने उपापन को समुचित पैकजों में विभाजित कर सकेगी।

नियम 11.

प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी स्वीकृतियाँ और बजट व्यवस्था की उपलब्धता.– प्रत्येक उपापन के लिए समस्त अपेक्षित अनुमोदन और स्वीकृतियाँ, जो लागू हों, अभिप्राप्त करना आवश्यक होगा। संकर्मों के उपापन की दशा में इसमें प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति और विनियोग या पुनर्विनियोग सम्मिलित होंगे। उपापन संस्था के पास विषयवस्तु के उपापन के लिए उसे प्रत्यायोजित आवश्यक वित्तीय शक्तियाँ होनी चाहिए।

नियम 12.

उपापन के मूल्य से संबंधित बाध्यताएँ.– उपापन के मूल्य से संबंधित बाध्यताएँ धारा 8 के उपबंधों के अनुसार होगी।

Time frame for processing

Time Frame in bidding process have been given in the section 9, and Rule 40 which is as follows:-

Section 9.

Time frame for processing.- (1) Subject to the rules as may be made by the State Government in this behalf, every procuring entity shall pre-determine a reasonable time frame for completion of various stages of the process of procurement and indicate the same in the pre-qualification documents, bidder registration documents or bidding documents, as the case may be.

(2) The procuring entity shall endeavour to adhere to the time frame indicated under sub-section (1) and in case of failure to do so extend such time frame for reasons to be recorded in writing.

Comments:- *For time frame of submission of bid, please refer section 21 and see rule 51*

प्रक्रिया के लिए समय–सीमा

बोली प्रक्रिया में समय–सीमा संबंधी प्रावधान धारा 9 तथा नियम 40 में दिये गये है जो निम्नांकित हैः–

धारा 9.

प्रक्रिया के लिए समय–सीमाः– (1) ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये जायें, प्रत्येक उपापन संस्था उपापन की प्रक्रिया के विभिन्न प्रक्रमों की पूर्णता के लिए काई युक्तियुक्त समय–सीमा पूर्व–अवधारित करेगी और उसे पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित करेगी।

(2) उपापन संस्था उप–धारा (1) के अधीन उपदर्शित समय–सीमा का पालन करने का प्रयास करेगी और ऐसा करने में विफल रहने की दशा में ऐसी समय–सीमा को, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, बढ़ायेगी।

टिप्पणीः– *बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए समय सीमा के संदर्भ में धारा 21 तथा नियम 51 देखें*

[1] [Rule 40. Time frame for the procurement process.-

(1) The time frame for one stage bidding shall be as under:-

Table

Bid cycle of outer time frame for various procurement method by one stage bidding

S. No.	**Stages of Procurement**	**Procurement Method**	
		Open Competitive Bidding	**Limited Bidding and Single Source Procurement**
1	2	3	4
1.	Issue of bidding documents	On the day of first publication of Notice Inviting Bids.	-
2	Submission of bids	(i) Thirty days, if estimated value of procurement is more than Rs. 50 crores and Twenty days, if the estimated value of procurement is upto Rs. 50 crores from the date of first publication of Notice Inviting Bids; (ii) Where clarifications/ addendum are issued, at least fifteen days, if estimated value of procurement is more than Rs. 50 crores and 10 days, if estimated value of procurement is upto Rs. 50 crores, from the date of issue of clarifications/ addendum;	Seven days from issue of Bidding documents / date of issue of clarifications/ addendum.

1 Substituted by Notification No.F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017 dated 6.8.2018, published in Raj. Gazette EO Pt.4(II) dated 6.8.2018 for

[1] **नियम 40:– उपापन प्रक्रिया के लिए समय–सीमा.–**

(1) एकल प्रक्रम बोली के लिए समय–सीमा निम्नानुसार होगी:–

सारणी

प्रक्रम बोली द्वारा विभिन्न उपापन पद्धतियों के लिए बाह्य समय–सीमा का बोली चक्र

क्र. सं.	उपापन के प्रक्रम	उपापन पद्धति	
		खुली प्रतियोगी बोली	सीमित बोली और एकल स्रोत उपापन
1	2	3	4
1	बोली दस्तावेजों का जारी करना	बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाशन के दिन से	.
2	बोली प्रस्तुत करना	**(i)** बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाश की तारीख से तीस दिन यदि उपापन का प्राक्कलित मूल्य 50 करोड रूपये से अधिक हो और बीस दिन यदि उपापन का प्राक्कलित मूल्य 50 करोड़ रूपये तक हो **(ii)** जहाँ स्पष्टीकरण/युक्तिका जारी की जाये वहां स्पष्टीकरण /युक्तिका जारी करने की दिनांक से कम से कम पन्द्रह दिन यदि उपापन का प्राक्कलित मूल्य 50 करोड़ रूपये से अधिक हो और दस दिन यदि उपापन का प्राक्कलित मूल्य 50 करोड़ रूपये तक हो	बोली दस्तावेजों के जारी करने/स्पष्टीकरण/युक्तिका के जारी की तारीख से सात दिन।

1 अधिसूचना सं एफ.2(1)एफ.डी/.एस.पी.एफ.सी./2017 दिनांक 6.8.2018 द्वारा प्रतिस्थापित, राज. राज–पत्र विशेषांक भाग–4(ग) (ii) दिनांक 6.8.2018 में प्रकाशित (6.8.2018 से प्रभावी)।

		iii) In case of International Competitive Bidding, the period of submission of bids shall be forty five days from the date of first publication of Notice Inviting Bids and at least twenty days from the date of issue of clarifications/addendum.	
3	Technical bid opening	Within one day of last day of submission of bids.	Within one day of last day of submission of bids.
4	Issue of letter of award	Within three days of approval of award by the competent authority.	Within three days of approval of award by the competent authority.
5	Execution of contract agreement	Within fifteen days of issue of letter of award or a period as specified in the bidding documents.	Within fifteen days of issue of letter of award or a period as specified in the bidding documents.
6	Declaration of the bid results on State Public Procurement Portal and Procuring entity`s website, if any	Within three days of issue of letter of acceptance.	Within three days of issue of letter of acceptance.

		(iii) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की दशा में, बोली प्रस्तुत करने की कालावधि बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन और स्पष्टीकरण/युक्तिका के जारी करने की तारीख से कम से कम बीस दिन होगी	
3	तकनीकी बोली खोलना	बोली प्रस्तुत करने के अंतिम दिन के एक दिन के भीतर।	बोली प्रस्तुत करने के अंतिम दिन के एक दिन के भीतर।
4	अधिनिर्णय का पत्र जारी करना	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णय के अनुमोदन के तीन दिन के भीतर।	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णय के अनुमोदन के तीन दिन के भीतर।
5	संविदा करार का निष्पादन	अधिनिर्णय का पत्र जारी करने के पन्द्रह दिन के भीतर या बोली दस्तावेजों में यथा–विनिर्दिष्ट कालावधि में।	अधिनिर्णय का पत्र जारी करने के पन्द्रह दिन के भीतर या बोली दस्तावेजों में यथा–विनिर्दिष्ट कालावधि में।
6	राज्य लोक उपापन पोर्टल और उपापन संस्था की वेबसाइट, यदि कोई हो, पर बोली परिणामों की घोषणा	स्वीकृति पत्र के जारी करने के तीन दिन के भीतर।	स्वीकृति पत्र के जारी करने के तीन दिन के भीतर।

Provided that in appropriate cases, the procuring entity may, with the approval of the competent authority authorised by the State Government for the purpose relax the above mentioned time frame of bid process.

(2) A decision on acceptance or rejection of bids invited in a procurement process must be taken by the competent sanctioning authority within the period as given below, even if the period of validity may be more, from the date of opening of technical bids where two envelope system is followed, otherwise from the date of opening of financial bids. If the decision is not taken within the given time period by the concerned sanctioning authority, reasons of not taking decision within the given time period shall be specifically recorded by the competent sanctioning authority while taking its decision.

Table

Time schedule for decision on the bids by the competent authority

S. No.	**Authority competent to take decision**	**Time allowed for decision**
1	**2**	**3**
1	Head of Office or Executive Engineer	Twenty days
2	Regional Officer or Superintending Engineer	Thirty Days
3	Head of the Department or Chief Engineer/Additional Chief Engineer	Forty days
4	Administrative Department concerned/ Finance Committee/ Board/Empowered Committee/ Empowered Board, etc.	Fifty days

Note:

(1) The period specified above shall be inclusive of time taken in communication of acceptance of bid.

(2) If procuring entity is other than the departments of the State Government or its attached or subordinate offices, the concerned administrative department shall specify the equivalent authority competent to take decision on the bid.]

परन्तु समुचित मामलों में, उपापन संस्था इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी, के अनुमोदन से, बोली प्रक्रिया की ऊपर उल्लिखित समय–सीमा को शिथिल कर सकेगी।

(2) उपापन प्रक्रिया में आमंत्रित बोलियों की स्वीकृति या अस्वीकृति पर विनिश्चय जहाँ दो लिफाफों की पद्धति का अनुसरण किया जाता है, तकनीकी बोली के खुलने की तारीख से, अन्यथा वित्तीय बोली के खुलने की तारीख से, नीचे दी गयी कालावधि के भीतर सक्षम मंजूरी प्राधिकारी द्वारा लिया जायेगा, यद्यपि विधिमान्यता की कालावधि अधिक हो सकती है। यदि संबंधित मंजूरी प्राधिकारी द्वारा दी गयी समयावधि के भीतर विनिश्चय नहीं किया जाता है तो सक्षम मंजूरी प्राधिकारी द्वारा अपना विनिश्चय लेते समय, दी गयी समयावधि के भीतर विनिश्चय नहीं लेने के कारण विनिर्दिष्ट रूप से अभिलिखित किये जायेंगे।

सारणी
सक्षम प्राधिकारी द्वारा बोलियों पर विनिश्चय के लिए समय अनुसूची

क्र. सं.	विनिश्चय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी	विनिश्चय के लिए अनुज्ञात समय
1	2	3
1	कार्यालयाध्यक्ष या अधिशाषी अभियन्ता	बीस दिन
2	क्षेत्रीय अधिकारी या अधीक्षण अभियन्ता	तीस दिन
3	विभागाध्यक्ष या मुख्य अभियन्ता/ अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	चालीस दिन
4	संबंधित प्रशासनिक विभाग/वित्त समिति/बोर्ड/सशक्त समिति/सशक्त बोर्ड इत्यादि।	पचास दिन

टिप्पणीः–

(1) उपर्युक्त विनिर्दिष्ट कालावधि में बोली की स्वीकृति की संसूचना में लिया गया समय सम्मिलित होगा।

(2) यदि उपापन संस्था राज्य सरकार के विभागों या इनसे सम्बद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों से भिन्न है तो संबंधित प्रशासनिक विभाग बोली पर विनिश्चय लेने के लिए समकक्ष सक्षम प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट करेगा।

The Provisions of Rule 40 before Notification of 06-08-2018 were applicable as given below:-

"1 Rule 40. Time frame for procurement process.-

(1) The time frame for one stage bidding shall be as under:-

Table

Bid cycle of outer time frame for various procurement methods by one stage bidding

S. No.	**Stages of Procurement**	**Procurement Method**	
		Open Competitive Bidding	**Limited Bidding and Single Source Procurement**
1	**2**	**3**	**4**
1	Issue of bidding documents	On the day of first publication of Notice Inviting Bids.	-
2	Submission of bids	(i)Thirty days from the date of first publication of Notice Inviting Bids; (ii)Where clarifications/ addendum are issued, at least fifteen days from date of issue of clarifications/ addendum; or (iii) In case of International Competitive Bidding, the period of submission of bids shall be forty five days from the date of first publication of Notice Inviting Bids and at least twenty days from the date of issue of clarifications/ addendum.	Seven days from issue of Bidding documents / date of issue of clarifications/ addendum.

नियम 40 के प्रावधान नोटिफिकेशन दिनांकः 06.08.2018 से पूर्व निम्न प्रकार से लागू थेः–

''1 **नियम 40.** उपापन प्रक्रिया के लिए समय–सीमा.–

(1) एकल प्रक्रम बोली के लिए समय–सीमा निम्नानुसार होगीः–

सारणी

एकल प्रक्रम बोली द्वारा विभिन्न उपापन पद्धतियों के लिए बाह्य समय–सीमा का बोली चक्र

क्र. सं.	**उपापन के प्रक्रम**	**उपापन पद्धति**	
		खुली प्रतियोगी बोली	**सीमित बोली और एकल स्रोत उपापन**
1	2	3	4
1	बोली दस्तावेजों का जारी करना	बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाशन के दिन से	–
2	बोली प्रस्तुत करना	(i) बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से तीस दिन	बोली दस्तावेजों के जारी करने/ स्पष्टीकरण/ युक्तिका के जारी करने की तारीख से सात दिन।
		(ii) जहां स्पष्टीकरण/युक्तिका जारी की जाये वहां स्पष्टीकरण/युक्तिका जारी करने की दिनांक से कम से कम पन्द्रह दिन; या	
		(iii) अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की दशा में, बोली प्रस्तुत करने की कालावधि बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन और स्पष्टीकरण/युक्तिका के जारी करने की तारीख से कम से कम बीस दिन होगी	

3	Technical bid opening	Within one day of last day of submission of bids.	Within one day of last day of submission of bids.
4	Issue of letter of award	Within three days of approval of award by the competent authority.	Within three days of approval of award by the competent authority.
5	Execution of contract agreement	Within fifteen days of issue of letter of award or a period as specified in the bidding documents.	Within fifteen days of issue of letter of award or a period as specified in the bidding documents.
6	Declaration of the bid results on State Public Procurement Portal and Procuring entity`s website, if any	Within three days of issue of letter of acceptance.	Within three days of issue of letter of acceptance.

Provided that, in appropriate cases, the procuring entity may, with the approval of the * [competent authority authorised by the State Government for the purpose] relax the above mentioned time frame of bid process.

(2) A decision on acceptance or rejection of bids invited in a procurement process must be taken by the competent sanctioning authority within the period as given below, even if the period of validity may be more, from the date of opening of technical bids where two envelope system is followed, otherwise from the date of opening of financial bids. If the decision is not taken within the given time period by the concerned sanctioning authority, the bids shall be submitted to the next higher authority for decision with reasons of not taking decision within the given time period. In exceptional circumstances, the State Government may relax the limit of time period prescribed for Administrative Department/Finance Committee/ Board/ Empowered Committee, etc.

* Substituted words "State Government" by Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 4.9.2013, published in Raj.Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 4.9.2013.

3	तकनीकी बोली खोलना	बोली प्रस्तुत करने के अंतिम दिन के एक दिन के भीतर।	बोली प्रस्तुत करने के अंतिम दिन के एक दिन के भीतर।
4	अधिनिर्णय का पत्र जारी करना	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णय के अनुमोदन के तीन दिन के भीतर।	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णय के अनुमोदन के तीन दिन के भीतर।
5	संविदा करार का निष्पादन	अधिनिर्णय का पत्र जारी करने के पन्द्रह दिन के भीतर या बोली दस्तावेजों में यथा–विनिर्दिष्ट कालावधि में।	अधिनिर्णय का पत्र जारी करने के पन्द्रह दिन के भीतर या बोली दस्तावेजों में यथा–विनिर्दिष्ट कालावधि में।
6	राज्य लोक उपापन पोर्टल और उपापन संस्था की वेबसाइट, यदि कोई हो, पर बोली परिणामों की घोषणा	स्वीकृति पत्र के जारी करने के तीन दिन के भीतर।	स्वीकृति पत्र के जारी करने के तीन दिन के भीतर।

परन्तु समुचित मामलों में, उपापन संस्था *[इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी,] के अनुमोदन से, बोली प्रक्रिया की ऊपर उल्लिखित समय–सीमा को शिथिल कर सकेगी।

(2) उपापन प्रक्रिया में आमंत्रित बोलियों की स्वीकृति या अस्वीकृति पर विनिश्चय जहां दो लिफाफों की पद्धति का अनुसरण किया जाता है, तकनीकी बोली के खुलने की तारीख से, अन्यथा वित्तीय बोली के खुलने की तारीख से, नीचे दी गयी कालावधि के भीतर सक्षम मंजूरी प्राधिकारी द्वारा लिया जायेगा, यद्यपि विधिमान्यता की कालावधि अधिक हो सकती है। यदि संबंधित मंजूरी प्राधिकारी द्वारा दी गयी समयावधि के भीतर विनिश्चय नहीं किया जाता है तो बोलियां दी गयी समयावधि के भीतर विनिश्चय नहीं लेने के कारणों सहित, विनिश्चय के लिए अगले उच्चतर प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। राज्य सरकार आपवादिक परिस्थितियों में प्रशासनिक विभाग/वित्त समिति/बोर्ड/सशक्त समिति इत्यादि के लिए विहित समयावधि की सीमा को शिथिल कर सकेगी।

*अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 4.9.2013 द्वारा विद्यमान शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(i) दिनांक 4.9.2013 में प्रकाशित (4.9.2013 से प्रभावी)

Table

Time schedule for decision on the bids by the competent authority

S. No.	Authority competent to take decision	Time allowed for decision
1	**2**	**3**
1	Head of Office or Executive Engineer	Twenty days
2	Regional Officer or Superintending Engineer	Thirty Days
3	Additional Chief Engineer	Forty days
4	Head of the Department or Chief Engineer	Fifty day
5	Administrative Department	Sixty days
6	Finance Committee/ Board/Empowered Committee/Empowered Board, etc.	Seventy days

Note:

(1) The period specified above shall be inclusive of time taken in communication of acceptance of bid

(2) If procuring entity is other than the departments of the State Government or its attached or subordinate offices, the concerned administrative department shall specify the equivalent authority competent to take decision on the bid."

Comments:- *As per the provisions of Section 23 and rule 51, in the case of material modification or clarification in the bidding document, the procuring entity shall publish such modificating clarification in the same manner as the publication of the initial bidding documents. Hence, in such cases publication period should be kept equivalent to the original publications period.*

सारणी
सक्षम प्राधिकारी द्वारा बोलियों पर विनिश्चय के लिए समय अनुसूची

क्र. सं.	विनिश्चय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी	विनिश्चय के लिए अनुज्ञात समय
1	2	3
1	कार्यालयाध्यक्ष या अधिशाषी अभियन्ता	बीस दिन
2	क्षेत्रीय अधिकारी या अधीक्षण अभियन्ता	तीस दिन
3	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	चालीस दिन
4	विभागाध्यक्ष या मुख्य अभियन्ता	पचास दिन
5	प्रशासनिक विभाग	साठ दिन
6	वत्त समिति/बोर्ड/सशक्त समिति/सशक्त बोर्ड इत्यादि	सत्तर दिन

टिप्पण :–

(1) उपर्युक्त विनिर्दिष्ट कालावधि में बोली की स्वीकृति की संसूचना में लिया गया समय सम्मिलित होगा।

(2) यदि उपापन संस्था राज्य सरकार के विभागों या इनसे सम्बद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों से भिन्न है तो संबंधित प्रशासनिक विभाग बोली पर विनिश्चय लेने के लिए समकक्ष सक्षम प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट करेगा।''

टिप्पणीः– अधिनियम की धारा 23 तथा नियम 51 के अनुसार बोली दस्तावेजों में सारवान् उपान्तरण/स्पष्टीकरण की दशा में ऐसे उपान्तरण या स्पष्टीकरण को उसी रीति से प्रकाशित करने का प्रावधान है जैसे प्रारम्भिक दस्तावेजों का प्रकाशन किया गया था। अतः सारवान् स्पष्टीकरण /युक्तिका के मामलों में प्रकाशन की अवधि–मूल अवधि के बराबर रखना ही उचित होगा।

Documentary record of procurement proceedings and of communications

The details of the documents to be maintained nacessorily are given in section 10 and rule 7,8,9, 10 and 79 which are as under:-

Section 10.

Documentary record of procurement proceedings and of communications.- (1) The procuring entity shall maintain a record of its procurement proceedings, which shall include the following, namely;-

(a) documents pertaining to determination of need for procurement under section 5;
(b) description of the subject matter of the procurement under section 12;
(c) statement of the reason for choice of a procurement method other than open competitive bidding under sub-section (4) of section 29;
(d) particulars of the participating bidders;

(e) requests for clarifications and any responses thereto including during pre-bid conferences;

(f) bid prices and other financial terms;

(g) summary of the evaluation of bids;

(h) details of any appeal under section 38, and the related decisions;
(i) any other information or record as may be prescribed.

-Instructions have been issued by the Finance dept. vide circular no. F7 (5) SPFC 2013 dated: 12.05.2020 regarding document required to be maintained essentially in respect of Procurement.

उपापन कार्यवाहियों और संसूचनाओं के दस्तावेजी अभिलेख

उपापन प्रक्रिया हेतु आवश्यक रूप से संधारित किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण धारा 10 तथा नियम 7,8,9,10 तथा नियम 79 में दिए गए है जो इस प्रकार है:–

धारा 10.

उपापन कार्यवाहियों और संसूचनाओं के दस्तावेजी अभिलेख.– (1) उपापन संस्था अपनी उपापन कार्यवाहियों का अभिलेख रखेगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(क) धारा 5 के अधीन उपापन की आवश्यकता के अवधारण से सम्बन्धित दस्तावेज;

(ख) धारा 12 के अधीन उपापन की विषय वस्तु का वर्णन;

(ग) धारा 29 की उप–धारा (4) के अधीन खुली प्रतियोगी बोली से भिन्न किसी उपापन की पद्धति के चुनाव के लिए कारण का कथन;

(घ) भाग ले रहे बोली लगाने वालों की विशिष्टियाँ;

(ड़) बोली–पूर्व सम्मेलनों के दौरान सहित स्पष्टीकरणों के लिए अनुरोध और उनके कोई भी प्रत्युत्तर;

(च) बोली की कीमतें और अन्य वित्तीय निबंधन;

(छ) बोलियों के मूल्यांकन का सारांश;

(ज) धारा 38 के अधीन किसी अपील के ब्यौरे, और उनसे सम्बन्धित विनिश्चय;

(झ) कोई भी अन्य सूचना या अभिलेख, जैसा विहित किया जाये।

–वित्त विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ 7(5) एसपीएफसी 2013 दिनांक 12.05.2020 जारी कर उपापन के संबंध में आवश्यक रूप से संधारित किए जाने वाले दस्तावेजों के संदर्भ में निर्देश जारी किए हैं।

(2) Any document, notification, decision or other information generated in the course of a procurement, including in connection with appeals under section 38 or in the course of a meeting, or forming part of the record of the procurement process, shall be in a form that provides a record of the content of the information and is accessible so as to be usable for subsequent reference.

(3) Subject to the provisions of the Right to Information Act, 2005 (Central Act No. 22 of 2005) or of any other law for the time being in force relating to retention of records, the procuring entity shall retain the documentary record indicated in sub-sections (1) and (2), for a reasonable period after the expiry of the procurement process or procurement contract, as the case may be, so as to enable audit or such other review.

Rule 7.

Procurement plan.- (1) A procurement plan shall be prepared by every procuring entity for each of the item of goods, works or services to be procured during the year in accordance with section 5.

(2) The Procurement plan shall specify the following;-

(a) Nature of Procurement – Goods / Works / Services;

(b) Major Specifications – Quantity / Type / Quality;

(c) Estimated Value;

(2) धारा 38 के अधीन अपीलों के सम्बन्ध में या किसी बैठक के अनुक्रम सहित किसी उपापन के अनुक्रम में तैयार किये गये या उपापन प्रक्रिया के अभिलेख का भाग कोई दस्तावेज, अधिसूचना, विनिश्चय या कोई अन्य सूचना ऐसे किसी रूप में होगी, जो सूचना की अन्तर्वस्तु का अभिलेख उपलब्ध कराती हो और सुगम हो, ताकि पश्चात्‌वर्ती निर्देश के लिए उपयोग किये जाने योग्य हो।

(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 22) या अभिलेखों के प्रतिधारण से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अध्यधीन, उपापन संस्था उपापन प्रक्रिया या यथास्थिति, उपापन संविदा के अवसान के पश्चात् किसी युक्तियुक्त कालावधि के लिए, उप–धारा (1) और (2) में उपदर्शित दस्तावेजी अभिलेख को प्रतिधारित करेगी ताकि लेखापरीक्षा या ऐसे अन्य पुनर्विलोकन को समर्थ बनाये।

नियम 7.

उपापन योजना.– (1) प्रत्येक उपापन संस्था द्वारा धारा 5 के अनुसार वर्ष के दौरान उपाप्त किये जाने वाले माल, संकर्मों या सेवाओं के प्रत्येक मद, के लिए उपापन योजना तैयार की जायेगी।

(2) उपापन योजना में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा :–

(क) उपापन की प्रकृति – माल/संकर्म/सेवाएँ;

(ख) मुख्य विनिर्देश – परिमाण/प्रकार/गुणवत्ता;

(ग) प्राक्कलित मूल्य

[1][(d) Source of Funds – State Fund/Central Assistance/ Externally Aided Project/Others;]

(e) Budget Code;

(f) Procurement Method likely to be followed;

(g) Timeframe for Bid Process; and

(h) Timeframe for Delivery of goods or services or Completion of work to identify the funds required in the next financial year or subsequent financial years.

(3) The plan shall be based on inputs received for each item from officers at various hierarchical level of the procuring entity.

Rule 8.

Numbering convention.- Each procurement process undertaken by any procuring entity shall have a Unique Bid Number which shall be used for tracking purpose during and after the bid process. The Unique Bid Number shall be designed like a code to reflect department / Procuring Entity, type of procurement, threshold value of procurement and method, year and serial number of bid in that particular year.

Rule 9.

Procurement Management Information System and tracking.- Every procuring entity shall develop and maintain a Procurement Management Information System for tracking the procurement process, which shall include the following, namely;-

---

1. Substituted by FD Notification No. F.2(1) FD/SPFC/2017 dated 2-8-2017, published in Raj. Gazette Ext.Ord. Pt 4 (Ga)(I) dated 4.8.2017 (w.e.f. 4.8.2017). for “(d) Source of funds-Plan/Non-plan/Central Sponsored Scheme/Externally Aided project/Others;”

[1][(घ) निधियों का स्रोत –राज्य निधि/केन्द्रीय सहायता/बाहरी रूप से सहायता प्राप्त परियोजना/अन्य;,

(ङ) बजट कोड

(च) उपापन की अनुसरण की जाने वाली संभाव्य पद्धति;

(छ) बोली प्रक्रिया के लिए समय सीमा; और

(ज) आगामी वित्तीय वर्ष या पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्षों में अपेक्षित निधियों को परिलक्षित करने के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय या संकर्म के पूरा करने के लिए समय–सीमा।

(3) योजना उपापन संस्था के विभिन्न सोपान क्रमिक (पदानुक्रमिक) अधिकारियों से प्रत्येक मद के लिए प्राप्त आदानों पर आधारित होगी।

नियम 8.

संख्यांकन परिपाटी.– किसी उपापन संस्था द्वारा जिम्मे ली गयी प्रत्येक उपापन प्रक्रिया का विशिष्ट बोली संख्यांक होगा जो बोली लगाने की प्रक्रिया के दौरान और उसके पश्चात् ट्रैकिंग प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा। विशिष्ट बोली संख्यांक विभाग/उपापन संस्था, उपापन का प्रकार, उपापन का देहरी मूल्य और पद्धति, वर्ष और उस विशिष्ट वर्ष में बोली का क्रम संख्यांक प्रकट करने के लिए संकेतकी के रूप में तैयार किया जायेगा।

नियम 9.

उपापन प्रबंधन सूचना प्रणाली और ट्रैकिंग.– प्रत्येक उपापन संस्था उपापन प्रक्रिया ट्रैक करने के लिए उपापन प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित करेगी और उसका अनुरक्षण करेगी जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात्:–

---

1. अधिसूचना सं एफ.2(1)एफ.डी./एस.पी.एफ.सी./2017 दिनांक 2.8.2017 द्वारा प्रतिस्थापित, राज. राज–पत्र विशेषांक भाग–4(ग) (1) दिनांक 4.8.2017 में प्रकाशित (4.8. 2017 से प्रभावी)। "(घ) निधियों का स्रोत –राज्य निधि/केन्द्रीय सहायता/बाहरी रूप से सहायता प्राप्त परियोजना/अन्य;,

(a) In order to track the performance of the procurement process, information shall be collated at the procuring entity level on quarterly basis and be available for reference at procuring entity level at all times and shall be sent for collation to the respective Administrative Department. The Administrative Department shall further send the aggregated Procurement Management Information to the State Procurement Facilitation Cell quarterly.

(b) The Management Information System shall cover the entire procurement cycle and incorporate performance targets set for various processes.

(c) The Procurement Management Information System shall be developed in a query based format to allow for in-depth analysis and ease of use, providing realtime information about the status of the bid at any point of time. This shall be integrated with the State Public Procurement Portal in order to further track performance on various parameters, including performance of contracts, delays and penalties imposed.

Rule 10.

Procurement Register.- Each procuring entity shall maintain a procurement register and ensure the safe custody of the procurement register.

Rule 79.

Documentary record of procurement proceedings.- (1) Subject to the provisions of section 10, the procuring entity shall, in addition to record specified in clause (a) to (h) of sub-section (1) of the said section, maintain the following record, namely;-

(a) the names and addresses of all bidders with bid prices and conditions of bid if bid is conditional;

(b) the name and address of the successful bidder with price on which procurement is made;

(क) उपापन प्रक्रिया के कार्यसम्पादन को ट्रैक करने के क्रम में सूचना का समाकलन त्रैमासिक आधार पर उपापन संस्था के स्तर पर किया जायेगा और उपापन संस्था के स्तर पर सदैव संदर्भ के लिए उपलब्ध होगा तथा समाकलन हेतु संबंधित प्रशासनिक विभाग को भेजा जायेगा। प्रशासनिक विभाग संकलित उपापन प्रबंधन सूचना को त्रैमासिक रूप से आगे राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ को भेजेगा।

(ख) प्रबंधन सूचना प्रणाली संपूर्ण उपापन चक्र को समाविष्ट करेगी और विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए निर्धारित कार्यसम्पादन लक्ष्यों को सम्मिलित करेगी।

(ग) उपापन प्रबंधन सूचना प्रणाली, समय के किसी भी बिन्दु पर बोली की प्रास्थिति के बारे में वास्तविक–समय सूचना उपलब्ध कराने के लिए गहन विश्लेषण और सरल उपयोग के प्रश्न आधारित रूपविधान में विकसित की जायेगी। इसे संविदाओं की पालना, विलम्बों और अधिरोपित शास्तियों को सम्मिलित करते हुए विभिन्न पैरामीटरों पर आगे और पालना ट्रैक करने के क्रम में राज्य लोक उपापन पोर्टल पर एकीकृत किया जायेगा।

नियम 10.

उपापन रजिस्टर.– प्रत्येक उपापन संस्था उपापन रजिस्टर का संधारण करेगी और उपापन रजिस्टर की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करेगी।

नियम 79.

उपापन कार्यवाहियों का दस्तावेजी अभिलेख.– (1) धारा 10 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपापन संस्था उक्त धारा की उप–धारा (1) के खण्ड (क) से (ज) में विनिर्दिष्ट अभिलेख के अतिरिक्त, निम्नलिखित अभिलेख संधारित करेगी, अर्थात् :–

(क) बोली की कीमत सहित समस्त बोली लगाने वालों के नाम और पते और यदि बोली सशर्त है तो बोली की शर्तें;

(ख) उस कीमत सहित, जिस पर उपापन किया गया है, सफल बोली लगाने वाले का नाम और पता;

(c) in case of rate contract method, the names and addresses of the bidders with whom the rate contract is concluded;

(d) a summary of modification, if any, made in the bidding documents;

(e) details of qualification required, bidders having qualifications and details of qualified or disqualified bidders with reasons;

(f) where a written procurement contract has been executed, including rate contract, copy of contract;

(g) in the case of empanelment, the terms and conditions of the empanelment and a copy of the agreement, if any;

(h) a summary of the evaluation and comparison of bids, including the application of any margin of preference and reasons for rejection or nonconsideration of a bid, if any; and

(i) If the procurement process is cancelled, reasons of cancellation.

---x---x---

(ग) दर संविदा पद्धति के मामले में, उन बोली लगाने वालों के नाम और पते, जिनके साथ दर संविदा की गयी है;

(घ) बोली दस्तावेजों में किये गये उपातंरणों, यदि कोई हो, का सारांश;

(ङ) अपेक्षित अर्हता, अर्हता रखने वाले बोली लगाने वालों के ब्यौरे और कारणों सहित, अर्हित या अनर्हित बोली लगाने वालों के ब्यौरें;

(च) जहाँ कोई लिखित उपापन संविदा निष्पादित की गयी है, वहां दर संविदा को सम्मिलित करते हुए, संविदा की प्रति;

(छ) पैनलीकरण के मामले में, पैनलीकरण के निबंधन और शर्तें और करार, यदि कोई हो, की प्रति;

(ज) बोलियों के मूल्यांकन और तुलना का सारांश, लागू अधिमान की किसी सीमा सहित और किसी बोली को खारिज करने या विचार नहीं करने के कारणों, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए,

(झ) यदि उपापन प्रक्रिया रद्द की जाती है तो रद्दकरण के कारण;

---x---x---

Code of integrity for procuring entity and bidders

Provisions related to integrity have been described in section 11 and Rule 80, 81, 82 which are as follows:-

Section 11.

Code of integrity for procuring entity and bidders.- (1) No officer or employee of a procuring entity or a person participating in a procurement process shall act in contravention of the code of integrity prescribed by the State Government.

(2) The code of integrity referred to sub-section (1) shall include provisions for,-

(a) prohibiting -(i) any offer, solicitation or acceptance of any bribe, reward or gift or any material benefit, either directly or indirectly, in exchange for an unfair advantage in the procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(ii) any omission, including a misrepresentation that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(iii) any collusion, bid rigging or anti-competitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(iv) improper use of information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process or for personal gain;

(v) any financial or business transactions between the bidder and any officer or employee of the procuring entity;

उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के लिए सत्यनिष्ठा संहिता

सत्यनिष्ठा संबंधी प्रावधान धारा 11 तथा नियम 80, 81, 82 में दिए गए है जो इस प्रकार हैः—

धारा 11.

उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के लिए सत्यनिष्ठा संहिता,—(1) किसी उपापन संस्था का कोई अधिकारी या कर्मचारी या किसी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा विहित सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं करेगा।

(2) उप—नियम (1) में निर्दिष्ट सत्यनिष्ठा संहिता में,—

(क)(i) उपापन प्रक्रिया में किसी अनुचित लाभ के आदान—प्रदान में, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी रिश्वत, इनाम या दान या किसी तात्विक फायदे के किसी प्रस्ताव, याचना या स्वीकृति का या उपापन प्रक्रिया को अन्यथा प्रभावित करने का;

(ii) किसी दुर्व्यपदेशन सहित किसी लोप का, जो गुमराह करता है या गुमराह करने का प्रयत्न करता है ताकि कोई वित्तीय या अन्य फायदा प्राप्त कर सके या किसी बाध्यता से बच सके;

(iii) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, औचित्य और प्रगति का ह्रास करने के लिए किसी दुरभिसंधि, बोली छल या प्रतियोगी—विरोधी व्यवहार का;

(iv)उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ या वैयक्तिक लाभ के आशय से उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी सूचना के अनुचित उपयोग का;

(v) बोली लगाने वाले और उपापन संस्था के किसी अधिकारी या कर्मचारी के बीच किसी वित्तीय या कारबार सम्बन्धी संव्यवहारों का;

(vi) any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(vii) any obstruction of any investigation or audit of a procurement process

(b) disclosure of conflict of interest;

(c) disclosure by the bidder of any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or of any debarment by any other procuring entity.

(3) Without prejudice to the provisions of Chapter IV, in case of any breach of the code of integrity by a bidder or prospective bidder, as the case may be, the procuring entity may take appropriate measures including-

(a) exclusion of the bidder from the procurement process;

(b) calling off of pre-contract negotiations and forfeiture or encashment of bid security;

(c) forfeiture or encashment of any other security or bond relating to the procurement;

(d) recovery of payments made by the procuring entity along with interest thereon at bank rate

(e) cancellation of the relevant contract and recovery of compensation for loss incurred by the procuring entity;

(f) debarment of the bidder from participation in future procurements of the procuring entity for a period not exceeding three years under section 46.

(vi) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी पक्षकार का या उसकी सम्पत्ति का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ह्रास या अपहानि या ऐसा करने की धमकी सहित किसी प्रपीड़न का;

(vii) किसी उपापन प्रक्रिया के किसी अन्वेषण या लेखापरीक्षा की किसी बाधा का प्रतिषेध करने:

(ख) हित के विरोध का प्रकटीकरण करने:

(ग) अन्तिम तीन वर्ष के दौरान भारत या किसी भी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्ववर्ती नियमभंग करने के सम्बन्ध में या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन के सम्बन्ध में बोली लगाने वाले के द्वारा प्रकटीकरण करने के उपबन्ध सम्मिलित है।

(3) अध्याय 4 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भंग की दशा में उपापन संस्था निम्नलिखित सहित समुचित अध्युपाय कर सकेगी:–

(क) उपापन प्रक्रिया से बोली लगाने वालों का अपवर्जन;

(ख) संविदा–पूर्व बातचीत की समाप्ति और बोली प्रतिभूति का समपहरण या भुनाना;

(ग) उपापन से सम्बन्धित किसी अन्य प्रतिभूति या बन्धपत्र का समपहरण या भुनाना;

(घ) उपापन संस्था द्वारा किये गये संदायों की, उन पर बैंक दर से ब्याज सहित, वसूली;

(ङ) उपापन संस्था द्वारा सुसंगत संविदा का रद्दकरण और उपगत हानि के लिए प्रतिकर की वसूली;

(च) उपापन संस्था के आगामी उपापनों में, धारा 46 के अधीन तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए, बोली लगाने वाले को भाग लेने से विवर्जित करना।

Rule 80.

Code of integrity.- (1) All the officers or employees of the procuring entity shall,-

(a) maintain an unimpeachable standard of integrity both inside and outside their office;

(b) act in accordance with the provisions of the Act, these rules, guidelines issued under the Act and instructions;

(c) not allow any bidders to have access to information on a particular procurement, before such information is available to the public at large;

(d) not intentionally use unnecessarily restrictive or “tailored” specifications, terms of reference or statements of work that can discourage competition;

(e) not solicit or accept any bribe, reward or gift or any material benefit of any directly or indirectly promise of future employment from anyone, who has sought or is seeking procurement from the procuring entity;

(f) not have a financial interest in any bidder(s) responding to a procuring entity’s bidding process and any person having financial interest in any bidder shall not participate in that procurement process;

(g) not disclose proprietary and source selection information, directly or indirectly, to any person other than a person authorised to receive such information;

(h) treat all bidders in a fair and equitable manner in line with the principle of fairness, integrity and transparency in the procurement process;

(i) provide all bidders identical information at the same time, during the bidding process;

नियम 80.

सत्यनिष्ठा संहिता.– (1) उपापन संस्था के समस्त अधिकारी या कर्मचारी,–

(क) अपने कार्यालय के भीतर और बाहर दोनों जगह सत्यनिष्ठा का अधिक्षेप्य स्तर बनाये रखेंगे;

(ख) अधिनियम, इन नियमों, इस अधिनियम के अधीन जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और अनुदेशों के अनुसार कार्य करेंगे;

(ग) किसी भी बोली लगाने वाले को, किसी विशिष्ट उपापन पर किसी सूचना को, ऐसी सूचना के जनता के लिए उपलब्ध होने से पूर्व, प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात नहीं करेंगे।

(घ) अनावश्यक रूप से निर्बंधित या किसी विशेष बोली लगाने वाले के अनुरूप विनिर्देशों, संदर्भ के निबंधनों या कार्य के विवरणों का साशय इस प्रकार उपयोग नहीं करेंगे जिससे प्रतियोगिता में कमी हो;

(ङ) किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिसने उपापन संस्था को उपापन किया है या करना चाहता है, कोई रिश्वत, इनाम या उपहार की या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भविष्य नियोजन के वचन से तात्विक फायदे के लिए अभ्यर्थना नहीं करेंगे या स्वीकार नहीं करेंगे;

(च) किसी भी उपापन संस्था की बोली प्रक्रिया में किसी भी बोली लगाने वाले के प्रति कोई वित्तीय हित नहीं रखेंगे और किसी भी बोली लगाने वाले के प्रति वित्तीय हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस उपापन प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा;

(छ) ऐसी सूचना को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सांपत्तिक और स्रोत चयन सूचना प्रकट नहीं करेंगे;

(ज) उपापन प्रक्रिया में निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता के सिद्धांत के अनुसार समस्त बोली लगाने वालों के साथ निष्पक्ष और साम्यपूर्ण तरीके से व्यवहार करेंगे;

(झ) उपापन प्रक्रिया के दौरान सभी बोली लगाने वालों को एक ही समय पर समान सूचना उपलब्ध करवायेंगे;

(j) apply the same criteria of evaluation as specified in the bidding documents, bidder registration documents or pre-qualification documents and under no circumstances new evaluation criteria shall be introduced during the evaluation process;

(k) not entertain any favour, recreation, presents, services, etc. from the bidders or prospective bidders;

(l) protect the interests of the procuring entity under all circumstances while dealing with information and information sources;

(m) maintain confidentiality of all bids;

(n) ensure that the selection of bidder is as per the bidding documents and is not influenced by personal reasons attributable to concerned officials in any manner; and

(o) Disclose conflict of interest, if any.

(2) Any person participating in procurement process shall,-

(a)not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit information that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, bid rigging or anticompetitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(ञ) बोली दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या अर्हता–पूर्व दस्तावेजों में यथा–विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की समान कसौटी लागू करेगें और मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान किसी भी परिस्थिति में नयी मूल्यांकन कसौटी प्रयोग में नहीं लायी जायेगी;

(ट) बोली लगाने वालों या संभावित बोली लगाने वालों से कोई पक्षपात, मनोरंजन, उपहार, सेवाएं इत्यादि स्वीकार नहीं करेंगे;

(ठ) सूचना और सूचना के स्त्रोतों से संव्यवहार करने के दौरान समस्त परिस्थितियों में उपापन संस्था के हितों का संरक्षण करेंगे;

(ड) सभी बोलियों की गोपनीयता बनाये रखेंगे;

(ढ) यह सुनिश्चित करेंगे कि बोली लगाने वाले का चयन बोली दस्तावेजों के अनुसार हुआ है और संबंधित कार्मिकों के व्यक्तिगत कारणों से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हुआ है; और

(ण) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेंगे

(2) उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Rule 81.

Conflict of interest.- (1) A conflict of interest for procuring entity or its personnel and bidders is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(2) The situations in which a procuring entity or its personnel may be considered to be in conflict of interest includes, but not limited to, following;-

(a) A conflict of interest occurs when procuring entity's personnel's private interests, such as outside professional or other relationships or personal financial assets, interfere or appear to interfere with the proper performance of its professional functions or obligations as a procurement official.

(b) Within the procurement environment, a conflict of interest may arise in connection with such private interests as personal investments and assets, political or other outside activities and affiliations while in the service of the procuring entity, employment after retirement from the procuring entity's service or the receipt of a gift that may place the procuring entity's personnel in a position of obligation.

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीड़न में लिप्त नहीं होगा;

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा;

नियम 81

हित का विरोध– (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :–

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृतिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियाँ, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृतिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियाँ, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप और सम्बन्धताएं उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।

(c) A conflict of interest also includes the use of procuring entity's assets, including human, financial and material assets, or the use of procuring entity's office or knowledge gained from official functions for private gain or to prejudice the position of someone procuring entity's personnel does not favour.

(d) A conflict of interest may also arise in situations where procuring entity's personnel is seen to benefit, directly or indirectly, or allow a third party, including family, friends or someone they favour, to benefit from procuring entity's personnel's actions or decisions.

(3) A Bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;-

(a) they have controlling partners in common;

(b) they receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them;

(c) they have the same legal representative for purposes of the bid;

(d) they have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another;

(e) A bidder participates in more than one bid in the same bidding process. However, this does not limit the inclusion of the same sub-contractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or

(f) A bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the subject matter of procurement of the bidding process. All bidders shall provide in Qualification Criteria and Biding Forms, a statement that the bidder is neither associated nor has been associated directly or indirectly, with the consultant or any other entity that has prepared the design, specifications and other documents for the subject matter of procurement or being proposed as Project Manager for the contract.

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहाँ उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुँचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियाँ सम्मिलित हैं, किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है;

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी (सब्सिडी) प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है ;

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुँचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है; या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और न ही संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

Rule 82.

Breach of code of integrity by the bidder.- Without prejudice to the provisions of Chapter IV of the Act, in case of breach of any provision of the code of integrity by a bidder or prospective bidder, as the case may be, the procuring entity may take appropriate action in accordance with the provisions of subsection (3) of section 11 and section 46.

---x---x---

नियम 82

बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंग– अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उप–धारा (3) और धारा 46 के उपबंधों के अनुसार समुचित कार्रवाई कर सकेगी।

---x---x---

Description of the subject matter of procurement

The essential provisions to be kept in mind while descrbing the subject matter, are given in the section 12 and Rule 34, are as follows:-

Section 12.

Description of the subject matter of procurement.- (1) The description of the subject matter of procurement shall be set out in the pre-qualification documents, bidder registration documents and the bidding documents and shall –

(a) be such as to meet the essential needs of the procuring entity;

(b) to the extent practicable-

(i) be objective, functional, generic and measurable;

(ii) set out the relevant technical, quality and performance characteristics;

(iii) not indicate a requirement for a particular trade mark, trade name or brand;

(c) be drawn up in accordance with guidelines as may be prescribed.

(2) Where applicable, the technical specifications shall, to the extent practicable, be based on national technical regulations or recognised national standards or building codes, wherever such standards exist or in their absence, relevant International Standards may be used.

उपापन की विषय–वस्तु का वर्णन

उपापन की विषय–वस्तु का बोली दस्तावेजों इत्यादि में वर्णन करते समय किन–किन बातों का अनिवार्यतः ध्यान रखा जाना है, इस बारे में धारा 12 तथा नियम 34 में विस्तार से बताया गया है जो इस प्रकार हैः–

धारा 12.

उपापन की विषय–वस्तु का वर्णन,– (1) उपापन की विषय–वस्तु का वर्णन पूर्व– अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों और बोली दस्तावेजों में उपवर्णित किया जायेगा और–

(क) ऐसा होगा, जो उपापन संस्था की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें:

(ख) यथासाध्य सीमा तक–

(i) वस्तुनिष्ठ, कार्यपरक, वर्गगत और नापने योग्य होगाः

(ii) सुसंगत तकनीकी, गुणवत्ता और कार्य की विशेषताएँ उपवर्णित होंगीः

(iii) किसी विशेष व्यापार चिह्न, व्यापार नाम या ब्राण्ड के लिए आवश्यकता को उपदर्शित नहीं किया जायेगाः

(ग) मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार तैयार किया जायेगा, जो विहित किये जायें।

(2) यथासाध्य सीमा तक, जहाँ लागू हो, तकनीकी विनिर्देश राष्ट्रीय तकनीकी विनियमों या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय मानकों या भवन संहिताओं पर, जहाँ कहीं भी ऐसे मानक विद्यमान हों, आधारित होगा या उनकी अनुपस्थिति में सुसंगत अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का उपयोग किया जा सकेगा।

Rule 34.

Description of subject matter of procurement.- (1) The description of the subject matter of procurement shall be set out in the pre-qualification documents, bidder registration documents or the bidding documents as provided in section 12.

(2) In description of the subject matter of the procurement, the procuring entity shall, if required, include specifications, plans, drawings, designs, trials, sample testing and test methods, packaging, marking, labelling, conformity certification or symbols and terminology.

---x---x---

नियम 34.

उपापन की विषय–वस्तु का वर्णन.– (1) उपापन की विषय–वस्तु का वर्णन धारा 12 में यथा–उपबंधित पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वालों के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में उप–वर्णित किया जायेगा।

(2) उपापन संस्था, उपापन की विषय–वस्तु के वर्णन में, यदि अपेक्षित हो तो, विनिर्देश, योजनाएँ, रेखाचित्र, डिजाइन, परीक्षण, नमूना जाँच और जाँच की पद्धतियाँ, पैकेजिंग, मार्किंग, लेबल लगाना, पुष्टिकरण प्रमाणन या प्रतीक और टर्मिनोलॉजी सम्मिलित करेगी।

---x---x---

Single part and two part bids

The provision to call bids in single part (Bid in single envelope) where the technical aspects are not highly important and the two part bid (Bid in two envolopes)- where technical aspects are paramount, are given in section 13 and Rule 37 are as follows:-

Section 13.

Single part and two part bids.- (1) Subject to the provisions of this Act and the rules and guidelines made thereunder, a procuring entity may choose to-

(a) call for bids in which the technical, quality and performance aspects, commercial terms and conditions and the financial aspects including the price are contained in a single envelope; or

(b) if it is of the opinion that it is essential to evaluate the technical aspects of a bid before considering its financial aspect, call for bids in two envelopes, namely;-

(i) the techno-commercial bid containing the technical, quality and performance aspects, commercial terms and conditions; and

(ii) the financial bid containing financial aspects including the price.

(2) In case the procuring entity calls for bids in terms of clause (b) of sub-section (1), the techno-commercial bid shall be opened and evaluated first and the financial bid of only those bids which have been found technically acceptable, shall be opened and evaluated.

Rule 37.

Single part and two part bids.- A procuring entity may choose to invite bids in one part or two parts, as per the provisions of section 13

एकल भाग या द्वि–भाग बोलियाँ

जहाँ तकनीकी पहलू अधिक महत्वपूर्ण न हो वहाँ एक ही लिफाफे में तथा जहाँ तकनीकी पहलू अधिक महत्वपूर्ण हो वहाँ दो लिफाफे में द्विभाग बोलियाँ आमंत्रित करने के प्रावधान धारा 13 तथा नियम 37 में दिए गए है जो इस प्रकार है:–

धारा 13

एकल भाग या द्वि–भाग बोलियाँ,–(1) इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधो के अध्यधीन, कोई उपापन संस्था–

(क) ऐसी बोलियाँ, जिनमें तकनीकी, गुणवत्ता और कार्य पहलू, वाणिज्यिक निबंधन और शर्ते और कीमत सहित वित्तीय पहलू एकल लिफाफे में अन्तर्विष्ट है, आमंत्रित करने का चुनाव कर सकेगी, या

(ख) यदि ऐसी राय हो कि इसके वित्तीय पहलू पर विचार करने से पूर्व किसी बोली के तकनीकी पहलू को मूल्यांकित करना आवश्यक है तो बोलियाँ दो लिफाफों में आमंत्रित करने का चुनाव कर सकेगी, अर्थात:–

(i)तकनीकी, गुणवत्ता और कार्य पहलुओं, वाणिज्यिक निबंधनों और शर्तों को अन्तर्विष्ट करते हुए तकनीकी–वाणिज्यिक बोली: और

(ii) कीमत सहित वित्तीय पहलू अन्तर्विष्ट करते हुए वित्तीय बोली।

(2) यदि उपापन संस्था उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के निबंधनों के अनुसार बोलियाँ आमंत्रित करती है तो पहले तकनीकी–वाणिज्यिक बोली खोली और मूल्यांकित की जायेगी और केवल उन बोलियों की वित्तीय बोली, जो तकनीकी रूप से स्वीकार्य होती है, खोली और मूल्यांकित की जायेगी।

नियम 37.

एकल भाग और द्वि–भाग बोलियाँ.– धारा 13 के उपबंधों के अनुसार उपापन संस्था एकल भाग या द्वि–भाग में बोलियों को आमंत्रित करने का चुनाव कर सकेगी।

Criteria for evaluation

Criteria for evalution of bid has been prescribed in section 14 and Rule 35, which are as follows:-

Section 14.

Criteria for evaluation.- (1) Save as otherwise provided in this Act or the rules or guidelines made thereunder or in any other law for the time being in force, the evaluation criteria shall relate to the subject matter of procurement and may include-

(a)the price;

(b) the cost of operating, maintaining and repairing goods or works, the time for delivery of goods, completion of works or provision of services, the characteristics of the subject matter of procurement, such as the functional characteristics of goods or works and the environmental characteristics of the subject matter, the terms of payment and of guarantees in respect of the subject matter of procurement; and

(c) where relevant, the experience, reliability and professional and technical competence of the bidder and of the personnel to be involved in providing the subject matter of procurement.

(2) Where considered necessary, the procuring entity may also specify trials, sample testing and other additional methods of technical evaluation of a bid;

Provided that the requirement of such trials, sample testing or additional methods of evaluation shall be indicated in the bidding documents and a record of such trials and testing shall be maintained in such manner as may be prescribed.

(3) To the extent practicable, all non-price evaluation criteria shall be objective and quantifiable.

मूल्यांकन की कसौटी

बोलियों का मूल्यांकन किन कसौटियों के आधार पर किया जाना चाहिए इसके लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त धारा 14 तथा नियम 35 में दिए गए है जो निम्नानुसार है:–

धारा 14.

मूल्यांकन की कसौटी.–(1)इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या मार्गदर्शक सिद्धान्तो या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्यथा उपबंधित के सिवाय मूल्यांकन कसौटी उपापन की विषय वस्तु से सम्बन्धित होगी और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेगाः–
(क) कीमत;

(ख) माल या संकर्म के प्रचालन, अनुरक्षण और मरम्मत की लागत, माल के परिदान का समय, संकर्म का पूरा होना या सेवाओं का उपबंध, उपापन की विषय–वस्तु की विशेषताएँ जैसे माल या संकर्म की क्रियाशील विशेषताएँ और विषय–वस्तु की परिवेशी विशेषताएँ, उपापन की विषय–वस्तु के बारे में संदाय और गारंटी सम्बन्धी निबंधन; और

(ग) जहाँ सुसंगत हो, बोली लगाने वाले का और उपापन की विषय–वस्तु उपलब्ध कराने में अन्तर्वलित होने वाले किसी कार्मिक का अनुभव, विश्वसनीयता और वृत्तिक तथा तकनीकी सक्षमता।

(2) जहाँ आवश्यक माना जाये, उपापन संस्था परीक्षण नमूना जाँच और किसी बोली के तकनीकी मूल्यांकन की अन्य अतिरिक्त पद्धति भी विनिर्दिष्ट करेगी;

परन्तु ऐसे परीक्षणों, नमूना जाँच या मूल्यांकन की अतिरिक्त पद्धति की आवश्यकता बोली दस्तावेजों में उपदर्शित की जायेगी और ऐसे परीक्षण और जांच का अभिलेख ऐसी रीति से रखा जायेगा, जो विहित की जाये।

(3) यथासाध्य सीमा तक, समस्त गैर–कीमत मूल्यांकन कसौटी वस्तुनिष्ठ और अनुमान्य होगी।

(4) The criteria for evaluation of bids, including whether the requirements laid down in sub-section (2) of section 6 are applicable, shall be contained in the bidding documents.

(5) Where applicable, the relative weights to be attached to each criterion shall be specified in the bidding documents.

(6) No criteria or procedure, other than those mentioned in the bidding documents shall be used by the procuring entity in evaluating bids.

Rule 35.

Criteria for evaluation of bids.- In addition to the criteria for evaluation set out in section 14, the evaluation criteria, where relevant, may include the discounted cash flow techniques.

---x---x---

(4) इस बात को सम्मिलित करते हुए कि क्या धारा 6 की उप–धारा (2) में अधिकथित अपेक्षाएँ लागू होती है, बोलियों के मूल्यांकन की कसौटी बोली दस्तावेजों में अन्तर्विष्ट होगी।

(5) जहाँ लागू हो, प्रत्येक कसौटी से सलंग्न की जाने वाले सापेक्ष महत्त्व को बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(6) बोली के मूल्यांकन में उपापन संस्था द्वारा बोली दस्तावेजों में उल्लिखित से भिन्न किसी कसौटी या प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया जायेगा।

नियम 35.

बोलियों के मूल्यांकन की कसौटी.– धारा 14 में उप–वर्णित मूल्यांकन की कसौटी के अतिरिक्त, मूल्यांकन कसौटी में, जहाँ सुसंगत हो, मितिकाटा नकदी प्रवाह (डिस्काउन्टेड केश फ्लो) तकनीकों को सम्मिलित किया जा सकेगा।

---x---x---

Price negotiations

The provisions pertaining to negotiations to get down the quoted prices have been given in section 15 and Rule 69, which are as follows:-

Section 15.

Price negotiations.- Save as otherwise provided in section 31 or section 35 or in such circumstances and subject to such conditions as may be prescribed, no price negotiation shall be held by a procuring entity with a bidder with respect to a bid presented by him.

Comment:- Section 31 describes single source and section 35 describes competative negotiations.

Rule 69.

Negotiations.- (1) Except in case of procurement by method of single source procurement or procurement by competitive negotiations, to the extent possible, no negotiations shall be conducted after the pre-bid stage. All clarifications needed to be sought shall be sought in the pre-bid stage itself.

(2) Negotiations may, however, be undertaken only with the lowest or most advantageous bidder under the following circumstances-

(a) when ring prices have been quoted by the bidders for the subject matter of procurement; or

(b) when the rates quoted vary considerably and considered much higher than the prevailing market rates.

(3) The bid evaluation committee shall have full powers to undertake negotiations. Detailed reasons and results of negotiations shall be recorded in the proceedings.

कीमत की बातचीत

बोलीदाताओं से कीमत कम कराने के लिए बातचीत करने संबंधी प्रावधान धारा 15 तथा नियम 69 में दिये गए है जो इस प्रकार हैः–

धारा 15

कीमत की बातचीत,–धारा 31 या धारा 35 में या ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विहित की जायें, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी उपापन संस्था द्वारा किसी बोली लगाने वाले के साथ, उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी बोली के सम्बन्ध में, कीमत की कोई भी बातचीत नहीं की जायेगी।

टिप्पणीः–धारा 31 एकल स्रोत उपापन तथा धारा 35 प्रतियोगी बातचीत की पद्धति को वर्णित करती है।

नियम 69.

बातचीत.– (1) एकल स्त्रोत उपापन या प्रतियोगी बातचीत द्वारा उपापन की पद्धति के सिवाय, जहाँ तक सभंव हो, बोली–पूर्व प्रक्रम के पश्चात् कोई बातचीत नहीं की जायेगी। माँगे जाने वाले समस्त स्पष्टीकरण बोली–पूर्व अवस्था में ही माँगे जायेंगे।

(2) तथापि, बातचीत केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से निम्नलिखित परिस्थितियों में की जा सकेगी :–

(क) जब उपापन की विषय–वस्तु के लिए बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (रिंग प्राइस) कोट की गयी हो; या

(ख) जब कोट की गयी दरों में बड़े पैमाने पर अन्तर हो और प्रचलित बाजार दरों से बहुत अधिक प्रतीत हों।

(3) बोली मूल्यांकन समिति को बातचीत करने की पूर्ण शक्तियाँ होंगी। बातचीत के विस्तृत कारण और परिणाम कार्यवाही में अभिलिखित किये जायेंगे।

(4) The lowest or most advantageous bidder shall be informed in writing either through messenger or by registered letter and email (if available). A minimum time of seven days shall be given for calling negotiations. In case of urgency the bid time evaluation committee, after recording reasons, may reduce the time, provided the lowest or most advantageous bidder has received the intimation and consented to regarding holding of negotiations.

(5) Negotiations shall not make the original offer made by the bidder inoperative. The bid evaluation committee shall have option to consider the original offer in case the bidder decides to increase rates originally quoted or imposes any new terms or conditions.

(6) In case of non-satisfactory achievement of rates from lowest or most advantageous bidder, the bid evaluation committee may choose to make a written counter offer to the lowest or most advantageous bidder and if this is not accepted by him, the committee may decide to reject and re-invite bids or to make the same counter-offer first to the second lowest or most advantageous bidder, then to the third lowest or most advantageous bidder and so on in the order of their initial standing and work / supply order be awarded to the bidder who accepts the counter-offer. This procedure should be used in exceptional cases only.

(7) In case the rates even after the negotiations are considered very high, fresh bids shall be invited.

(4) न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को या तो संदेश वाहक या रजिस्ट्रीकृत पत्र और ई–मेल (यदि उपलब्ध हो) के द्वारा लिखित में सूचना दी जायेगी। बातचीत के लिए बुलाने के लिए न्यूनतम सात दिवस का समय दिया जायेगा। अत्यावश्यकता की दशा में बोली मूल्यांकन समिति, कारण अभिलिखित करने के पश्चात्, समय कम कर सकेगी, बशर्ते न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गयी हो और बातचीत करने के लिए उसने सहमति दे दी हो।

(5) बातचीत बोली लगाने वाले के द्वारा किये गये मूल प्रस्ताव को प्रभावहीन नहीं करेगी। बोली मूल्यांकन समिति के पास मूल प्रस्ताव पर विचार करने का विकल्प होगा यदि बोली लगाने वाला मूल रूप से कोट की गयी दरों में बढ़ोतरी करने का विनिश्चय करता है या कोई नवीन निबंधन या शर्तें अधिरोपित करता है।

(6) न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वालों से दरें असंतोषजनक प्राप्त होने की दशा में, बोली मूल्यांकन समिति न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को एक लिखित प्रति प्रस्ताव देने का चयन कर सकेगी और यदि यह उसके द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो समिति बोली को अस्वीकार करने और बोलियाँ पुनः आमंत्रित करने का विनिश्चय कर सकती है या वही प्रति–प्रस्ताव दूसरे न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को पहले और तत्पश्चात् तीसरे न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को और इसी प्रकार उनकी प्रांरभिक स्थिति के क्रम में देने और संकर्म/प्रदाय आदेश उस बोली लगाने वालों को अधिनिर्णित किया जा सकेगा जो प्रतिप्रस्ताव स्वीकार करता है। यह प्रक्रिया मात्र आपवादिक मामलों में ही उपयोग में लायी जानी चाहिये।

(7) यदि बातचीत के पश्चात् भी दरें अत्यधिक ऊँची मानी जायें तो नवीन बोली आमंत्रित की जायेगी।

Terms and conditions of contracts

The terms and condition for executive of the contract with the successful bidder have been prescribed in secton 16 and the rule 76, which are as follows:-

Section 16.

Terms and conditions of contracts.- (1) The terms and conditions of the procurement contracts entered into shall be in accordance with the provisions of this Act, the applicable rules and the conditions indicated in the bidding documents.

(2) The State Government may prescribe standard terms and conditions of contract which shall be incorporated in the procurement contracts entered into by procuring entities as applicable.

Rule 76.

Execution of agreement.- (1) A procurement contract shall come into force from the date on which the letter of acceptance or letter of intent is dispatched to the bidder.

(2) The successful bidder shall sign the procurement contract within a period specified in the bidding document or where the period is not specified in the bidding document then within fifteen days from the date on which the letter of acceptance or letter of intent is despatched to the successful bidder.

(3) If the bidder, whose bid has been accepted, fails to sign a written procurement contract or fails to furnish the required performance security within specified period, the procuring entity shall take action against the successful bidder as per the provisions of the Act and these rules. The procuring entity may, in such case, cancel the procurement process or if it deems fit, offer for acceptance the rates of lowest or most advantageous bidder to the next lowest or most advantageous bidder, in accordance with the criteria and procedures set out in the bidding documents.

(4) The bidder shall be asked to execute the agreement on a nonjudicial stamp of specified value at its cost.

-Please refer circular no. P.3 (1)Vitt/ SPFC/2020 dated: 08-06-2020 regarding increasing the contract period due to lockdown of Covid 19 Epidemic

संविदा के निबंधन और शर्तें

बोलियाँ निर्णित होने के उपरान्त सफल बोलीदाता से की जाने वाली संविदा के निबंधन और शर्तें धारा 16 तथा नियम 76 में वर्णित है जो इस प्रकार हैः–

धारा 16

संविदा के निबंधन और शर्तें,–(1) की गयी उपापन संविदाओं के निबंधन और शर्तें इस अधिनियम, लागू नियमों और बोली दस्तावेजों में उपदर्शित शर्तों के उपबंधों के अनुसार होंगी।

(2) राज्य सरकार संविदा के मानक निबंधन और शर्तें विहित कर सकेंगी, जो उपापन संस्थाओं द्वारा की गयी उपापन संविदाओं में, जो लागू हों, सम्मिलित की जायेंगी।

नियम 76.

करार का निष्पादन.– (1) कोई उपापन संविदा, ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगी, जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।

(2) सफल बोली लगाने वाला, बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या जहाँ बोली दस्तावेज में कोई कालावधि विनिर्दिष्ट नहीं की गयी हो वहाँ उस तारीख से पंद्रह दिवस के भीतर, जिस पर सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृति पत्र या आशय पत्र प्रेषित किया जाता है, उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो, बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार, न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को, स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

(4) बोली लगाने वाले को, उसके खर्चे पर, विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करने के लिए कहा जायेगा।

–कृपया वित्त विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक प 3(1) वित्त/एस पी एफ सी/2020 दिनांक 08.06.2020 जारी कर कोविड–19 महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के मद्देनजर उपापन के लिए किए गए अनुबंधों की समय अवधि में वृद्धि बाबत संदर्भित करें।

State Public Procurement Portal

The provisions pertaining to maintain state public procurement portal to make as availability of matters related to procurement and state procurement facilitation cell are incorporated in section 17 and 19 (6), 31(1) Section 50 respectively and in Rule 4, 16(2)(a),17(2) 18(2), 40, 45, 51 and 71 , which are as below:-

Section 17.

State Public Procurement Portal.- (1) The State Government shall set up and maintain a State Public Procurement Portal accessible to the public for posting matters relating to public procurement.

(2) Each procuring entity shall cause the procurement related information to be published as required under this Act or the rules and guidelines made thereunder on the Portal referred to in sub-section (1).

(3) Without prejudice to the generality of sub-section (2), the State Public Procurement Portal shall provide access to the following information in relation to procurement governed by the provisions of this Act, namely;-

(a) pre-qualification documents, bidder registration documents, bidding documents and any amendments, clarifications including those pursuant to pre-bid conference, and corrigenda thereto;

(b) list of bidders that presented bids including during pre-qualification or bidder registration, as the case may be;

(c) list of pre-qualified and registered bidders, as the case may be;

-Finance Dept. has issued a list of documents/directions to be uploaded on SPPP Portal vide. FD order no. Circular No F.7(5) Vitt/SPFC/2013 dated:11.05.2020 and 13.05.2020.

- Finance Dept. has issued directions reg. Nodal Officer vide. Order no.F 4 (1) Vitt/SPFC/ 2013 dated: 06-07-2020.

राज्य लोक उपापन पोर्टल

पारदर्शिता के उद्देश्य से उपापन से संबंधित सरचनाओं को जनता को सुगम रूप से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा संधारित राज्य लोक उपापन पोर्टल तथा राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ संबंधी प्रावधान क्रमशः धारा 17 व 19(6), 31 (1) धारा 50 तथा नियम 4, 16 (2)(क), 17(2), 18(2), 40, 45, 51, एवं 71 में वर्णित है जो इस प्रकार हैः–

धारा 17

राज्य लोक उपापन पोर्टल,–(1) राज्य सरकार लोक उपापन के सम्बन्ध में मामलों की प्रविष्टि हेतु एक राज्य लोक उपापन पोर्टल स्थापित और संधारित करेगी, जो जनता के लिए सुगम हो।

(2) प्रत्येक उपापन संस्था उपापन से सम्बन्धित सूचना को, इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अधीन यथा अपेक्षित, उप–नियम (1) में निर्दिष्ट पोर्टल पर प्रकाशित करवायेगी।

(3) उप–धारा (2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य लोक उपापन पोर्टल इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा शासित उपापन के बारे में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध करायेगा, अर्थात्;

(क) पूर्व– अर्हता दस्तावेज, बोली लगााने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज, बोली दस्तावेज तथा उसके संशोधन, स्पष्टीकरण जो बोली–पूर्व सम्मेलन के अनुसरण में हों, और उसके शुद्धि–पत्र;

(ख) पूर्व–अर्हता या यथास्थिति, बोली लगााने वाले के रजिस्ट्रीकरण के दौरान सहित बोली लगाने वालों की सूची, जिन्होनें बोली लगायी है;

(ग) पूर्व–अर्ह और यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूचीः

–वित्त विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ 7(5) एसपीएफसी 2013 दिनांक 11.05 2020 तथा 13.05.2020 जारी कर राज्य लोक उपापन पोर्टल पर आवश्यक रूप से प्रकाशित किए जाने वाली सूचनाओं की सूची तथा अन्य दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

–राज्य लोक उपापन पोर्टल हेतु विभाग के नोडल ऑफिसर की सूचना हेतु पत्र क्रमांक एफ 4(1)वित्त/एस पी एस सी/ 2013 दिनांक 06.07.2020 जारी किया गया।

(d) list of bidders excluded under section 25, with reasons;

(e) decisions under sections 38 and 39;

(f) details of successful bids, their prices and bidders;

(g) particulars of bidders who have been debarred by the State Government or a procuring entity together with the name of the procuring entity, cause for the debarment action and the period of debarment;

(h) any other information as may be prescribed.

Rule 4.

State Public Procurement Portal.- The State Public Procurement Portal, in addition to information specified in clause (a) to (g) of sub-section (3) of section 17, shall provide access to such other information as may be specified by the State Government, from time to time. Every procuring entity shall upload and publish the required information on State Public Procurement Portal maintained by the State Procurement Facilitation Cell.

Comment :- As per the provision of **rule 16(2)(a)**, for limited bidding the procuring entity shall issue an invitation to bid by exhibiting it on the State Public Procurement **Portal** .

As Per **Rule 17(2)(a)Single Source Procurement** ,The procuring entity shall solicit a bid from the **single prospective bidder** and shall also **exhibit the invitation to bid** on the State Public Procurement **Portal** if the value of procurement is rupees one lakh or more. The procuring entity shall not exhibit the invitation to bid on the State Public Procurement Portal, if it is of the opinion that subject matter for procurement is of nature specified in clause (e) or (h) of sub-section (1) of section 31.

As Per **Section 18(2)**, **for Pre-qualification of bidders** a procuring entity may invite offers from prospective bidders by giving wide publicity to the invitation to pre-qualify and shall publish the **particulars of the bidders that are qualified** on the State Public Procurement **Portal**.

(घ) धारा 25 के अधीन कारण सहित अपवर्जित बोली लगाने वालों की सूची;

(ड़) धारा 38 और 39 के अधीन विनिश्चय;

(च) सफल बोलियों का, उनकी कीमतों का और बोली लगाने वालों का ब्यौरा;

(छ) बोली लगाने वालों, जिन्हें राज्य सरकार या किसी उपापन संस्था द्वारा विवर्जित किया गया है, की विशिष्टयाँ, साथ ही उपापन संस्था का नाम, विवर्जन कार्रवाई का कारण और विवर्जन की कालावधि;

(ज) कोई अन्य सूचना, जो विहित की जाये।

नियम 4.

राज्य लोक उपापन पोर्टल.– राज्य लोक उपापन पोर्टल, धारा 17 की उप–धारा (3) के खण्ड (क) से (छ) में विनिर्दिष्ट सूचना के अतिरिक्त, ऐसी अन्य सूचना तक पहुँच उपलब्ध करायेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट की जाये। प्रत्येक उपापन संस्था राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ द्वारा अनुरक्षित राज्य लोक उपापन पोर्टल पर अपेक्षित सूचना अपलोड कर प्रकाशित करेगी।

टिप्पणी :–नियम 16(2) (क) के अनुसार **सीमित बोली में** उपापन संस्था बोली का आमंत्रण राज्य लोक उपापन **पोर्टल** पर इसे प्रदर्शित करेगी।

नियम 17(2)(क) एकल स्रोत उपापन के अनुसार उपापन संस्था किसी एकल भावी बोली लगाने वाले से किसी बोली की अभ्यर्थना करेगी और यदि उपापन का मूल्य एक लाख या उससे अधिक है तो **बोली के आमंत्रण** को राज्य लोक उपापन **पोर्टल पर भी प्रदर्शित करेगी**। उपापन संस्था राज्य लोक उपापन पोर्टल पर बोली के आमंत्रण को प्रदर्शित नहीं करेगी यदि उसकी यह राय है कि उपापन की विषयवस्तु धारा 31 की उप–धारा (1) के खण्ड (ङ) या (ज) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की है।

धारा 18(2)के अनुसार **बोली लगाने वालों की पूर्व–अर्हता** के प्रयोजन के लिए, कोई उपापन संस्था, **पूर्व अर्हता के लिए आमंत्रण** हेतु व्यापक प्रचार द्वारा भावी बोली लगाने वालों से प्रस्ताव आमंत्रित कर सकेगी और ऐसे बोली लगाने वालों की, जो अर्हित है, **विशिष्टियों को** राज्य लोक उपापन **पोर्टल** पर प्रकाशित करेगी।

As per Section 19(6). **Registration of bidders.-** The results of the registration process shall be intimated to the bidders and **the list of registered bidders** for the subject matter of procurement shall be published in the State Public Procurement **Portal.**

As per Rule 40. Time frame for procurement process, in case of Open competitive Bidding, Limited bidding and Single source Bidding, Declaration of the bid results on State Public Procurement **Portal** and Procuring entity's website, if any **Within three days** of issue of letter of acceptance.

As per the provision of **rule 45**, the **complete bidding documents** shall also be placed on the State Public Procurement **Portal**

As per the provision of **rule 51** , **extension of opening date of bids** or date of submission of Bid shall be uploaded on the SPP portal.

As per Rule 71. Information and publication of award.- Information of **award of contract** shall be communicated to all participating bidders and **published** on the State Public Procurement **Portal** in accordance with provisions of sub-section (3) of section 27.

Comments:-

A user booklet has been given by the state government facilitation cell of finance department at its website **sppp.rajasthan.gov.in** *in this booklet. It has been directed in its point number 8 to upload following documents on the state government portal:-*

धारा 19(6)बोली लगाने वालों का रजिस्ट्रीकरण के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया का परिणाम बोली लगाने वालों को सूचित किया जायेगा और उपापन की विषय–वस्तु के लिए **रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूची** राज्य लोक उपापन **पोर्टल** में प्रकाशित की जायेगी।

नियम 40 उपापन प्रक्रिया के लिए समय–सीमा के अनुसार **खुली प्रतियोगी बोली सीमित बोली और एकल स्रोत उपापन** राज्य लोक उपापन पोर्टल और उपापन संस्था की वेबसाइट, यदि कोई हो, पर बोली परिणामों की घोषणा स्वीकृति पत्र के जारी करने के तीन दिन के भीतर प्रकाशित की जायेगी।

नियम 45 के अनुसार **सम्पूर्ण बोली दस्तावेज** राज्य लोक उपापन **पोर्टल** पर भी रखे जायेगें।

नियम 51 के अनुसार भी **बोलियों के प्रस्तुतीकरण या खोलने की तारीख** बढ़ाए जाने पर इसे राज्य लोक उपापन **पोर्टल** पर रखा जाएगा।

नियम 71. अधिनिर्णय की सूचना और प्रकाशन के अनुसार संविदा के **अधिनिर्णय की सूचना** सभी प्रतिभागी बोली लगाने वालों को संसूचित की जायेगी और धारा 27 की उप–धारा (3) के उपबंधों के अनुसार राज्य लोक उपापन **पोर्टल पर** प्रकाशित की जायेगी।

टिप्पणीः–

वित्त विभाग के द्वारा संधारित वेबसाईट sppp.rajasthan.gov.in पर राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ द्वारा उपापन संस्थाओं के लिए उपयोगकर्ता पुस्तिका दी गई है जिसके बिन्दू सं. 8 में राज्य उपापन पोर्टल पर निम्नांकित दस्तावेजों को अपलोड किए जाने हेतु निर्देशित किया गया हैः–

1. Notice inviting Bid (point number 8.1)
2. To upload the Bid. (Point number 8.1.1. 1)
3. List of bids. (Point Number 8.1.1. 2.1)
4. To upload comparative sheet (point number 8.1.1. 3
5. List of comparative sheet. Point Number 8.1.1. 3.1
6. To upload work order Point Number 8.1.1. 4
7. List of work order. Point Number 8.1.1. 4
8. To upload price negotiation point number 8.1.3.2
9. Corrigendum point number 8.3
10. Corrigendum regarding negotiation point Number 8. 3.6
11. Corrigendum for comparative sheet of technical and financial point number 8.3.5
12. To upload the Corrigendum for work order point number 8.3.7
13. To upload appeal point number 8.7
14. List of appeal. Point Number 8.7.1
15. To upload cancellation point number 8.8
16. Do upload the cancellation of RFP point number 8.8.6

Thus, the detail of the documents to be uploaded on the website sppp.rajasthan.gov.in have been explained in detail by the state government facilitation cell of the finance department with screenshots

(Please see the next page for example) which should be perused carefully and all the documents pertaining to bid process should be uploaded.

(1) निविदा सूचना (बिन्दू सं. 8.1)

(2) बोली अपलोड करें (बिन्दू सं. 8.1.1.1)

(3) बोली की सूची (बिन्दू सं. 8.1.1..2.1)

(4) तुलनात्मक प्रपत्र अपलोड करें (बिन्दू सं. 8.1.1.3)

(5) तुलना प्रपत्र की सूची (बिन्दू सं. 8.1.1.3.1)

(6) कार्यादेश अपलोड करें (बिन्दू सं. 8.1.1.4)

(7) कार्यादेश की सूची (बिन्दू सं. 8.1.1.4)

(8) कीमत की बातचीत अपलोड करें (बिन्दू सं. 8.1.3.2)

(9) शुद्धि पत्र (बिन्दू सं. 8.3)

(10) बातचीत शुद्धि पत्र (बिन्दू सं. 8.3.6)

(11) तुलना प्रपत्र (तकनीकी/वित्तीय) के लिए शुद्धि पत्र अपलोड करें (बिन्दू सं. 8.3.5)

(12) कार्यादेश शुद्धिपत्र अपलोड करें (बिन्दू सं. 8.3.7)

(13) अपील अपलोड करें (बिन्दू सं. 8.7)

(14) अपील सूची (बिन्दू सं. 8.7.1)

(15) रद्धकरण अपलोड करें (बिन्दू सं. 8.8)

(16) आरएफपी रद्धकरण अपलोड करें (बिन्दू सं. 8.8.6

इस प्रकार वित्त विभाग द्वारा संधारित उक्त वेबसाईट sppp.rajasthan.gov.in *पर राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ द्वारा उपापन संस्थाओं के लिए दी गई उपयोग पुस्तिका में पोर्टल के स्क्रीन शॉट के चित्र के साथ विस्तार से विभिन्न दस्तावेजों को अपलोड करने की विधि वर्णित है (उदाहरण के लिए कृपया अगला पेज देखें)*
जिसका भली–भाँति अध्ययन कर बोली प्रक्रिया के समस्त दस्तावेज उक्त पोर्टल पर अपलोड किए जाने चाहिए।

11/29/2019 Rajasthan State Public Procurement Portal (State)

Government of Rajasthan
State Public Procurement Portal

Last Update Date: **29/11/2019** | हिन्दी **Page Idle Since: 00:18** **Welcome Mr. Ramesh Kumar Mathur** ***(Procuring Entity)***

Home | Upload | View List | SPPP MIS | Profile | Site Map | Logout

Site Map

Last modified on: June 19, 2019

Print

- **Home**
- **Upload**
  - NIB Upload
  - Bid Upload
  - Corrigendum Upload
  - Comparison Chart Upload
  - Negotiations Upload
  - Work Order Upload
  - Appeal Upload
  - Cancellation
  - Bidder Related
    - Bidder Registration
    - Exclusion of Bidders
    - Prebid Conference
    - Bidder Registration on UBN
    - Bidder Debarment
    - Empanelment Process
- **View List**
  - NIB List
  - Bid List
  - RFP List
  - Comparison Chart List
  - Work Order List
  - Appeal List
  - NIB Detail Uploader
  - SCM List
  - Negotiations List
  - Bidder List
  - Bidders Exclusion
  - Bidder Debarment List
  - Prebid Conference List
  - List Bidder Reg on UBN
  - Empanelment List
  - Empanelment Extension
  - Corrigendum
    - Exclusion List
    - Debarment
    - PreBid Conf Corrigendum
    - Empanelment Extension Corri
    - Bidder Registration UBN
- **SPPP MIS**
  - Email IDs
  - Change Request Form
  - View List Change Request
  - Generate Report
    - NIB without Bid Doc
    - CRF Request Report
    - Pending Nib List Report
- **Profile**
  - My Profile
  - Change Password
- **Logout**

sppp.rajasthan.gov.in/sppp/nibupload.php
Government of Rajasthan
State Public Procurement Portal
Last Update Date: 29/11/2019 | हिन्दी Page Idle Since: 00:05 Welcome Mr. (Procuring Entity)
Home Upload View List SPPP MIS Profile Site Map Logout
Upload NIB
Last modified on: June 19, 2019
Select Uploading for :*
Select
Select
NIB [For Open Competitive Bidding or Rate Contract]
Invitation for Bid [For Limited Bidding]
Single Source Bidding
Invitation to Proposal Through Two Stage Bidding (RFP)
Open Competitive Bidding Through Swiss Challenge Method (SCM)
Designed and Developed by
एनआईसी National Informatics Centre
Version: 3.3.10.19 Dated: 31 Oct 2019
130 Live User
Site best viewed in IE 10 or latest, Chrome or Mozilla Web Browser, with screen resolution 1024 x 768

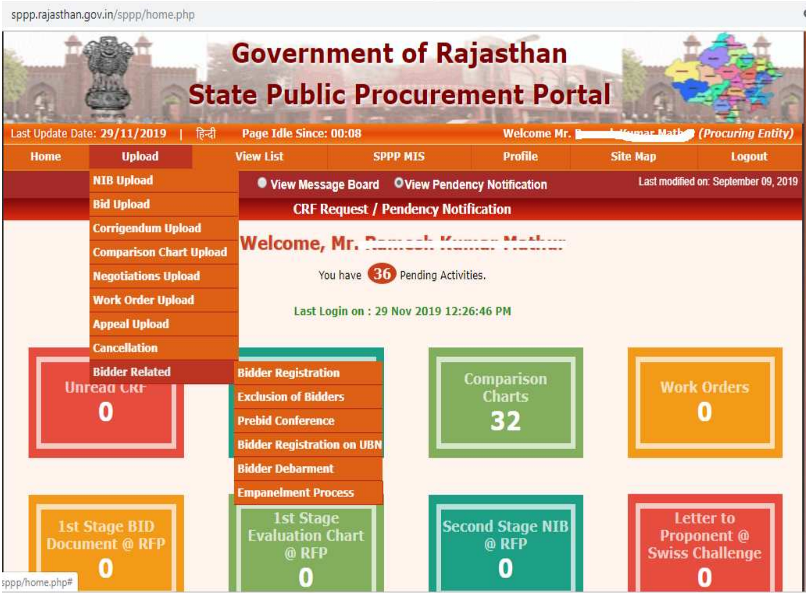
sppp.rajasthan.gov.in/sppp/home.php
Government of Rajasthan
State Public Procurement Portal
Last Update Date: 29/11/2019 | हिन्दी Page Idle Since: 00:08 Welcome Mr. (Procuring Entity)
Home Upload View List SPPP MIS Profile Site Map Logout
NIB Upload
Bid Upload
Corrigendum Upload
Comparison Chart Upload
Negotiations Upload
Work Order Upload
Appeal Upload
Cancellation
Bidder Related
Bidder Registration
Exclusion of Bidders
Prebid Conference
Bidder Registration on UBN
Bidder Debarment
Empanelment Process
View Message Board View Pendency Notification
Last modified on: September 09, 2019
CRF Request / Pendency Notification
Welcome, Mr.
You have 36 Pending Activities.
Last Login on : 29 Nov 2019 12:26:46 PM
Unread CRF 0
Comparison Charts 32
Work Orders 0
1st Stage BID Document @ RFP 0
1st Stage Evaluation Chart @ RFP 0
Second Stage NIB @ RFP 0
Letter to Proponent @ Swiss Challenge 0
sppp/home.php#

Pre-qualification of bidders

The provisions pertaining to pre-qualification of bidders are prescribed in section 18 and rule 31 and 41, which are as follows:-

Section 18.

Pre-qualification of bidders.- (1) A procuring entity may engage in a pre-qualification process, with a view to identifying, prior to inviting bids, the bidders that are qualified for any specified period of time.

(2) For the purpose of sub section (1), a procuring entity may invite offers from prospective bidders by giving wide publicity to the invitation to pre-qualify and shall publish the particulars of the bidders that are qualified on the State Public Procurement Portal.

(3) Where a procuring entity has undertaken a prequalification process in respect of any procurement, only such prequalified bidders shall be entitled to continue in the procurement proceedings.

(4) The procuring entity shall decide who is pre-qualified in accordance with section 7 and the criteria set out in the prequalification documents.

(5) Every pre-qualification process shall be carried out in such manner and in accordance with such procedure as may be prescribed.

बोली लगाने वालों की पूर्व–अर्हता

बोली लगाने वालो की पूर्व–अर्हता तय करने संबंधी प्रावधान धारा 18 तथा नियम 31 एवं 41 में दिए गए है जो निम्नानुसार है:–

धारा 18

बोली लगाने वालों की पूर्व–अर्हता,–(1) कोई उपापन संस्था, बोली आमंत्रित करने से पूर्व, ऐसे बोली लगाने वालों की पहचान करने के उद्देश्य से, जो किसी भी विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए अर्हित है, पूर्व–अर्हता प्रक्रिया में लग सकेगी।

(2) उप–धारा (1) के प्रयोजन के लिए, कोई उपापन संस्था, पूर्व अर्हता के लिए आमंत्रण हेतु व्यापक प्रचार द्वारा भावी बोली लगाने वालों से प्रस्ताव आमंत्रित कर सकेगी और ऐसे बोली लगाने वालों की, जो अर्हित है, विशिष्टियों को राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशित करेगी।

(3) जहाँ किसी उपापन संस्था ने किसी भी उपापन के संबंध में पूर्व–अर्हता प्रकिया का जिम्मा लिया है, वहाँ केवल ऐसे पूर्व–अर्ह बोली लगाने वाले ही उपापन कार्यवाहियों में बने रहने के हकदार होंगे।

(4) उपापन संस्था यह विनिश्चित करेगी कि धारा 7 और पूर्व–अर्हता दस्तावेजों में उप–वर्णित कसौटी के अनुसार कौन पूर्व–अर्ह है।

(5) प्रत्येक पूर्व–अर्हता प्रक्रिया ऐसी रीति और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार कार्यान्वित की जायेगी, जो विहित की जाये।

Rule 31.

Empanelment by pre-qualification process.- (1) The procuring entity may prepare a panel of bidders for the subject matter of procurement that is required frequently but the details of the subject matter, its quantity, time and place is not known in advance. This list shall be valid for one year which may further be extended for another one year after recording reasons. The procuring entity may prepare separate panel for different subject matter of procurement.

(2) The provisions relating to pre-qualification of bidders under section 18 and publicity as per sub-rule (6) or (7) of rule 43 shall apply to empanelment proceedings.

(3) The procuring entity shall invite applications for empanelment for prequalification as per the procedure prescribed for inviting open competitive bidding.

(4) The invitation for empanelment shall also include the following information;-

(a) the name and address of the procuring entity;

(b) eligibility criteria required for empanelment;

(c) the terms and conditions of the empanelment including the duration of the empanelment; and

(d) the description of the subject matter of procurement, to the extent known.

नियम 31.

पूर्व–अर्हता प्रक्रिया द्वारा पैनलित करना.– (1) उपापन संस्था, उस उपापन की विषय–वस्तु, जिसकी बारम्बार आवश्यकता हो किन्तु विषय–वस्तु के ब्यौरे, उसकी मात्रा, समय और स्थान पहले से ज्ञात न हो, के लिए बोली लगाने वालों का एक पैनल तैयार कर सकेगी। यह सूची एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगी जिसे कारण अभिलिखित करने के पश्चात् एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। उपापन संस्था उपापन की विभिन्न विषय वस्तुओं के लिए पृथक पैनल तैयार कर सकेगी।

(2) धारा 18 के अधीन बोली लगाने वालों की पूर्व–अर्हता और नियम 43 के उप–नियम (6) या (7) के अनुसार प्रचार संबंधी उपबंध पैनलित करने संबंधी कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

(3) उपापन संस्था, खुली प्रतियोगी बोली आमंत्रित करने के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार पूर्व–अर्हता के लिए पैनल में सम्मिलित करने के लिए आवेदन आमंत्रित करेगी।

(4) पैनलित करने के लिए आमंत्रण में निम्नलिखित सूचनाएँ भी सम्मिलित होंगीः–

(क) उपापन संस्था का नाम और पता;

(ख) पैनलित करने के लिए अपेक्षित पात्रता कसौटी;

(ग) पैनलित करने की अवधि को सम्मिलित करते हुए पैनलित करने के निबंधन और शर्तें; और

(घ) ज्ञात सीमा तक उपापन की विषय–वस्तु का विवरण।

(5) The procurement of subject matter shall be done by the procuring entity from amongst the empanelled bidders upto the limit of delegation of financial powers by sending to all of them, request for proposals with financial bid.

Rule 41.

Prequalification proceedings.- In addition to the provisions of section 18 the procedure of prequalification process shall be carried out in the manner as specified below-

(a) Registration or empanelment of prospective bidders may be done as per the procedure specified for prequalification proceedings.

(b) The procuring entity shall take a decision to pre-qualify a bidder only in accordance with the criteria and procedures as set out in the invitation to pre-qualify and in the pre-qualification documents.

(c) The procuring entity shall promptly notify each bidder presenting an application to pre-qualify whether or not it has been pre-qualified and also publish the result of prequalification proceedings on the State Public Procurement Portal.

(d) The procuring entity shall promptly communicate, with reasons, to each bidder that it has not been pre-qualified.

(5) विषय–वस्तु का उपापन, उपापन संस्था द्वारा वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन की सीमा तक, पैनलित बोली लगाने वालों में से उन सभी को वित्तीय बोली के साथ प्रस्तावों के लिए अनुरोध भेजकर किया जायेगा।

नियम 41.

पूर्व–अर्हता कार्यवाहियाँ.– धारा 18 के उपबंधों के अतिरिक्त, पूर्व–अर्हता कार्यवाही की प्रक्रिया नीचे दी गयी यथा–विनिर्दिष्ट रीति से की जायेगी –

(क) भावी बोली लगाने वालों का रजिस्ट्रीकरण या पैनलित किया जाना पूर्व–अर्हता कार्यवाहियों के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकेगा।

(ख) उपापन संस्था केवल पूर्व–अर्हता के लिए आमंत्रण और पूर्व–अर्हता दस्तावेजों में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार बोली लगाने वाले को पूर्व अर्हित करने का विनिश्चय लेगी।

(ग) उपापन संस्था पूर्व–अर्हता के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक बोली लगाने वाले को, चाहे उसने पूर्व–अर्हता प्राप्त की है या नहीं, तत्परता से अधिसूचित करेगी और राज्य लोक उपापन पोर्टल पर पूर्व–अर्हता कार्यवाहियों का परिणाम भी प्रकाशित करेगी।

(घ) उपापन संस्था प्रत्येक बोली लगाने वाले को कारणों सहित कि वह पूर्व–अर्हित नहीं है, तत्परता से संसूचित करेगी।

Registration of bidders

In the case of regular and repeated requirement of a subject matter, to establish a reliable source, a procurement authority may opt for registration of bidders as per provisions of section 19 and rule 30 and procure as per rule 27, which are as follows:-

Section 19.

Registration of bidders.- (1) With a view to establishing reliable sources for a subject matter of procurement or a class of procurement, which may be commonly required across procuring entities or repeatedly required by a procuring entity, a procuring entity may maintain a panel of registered bidders.

(2) For the purpose of sub-section (1), a procuring entity may invite offers from prospective bidders by giving wide publicity to the invitation to register and such registration shall be done in accordance with section 7, this section and the criteria set out in the bidder registration documents.

(3) The procuring entities shall update the list of registered bidders by allowing potential bidders to apply for registration on a continuous basis or by inviting offers for registration at least once a year.

(4) The State Government may prescribe the procedure and conditions for registration of bidders and the period for which such registration shall be valid.

(5) Where a procuring entity does not register bidders in respect of a subject matter of procurement, it may use the list of registered bidders of any other procuring entity, if any.

(6) The results of the registration process shall be intimated to the bidders and the list of registered bidders for the subject matter of procurement shall be published in the State Public Procurement Portal.

बोली लगाने वालों का रजिस्ट्रीकरण

नियमित रूप से बारम्बार उपापन के मामलों विश्वसनीय स्रोत स्थापित करने हेतु उपापन संस्था बोली लगाने वालों का रजिस्ट्रीकरण धारा 19 तथा नियम 30 के अनुसार रजिस्ट्रेशन कर नियम 27 के अनुसार उपापन कर सकती है जो इस प्रकार है:–

धारा 19

बोली लगाने वालों का रजिस्ट्रीकरण,– (1) उपापन की विषय–वस्तु या उपापन के किसी वर्ग के लिए ऐसे विश्वसनीय स्रोत स्थापित करने के उद्देश्य से, जो उपापन संस्थाओं के मध्य सामान्य रूप से अपेक्षित है या किसी उपापन संस्था द्वारा बार–बार अपेक्षित है, कोई उपापन संस्था, रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों का पैनल संधारित कर सकेगी।

(2) उप–धारा (1) के प्रयोजन के लिए, कोई उपापन संस्था रजिस्ट्रीकरण के लिए आमंत्रण हेतु व्यापक प्रचार द्वारा भावी बोली लगााने वालों से प्रस्ताव आमंत्रित कर सकेगी और ऐसा रजिस्ट्रीकरण धारा 7, इस धारा और बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी के अनुसार किया जायेगा।

(3) उपापन संस्थाएँ, संभावी बोली लगाने वालों को रजिस्ट्रीकरण के लिए लगातार आवेदन करने हेतु अनुज्ञात करके या एक वर्ष में कम से कम एक बार रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करके, रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूची को अद्यतन करेगी।

(4) राज्य सरकार, बोली लगाने वालों के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया और शर्तें और वह कालावधि, जिसके लिए ऐसा रजिस्ट्रीकरण विधिमान्य होगा, विहित कर सकेगी।

(5) जहाँ कोई उपापन संस्था, उपापन की विषय–वस्तु के संबंध में बोली लगाने वालों को रजिस्ट्रीकृत नहीं करती है, वहाँ वह किसी अन्य उपापन संस्था के रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूची, यदि कोई हो, का उपयोग कर सकेगी।

(6) रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया का परिणाम बोली लगाने वालों को सूचित किया जायेगा और उपापन की विषय–वस्तु के लिए रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूची राज्य लोक उपापन पोर्टल में प्रकाशित की जायेगी।

Rule 27.

Procurement of works by work order system and piece work system.-
(1) Works valuing less than rupees one lakh on each occasion may be procured, subject to a limit of rupees five lakh during a financial year, by work order system.

Explanation; Work order system means method of procurement by giving order directly to a registered bidder, to execute a work on scheduled rates in specified time.
(2) The procedure for procurement through work order system shall be as under;-

(a) in work order the quantity, rate and time of completion are invariably mentioned. Penalty for failure to complete the work within the stipulated time is also specified. Maximum work that can be allotted on a work order shall be less than rupees one lakh;

(b) work order shall be given to a registered bidder only;

(c) work order can be given only on the approved Schedule of Rates applicable to the Division / Sub-Division concerned. The Superintending Engineer / Executive Engineer shall ensure that the rates being allowed on work order are not in excess of open bid rates prevalent in the area;

(d) work order can be given by officers as per delegation of financial powers; and

(e) work order agreement shall be executed, after obtaining performance security, in the form specified for the purpose. A Register of Work Orders shall be maintained in the form specified for the purpose.

(3) Works valuing below rupees one lakh on each occasion may be procured, subject to a limit of rupees five lakh during a financial year, by piece work system.

Explanation; Piece work system means method of procurement at the rates sanctioned by the Competent Authority without reference to the total quantity of work to be done within a given period.

नियम 27.

कार्य आदेश प्रणाली और पीस वर्क प्रणाली द्वारा संकर्मों का उपापन.–
(1)किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पाँच लाख रुपये की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक अवसर पर एक लाख रुपये से कम मूल्य के संकर्म, कार्य आदेश प्रणाली द्वारा उपाप्त किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण : कार्य आदेश प्रणाली से विनिर्दिष्ट समय में अनुसूचित दरों पर किसी संकर्म को निष्पादन करने के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वाले को सीधे ही आदेश देकर उपापन की रीति अभिप्रेत है।

(2) कार्य आदेश प्रणाली के माध्यम से उपापन के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

(क) कार्य आदेश में परिमाण, दर और पूर्ण करने का समय सदैव वर्णित होगा। नियत समय के भीतर कार्य पूर्ण होने में विफलता के लिए शास्ति भी विनिर्दिष्ट होगी। किसी कार्य आदेश पर अधिकतम कार्य जो आवंटित किया जा सकेगा वह एक लाख रुपये से कम का होगा ;

(ख) कार्य आदेश केवल रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वाले को दिया जायेगा ;

(ग) कार्य आदेश संबंधित खण्ड/उप–खण्ड के लिए लागू अनुमोदित दरों की अनुसूची पर ही दिया जा सकेगा। अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य आदेश पर अनुज्ञात की गयी दरें क्षेत्र में प्रचलित खुली बोली की दरों से अधिक नहीं है ;

(घ) कार्य आदेश वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार अधिकारियों द्वारा दिया जा सकेगा ; और

(ङ) कार्य आदेश करार, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्ररूप में कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्राप्त करने के पश्चात्, निष्पादित किया जायेगा। कार्य आदेशों का एक रजिस्टर इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्ररूप में रखा जायेगा।

(3) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पाँच लाख रुपये की सीमा के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक अवसर पर एक लाख रुपये से नीचे के मूल्य के संकर्म पीस वर्क प्रणाली द्वारा उपाप्त किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण : पीस वर्क प्रणाली से किसी दी गयी कालावधि के भीतर किये जाने वाले कार्य की कुल मात्रा के निर्देश के बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत दरों पर उपापन की रीति अभिप्रेत है।

(4) The procedure for procurement through Piece Work System shall be as under;-

(a) Execution of work on Piece Work System should normally be avoided. Piece Work System may be resorted to only in a uniform type of work in large quantities, like earth work of canals, desilting, repair and maintenance of roads, etc.

(b) For determination of rates, open bids shall be invited by Additional Chief Engineer concerned for each division under its control. The intention of the department in inviting such bids for determination of Annual Rate Contract for entering into Piece Work Agreement should be made clear at the time of invitation of bids. Registered bidders of all categories shall be entitled to participate in such bids. After observing all required formalities of bids, the Additional Chief Engineer shall sanction unit rates for the specified items of work, which shall remain in force normally for one year or until the rates are revised but shall in no case remain in force more than three months after completion of one year.

(c) Once such unit rates have been sanctioned, Divisional Officers shall be competent to enter into Piece Work Agreement below rupees one lakh at a time with a single registered bidder of any category. Second Piece Work Agreement shall be entered into only after successful completion of the earlier work. Piece Work Agreement shall be entered into with the registered bidders allowed to operate in the said Division.

(d)In the Piece Work System, the Department is free to ask the bidders to cease the work, and payments are made for the work actually executed as per designs, drawings, specifications, after due measurements and checking of measurement as specified. The maximum period of completion of each piece work is twenty one days which shall not be extended in any case.

(4) पीस वर्क प्रणाली के माध्यम से उपापन के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:–

(क) पीस वर्क प्रणाली पर कार्य के निष्पादन का सामान्यतः परिवर्जन किया जाना चाहिए। पीस वर्क प्रणाली वृहद मात्रा में समान प्रकार के कार्य जैसे नहरों का मिट्टी का कार्य, नहरों से मिट्टी निकालने और सड़कों की मरम्मत और रखरखाव इत्यादि में ही अपनायी जा सकेगी।

(ख) दरों के अवधारण के लिए खुली बोलियाँ संबंधित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा उसके नियंत्रणाधीन प्रत्येक खण्ड के लिए आमंत्रित की जायेंगी। पीस वर्क करार करने के लिए वार्षिक दर संविदा के अवधारण के लिए ऐसी बोलियाँ आमंत्रित करने में विभाग का आशय बोलियों के आमंत्रण के समय स्पष्ट किया जाना चाहिए। समस्त प्रवर्गों के रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वाले ऐसी बोलियों में भाग लेने के हकदार होंगे। बोलियों की समस्त अपेक्षित औपचारिकताओं का अनुपालन करने के पश्चात्, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, कार्य की विनिर्दिष्ट मदों के लिए इकाई दरें मंजूर करेगा जो सामान्यतः एक वर्ष के लिए या जब तक कि दरें पुनरीक्षित न हो जायें तब तक प्रवृत्त रहेंगी किन्तु किसी भी दशा में एक वर्ष समाप्त होने के पश्चात् तीन मास से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेंगी।

(ग) एक बार ऐसी इकाई दरें स्वीकार हो जाती हैं तो खण्ड अधिकारी, किसी भी प्रवर्ग के किसी एक रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वाले के साथ एक बार में एक लाख रुपये से नीचे के पीस वर्क करार करने में सक्षम होंगे। द्वितीय पीस वर्क करार पूर्व संकर्म के सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने के पश्चात् ही किया जायेगा। पीस वर्क करार, उक्त खण्ड में कार्य करने के लिए अनुज्ञात रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों के साथ किया जायेगा।

(घ) पीस वर्क प्रणाली में विभाग बोली लगाने वालों को काम बंद करने को कहने के लिए स्वतंत्र है, और संदाय डिजायनों, ड्राइंगों, विनिर्देशों के अनुसार वास्तविक रूप से निष्पादित काम के लिए यथा–विनिर्दिष्ट सम्यक् माप करने और माप की जाँच करने के पश्चात्, किया जाता है। प्रत्येक पीस वर्क की समाप्ति की अधिकतम कालावधि इक्कीस दिन होगी जो किसी भी दशा में बढ़ायी नहीं जायेगी।

(e) In every Divisional office, a Register of Piece Work Agreements shall be maintained in the form specified for the purpose. In the first week of every month, the Divisional Officer shall submit copies of all Piece Work Agreements accepted by him during the previous month to the Superintending Engineer, giving justification for the award of work on Piece Work Agreement explaining the necessity / emergency instead of on regular contracts. The Superintending Engineer, during his inspection and otherwise, shall ensure that the Divisional Officers do not execute work on Piece Work Agreement in a routine manner and rates allowed are not in excess of the running rates approved by the Additional Chief Engineer for the relevant Division, and check with open bid rates of similar works on regular contract basis in the Sub-Division / Division /Circle and that the system of record measurements of work done and check measurements thereof is followed properly.

(f) The contract awarded on Piece Work System is exempted from depositing performance security.

Rule 30.

Registration. - The registration of the bidders shall be carried out in the manner and in accordance with the rules made in this behalf by the State Government.

---x---x---

(ङ) प्रत्येक खण्ड कार्यालय में, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्ररूप में पीस वर्क करारों का एक रजिस्टर रखा जायेगा। प्रत्येक मास के प्रथम सप्ताह में खण्ड अधिकारी, नियमित संविदाओं के बजाय पीस वर्क करार पर संकर्म प्रदान करने के लिए आवश्यकता/आकस्मिकता स्पष्ट करते हुए और न्यायोचित्य देते हुए, अधीक्षण अभियन्ता को पूर्ववर्ती मास के दौरान उसके द्वारा स्वीकृत समस्त पीस वर्क करारों की प्रतियाँ प्रस्तुत करेगा। अधीक्षण अभियन्ता, उसके निरीक्षण के दौरान और अन्यथा, यह सुनिश्चित करेगा कि खण्ड अधिकारी नैत्यिक रीति (नियमित रूप से) में पीस वर्क करार पर संकर्म निष्पादित नहीं करते हैं और अनुज्ञात दरें सुसंगत खण्ड के लिए अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुमोदित चालू दरों से अधिक नहीं हैं और उप–खण्ड/खण्ड/सर्किल में नियमित संविदा के आधार पर समान संकर्मो की खुली बोली दरों से इसकी जाँच करेगा और यह कि किये गये संकर्म के मापों के रिकार्ड की प्रणाली और उसके मापों की जाँच का समुचित रूप से अनुसरण किया गया है।

(च) पीस वर्क प्रणाली पर प्रदत्त संविदा कार्यसम्पादन प्रतिभूति जमा कराने से छूट प्राप्त है।

नियम 30.

रजिस्ट्रीकरण.– बोली लगाने वालों का रजिस्ट्रीकरण, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार, और दी गयी रीति में किया जायेगा।

---x---x---

Contents of bidding documents

The points which are to be essentially included in the bidding document have been prescribed in section 20 and Rule 36, 43, 44 & 45 which are as follows:-

Section 20.

Contents of bidding documents.- (1) Subject to the rules as may be made in this behalf, the invitation to bid shall contain-

(a) a brief description of subject matter of procurement;

(b) in case of procurement of -

(i) goods, its specifications including the nature, quantity and place of delivery;

(ii) works, the nature and location of the works;

(iii) services, the nature of the services and the location where they are to be provided;

(c) any notice of limitation to participation of bidders in terms of section 6;

(d) the manner, date and time for presentation of bids;

(e) any other information which is considered by the procuring entity relevant for the purpose.

(2) The detailed bidding document shall contain the particulars included in the invitation to bid, the criteria for evaluation of bids, the terms of the procurement contract, and such further information as may be prescribed, which may be necessary for the bidders to submit their bids.

(3) The State Government may prescribe standard conditions to be included in bidding documents including its form.

बोली दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु

बोली दस्तावेजों में कौन–कौन से बिन्दुओं को शामिल करना आवश्यक है, यह धारा 20 तथा नियम 36, 43, 44 एवं 45 में विनिर्दिष्ट किया गया है जो इस प्रकार हैः–

धारा 20

बोली दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु.– (1) ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जों इस निमित्त बनायें जाएँ, बोली के आमंत्रण में,–

(क) उपापन की विषय–वस्तु का संक्षिप्त वर्णन; (मात्रा)

(ख) निम्नलिखित के उपापन के मामले,–

(i)माल, उसकी प्रकृति, परिमाण (मात्रा) और परिदान (सुपुर्दगी) के स्थान को सम्मिलित करते हुए, उसके विनिर्देश;

(ii)संकर्म (निर्माण), संकर्म की प्रकृति और अवस्थिति;

(iii)सेवा, सेवाओं की प्रकृति और वह अवस्थिति जहाँ वे उपलब्ध करवायी जानी है;

(ग) धारा 6 के निबंधनों के अनुसार बोली लगाने वालों के भाग लेने की परिसीमा का कोई भी नोटिस;

(घ) बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए रीति, तारीख और समय;

(ङ) कोई भी अन्य सूचना, जो इस प्रयोजन के लिए उपापन संस्था द्वारा, सुसंगत समझी जाये;

अन्तर्वलित होगी;

(2) विस्तृत बोली दस्तावेज में, बोली के आमंत्रण में सम्मिलित विशिष्टियाँ, बोलियों के मूल्यांकन के लिए कसौटी, उपापन संविदा के निबंधन, और ऐसी और सूचना, जो विहित की जाये, जो बोली लगाने वालों के लिए उनकी बोली प्रस्तुत करने में आवश्यक हो, अन्तर्विष्ट होगी।

(3) राज्य सरकार, बोली दस्तावेजों में सम्मिलित किये जाने के लिए, इसके प्ररूप सहित मानक शर्तें विहित कर सकेगी।

Rule 36.

Preparation of bidding documents.- (1) Before issuing a notice inviting bids the procuring entity shall ensure that the bidding documents are ready for sale.

(2) The bidding documents shall have the following sections, namely;-

(a) Notice Inviting Bids (NIB);

(b) Instruction to Bidders (ITB);

(c) Bid Data Sheet (BDS);

(d) Qualification and Evaluation criteria;

(e) Bidding Forms; and

(f) Conditions of Contract and Contract Forms;

(i) General Conditions of Contract;

(ii) Special Conditions of Contract; and

(iii) Contract Forms.

(g) Any other documents, as may be necessary.

(3) The bidding documents shall include the following, namely;-

(a) instructions for preparing bids;

(b) the criteria and procedures that shall be applied in the ascertainment of the qualifications of bidders;

(c) the requirements as to documentary evidence or other information that must be submitted by bidder in proof of its qualifications;

नियम 36.

बोली दस्तावेजों को तैयार करना.– (1) बोलियाँ आमंत्रित करने का नोटिस जारी करने से पूर्व उपापन संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि बोली दस्तावेज विक्रय के लिए तैयार हैं।

(2) बोली दस्तावेज में निम्नलिखित अनुभाग होंगे, अर्थात् :–

(क) बोली आमंत्रित करने वाला नोटिस ;

(ख) बोली लगाने वालों के लिए अनुदेश ;

(ग) बोली डाटा शीट ;

(घ) अर्हता और मूल्यांकन की कसौटी ;

(ङ) बोली के प्ररूप ; और

(च) संविदा की शर्तें और संविदा प्ररूप ;

(i)संविदा की सामान्य शर्तें ;

(ii)संविदा की विशेष शर्तें ;

(iii)संविदा के प्ररूप।

(छ) कोई अन्य दस्तावेज, जो आवश्यक हों।

(3) बोली दस्तावेजों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात्:–

(क) बोली तैयार करने के लिए अनुदेश;

(ख) कसौटी और प्रक्रियाएँ, जो बोली लगाने वालों की अर्हताओं का अभिनिश्चय करने में लागू होंगी;

(ग) दस्तावेजी साक्ष्य या अन्य सूचना के बारे में अपेक्षाएँ, जो बोली लगाने वाले द्वारा उसकी अर्हताओं के सबूत में प्रस्तुत की जानी चाहिए;

(d) a detailed description of the subject matter of the procurement, including but not limited to, technical specifications, plans, drawings and designs if relevant, the quantity of the goods, any incidental services to be performed, the location where the goods are to be delivered, the work is to be executed or the services are to be provided and the required time, if any;

(e) the detailed procedure for presentation, opening, examination and evaluation of bids, minimum requirement, if any, with respect to technical, quality and performance characteristics that bids must meet in order to be considered responsive, and the criteria to be used by the procuring entity in evaluation of bids and determining the successful bid, including any provision for preference and any criteria other than price to be used and the relative weight of such criteria;

(f) the terms and conditions of the procurement contract or the rate contract, to the extent they are already known to the procuring entity, and the contract or agreement form, if any, to be signed by the parties;

(g) if alternatives to the characteristics of the goods, works or services, contractual terms and conditions or other requirements set forth in the bidding documents are permitted, a statement to that effect, and a description of the manner in which alternative bids are to be evaluated and compared;

(h) if bidders are permitted to submit bids for only a portion of the goods, works or services to be procured, a description of the portion or portions for which bids may be submitted;

(i) the manner in which the bid price is to be formulated and expressed, including a statement as to whether the price is to cover elements other than the cost of the goods, works or services themselves, such as any applicable transportation and insurance charges, custom duties and taxes etc.;

(घ) उपापन की विषय वस्तु का विस्तृत वर्णन जो तकनीकी विनिर्देशों, योजनाओं, रेखाचित्रों और डिजाइनों, यदि सुसंगत हों, माल की मात्रा, कोई आनुषंगिक सेवाएँ जो की जानी है, स्थान जहाँ माल परिदत्त किया जाना है, संकर्म जो निष्पादित किया जाना है या सेवाएँ जो उपलब्ध करायी जानी है और अपेक्षित समय, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए किन्तु केवल उन तक ही सीमित न हो ;

(ङ) बोलियों के प्रस्तुतीकरण, खोलने, परीक्षण और मूल्यांकन के लिए विस्तृत प्रक्रिया, तकनीकी गुणवत्ता और कार्य सम्पादन की विशेषताओं के संबंध में न्यूनतम अपेक्षाएँ, यदि कोई हों, जो बोलियों के प्रत्युत्तरदायी समझी जाने के लिए आवश्यक है, और उपापन संस्था द्वारा, बोलियों के मूल्यांकन और अधिमान के लिए कोई उपबन्ध को सम्मिलित करते हुए सफल बोली के अवधारण में प्रयुक्त की जाने वाली कसौटी और कीमत से भिन्न प्रयुक्त की जाने वाली कोई कसौटी और ऐसी कसौटी का आपेक्षिक भार;

(च) उपापन संविदा या दर संविदा के निबंधन और शर्तें उस सीमा तक जिस तक उपापन संस्था को पहले से ज्ञात हो, और पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित की जाने वाली कोई संविदा या करार का प्ररूप, यदि कोई हो;

(छ) यदि माल, संकर्म या सेवाओं के लक्षणों, संविदात्मक निबंधनों और शर्तों या बोली दस्तावेजों में उपवर्णित अन्य अपेक्षाओं के लिए अनुकल्प (विकल्प) अनुज्ञात किये जाते हैं तो इस आशय का एक विवरण और उस रीति का वर्णन जिससे अनुकल्पी (वैकल्पिक) बोलियों का मूल्यांकन और तुलना की जानी हैं;

(ज) यदि बोली लगाने वालों को उपाप्त किये जाने वाले माल, संकर्म या सेवाओं के केवल एक भाग के लिए बोली प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तो उस भाग या भागों का विवरण जिसके लिए बोलियाँ, प्रस्तुत की जा सकेगी ;

(झ) रीति जिससे बोली की कीमत निश्चित और अभिव्यक्त की जानी है, ऐसा विवरण सम्मिलित करते हुए कि क्या कीमत में माल, संकर्म या सेवाओं की स्वयं की लागत से भिन्न अन्य तत्व जैसे कोई परिवहन और बीमा प्रभार, उत्पादन शुल्क और कर इत्यादि, जो लागू हों, समाविष्ट हैं।

(j) any requirements of the procuring entity with respect to the issuer and the nature, form, amount and other terms and conditions of any bid security to be provided by bidder submitting bid, and any such requirements for any security for the performance of the procurement contract or the rate contract to be provided by the bidder that enters into the procurement contract, including securities such as labour and materials bonds;

(k) the manner, place and deadline for the submission of bids;

(l) the means by which, bidders may seek clarifications of the bidding documents and a statement as to whether the procuring entity intends to convene a meeting of bidders;

(m) the period of time during which bids shall remain valid;

(n) the place, time and date for the opening of bids;

(o) references to the Act, these rules and other laws and regulations directly pertinent to the procurement proceedings, provided, however, that the omission of any such reference shall not constitute grounds for appeal or liability on the part of the procuring entity;

(p) the name, designation, address and e-mail address, if any, of one or more officers or employees of the procuring entity, who are authorised to communicate directly with and to receive communications directly from bidders in connection with the procurement proceedings, without the intervention of an intermediary;

(q) any commitments to be made by the bidder outside of the procurement contract, such as commitments relating to the transfer of technology;

(r) reference to the right provided to seek appeal of an unlawful act or decision of, or procedure followed by the procuring entity in relation to the procurement proceedings;

(ञ) बोली लगाने वाले द्वारा बोली प्रस्तुत करते समय उपलब्ध कराये जाने वाली किसी बोली प्रतिभूति के निर्गामी (जारीकर्ता) और उसकी प्रकृति, स्वरूप, रकम और अन्य निबधंनों और शर्तों के संबंध में उपापन संस्था की कोई अपेक्षाएँ, और बोली लगाने वाला जो उपापन संविदा में प्रविष्ट होता है, उससे उपापन संविदा या दर संविदा के कार्य सम्पादन के लिए उपलब्ध करायी जाने वाली किसी प्रतिभूति जिसमें श्रम और सामग्री बंधपत्रों जैसी प्रतिभूतियाँ सम्मिलित हैं, के लिए कोई अपेक्षाएँ।

(ट) बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए रीति, स्थान और समय सीमा ;

(ठ) साधन जिनके द्वारा बोली लगाने वाले बोली दस्तावेजों का स्पष्टीकरण माँग सकेंगे और कथन कि क्या उपापन संस्था बोली लगाने वालों की बैठक बुलाने का आशय रखती है ;

(ड) कालावधि जिसके दौरान बोलियाँ विधिमान्य रहेंगी;

(ढ) बोलियाँ खोलने के लिए स्थान, समय और तारीख;

(ण) उपापन कार्यवाहियों से प्रत्यक्षतः सम्बद्ध अधिनियम, इन नियमों और अन्य विधियों और विनियमों के संदर्भ, परन्तु यह कि किसी ऐसे संदर्भ का लोप उपापन संस्था पर अपील या दायित्व के लिए आधार गठित नहीं करेगा;

(त) उपापन संस्था के एक या अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम, पदनाम, पते और ई–मेल पते, यदि कोई हों, जो किसी मध्यवर्ती के हस्तक्षेप के बिना, उपापन कार्यवाही के संबंध में बोली लगाने वालों के साथ सीधे ही संपर्क करने और सीधे ही संसूचना प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हैं;

(थ) बोली लगाने वाले के द्वारा उपापन संविदा के बाहर किया जाने वाला कोई अभिबंधन (वायदा/प्रतिबद्धता) जैसे प्रौद्योगिकी के अन्तरण संबंधी अभिबंधन (वायदा/प्रतिबद्धता);

(द) उपापन कार्यवाहियों के संबंध में उपापन संस्था के किसी विधि विरुद्ध कार्य या विनिश्चय या अनुसरित (अपनाई गई) प्रक्रिया की अपील चाहने के लिए उपबंधित अधिकार का संदर्भ;

(s) if the procuring entity reserves the right to cancel bid proceedings and reject all bids, a statement to that effect;

(t) any formalities that shall be required once a bid has been accepted for a procurement contract or rate contract to enter into force, including, where applicable, the execution of a written procurement contract and approval by a higher authority or the State Government; and

(u) any other requirements laid down by the procuring entity like detail project report, concession agreement, design, plans, etc. in conformity with the Act and these rules relating to the preparation and submission of bids and to other aspects of the procurement proceedings.

(4) The procuring entity shall provide the bidding documents to each bidder that responds to the invitation to bids in accordance with the procedures and requirements specified therein. If prequalification, empanelment or registration proceedings have been engaged in, the procuring entity shall provide a set of bidding documents to each bidder that has been pre-qualified and that pays the price, if any, charged for that document.

Rule 43.

Notice Inviting Bids.- (1) A procuring entity shall solicit bids in open competitive bidding and two stage bidding, or, where applicable, applications for prequalification by causing an invitation to bid or pre-qualify, as the case may be, to be published on the State Public Procurement Portal and on its own official website, if available. An abridged notice shall also be published in newspapers of adequate circulation, as prescribed in sub-rule (6) and (7) of this rule.

(2) An invitation to bid to be published on the State Public Procurement Portal shall contain, at least, the following information, namely;-

(ध) यदि उपापन संस्था बोली कार्यवाहियों को रद्द करने और समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार आरक्षित रखती है तो इस आशय का कथन;

(न) किसी लिखित उपापन संविदा के निष्पादन और उच्चतर प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन, जहाँ लागू हों, को सम्मिलित करते हुए, कोई औपचारिकताएँ जो अपेक्षित होंगी जब किसी उपापन संविदा या दर संविदा के प्रवृत्त होने के लिए कोई बोली स्वीकार कर ली गयी है; और

(प) बोलियों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण और उपापन कार्यवाहियों के अन्य पहलूओं से संबंधित अधिनियम और इन नियमों के अनुरूप उपापन संस्था द्वारा अधिकथित कोई अन्य अपेक्षाएँ जैसे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, रियायत करार, डिजाइन, योजनाएँ इत्यादि ;

(4) उपापन संस्था ऐसे प्रत्येक बोली लगाने वाले को बोली दस्तावेज उपलब्ध करायेगी जो उसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं और अपेक्षाओं के अनुसार बोलियों के आमंत्रण के लिए प्रत्युत्तर देते हैं। यदि पूर्व–अर्हता, पैनलित करने या रजिस्ट्रीकरण की कार्यवाहियाँ प्रारंभ कर दी गयी हैं तो उपापन संस्था ऐसे प्रत्येक बोली लगाने वाले को बोली दस्तावेजों का सैट उपलब्ध करायेगी जो पूर्व–अर्हता प्राप्त है और जो उस दस्तावेज के लिए प्रभारित कीमत, यदि कोई हो, का संदाय (भुगतान) करता है।

नियम 43.

बोली आमंत्रित करने वाली सूचना.– (1) उपापन संस्था खुली प्रतियोगी बोली और द्वि प्रक्रमी बोली में बोलियों की, या जहाँ लागू हो, पूर्व–अर्हता के लिए आवेदन की अभ्यर्थना बोली या, यथास्थिति, पूर्व–अर्हता के आमंत्रण का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल और उसकी स्वयं की शासकीय वेबसाइट, यदि उपलब्ध हो, पर करके करेगी। इस नियम के उप–नियम (6) और (7) में यथा–विहित पर्याप्त परिचालन वाले समाचार पत्रों में एक संक्षिप्त नोटिस भी प्रकाशित किया जायेगा।

(2) राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशित किये जाने वाले बोली के आमंत्रण में कम से कम निम्नलिखित सूचना अन्तर्विष्ट होगी, अर्थात् :–

(a) the name and address of the procuring entity including email address, if any;

(b) a summary of the principal required terms and conditions of the procurement contract or rate contract to be entered into as a result of the procurement proceedings, including the nature, quantity, time and place of delivery of the goods to be supplied, the works to be executed, or the services to be provided;

(c) whether the bid procedure shall be conducted in a single stage or two stages and whether it is to be presented simultaneously in two envelopes (one envelope containing the technical, quality and performance characteristics of the bid and the other envelope containing the financial aspects of the bid);

(d) the criteria and procedures to be used for evaluating the qualifications of bidders;

(e) the procedure of obtaining the solicitation documents and the place from which they may be obtained;

(f) the price, if any, charged by the procuring entity and the mode of payment for the solicitation documents and the amount of bid security and its form;

(g) the manner, place and deadline for the submission of bids;

(h) right of the procuring entity to cancel the bid process and reject any or all of the bids;

(i) the time, date and place of opening of bids;

(j) whether any of the items of procurement are reserved for a specific category of bidders; and

(k) any other important information.

(3) An invitation to prequalify to be published on the State Public Procurement Portal shall contain, at least, the following information, namely;-

(a) the name and address of the procuring entity including email address, if any;

(क) उपापन संस्था का नाम और पता, और ई–मेल पता, यदि कोई हो,

(ख) उपापन कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप की जाने वाली उपापन संविदा या दर संविदा के मुख्य अपेक्षित निबंधनों और शर्तों का संक्षिप्त विवरण जिसमें प्रदाय किये जाने वाले माल, निष्पादित किये जाने वाले संकर्म या उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं की प्रकृति, परिमाण, परिदान का समय और स्थान सम्मिलित होंगे;

(ग) क्या बोली प्रक्रिया एकल प्रक्रम या द्वि–प्रक्रम में संचालित होगी और क्या इसे दो लिफाफों में साथ–साथ प्रस्तुत किया जाना है (बोली की तकनीकी गुणवत्ता और कार्य सम्पादन विशेषताओं को रखने वाला एक लिफाफा और बोली के वित्तीय पहलुओं को रखने वाला अन्य लिफाफा);

(घ) बोली लगाने वालों की अर्हता का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कसौटी और प्रक्रिया ;

(ङ) अभ्यर्थना दस्तावेजों को प्राप्त करने की प्रक्रिया और स्थान जहाँ से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है;

(च) अभ्यर्थना दस्तावेजों के लिए उपापन संस्था द्वारा प्रभारित मूल्य, यदि कोई हो, और संदाय की रीति और बोली प्रतिभूति की रकम और उसका प्ररूप;

(छ) बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए रीति, स्थान और अंतिम समय सीमा;

(ज) उपापन संस्था का बोली प्रक्रिया को रद्द करने और कोई या समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार;

(झ) बोलियों को खोलने का समय, तारीख और स्थान;

(ञ) क्या उपापन के कोई मद विशिष्ट प्रवर्ग के बोली लगाने वालों के लिए आरक्षित हैं; और

(ट) कोई अन्य महत्वपूर्ण सूचना।

(3) राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशित किये जाने वाले पूर्व अर्हता के आमन्त्रण में कम से कम निम्नलिखित सूचना अन्तर्विष्ट होगी, अर्थात् :–

(क) उपापन संस्था का नाम और पता, और ई–मेल का पता, यदि कोई हो;

(b) a summary of the required principal terms and conditions, to the extent known at the time of invitation to prequalify, of the procurement contract or rate contract to be entered into as a result of the procurement proceedings, including the nature, quantity and place of delivery of the goods to be supplied, the nature and location of the works to be effected, or the nature of the services and the location where they are to be provided, as well as, the required time for the supply of the goods or for the completion of the works, or the timetable for the provision of the services, if already known;

(c) the criteria and procedures to be followed for evaluating the qualifications of bidders;

(d) the procedure of obtaining the pre-qualification documents and the place from which they may be obtained;

(e) the price, if any, charged by the procuring entity and the mode of payment for the pre-qualification documents and subsequent to pre-qualification, for the bidding documents;

(f) the manner, place and deadline for presenting applications to pre-qualify; and

(g) the time, date and place of opening of proposals for prequalification.

(4) [1][xxx]

(5) The Notice Inviting Bids to be published in the newspapers must be in brief.[2] The bids for more than one subject matter of procurement shall be published in one Notice, as far as possible.

[3](6) Time for submission of bids for supply of goods or providing services in response to publication of Notice Inviting Bids in newspapers and notice boards shall be as under;-

---

1. Deleted by Notification No. F. 1 (8) FD/GF & AR/2014 dated 15-11-2016, published in Raj. Gazette E.O. Part 4 (Ga) (I) dated 15.11.2016 (w.e.f.5.06.2015). The deleted provisions were as under:-

(4) The Notice Inviting Bids for goods, works or services estimated to cost above Rs.200.00 lakh shall also be sent to the Director General, Intelligence and Statistics, Kolkata for publication in Indian Trade Journal.

2. A template has been issued by Finance Dept. for abridged notice inviting bid (NIB) Vide circular no. F 7 (5) Vitt/SPFC/ Samanya/2013 dated: 25.06.2020.

3. Substituted by Notification No.F.2(1)FD/G&T (SPFC)/2017 dated 6.8.2018, published in Raj.Gazette EO Pt.4(Ga)(II) dated 6.8.2018 (w.e.f. 6.8.2018)

(ख) उपापन कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप की जाने वाली उपापन संविदा या दर संविदा के समय ज्ञात सीमा तक, अपेक्षित मुख्य निबंधनों और शर्तों, पूर्व अर्हता के आमंत्रण का संक्षिप्त विवरण जिसमें प्रदाय किये जाने वाले माल की प्रकृति, परिमाण और परिदान का स्थान, किये जाने वाले संकर्मों की प्रकृति और अवस्थान, या, सेवाओं की प्रकृति और स्थान, जहां उन्हें उपलब्ध कराया जाना है, के साथ–साथ यदि पहले से ज्ञात हो तो माल के परिदान के लिए या संकर्मों को पूर्ण करने के लिए अपेक्षित समय या सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए समय सारणी सम्मिलित है।

(ग) बोली लगाने वालों की अर्हता का मूल्यांकन करने के लिए अनुसरित की जाने वाली कसौटी और प्रक्रिया;

(घ) पूर्व–अर्हता दस्तावेजों को प्राप्त करने की प्रक्रिया और वह स्थान जहाँ से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है ;

(ङ) पूर्व–अर्हता दस्तावेजों और पूर्व–अर्हता के पश्चात् बोली दस्तावेजों के लिए उपापन संस्था द्वारा प्रभारित मूल्य, यदि कोई हो, और उसके संदाय की रीति;

(च) पूर्व अर्हता के लिए आवेदनों को प्रस्तुत करने के लिए रीति, स्थान और अंतिम समय सीमा; और

(छ) पूर्व–अर्हता प्रस्तावों को खोलने का समय, तारीख और स्थान।

(4) [1][xxx]

(5) समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाने वाला बोली आमंत्रित करने वाला नोटिस संक्षिप्त होना चाहिए। [2] उपापन की एक से अधिक विषय–वस्तु के लिए बोली यथा–संभव एक नोटिस में प्रकाशित की जायेगी।

[3](6) समाचार पत्रों और नोटिस बोर्ड में बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रकाशन के प्रत्युत्तर में माल के प्रदाय या सेवा उपलब्ध कराने के लिए बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए समय निम्नानुसार होगा :–

1.अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी. / जीएफएण्डएआर / 2014 दिनांक 15.11.2016 द्वारा विलोपित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग) (1) दिनांक 15.11.2016 में प्रकाशित (15.11.2016 से प्रभावी)। उक्त विलोपित प्रावधान इस प्रकार थे:–

(4) 200.00 लाख रुपये से अधिक की प्राक्कलित लागत के माल, संकर्मों या सेवाओं के लिए बोली आमंत्रित करने वाला नोटिस भारतीय व्यापार जर्नल में प्रकाशन के लिए महानिदेशक, आसूचना और सांख्यिकी, कोलकाता को भी भेजा जायेगा।

2.वित्त विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ 7(5) वित्त / एसपीएफसी / सामान्य / 2013 दिनांक 25.06.2020 जारी कर बोली आमंत्रित करने की सूचना के संक्षिप्त नोटिस का टेंपलेट जारी किया गया है।

3.अधिसूचना सं एफ.2(1)जी एण्ड टी (एस.पी.एफ.सी.) / 2017 दिनांक 6.8.2018 द्वारा प्रतिस्थापित, राज. राज–पत्र विशेषांक भाग–4(ग)(II)दिनांक 6.8.2018 में प्रकाशित (6.8.2018 से प्रभावी)।

Table
Time for submission of bids and modes of publicity for procurement of Goods and Services

S. No.	Estimated Value of Procurement	Period for submission of bid from the date of first publication of Notice Inviting Bid	Mode of publication
1	**2**	**3**	**4**
1	Up to rupees ten Lakh	Seven days	(i) Notice Board of the procuring entity and all subordinate Regional and Divisional Headquarters, as the case may be. (ii) One Regional daily newspaper.
2	Above rupees ten lakh and upto Rs one crore	Ten days	(i) Notice Board of the procuring entity and all subordinate Regional and Divisional Head Quarters, as the case may be. (ii) One Regional daily newspaper. (iii) One leading daily State Level newspaper having circulation of fifty thousand copies and above.

सारणी

माल और सेवाओं के उपापन के लिए बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए समय और प्रचार की रीतियाँ

क्रम सं	उपापन का प्राक्कलित मूल्य	बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से बोली को प्रस्तुत करने की कालावधि	प्रचार की रीति
1	2	3	4
1.	दस लाख रुपये तक	सात दिन	(i)उपापन संस्था और यथास्थिति, समस्त अधीनस्थ क्षेत्रीय और खण्ड मुख्यालयों के नोटिस बोर्ड। (ii)एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र।
2.	दस लाख रुपये से अधिक और एक करोड रुपये तक	दस दिन	(i)उपापन संस्था और यथास्थिति, समस्त अधीनस्थ क्षेत्रीय और खण्ड मुख्यालयों के नोटिस बोर्ड। (ii)एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र। (iii)पचास हजार और उससे अधिक प्रतियों के परिचालन वाला एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र।

3	Above rupees One crore	Twenty days	(i) Notice Board of the procuring entity and of all subordinate Regional and Divisional Head Quarters, as the case may be. (ii) One State level leading daily newspaper having circulation of fifty thousand copies and above. (iii) One all India level English daily newspaper] with Wide circulation.

Provided that, in appropriate cases, the procuring entity may, relax the above mentioned period of publication of notice inviting bid and submission of bid if the estimated value of procurement is upto Rs. 50 crores and with the approval of the Administration Department concerned, if the value of procurement is more than Rs. 50 crores.]

3.	एक करोड़ रुपये से अधिक	बीस दिन	(i)उपापन संस्था और यथास्थिति, समस्त अधीनस्थ क्षेत्रीय और खण्ड मुख्यालयों के नोटिस बोर्ड। (ii)पचास हजार और उससे अधिक प्रतियों के परिचालन वाला एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र। (iii)वृहत् परिचालन वाला एक अखिल भारतीय स्तर का अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र।

परन्तु समुचित मामलों में, उपापन संस्था यदि उपापन का प्राक्कलित मूल्य 50 करोड़ रूपये तक है तो अपने स्तर पर और यदि उपापन का मूल्य 50 करोड़ रूपये से अधिक है तो संबंधित प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन से, बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रकाशन और बोली को प्रस्तुत करने की ऊपर उल्लेखित कालावधि को शिथिल कर सकेगी।

(6.) Time for submission of bids for supply of goods or providing services in response to publication of Notice Inviting Bids in newspapers and notice boards shall be as under:-

Table
Time for submission of bids and modes of publicity for procurement of Goods and Services

S. No.	Estimated Value of procurement	Period for submission of bid from the date of first publication of Notice Inviting Bid	Mode of publication
1	2	3	4
1	Up to rupees five lakh	Ten days	(i)Notice Board of the procuring entity and all subordinate Regional and Divisional Head Quarters, as the case may be. (ii)One Regional daily newspaper.
2	Above rupees five lakh and upto Rs fifty lakh	Fifteen days	(i)Notice Board of the procuring entity and all subordinate Regional and Divisional Head Quarters, as the case may be. (ii) One Regional daily newspaper. (iii) One leading daily State Level newspaper having circulation of fifty thousand copies and above.
3	Above rupees fifty lakh	Thirty days	(i)Notice Board of the procuring entity and of all subordinate Regional and Divisional Head Quarters, as the case may be. (ii) One State level leading daily newspaper having circulation of fifty thousand copies and above. (iii) One all India level [1][daily newspaper] with wide circulation.

Provided that, in appropriate cases, the procuring entity may, with the approval of the [2][competent authority authorised by the State Government for the purpose] relax the above mentioned period of publication of notice inviting bid and submission of bid."

1. Substituted words "English daily news paper" by Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 4.9.2013, published in Raj.Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 4.9.2013.
2. Substituted words "State Government" by Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 4.9.2013, published in Raj.Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 4.9.2013.

(6) समाचार पत्रों और नोटिस बोर्ड में बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रकाशन के प्रत्युत्तर में माल के प्रदाय या सेवा उपलब्ध कराने के लिए बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए समय निम्नानुसार होगाः—

सारणी
माल और सेवाओं के उपापन के लिए बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए समय और प्रचार की रीतियाँ

क्रम सं	उपापन का प्राक्कलित मूल्य	बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से बोली को प्रस्तुत करने की कालावधि	प्रचार की रीति
1	**2**	**3**	**4**
1.	पांच लाख रुपये तक	दस दिन	(i)उपापन संस्था और यथास्थिति, समस्त अधीनस्थ क्षेत्रीय और खण्ड मुख्यालयों के नोटिस बोर्ड। (ii) एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र।
2.	पांच लाख रुपये से अधिक और पचास लाख रुपये तक	पन्द्रह दिन	(i) उपापन संस्था और यथास्थिति, समस्त अधीनस्थ क्षेत्रीय और खण्ड मुख्यालयों के नोटिस बोर्ड। (ii) एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र। (iii) पचास हजार प्रतियों और उससे अधिक का परिचालन रखने वाले एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र।
3.	पचास लाख रूपये से अधिक	तीस दिन	(i)उपापन संस्था और यथास्थिति, समस्त अधीनस्थ क्षेत्रीय और खण्ड मुख्यालयों के नोटिस बोर्ड। (ii)पचास हजार प्रतियों और उससे अधिक का परिचालन रखने वाला एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र। (iii)वृहत् परिचालन वाले एक अखिल भारतीय स्तर का [1][दैनिक समाचार पत्र]।

परन्तु समुचित मामलों में, उपापन संस्था [2][इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी] के अनुमोदन से, बोली प्रक्रिया की ऊपर उल्लिखित समय—सीमा को शिथिल कर सकेगी।

---

1. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी. / जीएफएण्डएआर / 2011 दिनांक 4.9.2013 द्वारा [अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र] के स्थान पर प्रतिस्थापित, राजस्थान राज.पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 4.9.2013 में प्रकाशित (4.9. 2013 से प्रभावी)।

2. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी. / जीएफएण्डएआर / 2011 दिनांक 4.9.2013 द्वारा [राज्य सरकार] के स्थान पर प्रतिस्थापित, राजस्थान राज.पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 4.9.2013 में प्रकाशित (4.9.2013 से प्रभावी)।

[1](7) Time for submission of bids for execution of works in response to publication of Notice Inviting Bids in newspapers and notice boards shall be as under:-

Table
Time for submission of bids and modes of publicity for procurement of works

S. No.	Estimated Value of work to be procured	Period for submission of bid from the date of first publication of Notice Inviting Bid	Mode of publication
1	**2**	**3**	**4**
1	Up to rupees ten Lakh	Seven days	(i) Notice Board of the procuring entity and its subordinate offices, and (ii) One leading Regional daily newspaper.
2	Above rupees ten lakh and upto Rs two crore	Ten days	(i) Notice Board of the procuring entity and its subordinate offices and (ii) One leading Regional State Level newspaper and one state leading daily newspaper having circulation of 50,000 copies or more.

1. Substituted by Notification No.F.2(1)FD/G&T (SPFC)/2017 dated 6.8.2018, published in Raj.Gazette E.O. Pt.4(ग)(II) dated 6.8.2018 (w.e.f. 6.8.2018)

[1](7) समाचार पत्रों और नोटिस बोर्डों में बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रकाशन के प्रत्युत्तर में संकर्मों के निष्पादन हेतु बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए समय निम्नानुसार होगा:–

सारणी

संकर्मो के उपापन के लिए बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए समय और प्रचार की रीतियाँ

क्रम सं	उपाप्त किये जाने वाले संकर्म का प्राक्कलित मूल्य	बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से बोली को प्रस्तुत करने की कालावधि	प्रचार की रीति
1	2	3	4
1.	दस लाख रुपये तक	सात दिन	(i)उपापन संस्था और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के नोटिस बोर्ड और (ii)एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र।
2.	दस लाख रुपये से अधिक और दो करोड रुपये तक	दस दिन	(i)उपापन संस्था और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के नोटिस बोर्ड और। (ii)एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र और पचास हजार या इससे अधिक प्रतियों के परिचालन वाला एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र।

1.अधिसूचना सं एफ.2(1)/वित्त/जी एण्ड टी (एस.पी.एफ.सी.)/2017 दिनांक 6.8.2018 द्वारा प्रतिस्थापित, राज. राज–पत्र विशेषांक भाग–4(ग)(II)दिनांक 6.8.2018 में प्रकाशित (6.8.2018 से प्रभावी)।

3	Above rupees two crore and upto 50 crores	Twenty days	(i) Notice Board of the procuring entity and its subordinate offices, (ii) One leading Regional daily newspaper and one State level leading daily newspaper having circulation of fifty thousand copies and above. (iii) One all India level Daily English newspaper with wide circulation.
4	Above rupees 50 crores	Thirty days	(i) Notice Board of the procuring entity and its subordinate offices, (ii) One leading Regional daily newspaper and one State level leading daily newspaper having circulation of fifty thousand copies or more, and above. (iii) One all India level Daily English newspaper with wide circulation.

Provided that, in appropriate cases, the procuring entity may, relax the above mentioned period of publication of notice inviting bid and submission of bid if the estimated value of procurement is upto Rs. 50 crores and with the approval of the Administration Department concerned, if the value of procurement is more than Rs. 50 crores.]

3.	दो करोड़ रुपये से अधिक और पचास करोड़ रूपये तक	बीस दिन	(i)उपापन संस्था और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के नोटिस बोर्ड। (ii)एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र और पचास हजार या इससे अधिक प्रतियों के परिचालन वाला एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र, और (iii)वृहत् परिचालन वाला एक अखिल भारतीय स्तर का अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र,।
4.	पचास करोड़ रुपये से अधिक	तीस दिन	(i)उपापन संस्था और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के नोटिस बोर्ड। (ii)एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र और पचास हजार या इससे अधिक प्रतियों के परिचालन वाला एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र, और (iii)वृहत् परिचालन वाला एक अखिल भारतीय स्तर का अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र।

परन्तु समुचित मामलों में, उपापन संस्था यदि उपापन का प्राक्कलित मूल्य 50 करोड़ रूपये तक है तो अपने स्तर पर और यदि उपापन का मूल्य 50 करोड़ रूपये से अधिक है तो संबंधित प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन से, बोली प्रस्तुत करने और बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रकाशन के उपर उपलिखित कालावधि को शिथिल कर सकेगी। ”]

"(7) Time for submission of bids for execution of works in response to publication of Notice Inviting Bids in newspapers and notice boards shall be as under:-

Table

Time for submission of bids and modes of publicity for procurement of works

S. No.	Estimated Value procurement	Period for submission of bid from the date of first publication of Notice Inviting Bid	Mode of publication
1	**2**	**3**	**4**
1	Up to rupees one lakh	Seven days	Notice Board of the procuring entity and its subordinate offices.
2	Above rupees one lakh and upto Rs ten lakh	Fifteen days	(i)Notice Board of the procuring entity and its subordinate offices. (ii) One leading Regional daily Newspaper.
3	Above rupees ten lakh and upto rupees one crore	Twenty one days	(i)Notice Board of the procuring entity and its subordinate offices. (ii) One leading Regional daily newspaper, one state level leading daily newspaper having circulation of 50,000 copies or more.
4	Above rupees one crore	Thirty days	(i)Notice Board of the procuring entity and its subordinate offices. (ii) One leading Regional daily newspaper, one State level leading daily newspapers having circulation of 50,000 copies or more. (iii) One all India level [1][daily newspaper] with wide circulation.

Provided that, in appropriate cases, the procuring entity may, with the approval of the [2] [competent authority authorised by the State Government for the purpose] relax the above mentioned period of publication of notice inviting bid and submission of bid."

1. Substituted words "English daily news paper" by Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 4.9.2013, published in Raj.Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 4.9.2013.

2. Substituted words "State Government" by Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 4.9.2013, published in Raj.Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 4.9.2013.

''(7) समाचार पत्रों और नोटिस बोर्डों में बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रकाशन के प्रत्युत्तर में संकर्मों के निष्पादन हेतु बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए समय निम्नानुसार होगाः—

सारणी
संकर्मो के उपापन के लिए बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए समय और प्रचार की रीतियाँ

क्रम सं	उपाप्त किये जाने वाले संकर्म का प्राक्कलित मूल्य	बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से बोली को प्रस्तुत करने की कालावधि	प्रचार की रीति
1	2	3	4
1.	एक लाख रुपये तक	सात दिन	उपापन संस्था और इसके अधीनस्थ कार्यालयों के नोटिस बोर्ड।
2.	एक लाख रुपये से अधिक और दस लाख रुपये तक	पन्द्रह दिन	(i)उपापन संस्था और इसके अधिनस्थ कार्यालयों के नोटिस बोर्ड। (ii)एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र।
3.	दस लाख रूपये से अधिक और एक करोड़ रूपये तक	इक्कीस दिन	(i)उपापन संस्था और इसके अधिनस्थ कार्यालयों के नोटिस बोर्ड। (ii)एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र, पचास हजार प्रतियां या इससे अधिक के परिचालन वाले एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र।
4.	एक करोड़ रूपये से अधिक	तीस दिन	(i)उपापन संस्था और इसके अधिनस्थ कार्यालयों के नोटिस बोर्ड। (ii)एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र, पचास हजार प्रतियां या इससे अधिक के परिचालन वाले एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र। (iii) वृहत परिचालन वाला एक अखिल भारतीय स्तर का [1][दैनिक समाचार पत्र]।

परन्तु समुचित मामलों में, उपापन संस्था [2][इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी] के अनुमोदन से, बोली प्रक्रिया की ऊपर उल्लिखित समय–सीमा को शिथिल कर सकेगी।

1. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 4.9.2013 द्वारा [अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र] के स्थान पर प्रतिस्थापित, राजस्थान राज.पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 4.9.2013 में प्रकाशित (4.9.2013 से प्रभावी)।

2. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 4.9.2013 द्वारा [राज्य सरकार] के स्थान पर प्रतिस्थापित, राजस्थान राज.पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 4.9.2013 में प्रकाशित (4.9.2013 से प्रभावी)।

(8) In case of International Competitive Bidding in which the bid notice is to be addressed to international bidders, the Notice Inviting Bids shall additionally be published by using suitable mediums that attract international responses. This may include circulation of Notice Inviting Bids to the Indian embassies abroad, foreign embassies in India, international trade journals, etc. Period for submission of bid from the date of first publication of Notice Inviting Bid shall be forty five days.

(9) The Notice Inviting Bids shall be published, by the Government Departments in newspapers through Information and Public Relations Department, Rajasthan with a request in which category of newspapers such notice is to be published.

(10) [1][xxx]

(11) The procuring entity shall have right to cancel the bid process and reject any or all of the bids.

---

1. Deleted by Notification No. F.2(1) FD/G&T (SPFC)/2017 dated 6-8-2018, published in Raj. Gazette E.O. Part 4 (ग) (II) dated 6.8.2018 (w.e.f. 6.8.2018). The deleted provisions were as under:-

(10) In emergent conditions, the procuring entity after recording reasons may reduce, the period for submission of bids from the date of first publication of Notice Inviting Bids, to half of the period specified in sub-rule (6) or (7) above, as the case may be

(8) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की दशा में, जिसमें बोली का नोटिस अन्तर्राष्ट्रीय बोली लगाने वालों को संबोधित किया जाना है, बोली आमन्त्रित करने वाला नोटिस उपयुक्त माध्यमों, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रत्युत्तरों को आकर्षित करते हैं, का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त रूप से प्रकाशित किया जायेगा। इसमें विदेशों में भारतीय राजदूतावास, भारत में विदेशी राजदूतावास, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार जर्नल इत्यादि को बोली आमन्त्रित करने वाले नोटिस के परिचालन को सम्मिलित किया जा सकेगा। बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से बोली प्रस्तुतीकरण के लिए कालावधि पैंतालीस दिन की होगी।

(9) बोलियों को आमन्त्रित करने वाला नोटिस सरकारी विभागों द्वारा इस अनुरोध के साथ कि समाचार पत्रों के किस प्रवर्ग में ऐसा नोटिस प्रकाशित किया जाना है, सूचना और जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा।

(10) [1][xxx]

(11) उपापन संस्था के पास बोली प्रक्रिया को रद्द करने और कोई या समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

---

1. अधिसूचना सं एफ.2(1)/वित्त/एफ.डी./जी एण्ड टी (एस.पी.एफ.सी.) /2017 दिनांक 6.8.2018 द्वारा विलोपित, राज. राज–पत्र विशेषांक भाग–4(ग)(II)दिनांक 6.8.2018 में प्रकाशित (6.8.2018 से प्रभावी)। उक्त विलोपित प्रावधान इस प्रकार थेः–

(10) आपात स्थिति में, उपापन संस्था कारण अभिलिखित करने के पश्चात्, बोली आमन्त्रित करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए कालावधि उपर्युक्त उप नियम (6) या, यथास्थिति, (7) में विर्निदिष्ट कालावधि के आधे तक कम कर सकती है।

Rule 44.

Price for bidding documents, pre-qualification documents or bidder registration documents and processing fee or user charges.- The price for the bidding documents, prequalification documents or registration documents shall be fixed after considering its preparation and delivering costs. The procuring entity may also charge processing fee or user charges for using e-procurement facility

Rule 45.

Sale of bidding documents.- (1) The sale of bidding documents shall be commenced from the date of publication of Notice Inviting Bids and shall be stopped one day prior to the date of opening of bids. The complete bidding documents shall also be placed on the State Public Procurement Portal. The prospective bidders shall be permitted to download the bidding document from the website and pay its price while submitting the filled-up bidding document to the procuring entity, or e-procurement gateway, if the facility is available.

(2) The bidding documents, pre-qualification documents or bidder registration documents shall be made available to any bidder who pays the price for it in cash or by bank demand draft, banker's cheque, unless the procurement is reserved for specific category of bidders;

Provided that in case pre-qualification proceedings were held for a bidding process including registration or empanelment proceedings, the bidding documents shall be made available to only those bidders who have been prequalified or registered or empanelled, as the case may be.

नियम 44.

बोली दस्तावेजों, पूर्व अर्हता दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों के लिए मूल्य और प्रक्रिया फीस या उपयोक्ता प्रभार.– बोली दस्तावेजों, पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, या रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों के लिए मूल्य, इनकी तैयारी और प्रदाय की लागत पर विचार करने के पश्चात् नियत किया जायेगा। उपापन संस्था ई–उपापन सुविधा का उपयोग करने के लिए प्रक्रिया फीस या उपयोक्ता प्रभार भी प्रभारित कर सकेगी।

नियम 45.

बोली दस्तावेजों का विक्रय.–(1) बोली दस्तावेजों का विक्रय बोली आमन्त्रित करने वाले नोटिस के प्रकाशन की तारीख से आरम्भ होगा और बोली के खुलने की तारीख से एक दिन पूर्व बंद किया जायेगा। सम्पूर्ण बोली दस्तावेज राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी रखे जायेगें। भावी बोली लगाने वालों को वेबसाईट से बोली दस्तावेज डाउनलोड करने और इसकी कीमत का संदाय उपापन संस्था को भरे हुए बोली दस्तावेज प्रस्तुत करते समय या ई –उपापन गेटवे, यदि सुविधा उपलब्ध हो तो, पर करने की अनुज्ञा दी जायेगी।

(2) बोली दस्तावेज, पूर्व–अर्हता दस्तावेज या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज किसी बोली लगाने वाले को, जो इसके कीमत का संदाय नकद या बैंक मांगदेय ड्राफ्ट, बैंकर चैक से करता है, उपलब्ध करवाये जायेंगे जब तक कि उपापन बोली लगाने वालों के विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के लिए आरक्षित न हो :

परन्तु उस दशा में जहाँ रजिस्ट्रीकरण या पैनलित करने की कार्यवाहियों को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाली प्रक्रिया के लिए पूर्व–अर्हता कार्यवाहियाँ की गयी थी, वहाँ बोली लगाने वाले दस्तावेज केवल उन बोली लगाने वालों को ही उपलब्ध कराये जायेंगे जो पूर्व अर्हित या रजिस्ट्रीकृत या, यथास्थिति, पैनलित हो चुके हैं।

(3) A detailed account of biding documents sold shall be kept. It shall also incorporate the details of the bidding documents downloaded from the website, when their price is paid at the time of submission of bid.

(4) Bidding documents purchased by Principal of any concern may be used by its authorised sole selling agents/ marketing agents/ distributors/ sub-distributors and authorized dealers or vice versa.

---x---x---

(3) विक्रय किये गये बोली दस्तावेजों का विस्तृत लेखा रखा जायेगा। इसमें वेबसाईट से डाउनलोड किये गये बोली दस्तावेजों के ब्यौरों को भी सम्मिलित किया जायेगा जब उनकी कीमत बोली के प्रस्तुतीकरण के समय संदत्त की जाती है ।

(4) किसी समुत्थान के प्रधान द्वारा क्रय किये गये बोली दस्तावेजों का उपयोग इसके प्राधिकृत एकमात्र विक्रय अभिकर्ता/विपणन अभिकर्ता/वितरक/ उप–वितरक और प्राधिकृत व्यवहारी द्वारा या विपर्ययेन (विपरीत क्रम में) भी किया जा सकता है।

---x---x---

Time frame for submission of bids

The provision pertaining to place, time and date to submit bid and described in section 21 and rule 51 which are as under:-

Section 21.

Time frame for submission of bids.- (1) While fixing the last date by which bids are to be submitted by the bidders, the procuring entity shall take into account-

(a) the need of the bidders for having a reasonable time to prepare and submit their bids; and

(b) the time frame envisaged for procurement.

(2) Subject to the provisions of section 23, the maximum time as may be allowed for submission of bids shall be the same for all bidders.

Rule 51.

Deadline for the submission of bids.- (1) Bids shall be received, by the person designated for the purpose by the procuring entity or directly dropped in the bid box, at the place and up to the time and date specified in the Notice Inviting Bids.

बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिये समय–सीमा

बोलियाँ प्रस्तुत करने के स्थान, समय और तारीख के संबंध में प्रावधान धारा 21 तथा नियम 51 में दिए गये है जो इस प्रकार हैः–

धारा 21.

बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिये समय–सीमा.–(1) अन्तिम तारीख, जिस तक बोली लगानें वालों द्वारा बोलियाँ प्रस्तुत की जानी है, नियत करते समय उपापन संस्था निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगीः–

(क) बोली लगाने वालों के लिए अपनी बोलियों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए युक्तियुक्त समय की आवश्यकता; और

(ख) उपापन के लिए परिकल्पित समय–सीमा।

(2) धारा 23 के उपबधों के अध्यधीन रहते हुए अधिकतम समय, जो बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया जाये, समस्त बोली लगाने वालों के लिए समान होगा।

नियम 51.

बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए अंतिम समय–सीमा.– (1) बोली आमन्त्रित करने वाले नोटिस में विनिर्दिष्ट स्थान और समय और तारीख तक बोलियाँ उपापन संस्था द्वारा पदाभिहित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जायेंगी या सीधे ही बोली के बक्से में डाली जायेंगी।

(2) Normally, the date of submission and opening of bids should not be extended. In exceptional circumstances or when the bidding documents are required to be substantially modified as a result of discussions in pre bid conference or otherwise and the time with the prospective bidders for preparation of bids appears insufficient, the date may be extended by the procuring entity. In such case the publicity of extended time and date shall be given in the manner, as was given at the time of issuing the original Notice Inviting Bids and shall also be placed on the State Public Procurement Portal. It should be ensured that after issue of corrigendum, reasonable time is available to the bidders for preparation and submission of their bids. The procuring entity shall also publish such modifications in the bidding documents in the same manner as the publication of initial bidding documents. If in the office of the bids receiving and opening authority, the last date of submission or opening of bids is a non working day, the bids shall be received or opened on the next working day.

---x---x---

(2) सामान्यतया बोलियों के प्रस्तुतीकरण या खोलने की तारीख बढ़ाई नहीं जानी चाहिए। आपवादिक परिस्थितियों में या जब बोली दस्तावेजों को बोली–पूर्व सम्मेलन में विचार–विमर्श के परिणामस्वरूप या अन्यथा अधिष्ठायी रूप से परिवर्तित किये जाने की अपेक्षा की जाती है और बोली की तैयारी के लिए भावी बोली लगाने वालों के पास समय अपर्याप्त प्रतीत होता है तब उपापन संस्था द्वारा तारीख बढ़ाई जा सकती है। ऐसी दशा में विस्तारित समय और तारीख का प्रचार उसी रीति से किया जायेगा जैसा बोली आमन्त्रित करने वाले मूल नोटिस को जारी करने के समय पर किया गया था और इसे राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी रखा जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शुद्धिपत्र के जारी किये जाने के पश्चात् बोली लगाने वालों के पास उनकी बोली तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए युक्तियुक्त समय उपलब्ध हों। उपापन संस्था बोली दस्तावेजों में ऐसे उपान्तरणों का प्रकाशन भी उसी रीति से करेगी जैसा प्रारंभिक बोली दस्तावेजों का प्रकाशन किया गया है। यदि बोली प्राप्त करने और खोलने वाले प्राधिकारी के कार्यालय में बोली को प्रस्तुत करने या खोलने की अंतिम तारीख कार्य दिवस नहीं है तो बोली अगले कार्यदिवस पर प्राप्त या खोली जायेगी।

---x---x---

Pre-bid clarifications

The bidder may ask any clarification for any doubt under section 22 and rule 46, which are as under:

Section 22.

Pre-bid clarifications.- (1) Any bidder may, in writing, seek clarifications from the procuring entity in respect of the bidding documents.

(2) The period within which the bidders may seek clarifications under sub-section (1) and the period within which the procuring entity shall respond to such requests for clarifications shall be specified in the bidding documents.

(3) All requests for clarifications and responses thereto shall be intimated to all bidders and where applicable, shall be published on the State Public Procurement Portal.

(4) A procuring entity may hold a pre-bid conference to clarify doubts of potential bidders in respect of a particular procurement and the records of such conference shall be intimated to all bidders and where applicable, shall be published on the State Public Procurement Portal.

Rule 46

Pre-bid clarifications.- Subject to the provisions contained in section 22, the procuring entity may convene a pre-bid conference of the bidders and shall prepare minutes of the meeting containing the requests submitted at the meeting for clarification of the bidding documents and its responses to those requests, without identifying the person, who made the requests. The minutes and response under subsection (3) of section 22, if any, shall be provided promptly to all bidders to which the procuring entity provided the bidding documents, so as to enable those bidders to take the minutes into account in preparing their bids, and shall be published on the State Public Procurement Portal.

बोली– पूर्व स्पष्टीकरण

बोली लगाने वाले कोई संशय होने पर उपापन संस्था से स्पष्टीकरण धारा 22 तथा नियम 46 के अनुसार माँग सकता है जो इस प्रकार है:–

धारा 22.

बोली– पूर्व स्पष्टीकरण.–(1) कोई भी बोली लगाने वाला, बोली दस्तावेजों के संबंध में, उपापन संस्था से, लिखित में स्पष्टीकरण माँग सकेगा।

(2) वह कालावधि जिसके भीतर–भीतर बोली लगाने वाला उप–धारा (1) के अधीन स्पष्टीकरण माँग सकेगा और वह कालावधि, जिसके भीतर–भीतर उपापन संस्था स्पष्टीकरणों के लिए ऐसे अनुरोधों का जवाब देगी, बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जायेगी।

(3) स्पष्टीकरणों के लिए समस्त अनुरोध और उनके जवाब समस्त बोली लगाने वालों को सूचित किये जायेंगे और जहाँ लागू हो, वहाँ राज्य लोक उपापन पोर्टल में प्रकाशित किये जायेंगे।

(4) कोई उपापन संस्था, किसी उपापन विशेष के संबंध में संभावी (संभावित) बोली लगाने वालों के संदेहों को दूर करने के लिए एक बोली–पूर्व सम्मेलन आयोजित कर सकेगी और ऐसे सम्मेलन के अभिलेख समस्त बोली लगाने वालों को सूचित किये जायेंगे और जहाँ लागू हो, राज्य लोक उपापन पोर्टल में प्रकाशित किये जायेंगे।

नियम 46.

बोली–पूर्व स्पष्टीकरण.– धारा 22 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन, उपापन संस्था बोली लगाने वालों का बोली–पूर्व सम्मेलन बुला सकेगी और बोली दस्तावेजों के स्पष्टीकरण के लिए बैठक में प्रस्तुत अनुरोधों और उन अनुरोधों के प्रत्युत्तर, उस व्यक्ति जिसने अनुरोध किया है की पहचान किये बिना, अन्तर्विष्ट करते हुए बैठक के कार्यवृत तैयार करेगी। कार्यवृत और धारा 22 की उप–धारा (3) के अधीन प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, उन समस्त बोली लगाने वालों को, जिनको उपापन संस्था ने बोली दस्तावेज उपलब्ध कराये हैं, तत्परता से उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि उन बोली लगाने वालों को कार्यवृतों को विचार में लेने के लिए उनकी बोली तैयार करने में समर्थ बनाया जा सके, और इन्हें राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशित किया जायेगा।

Changes to bidding documents

Bidding document may be changed as per the provisions of section 23 and rule 47, which are as follows:-

Section 23.

Changes to bidding documents.- (1) In case any modification is made to the bidding documents or any clarification is issued which materially affects the terms contained in the bidding documents, the procuring entity shall publish such modification or clarification in the same manner as the publication of the initial bidding documents.

(2) In case a clarification or modification is issued to the bidding documents, the procuring entity may, prior to the last date for submission of bids, extend such time limit in order to allow the bidders sufficient time to take into account the clarification or modification, as the case may be, while submitting their bids.

(3) Any bidder who has submitted his bid in response to the original invitation shall have the opportunity to modify or resubmit it, as the case may be, within the period of time originally allotted or such extended time as may be allowed for submission of bids, when changes are made to the bidding documents by the procuring entity;

Provided that the bid last submitted or the bid as modified by the bidder shall be considered for evaluation.

Rule 47.

Changes in the bidding documents.- At any time prior to the deadline for presenting bids, the procuring entity may for any reason, whether on its own initiative or as a result of a request for clarification by a bidder, modify the bidding documents by issuing an addendum in accordance with provisions of section 23

बोली दस्तावेजों में परिवर्तन

बोली दस्तावेजों में परिवर्तन धारा 23 तथा नियम 47 के अनुसार किया जा सकता है जो इस प्रकार हैः–

धारा 23.

बोली दस्तावेजों में परिवर्तन.–(1) यदि किन्हीं बोली दस्तावेजों में कोई उपांतरण किया जाता है या कोई ऐसा स्पष्टीकरण जारी किया जाता है जो बोली दस्तावेजों में अन्तर्विष्ट निबंधनों को सारवान् रूप से प्रभावित करता है तो उपापन संस्था, ऐसे उपातंरण या स्पष्टीकरण को उसी रीति से प्रकाशित करेगी, जैसे प्रारंभिक बोली दस्तावेजों का प्रकाशन करती है।

(2) यदि किसी बोली दस्तावेज में कोई स्पष्टीकरण या उपांतरण जारी किया जाता है तो उपापन संस्था, बोलियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पूर्व, बोली लगाने वालों को, उनकी बोलियाँ प्रस्तुत करते समय, स्पष्टीकरण या, यथास्थिति, उपांतरण को ध्यान में रखते हुए, पर्याप्त समय अनुज्ञात करने के लिए ऐसी समय–सीमा बढ़ा सकेगी।

(3) किसी भी बोली लगाने वाले को, जिसने मूल आमंत्रण के जवाब में अपनी बोली प्रस्तुत कर दी है, मूल रूप से आंवटित समयावधि या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर–भीतर, जो बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए अनुज्ञात किया जाये, बोली को उपांतरित या, यथास्थिति, पुनः प्रस्तुत करने का अवसर होगा, जब उपापन संस्था द्वारा बोली दस्तावेजों में परिर्वतन किये जातें है;

परन्तु अंत में प्रस्तुत बोली या बोली लगाने वाले के द्वारा यथा उपांतरित बोली पर मूल्यांकन के लिए विचार किया जायेगा।

नियम 47.

बोली दस्तावेजों में परिवर्तन.– बोली प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम समय–सीमा से पूर्व किसी भी समय, उपापन संस्था किसी कारण से चाहे स्वप्रेरणा पर या बोली लगाने वाले के द्वारा स्पष्टीकरण के लिए किसी अनुरोध के परिणामस्वरूप, धारा 23 के उपबंधों के अनुसार युक्तिका जारी करके बोली दस्तावेजों को उपान्तरित कर सकेगी।

The procedure relating to submission, opening and evaluation of bids

For the procedure relating to submission, opening and evaluation of bid, section 24 along with Rule 3 and 42, rule 48 to 50, rule 52 to 61, rule 63 to 68 and rule 72 to 75 are relevant, which are as follows:-

Section 24.

The procedure relating to submission, opening and evaluation of bids.- Subject to the terms and conditions as may belaid down in the bidding documents, submission of bids, opening and evaluation of bids, including constitution of committees for those purposes shall be in accordance with the rules as may be prescribed.

Rule 3.

Procurement committees.- (1) Every procuring entity shall constitute one or more committees for the following purposes, namely; -

(a) Preparation of bidding documents;

(b) Opening of bids;

(c) Evaluation bids;

(d) Monitoring of contract;

(e) Spot Purchase;

(f) Competitive negotiation; and

बोलियों के प्रस्तुतीकरण, खोलने और मूल्यांकन से संबंधित प्रकिया

बोलियों के प्रस्तुतीकरण खोलने और मूल्यांकन से संबंधित प्रक्रिया हेतु धारा 24 के साथ–साथ नियम 3 तथा नियम 42 नियम 48 से 50, नियम 52 से 61, नियम 63 से 68 तथा नियम 72 से 75 प्रासंगिक है, जो इस प्रकार हैः–

धारा. 24

बोलियों के प्रस्तुतीकरण, खोलने और मूल्यांकन से संबंधित प्रकिया,–ऐसे निबंधनों और शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, जो बोली दस्तावेजों में अधिकथित की जायें, बोलियों का प्रस्तुतीकरण, बोलियों का खोलना और मूल्यांकन, उप प्रयोजनों के लिए समितियों के गठन को सम्मिलित करते हुए, ऐसे नियमों के अनुसार होगा, जो विहित किये जायें।

नियम 3.

उपापन समितियाँ.– (1) प्रत्येक उपापन संस्था निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए एक या इससे अधिक समितियों का गठन करेंगी, अर्थात् :–

(क) बोली दस्तावेज तैयार करना;

(ख) बोलियों का खोलना;

(ग) बोलियों का मूल्यांकन;

(घ) संविदा का अनुश्रवण;

(ङ) मौके पर क्रय;

(च) प्रतियोगी बातचीत; और

(g) Any other purpose relating to procurement, as may be decided by the procuring entity.

(2) Each committee shall consist of three or more members including senior most accounts officer or official of the procuring entity, and if required, a technical official may be nominated by the procuring entity. A consultant, as subject matter specialist, may also be nominated in the committee by the procuring entity, after recording reasons, with the prior approval of the competent authority.

(3) In complex projects, the work of preparation of project report or bidding documents may be assigned to consultants with the prior approval of the competent authority.

Rule 42.

Bid security.-(1) Bid security shall not be taken in case of petty procurement valuing up to rupees ten thousand and procurement by the methods of limited bidding under clause (b) and (c) of sub-section (1) of section 30, request for quotations, spot purchase, single source procurement and competitive negotiations.

(2) In case of open competitive bidding, two-stage bidding, rate contract, electronic reverse auction, bid security shall be 2% or as specified by the State Government of the estimated value of subject matter of procurement put to bid. In case of Small Scale Industries of Rajasthan it shall be 0.5% of the quantity offered for supply and in case of sick industries, other than Small Scale Industries, whose cases are pending with Board of Industrial and Financial Reconstruction; it shall be 1% of the value of bid. Concessional bid security may be taken from registered bidders as specified by the State Government. Every bidder, if not exempted, participating in the procurement process shall be required to furnish the bid security as specified in the notice inviting bids. [1][:]

1 Substituted by Notification No. No.F.2 (1) FD /G&T (SPFC) / 2017 dated 13.8.2020, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 13.8.2020 for - "(.)"

(छ) उपापन से संबंधित कोई अन्य प्रयोजन, जैसा उपापन संस्था द्वारा विनिश्चित किया जाये।

(2) प्रत्येक समिति उपापन संस्था के वरिष्ठतम लेखा अधिकारी या पदधारी को सम्मिलित करते हुए तीन या इससे अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, और यदि अपेक्षित हो तो उपापन संस्था द्वारा एक तकनीकी पदधारी नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा। समिति में उपापन संस्था द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, कारण अभिलिखित करने के पश्चात् विषय–वस्तु विशेषज्ञ के रूप में एक परामर्शी भी नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।

(3) जटिल परियोजनाओं में परियोजना रिपोर्ट या बोली दस्तावेजों को तैयार करने का कार्य सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से परामर्शियों को समनुदिष्ट (कार्य सौंपना) किया जा सकेगा।

नियम 42.

बोली प्रतिभूति.– (1) बोली प्रतिभूति दस हजार रुपये तक के मूल्य वाले छोटे उपापन और धारा 30 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन सीमित बोली, कोटेशन के लिए अनुरोध, मौके पर क्रय, एकल स्रोत उपापन और प्रतियोगी बातचीत की पद्धतियों द्वारा उपापन के मामले में नहीं ली जायेगी।

(2) खुली प्रतियोगी बोली, द्वि–प्रक्रमी बोली, दर संविदा, इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम के मामले में बोली प्रतिभूति बोली के लिए प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2% होगी या जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में यह प्रदाय (आपूर्ति) के लिए प्रदत्त (प्रस्तावित) मात्रा का 0.5% होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का 1% होगी। राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों से विनिर्दिष्ट रियायती बोली प्रतिभूति ली जा सकेगी। उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक बोली लगाने वाले से, यदि छूट प्राप्त नहीं हो तो बोली आमंत्रित करने वाली सूचना में यथा–विनिर्दिष्ट बोली प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जायेगी [1][:]

1 अधिसूचना संख्या प.2(1) वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक 13.8.2020 द्वारा "।" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[1][Provided that, during the period commencing from the date of commencement of the Rajasthan Transparency in Public Procurement (Second Amendment) Rules, 2020 to 31.12.2021, in lieu of bid security a Bid Security Declaration shall be taken.]

[2] [(3) In lieu of bid security, a bid securing declaration shall be taken from the,- (i) Departments/Boards of the State Government or Central Government; (ii) Government Companies as defined in clause (45) of section 2 of of the companies Act, 2013; (iii) company owned of controlled, directly or indirectly, by the Central Government, or by any State Governemnt or Governments, or partly by the Central Government and partly by one or more State Governemnts which is subject to audit by the Auditor appointed by the Comptoller and Auditor-General of India under sub-section (5) or (7) of section 139 of the Companies Act, 2013; or (iv) Autonomous bodies, Registered Societies, Cooperative Societies which are owned or controlled or managed by the State Government or Central Government.]

(4) Bid security instrument or cash receipt of bid security or a bid securing declaration shall necessarily accompany the sealed bid.

(5) Bid security of a bidder lying with the procuring entity in respect of other bids awaiting decision shall not be adjusted towards bid security for the fresh bids. The bid security originally deposited may, however, be taken into consideration in case bids are re-invited.

(6) The bid security may be given in the form of cash, a banker's cheque or demand draft or bank guarantee, in specified format, of a scheduled bank or deposit through eGRAS. The bid security must remain valid thirty days beyond the original or extended validity period of the bid.

1. Added by Notification No. No.F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017 dated 13.8.2020, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 13.8.2020 and substituted by Notification No. No.F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017 dated 18.12.2020 for - "Provided that, during the period commencing from the date of commencement of the Rajasthan Transparency in Public Procurement (Amendment) Rules, 2020 to 31.03.2021, the bid security shall be taken as under:- (a) 1% or as specified by the State Government of the estimated value of subject matter of procurement put to bid, in case of open competitive bidding, two-stage bidding, rate contract or electronic reverse auction; (b) 0.25% of the quantity offered for supply, in case of Small Scale Industries of Rajasthan; and (c) 0.5% of the value of bid, in case of sick industries, other than Small Scale Industries, whose cases are pending with Board of Industrial and Financial Reconstruction."

2. Substituted by Notification No.F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017 dated 6.8.2018, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga)(II) dated 6.8.2018 for - "(3) In lieu of bid security, a bid securing declaration shall be taken from Departments of the State Government and Undertakings, Corporations, Autonomous bodies, Registered Societies, Cooperative Societies which are owned or controlled or managed by the State Government and Government Undertakings of the Central Government."

[1][परन्तु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020 के प्रारम्भ की तारीख से 31.12.2021 तक की कालावधि के दौरान बोली प्रतिभूति के स्थान पर बोली प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी।]

[2][(3) निम्नलिखित से बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोली प्रतिभूति घोषणा ली) जायेगीः–

(i) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के विभाग/बोर्ड;

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खण्ड (45) में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनियाँ;

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या भागतः केन्द्रीय सरकार द्वारा और भागतः एक या अधिक राज्य सरकारों के प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कंपनी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 की उप–धारा (5) या (7) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अध्यधीन होगी; या

(iv) स्वायत्त निकाय, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां, सहकारी सोसाइटियां जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित या नियंत्रित या स्वामित्वाधीन हैं।

से ली जायेगी।]

(4) बोली प्रतिभूति लिखत या बोली प्रतिभूति की नकद रसीद या बोली प्रतिभूत करने की घोषणा आवश्यक रूप से मुहरबंद बोली के साथ होगी।

(5) उपापन संस्था के पास अन्य बोलियों में प्रतीक्षित विनिश्चय के संबंध में रखी हुई बोली लगाने वाले की बोली प्रतिभूति, नयी बोली के लिए बोली प्रतिभूति में समायोजित नहीं की जायेगी। तथापि, मूल रूप से जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है।

(6) बोली प्रतिभूति नकद, बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूपविधान में बैंक गारंटी या सरकारी विभागों की दशा में ई. जी. आर. ए. एस के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल या बढ़ायी गयी विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहनी चाहिए।

1.अधिसूचना संख्या प.2(1) वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक 13.8.2020 द्वारा जोड़ा गया एवं अधिसूचना संख्या प 2(1) वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक 18.12.2020 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया :– "परन्तु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (संशोधन) नियम, 2020 के प्रारम्भ की तारीख (13.08.2020) से 31.03.2021 तक की कालावधि के दौरान बोली प्रतिभूति निम्नानुसार ली जायेगी –

(क) खुली प्रतियोगी बोली, द्वि–प्रक्रमी बोली, दर संविदा या इलैक्ट्रानिक रिवर्स नीलाम के मामले में, बोली के लिए प्रस्तुत उपापन की विषय–वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 1 प्रतिशत या राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट;

(ख) राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में प्रदाय के लिए प्रस्तावित परिमाण का 0.25 प्रतिशत; और

(ग) लघु उद्योगों से भिन्न, रूग्ण उद्योगों की दशा में, जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लंबित है, बोली के मूल्य का 0.5 प्रतिशत होगी।"

2.अधिसूचना संख्या प.2(1) वित्त/जीएण्डटी(एसपीएफसी)/2017 दिनांक 6.8.2018 द्वारा प्रतिस्थापित (6.8.2018 से प्रभावी) बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सरकारी सोसाइटियों और केद्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।"

(7) The bidding documents may stipulate that the issuer of the bid security and the confirmer, if any, of the bid security, as well as the form and terms of the bid security, must be acceptable to the procuring entity. In cases of International Competitive Bidding, the bidding documents may in addition stipulate that the bid security shall be issued by an issuer in India.

(8) Prior to presenting a submission, a bidder may request the procuring entity to confirm the acceptability of proposed issuer of a bid security or of a proposed confirmer, if required. The procuring entity shall respond promptly to such a request.

(9) The bank guarantee presented as bid security shall be got confirmed from the concerned issuing bank. However, the confirmation of the acceptability of a proposed issuer or of any proposed confirmer does not preclude the procuring entity from rejecting the bid security on the ground that the issuer or the confirmer, as the case may be, has become insolvent or has otherwise ceased to be creditworthy.

(10) The bid security of unsuccessful bidders shall be refunded soon after final acceptance of successful bid and signing of Agreement and submitting performance security.

(11) The Bid security taken from a bidder shall be forfeited in the following cases, namely;-

(a) when the bidder withdraws or modifies its bid after opening of bids;

(b) when the bidder does not execute the agreement, if any, after placement of supply / work order within the specified period;

(c) when the bidder fails to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply / work order within the time specified;

(d) when the bidder does not deposit the performance security within specified period after the supply / work order is placed; and

(7) बोली दस्तावेजों में यह नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति का निर्गामी (जारीकर्ता) और बोली प्रतिभूति की पुष्टि करने वाला, यदि कोई हो, के साथ ही बोली प्रतिभूति का प्ररूप और निबंधन उपापन संस्था को स्वीकार्य होना चाहिए। अन्तरर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की दशा में, बोली दस्तावेजों में यह भी नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति भारत में किसी निर्गामी द्वारा जारी की जायेगी।

(8) यदि अपेक्षित हो तो प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करने से पूर्व, बोली लगाने वाला बोली प्रतिभूति के प्रस्थापित निर्गामी या प्रस्थापित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता को पुष्ट करने के लिए उपापन संस्था से अनुरोध कर सकेगा। उपापन संस्था ऐसे किसी अनुरोध का तत्परता से प्रत्युत्तर देगी।

(9) बोली प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बैंक गारन्टी की संबंधित जारी करने वाले बैंक से पुष्टि करायी जायेगी। तथापि, प्रस्तावित निर्गामी या किसी प्रस्तावित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता की पुष्टि इस आधार पर बोली प्रतिभूति को अस्वीकार करने से उपापन संस्था को अपवर्जित नहीं करती है कि निर्गामी या, यथास्थिति, पुष्टि करने वाला दिवालिया हो गया है या अन्यथा उधार के लिए पात्र नहीं रह गया है।

(10) असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।

(11) बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर दी जायेगी, अर्थात् :–

(क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है;

(ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है;

(ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है;

(घ) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है;

(e) if the bidder breaches any provision of code of integrity prescribed for bidders specified in the Act and Chapter VI of these rules.

(12) In case of the successful bidder, the amount of bid security may be adjusted in arriving at the amount of the Performance Security, or refunded if the successful bidder furnishes the full amount of performance security.

(13) The procuring entity shall promptly return the bid security after the earliest of the following events, namely;-

(a) the expiry of validity of bid security;

(b) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by the successful bidder;

(c) the cancellation of the procurement process; or

(d) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Rule 48.

Period of validity of bids.- (1) Bids submitted by the bidders shall remain valid during the period specified in the bidding documents. This period should normally be not more than ninety days, but depending on the nature of the procurement it may be more. A bid valid for a shorter period shall be rejected by the procuring entity as non-responsive.

(2) Prior to the expiry of the period of validity of bids, the procuring entity, in exceptional circumstances, may request the bidders to extend the bid validity period for an additional specified period of time. A bidder may refuse the request and such refusal shall be treated as withdrawal of bid but in such circumstances bid security shall not be forfeited.

(ङ) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

(12) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

(13) उपापन संस्था निम्नलिखित दशाओं के शीघ्र पश्चात् बोली प्रतिभूति को तत्परता से लौटा देगी, अर्थात् :–

(क) बोली प्रतिभूति की विधिमान्यता के अवसान पर;

(ख) सफल बोली लगाने वाले के द्वारा उपापन के लिए करार के निष्पादन और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर;

(ग) उपापन प्रक्रिया के रद्दकरण पर; या

(घ) बोली प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम समय–सीमा से पूर्व बोली के प्रत्याहरण पर, जब तक कि बोली दस्तावेजों में यह अनुबंध नहीं हो कि ऐसा कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया गया है।

नियम 48.

बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि.– (1) बोली लगाने वालों के द्वारा प्रस्तुत बोली, बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान विधिमान्य रहेगी। यह कालावधि सामान्यतया नब्बे दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए किन्तु उपापन की प्रकृति के आधार पर यह अधिक भी हो सकती है। लघुतर कालावधि के लिए विधिमान्य कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी के रूप में उपापन संस्था द्वारा अस्वीकार की जायेगी।

(2) बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि के अवसान के पूर्व, उपापन संस्था आपवादिक परिस्थितियों में, बोली लगाने वालों से अतिरिक्त विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए बोली की विधिमान्यता की कालावधि का विस्तार करने के लिए अनुरोध कर सकेगी। बोली लगाने वाला अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है और ऐसी अस्वीकृत बोली प्रत्याहरण के रूप में मानी जायेगी किन्तु ऐसी परिस्थितियों में बोली प्रतिभूति समपहृत (जब्त) नहीं की जायेगी।

(3) Bidders that agree to an extension of the period of validity of their bids shall extend or get extended the period of validity of bid securities submitted by them or submit new bid securities to cover the extended period of validity of their bids. A bidder whose bid security is not extended, or that has not submitted a new bid security, is considered to have refused the request to extend the period of validity of its bid.

Rule 49.

Format and signing of bids.- (1) The bidder shall prepare one original set of the bidding documents called Bid and clearly mark it as "ORIGINAL" and if asked, the bidder shall submit additional copies of the bid in such number as specified in the bidding documents and clearly mark them as "COPY". In the event of any discrepancy between the original bid and its copies, the contents of the original bid shall prevail.

(2) The original and all copies of the bid shall be typed or written in ink and its all the pages shall be signed by the bidder or a person duly authorised to sign on behalf of the bidder, in token of acceptance of all the terms and conditions of the bidding documents. This authorisation shall consist of a written confirmation as specified in the bidding documents and shall be attached to the bid.

(3) Any corrections in the bid such as interlineations, erasures, or overwriting shall be valid only if they are signed or initialed by the person signing the bid.

(4) Similar procedure for signing of bids shall be adopted for Technical and Financial bids, if two part bids have been invited.

(3) ऐसे बोली लगाने वाले जो उनकी बोली की विधिमान्यता की कालावधि के विस्तार से सहमत होते हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत बोली प्रतिभूतियों की विधिमान्यता की कालावधि का विस्तार करेंगे या विस्तार करायेंगे या उनकी बोली की विधिमान्यता की विस्तारित कालावधि को आवृत करने के लिए नयी बोली प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करेंगे। कोई बोली लगाने वाला जिसकी बोली प्रतिभूति विस्तारित नहीं की जाती है या जिसने नयी बोली प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं की है, इसे उसकी बोली की विधिमान्यता की कालावधि के विस्तार के लिए अनुरोध को अस्वीकार किया जाना माना जायेगा।

नियम 49.

बोलियों का रूपविधान और हस्ताक्षरित किया जाना.– (1) बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों का एक मूल सैट तैयार करेगा जो बोली कहलायेगी और इसे ''मूल'' के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित करेगा और यदि कहा जाये तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में यथा–विनिर्दिष्ट संख्या में बोली की अतिरिक्त प्रतियाँ प्रस्तुत करेगा और उन्हें स्पष्ट रूप से ''प्रति'' के रूप में चिह्नित करेगा। मूल बोली और इसकी प्रतियों के मध्य कोई अन्तर होने की दशा में, मूल बोली की विषयवस्तु अभिभावी (मान्य) होगी।

(2) बोली की मूल और समस्त प्रतियाँ टंकित या स्याही में लिखित होगी और इसके समस्त पृष्ठ, बोली दस्तावेजों के समस्त निबन्धनों और शर्तों की स्वीकृति के प्रमाणस्वरूप, बोली लगाने वाले या बोली लगाने वाले की ओर से हस्ताक्षर किये जाने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होंगे। यह प्राधिकार बोली दस्तावेजों में यथा–विनिर्दिष्ट लिखित पुष्टिकरण से युक्त होगा और बोली के साथ संलग्न होगा।

(3) बोली में कोई भी संशोधन जैसे कि अंतरालेखन, उद्घर्षण या लिप्तलेखन केवल तब विधिमान्य होगा जब वे बोली हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित या आद्याक्षरित किये गये हो।

(4) यदि द्वि–भाग बोलियाँ आमंत्रित की गयी हैं तो तकनीकी और वित्तीय बोलियों को हस्ताक्षरित करने के लिए समान प्रक्रिया अंगीकृत की जायेगी।

Rule 50.

Sealing and marking of bids.- (1) Bidders may submit their bids by post or by hand but if so specified in the bidding documents, bidders shall submit their bids only electronically. Bidders submitting bids electronically shall follow the electronic bid submission procedure as specified on the State Public Procurement Portal.

(2) Bids submitted by post or by hand shall enclose the original and each copy of the bid in separate sealed envelopes, duly marked envelopes as “ORIGINAL”, and “COPY”. The envelopes containing the original and the copies shall then be enclosed in one single envelope.

(3) The inner and outer envelopes shall-

(a) bear the name and complete address along with telephone/mobile number of bidder;

(b) bear complete address of the procuring entity with telephone number, if any;

(c) bear the specific identification of the bidding process pursuant to Notice Inviting Bids and any additional identification marks as specified in the bidding documents; and

(d) bear a warning not to be opened before the time and date for bid opening, in accordance with the Notice Inviting Bids.

(4) If all envelopes are not sealed and marked as required, the procuring entity shall assume no responsibility about its consequences.

(5) Similar procedure for sealing and marking of bids shall be adopted for Technical and Financial bids, if two part bids have been invited.

नियम 50.

बोलियों को मुहरबंद करना और चिह्नित करना.– (1) बोली लगाने वाले उनकी बोलियों को डाक द्वारा या दस्ती प्रस्तुत कर सकेंगे किन्तु यदि बोली दस्तावेजों में ऐसा विनिर्दिष्ट हो तो बोली लगाने वाले उनकी बोली को केवल इलेक्ट्रोनिक रूप से प्रस्तुत करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक रूप से बोली प्रस्तुत करने वाले बोली लगाने वाले राज्य लोक उपापन पोर्टल पर यथा–विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

(2) बोली की मूल और प्रत्येक प्रति डाक द्वारा या दस्ती सम्यक् रूप से चिह्नित लिफाफे यथा ''मूल'' और ''प्रति'' पृथक मुहरबंद लिफाफों में परिवेष्टित की जायेगी। तब मूल और प्रतियों से युक्त लिफाफे एक एकल लिफाफे में परिवेष्टित (संलग्न) किये जायेंगे।

(3) आन्तरिक और बाह्य लिफाफे पर .–

(क) बोली लगाने वाले का नाम और पूर्ण पता और दूरभाष/मोबाइल नम्बर होगा,

(ख) उपापन संस्था का पूर्ण पता और दूरभाष नम्बर, यदि कोई हो, होगा,

(ग) बोली आमन्त्रित करने वाले नोटिस के अनुसरण में बोली प्रक्रिया की विनिर्दिष्ट पहचान और बोली दस्तावेजों में यथा–विनिर्दिष्ट कोई अतिरिक्त पहचान चिह्न होगा; और

(घ) बोली आमन्त्रित करने वाले नोटिस के अनुसरण में बोली खोलने के लिए समय और तारीख से पूर्व नहीं खोलने की चेतावनी होगी।

(4) यदि समस्त लिफाफे यथा–अपेक्षित मुहरबंद और चिह्नित नहीं किये गये हैं तो उपापन संस्था इसके परिणामों के बारे में कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करेगी।

(5) यदि द्वि–भाग बोली आमन्त्रित की जाती है तो तकनीकी और वित्तीय बोलियों को मुहरबंद और चिह्नित करने के लिए समान प्रक्रिया अंगीकृत की जायेगी।

Rule 52.

Late bids.- The person authorised to receive the bids shall not receive any bid that is submitted personally, after the time and date fixed for submission of bids. Any bid which arrives by post after the deadline for submission of bids shall be declared and marked as "Late" and returned unopened to the bidder by registered post.

Rule 53.

Receipt and Custody of Bids.- (1) The bids shall be received by hand delivery, by courier or by post in the specified format up to the specified time and date and at the specified place, by the person authorised by the procuring entity except when bids are received through e-procurement or they are directly dropped in the bid box.

(2) The person authorised to receive the bids shall provide a receipt signed by him with date and time of receipt of bid to the person, who delivers the bid.

(3) All bids received unsealed, in torn or damaged condition through post or by personal delivery shall be so marked and signed on the cover by the person receiving the same and get signed on it by the person delivering it and put in a fresh cover and reseal, if so warranted. All such entries shall be attested by the receiving person.

(4) Preferably, all bids received shall be put into a duly locked bid box placed for receiving the bids. In the absence of a bid box, the received bids shall be kept in safe custody in lock and key by the person authorised to receive the bids.

नियम 52.

विलंब से प्राप्त बोलियाँ.– बोलियाँ प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसी किसी भी बोली को प्राप्त नहीं करेगा जो बोलियाँ प्रस्तुतीकरण के लिए नियत समय और तारीख के पश्चात् व्यक्तिशः प्रस्तुत की गई हों। कोई भी बोली, जो बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए अंतिम समय सीमा के पश्चात् डाक द्वारा पहुँची हो, को ''विलंब से प्राप्त'' के रूप में चिह्नित और घोषित किया जायेगा और बिना खोले ही रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा बोली लगाने वाले को लौटा दी जायेगी।

नियम 53.

बोलियों की प्राप्ति और अभिरक्षा.–(1) बोलियाँ विनिर्दिष्ट रूपविधान में विनिर्दिष्ट समय और तारीख तक और विनिर्दिष्ट स्थान पर, उपापन संस्था द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यक्तिशः परिदान द्वारा, कोरियर द्वारा या डाक द्वारा प्राप्त की जायेंगी सिवाय जबकि बोलियाँ ई–उपापन के माध्यम से प्राप्त की जाये या सीधे ही बोली के बक्से में डाली जायें।

(2) बोली प्राप्त करने वाला प्राधिकृत व्यक्ति, बोली की प्राप्ति की तारीख और समय सहित उसके द्वारा हस्ताक्षरित रसीद, उस व्यक्ति को देगा, जो बोली परिदत्त करता है।

(3) डाक के माध्यम से या व्यक्तिशः परिदान द्वारा, मुहरबंद किये बिना, फटी हुई या क्षतिग्रस्त स्थिति में प्राप्त सभी बोलियाँ, उन्हें प्राप्त करने वाले व्यक्ति के द्वारा उस लिफाफे पर इस रूप में चिह्नित और हस्ताक्षरित की जायेंगी और उस पर उसे परिदत्त करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर कराये जायेंगे और यदि ऐसा करने की आवश्यकता हो तो उसे नये लिफाफे में रखा जायेगा और पुनः मुहरबंद किया जायेगा। ऐसी समस्त प्रविष्टियाँ प्राप्तकर्ता व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित की जायेंगी।

(4) अधिमानतः, प्राप्त की गई सभी बोलियाँ ऐसी बोलियाँ प्राप्त करने के लिए रखे गये बोलियों के सम्यक् रूप से तालाबन्द बक्से में डाली जायेंगी। बोली का बक्सा न होने की स्थिति में प्राप्त बोलियाँ, बोलियाँ प्राप्त करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ताला लगाकर सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जायेंगी।

(5) The location of bid box shall be such as to facilitate easy access to bidders. The bid box shall have two sealed locks. The key of one of the locks shall remain with the procuring entity and the key of the other lock shall be with the person authorised to receive the bids.

(6) Bids received by the authorised person on or before the time and date fixed for receipt of bids shall be entered in bids receipt register and the same shall be closed at the scheduled time and date giving in words and figures the number of bids received up to the last time and date for submission of bids.

(7) The record of bids received late through post shall be entered in bids receipt register after closing the register as per sub-rule (6).

(8) Bids received by telegram or given on form other than the prescribed form shall not be considered.

(9) In case of e-tendering, that is to say bid proposals submitted through electronic methods, the same shall be submitted in accordance with the procedure outlined on the State Public Procurement Portal.

Rule 54.

Withdrawal, substitution and modification of bids.-

(1) A bidder may withdraw, substitute, or modify its bid after it has been submitted by sending a written notice, duly signed by him or his authorized representative (authorisation letter be enclosed). Corresponding substitution or modification of the bid must accompany the written notice. The notice must be-

(5) बोली का बक्सा ऐसे स्थान पर होगा जिससे कि बोली लगाने वालों के लिए उस तक सरलतापूर्वक पहुँचना सुकर हो सके। बोली के बक्से पर दो मुहरबंद ताले लगे होंगे। इन तालों में से एक ताले की चाबी उपापन संस्था के पास रहेगी और दूसरे ताले की चाबी बोलियाँ प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के पास रहेगी।

(6) बोलियों की प्राप्ति के लिए नियत समय और तारीख को या उससे पहले प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई बोलियाँ, बोली प्राप्ति रजिस्टर में प्रविष्ट की जायेंगी और उसे, बोलियों के प्रस्तुतीकरण के अंतिम समय और तारीख तक प्राप्त बोलियों की संख्या शब्दों और अंकों में अंकित करते हुए, नियत समय और तारीख पर बंद कर दिया जायेगा।

(7) डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त बोलियों का अभिलेख, उप–नियम (6) के अनुसार रजिस्टर को बंद करने के पश्चात्, बोली प्राप्ति रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा।

(8) तार द्वारा या विहित प्ररूप से भिन्न प्ररूप में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(9) ई–निविदा के मामले में, अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से प्रस्तुत बोली प्रस्तावों के मामले में, इन्हें राज्य लोक उपापन पोर्टल पर दर्शायी गयी प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

नियम 54.

बोलियों का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन और उपान्तरण.– (1) बोली लगाने वाला बोली प्रस्तुत करने के पश्चात्, उसके या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा (प्राधिकरण पत्र संलग्न हो) सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लिखित नोटिस भेज कर उसकी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण कर सकेगा। बोली के तत्संबंधी प्रतिस्थापन या उपान्तरण के साथ लिखित नोटिस होना चाहिये। नोटिस –

(a) submitted in accordance with the bidding documents, and in addition, the envelope shall be clearly marked as “Withdrawal,” “Substitution,” or “Modification”; and

(b) received by the person authorised to receive the bids or directly dropped in the bid box prior to the last time and date fixed for receiving of bids.

(2) Bids requested to be withdrawn shall be returned unopened to the bidders.

(3) No bid shall be withdrawn, substituted, or modified after the last time and date fixed for receipt of bids.

Rule 55.

Opening of bids.- (1) The sealed bid box shall be opened by the bid opening committee constituted by the procuring entity at the time, date and place specified in the bidding documents in the presence of the bidders or their authorised representatives, who choose to be present.

(2) The bids receiving person shall also hand over all the bids received by him up to the time and date for submission of bids to the Convener of bids opening committee and obtain its signature in the bids receipt register.

(3) The bid opening committee may co-opt experienced persons in the committee to conduct the process of bid opening.

(4) If electronic bidding is adopted, specific electronic bid opening procedure as specified on the State Public Procurement Portal shall be followed. The bidders may witness the electronic bid opening procedure online.

(क) बोली दस्तावेजों के अनुसार प्रस्तुत किया जाये और इसके अतिरिक्त लिफाफे पर स्पष्ट रूप से ''प्रत्याहरण'', ''प्रतिस्थापन'' या ''उपान्तरण'' अंकित हो ; और

(ख) बोलियों को प्राप्त करने के लिए नियत अंतिम समय और तारीख से पहले बोलियों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाये या सीधे ही बोली के बक्से में डाल दिया जाये।

(2) बोलियाँ, जिनके प्रत्याहरण का अनुरोध किया गया है, बोली लगाने वालों को बिना खोले लौटा दी जायेगी।

(3) किसी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण बोलियों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम समय और तारीख के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

नियम 55.

बोलियों का खोला जाना.– (1) बोली का मुहरबंद बक्सा, बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट समय, तारीख और स्थान पर, बोली लगाने वालों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों, जो उपस्थित रहना चाहें, की उपस्थिति में उपापन संस्था द्वारा गठित बोली खोलने वाली समिति द्वारा खोला जायेगा।

(2) बोलियाँ प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी बोलियाँ प्रस्तुत करने के समय और तारीख तक, उसके द्वारा प्राप्त की गई समस्त बोलियों को, बोलियाँ खोलने वाली समिति के संयोजक को सौंप देगा और बोली प्राप्ति रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर प्राप्त करेगा।

(3) बोली खोलने वाली समिति बोली खोलने की प्रक्रिया संचालित करने के लिए अनुभवी व्यक्तियों को समिति में सहयोजित कर सकेगी।

(4) यदि इलेक्ट्रॉनिक बोली अंगीकृत की गयी है तो राज्य लोक उपापन पोर्टल पर यथा–विनिर्दिष्ट बोली खोलने की विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा। बोली लगाने वाले इलेक्ट्रॉनिक बोली खोलने की ऑन लाईन प्रक्रिया के साक्षी हो सकेंगे।

(5) The bids shall be opened by the bids opening committee in the presence of the bidders or their authorised representatives who choose to be present. All envelopes containing bids shall be signed with date by the members of the committee in token of verification of the fact that they are sealed. The envelopes shall be numbered as a/n, where 'a' denotes the serial number at which the bid envelop has been taken for opening and 'n' denotes the total number of bids received by specified time.

(6) The bid opening committee shall prepare a list of the bidders or their representatives attending the opening of bids and obtain their signatures on the same. The list shall also contain the representative's name and telephone number and corresponding bidders' names and addresses. The authority letters brought by the representatives shall be attached to the list. The list shall be signed by all the members of bid opening committee with date and time of opening of the bids.

(7) First, envelopes marked as "WITHDRAWAL" shall be opened, read out, and recorded and the envelope containing the corresponding bid shall not be opened, but returned to the bidders. No bid shall be permitted to be withdrawn unless the corresponding withdrawal notice contains a valid authorisation to request the withdrawal and readout and recorded in bid opening. If the withdrawal notice is not accompanied by the valid authorisation, the withdrawal shall not be permitted and the corresponding bid shall be opened. Next, envelopes marked as "SUBSTITUTION" shall be opened, read out, recorded and exchanged for the corresponding bid being substituted and the substituted bid shall not be opened, but returned to the bidder. No bid shall be substituted unless the corresponding substitution notice contains a valid authorisation to request the substitution and is read out and recorded at bid opening. Envelopes marked as "MODIFICATION" shall be opened thereafter, read out

(5) बोली, बोली लगाने वालों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों, जो उपस्थित रहना चाहें, की उपस्थिति में बोली खोलने वाली समिति द्वारा खोली जायेगी। बोलियाँ अन्तर्विष्ट करने वाले समस्त लिफाफों पर, इस तथ्य के सत्यापन के आशय स्वरूप कि वे मुहरबंद हैं, समिति के सदस्यों द्वारा तारीख सहित हस्ताक्षर किये जायेंगे। लिफाफे ए/एन के रूप में संख्यांकित होंगे, जहां 'ए' उस क्रम संख्या का द्योतक होगा जिस पर कि बोली का लिफाफा खोलने के लिए लिया गया और 'एन' विनिर्दिष्ट समय में प्राप्त बोलियों की कुल संख्या का द्योतक होगा।

(6) बोली खोलने वाली समिति बोलियों को खोलने के समय उपस्थित बोली लगाने वालों या उनके प्रतिनिधियों की एक सूची तैयार करेगी और उस पर उनके हस्ताक्षर प्राप्त करेगी। सूची में प्रतिनिधियों के नाम और दूरभाष संख्यांक और तत्स्थानी बोली लगाने वालों के नाम और पते भी अन्तर्विष्ट होंगे। प्रतिनिधियों द्वारा लाये गये प्राधिकार पत्र सूची के साथ संलग्न किये जायेंगे। सूची पर बोली खोलने वाली समिति के समस्त सदस्यों द्वारा बोली खोलने की तारीख और समय सहित हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(7) सर्वप्रथम ''प्रत्याहरण'' के रूप में चिह्नित लिफाफे खोले, पढे और अभिलिखित किये जायेंगे और तत्स्थानी बोलियों को अन्तर्विष्ट करने वाले लिफाफे नहीं खोले जायेंगे किन्तु बोली लगाने वालों को लौटा दिये जायेंगे। कोई बोली प्रत्याहृत किया जाना तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि तत्स्थानी प्रत्याहरण की सूचना के साथ प्रत्याहरण के अनुरोध का विधिमान्य प्राधिकार अन्तर्विष्ट न हो और बोली खोलने के समय जिसे पढ़ा और अभिलिखित न किया जाये। यदि प्रत्याहरण सूचना विधिमान्य प्राधिकार के साथ नहीं है तो प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा और तत्स्थानी बोली खोली जायेगी। इसके पश्चात्, ''प्रतिस्थापन'' के रूप में चिह्नित लिफाफों को खोला जायेगा, उन्हें पढा जाकर अभिलिखित किया जायेगा और प्रतिस्थापन के कारण तत्स्थानी बोली से बदला जायेगा और इस प्रकार प्रतिस्थापित की गयी बोली खोली नहीं जायेगी किन्तु बोली लगाने वाले को लौटा दी जायेगी। कोई बोली तब तक प्रतिस्थापित नहीं की जायेगी जब तक कि तत्स्थानी प्रतिस्थापन की सूचना के साथ प्रतिस्थापन के अनुरोध का विधिमान्य प्राधिकार अन्तर्विष्ट न हो और बोली खोलने के समय जिसे पढ़ा और अभिलिखित न किया जाये। तत्पश्चात ''उपान्तरण'' के रूप में चिह्नित लिफाफे खोले जायेंगे, पढ़े जाकर तत्स्थानी बोली के साथ अभिलिखित किये जायेंगे।

and recorded with the corresponding bid. No bid shall be modified unless the corresponding modification notice contains a valid authorisation to request the modification and is read out and recorded at bid opening. Only envelopes that are opened, read out, and recorded at bid opening shall be considered further.

(8) All other envelopes shall be opened one at a time and the following details shall be read out and recorded-

(a) the name of the bidder and whether there is a substitution or modification;

(b) the bid prices (per lot if applicable);

(c) the bid security, if required; and

(d) any other details as the committee may consider appropriate.

After all the bids have been opened, they shall be initialed and dated on the first page of the each bid by the members of the bids opening committee. All the pages of the price schedule and letters, Bill of Quantities attached shall be initialed and dated by the members of the committee. Key information such as prices, delivery period, etc. shall be encircled and unfilled spaces in the bids shall be marked and signed with date by the members of the committee. The original and additional copies of the bid shall be marked accordingly. Alterations /corrections /additions/overwritings shall be initialed legibly to make it clear that such alteration, etc., were existing in the bid at the time of opening.

(9) No bid shall be rejected at the time of bid opening except the late bids, alternative bids (if not permitted) and bids not accompanied with the proof of payment or instrument of the required price of bidding documents, processing fee or user charges and bid security.

कोई बोली तब तक उपान्तरित नहीं की जायेगी जब तक कि तत्स्थानी उपान्तरण की सूचना के साथ उपान्तरण के अनुरोध का विधिमान्य प्राधिकार अन्तर्विष्ट न हो और बोली खोलने के समय जिसे पढ़ा और अभिलिखत न किया जाये। केवल उन्हीं लिफाफों पर आगे विचार किया जायेगा जो बोली खोलने के समय खोले गये हैं, पढे गये हैं और अभिलिखित किये गये हैं।

(8) अन्य समस्त लिफाफों को एक–एक करके खोला जायेगा और निम्नलिखित ब्यौरे पढे और अभिलिखित किये जायेंगे –

(क) बोली लगाने वाले का नाम और क्या कोई प्रतिस्थापन या उपान्तरण है ;

(ख) बोली की कीमतें (प्रति लॉट यदि लागू हो) ;

(ग) बोली प्रतिभूति, यदि अपेक्षित हो ; और

(घ) कोई अन्य ब्यौरे जो समिति द्वारा समुचित समझे जाये।

समस्त बोलियों को खोले जाने के पश्चात्, बोली खोलने वाली समिति के सदस्यों द्वारा प्रत्येक बोली के प्रथम पृष्ठ पर आद्यक्षर किये जायेंगे और तारीख डाली जायेगी। संलग्न की गयी कीमत अनुसूची और पत्रों, परिमाण के बिल के समस्त पृष्ठों पर समिति के सदस्यों द्वारा आद्यक्षर किये जायेंगे और तारीख डाली जायेगी। कीमतों, परिदान कालावधि इत्यादि जैसी मुख्य सूचना पर गोला बनाया जायेगा और बोली के न भरे गये स्थानों को समिति के सदस्यों द्वारा चिह्नित और तारीख सहित हस्ताक्षरित किया जायेगा। बोली की मूल और अतिरिक्त प्रतियाँ भी तदनुसार चिह्नित की जायेंगी। परिवर्तन/शुद्धिकरण/ परिवर्धन/ लिप्तलेखन पर यह स्पष्ट करने के लिए सुपाठ्य रूप से आद्यक्षर किये जायेंगे कि ऐसा परिवर्तन इत्यादि बोली में उसे खोलते समय विद्यमान था।

(9) बोली खोले जाने के समय कोई बोली अस्वीकार नहीं की जायेगी सिवाय विलंब से प्राप्त बोलियों, वैकल्पिक बोलियों (यदि अनुज्ञात न हो) और ऐसी बोलियों के, जिनके साथ बोली दस्तावेजों की अपेक्षित कीमत, प्रक्रिया फीस या प्रयोक्ता प्रभारों और बोली प्रतिभूति के संदाय का सबूत या लिखत न हो।

(10) The bid opening committee shall prepare a record of the bid opening that shall include the name of the bidder and whether there is a withdrawal, substitution, or modification, the bid price, per lot (if applicable), any discounts and alternative offers (if they were permitted), any conditions put by bidder and the proof of the payment of price of bidding documents, processing fee or user charges and bid security. The bidders or their representatives, who are present, shall sign the record. The omission of a bidder's signature on the record shall not invalidate the contents and effect of the record. The members of the committee shall also sign the record with date.

(11) In case of two part bids, only outer envelopes and envelopes marked as "Technical Bid" shall be opened in the sequence of the serial numbers marked on them. The envelopes marked as "Financial Bid" shall be kept intact and safe and shall be opened of only those bidders who qualify in the evaluation of their Technical Bids in the manner as mentioned in sub-rule (3) to (10) above, on the date and time to be intimated to those bidders.

(12) In case of two stage bidding the proposals received in response to invitation of Expression of Interest or Request for Qualification in the first stage shall be opened as per the procedure specified in sub-rules (3) to (10) for the opening of Single Part bid. The procedure for opening of second stage bids shall be similar to that for opening of Two Part bids, specified in sub-rule (11). In case Technical and Financial bids are invited in single envelope in second stage, the procedure for opening of the bids shall be as specified in sub-rule (3) to (10).

(10) बोली खोलने वाली समिति बोली खोलने का अभिलेख तैयार करेगी जिसमें बोली लगाने वाले का नाम और क्या कोई प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन, या उपान्तरण किया गया है, बोली की कीमत, प्रत्येक लॉट (यदि लागू हो), कोई छूट और वैकल्पिक प्रस्ताव (यदि वे अनुज्ञात किये गये हो), बोली लगाने वाले के द्वारा लगायी गयी कोई शर्तें और बोली दस्तावेजों की कीमत, प्रक्रिया फीस या प्रयोक्ता प्रभार और बोली प्रतिभूति के संदाय के सबूत सम्मिलित होंगे। बोली लगाने वाले या उनके प्रतिनिधि, जो उपस्थित हों अभिलेख पर हस्ताक्षर करेंगे। अभिलेख पर बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर का लोप अभिलेख के प्रभाव और अन्तर्वस्तुओं को अविधिमान्य नहीं करेगा। समिति के सदस्य भी तारीख सहित अभिलेख पर हस्ताक्षर करेंगे।

(11) द्वि–भाग बोलियों की दशा में, केवल बाहरी लिफाफे और ''तकनीकी बोली'' के रूप में चिह्नित लिफाफे उन पर अंकित क्रम संख्यांकों के क्रम में खोले जायेंगे। ''वित्तीय बोली'' के रूप में चिह्नित लिफाफे अविकल एवं सुरक्षित रखे जायेंगे और केवल उन्हीं बोली लगाने वालों के लिफाफे, जो उनकी तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन में अर्हित पाये जायें, उपर्युक्त उपनियम (3) से (10) में यथा–वर्णित रीति से उन बोली लगाने वालों को सूचित की जाने वाली तारीख ओर समय पर खोले जायेंगे।

(12) द्वि–प्रक्रमी बोली के मामले में, प्रथम प्रक्रम में रूचि की अभिव्यक्ति या अर्हता के लिए अनुरोध के आमंत्रण के प्रत्युत्तर में प्राप्त प्रस्तावों को एकल भाग बोली खोलने के लिए उप–नियम (3) से (10) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार खोला जायेगा। द्वितीय प्रक्रम की बोलियों को खोलने की प्रक्रिया वही होगी जो द्वि–भाग बोलियों को खोलने के लिए उप–नियम (11) में विनिर्दिष्ट है। यदि द्वितीय प्रक्रम में तकनीकी और वित्तीय बोलियाँ एकल लिफाफे में आमंत्रित की जाती हैं तो बोलियों को खोले जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जो उप–नियम (3) से (10) में विनिर्दिष्ट है।

Rule 56.

Preliminary examination of bids.- The bid evaluation committee constituted by the procuring entity shall conduct a preliminary scrutiny of the opened bids to assess the prima-facie responsiveness and ensure that the-

(a) bid is signed, as per the requirements listed in the bidding documents;

(b) bid has been sealed as per instructions provided in the bidding documents;

(c) bid is valid for the period, specified in the bidding documents;

(d) bid is accompanied by bid security or bid securing declaration;

(e) bid is unconditional and the bidder has agreed to give the required performance security; and

(f) other conditions, as specified in the bidding documents are fulfilled.

Rule 57.

Tabulation of Technical bids.- (1) If Technical bids have been invited, they shall be tabulated by the bids evaluation committee in the form of a comparative statement to evaluate the qualification of the bidders against the criteria for qualification set out in the bidding documents. The table may include following;-

(a) Name and address of the bidder including e-mail address, if any;

(b) Reference of registration/ empanelment, if any, with the procuring entity or other procuring entity;

नियम 56.

बोलियों की प्रारंभिक परीक्षा.– उपापन संस्था द्वारा गठित बोली मूल्यांकन समिति प्रथमदृष्ट्या प्रत्युत्तरदायिता अवधारित करने के लिए खोली गई बोलियों की प्रारंभिक संवीक्षा करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि –

(क) बोली, बोली दस्तावेजों में सूचीबद्ध अपेक्षाओं के अनुसार हस्ताक्षरित है ;

(ख) बोली, बोली दस्तावेजों में उपबंधित अनुदेशों के अनुसार मुहरबंद है ;

(ग) बोली, बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विधिमान्य है ;

(घ) बोली के साथ बोली प्रतिभूति या बोली को प्रतिभूत करने वाली घोषणा लगी हुई है;

(ङ) बोली बिना शर्त है और बोली लगाने वाला अपेक्षित कार्यसम्पादन प्रतिभूति देने के लिए सहमत है ; और

(च) बोली दस्तावेजों में यथाविनिर्दिष्ट अन्य शर्तों की पूर्ति कर दी गई है।

नियम 57.

तकनीकी बोलियों की सारणी बनाना.–(1) यदि तकनीकी बोलियाँ आमंत्रित की गयी हैं तो बोली दस्तावेजों में उपवर्णित अर्हता कसौटी के प्रति बोली लगाने वालों की अर्हता का मूल्यांकन करने के लिए तुलनात्मक विवरण के रूप में बोली मूल्यांकन समिति द्वारा उनकी सारणी बनायी जायेगी। सारणी में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेगा :–

(क) बोली लगाने वालों का नाम और पता और ई–मेल पता, यदि कोई हो;

(ख) उपापन संस्था या अन्य उपापन संस्था के साथ रजिस्ट्रीकरण/पैनलित होने, यदि कोई हो, का संदर्भ;

(c) Is there any substitution or modification of the original bid;

(d) Whether the bidder fulfills the eligibility criteria given in the bidding documents;

(e) Whether the bid has been signed by the bidder or an authorised person (whether valid document of authority is enclosed);

(f) Whether proof of payment of price of bid documents given;

(g) Whether proof of payment of processing fee or user charges, if any, bid security or the instrument of bid security or bid securing declaration given;

(h) Response to the required qualification criteria and allotment of marks for them, or whether meets the minimum standards fixed for each criterion in the bidding documents for,-

(i) availability of financial resources;

(ii) past performance and experience;

(iii) technical and professional competence including requirement of technical/ professional/ specialist personnel and availability of required machinery and equipment;

(iv) managerial resources and competence;

(v) whether proof/ declaration has been given as required under clauses (b) to (e) of sub-section (2)of section 7;

(vi) any other qualification criteria fixed in accordance with the provisions of section 7.

(i) Result of evaluation of Technical bids, whether qualified or not, if not, reasons thereof.

(ग) क्या मूल बोली का कोई प्रतिस्थापन या उपान्तरण किया गया है ;

(घ) क्या बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में दी गयी पात्रता कसौटी की पूर्ति करता है ;

(ङ) क्या बोली पर बोली लगाने वाले या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए हैं (क्या प्राधिकार का विधिमान्य दस्तावेज संलग्न है);

(च) क्या बोली दस्तावेज की कीमत के संदाय का सबूत प्रस्तुत किया गया है;

(छ) क्या प्रक्रिया फीस या प्रयोक्ता प्रभारों, यदि कोई हो, बोली प्रतिभूति के संदाय का या बोली प्रतिभूति के लिखत का या बोली को प्रतिभूत करने वाली घोषणा का सबूत दिया गया है ;

(ज) अपेक्षित अर्हता कसौटी का प्रत्युत्तर और उसके लिए अंकों का आवंटन, या क्या बोली दस्तावेजों में प्रत्येक कसौटी के लिए नियत निम्न न्यूनतम मानकों की पूर्ति होती है :—

(i)वित्तीय स्रोतों की उपलब्धता;

(ii)पूर्व सम्पादन और अनुभव;

(iii)तकनीकी/वृत्तिक/विशेषज्ञ कार्मिकों की आवश्यकता और आवश्यक मशीनरी और उपस्कर की उपलब्धता को सम्मिलित करते हुए तकनीकी और वृत्तिक सक्षमता;

(iv)प्रबंधकीय स्रोत और सक्षमता ;

(v)क्या धारा 7 की उप—धारा (2) के खण्ड (ख) से (ङ) के अधीन यथा—अपेक्षित सबूत/घोषणा दे दी गयी है;

(vi)धारा 7 के उपबंधों के अनुसार नियत कोई अन्य अर्हता कसौटी।

(ञ) तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन का परिणाम, चाहे अर्हित है या नहीं, यदि नहीं तो उसके कारण।

(2) The members of bids evaluation committee shall give their recommendations below the table as to which of the bidders have been found to be qualified in evaluation of Technical bids and sign it.

(3) The format of the table given in sub-rule (1) may also be used, mutatis mutandis, for evaluation of proposals received in response to Registration/ Empanelment of bidders, Request for Qualifications/ Expression of Interest in first stage of Two-stage bidding process. This format may also be used, mutatis mutandis, for evaluation of Technical Bid in the second stage of the Two Stage bidding, if Technical bids have been invited separately.

Rule 58.

Tabulation of Financial bids.- (1) After evaluation of Technical bids the Financial bids shall be tabulated by the bids evaluation committee in the form of a comparative statement to evaluate the lowest or most advantageous bid on the basis of evaluation criteria set out in the bidding documents. The table may include following;-

(a) Name and address of the bidders including e-mail address, if any;

(b) If evaluation of Technical bids has taken place, whether the bidder has qualified in evaluation of Technical bids;

(c) Specifications of the subject matter of procurement offered;

(d) Rates quoted per unit, per item and total price of each item quoted or percentage above, below on the rates given in the bidding documents, as the case may be

(2) बोली मूल्यांकन समिति के सदस्य सारणी के नीचे उनकी सिफारिशें देंगे कि तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन में कौनसे बोली लगाने वाले अर्हित पाये गये और उस पर हस्ताक्षर करेंगे।

(3) उप नियम (1) में दी गयी सारणी के रूपविधान को बोली लगाने वालों के रजिस्ट्रीकरण/पैनलित करने, द्वि–प्रक्रमी बोली प्रक्रिया के प्रथम प्रक्रम में अर्हता के लिए अनुरोध/रूचि की अभिव्यक्ति के प्रत्युत्तर में प्राप्त दस्तावेजों के मूल्यांकन के लिए भी यथावश्यक परिवर्तनों सहित प्रयुक्त किया जा सकेगा। यदि द्वि–प्रक्रमी बोली के दूसरे प्रक्रम में तकनीकी बोली पृथक रूप से आमंत्रित की गयी है तो तकनीकी बोली के मूल्यांकन के लिए भी इस रूपविधान का उपयोग यथावश्यक परिवर्तन सहित किया जा सकेगा।

नियम 58.

वित्तीय बोलियों की सारणी बनाना.– (1) तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के पश्चात्, बोली मूल्यांकन समिति द्वारा बोली दस्तावेजों में उपवर्णित मूल्यांकन कसौटी के आधार पर निम्नतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली का मूल्यांकन करने के लिए तुलनात्मक विवरण के रूप में वित्तीय बोलियों की सारणी तैयार की जायेगी। सारणी में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेगा :–

(क) बोली लगाने वालों का नाम और पता और ई–मेल पता, यदि कोई हो ;

(ख) यदि तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन हो चुका है तो क्या तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन में बोली लगाने वाला अर्हित हो गया है ;

(ग) प्रस्तावित उपापन की विषय–वस्तु के विनिर्देश ;

(घ) प्रति इकाई, प्रति मद पर कोट की गयी दरें और कोट की गयी प्रत्येक मद की कुल कीमत या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में दी गयी दरों से अधिक, कम का प्रतिशत ;

[1] [(e) Taxes as applicable, shall be shown separately;]

(f) Packing and forwarding charges, freight, insurance etc.;

(g) Total cost per unit, per item and all items including all cost and taxes;

(h) Discount, rebate if any (if permitted);

(i) Alternative offers (if permitted);

(j) Delivery/completion period quoted;

(k) Validity period of bids quoted;

(l) Mode of payment quoted;

(m) Samples, trials offered (if asked for) and results of sample testing and trials conducted;

(n) Guarantee/warrantee/defect liability period quoted, if asked for;

(o) Contract maintenance period quoted, if asked for;

(p) Response to any other information asked for in the bidding documents;

(q) Any conditions quoted different from those included in the bidding documents;

(r) Is there any material deviation, reservation or omission from the required specifications and terms and conditions set out in the bidding documents;

(s) Result of evaluation of financial bids- standing of the bidder in financial evaluation;

---

1. Substituted by Notification No.F.2(1)FD/ (SPFC)/2017 dated 16.2.2018, published in Raj.Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 16.2.2018 (w.e.f. 16.2.2018) The deleted provisions were as under:-
"Excise duty, Rajasthan VAT, Central sales tax, Entry tax and any other taxes as applicable, to be shown separately"

[1] [(ङ) लागू कोई अन्य कर, पृथकतः दर्शित किए जायेंगे ;]

(च) पैकिंग और अग्रेषण प्रभार, मालभाड़ा, बीमा इत्यादि ;

(छ) संपूर्ण लागत प्रति इकाई, प्रति मद और कुल मद और करों को सम्मिलित करते हुए कुल लागत ;

(ज) छूट, रिबेट यदि कोई (यदि अनुज्ञात हो) ;

(झ) वैकल्पिक प्रस्ताव (यदि अनुज्ञात हो) ;

(ञ) कोट की गयी परिदान/पूर्ण होने की कालावधि ;

(ट) बोली की कोट की गयी विधिमान्य कालावधि ;

(ठ) कोट की गयी संदाय की रीति;

(ड) नमूने, प्रस्तावित परीक्षण (यदि इसके लिए कहा गया हो) और नमूना परीक्षण और किये गये परीक्षणों के परिणाम ;

(ढ) कोट की गयी गारंटी/वारंटी/त्रुटि दायित्व कालावधि, यदि इसके लिए कहा गया है;

(ण) कोट की गयी संविदा रखरखाव कालावधि, यदि इसके लिए कहा गया है;

(त) बोली दस्तावेजों में पूछी गयी किसी अन्य जानकारी का जवाब;

(थ) बोली दस्तावेजों में सम्मिलित की गयी शर्तों से भिन्न कोट की गयी कोई अन्य शर्तें

(द) क्या बोली दस्तावेजों में उपवर्णित अपेक्षित विनिर्देशों और निबंधनों और शर्तों से कोई सारवान् विचलन, आरक्षण या लोप है;

(ध) वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन का परिणाम– वित्तीय मूल्यांकन में बोली लगाने वाले की अवस्थिति;

1.अधिसूचना सं एफ.2(1)एफ डी/(एस.पी.एफ.सी.)/2017 दिनांक 16.2.2018 द्वारा प्रतिस्थापित, राज. राज–पत्र विशेषांक भाग–4(ग)(I)दिनांक 16.2.2018 में प्रकाशित (16.2. 2018 से प्रभावी)। विलोपित प्रावधान इस प्रकार थेः–

"उत्पाद शुल्क, राजस्थान मूपक (वैट), केन्द्रीय विक्रय कर, प्रवेश कर और लागू कोई अन्य कर प्रथकतः दर्शित किये जायें। "

(t) Combined evaluation of Technical and Financial bids, if stipulated in the bidding documents- standing of the bidder in combined evaluation of Technical and Financial bids;

(2) If only Single Part bids have been invited, then the information specified in clause (b), (c), (d), (e), (f), (g) and subclause (v) of clause (h) of sub-rule (1) of rule 57 shall also be included in the table.

(3) The table given in sub-rule (1) may also be used for evaluation of Financial bids, in second stage of Two Stage bidding.

(4) The members of bids evaluation committee shall give their recommendations below the table regarding lowest bid or most advantageous bid and sign it.

Rule 59.

Determination of responsiveness.- (1) The bid evaluation committee shall determine the responsiveness of a bid on the basis of bidding documents and the provisions of sub-section (2) of section 7.

(2) A responsive bid is one that meets the requirements of the bidding documents without material deviation, reservation, or omission where; -

(a) “deviation” is a departure from the requirements specified in the bidding documents;

(b) “reservation” is the setting of limiting conditions or withholding from complete acceptance of the requirements specified in the bidding documents; and

(c) “Omission” is the failure to submit part or all of the information or documentation required in the bidding documents.

(3) A material deviation, reservation, or omission is one that,

(a) if accepted, shall;-

(i) affect in any substantial way the scope, quality, or performance of the subject matter of procurement specified in the bidding documents; or

(न) तकनीकी और वित्तीय बोलियों का संयुक्त मूल्यांकन – यदि बोली दस्तावेजों में नियत है – तकनीकी और वित्तीय बोलियों के संयुक्त मूल्यांकन में बोली लगाने वाले का स्थान;

(2) यदि केवल एकल भाग की बोलियाँ आमंत्रित की गयी है तो नियम 57 के उपनियम (1) के खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) और खण्ड (ज) के उप–खण्ड (ट) में विनिर्दिष्ट जानकारी भी सारणी में सम्मिलित की जायेगी।

(3) उप–नियम (1) में दी गयी सारणी द्वि–प्रक्रमी बोली के दूसरे प्रक्रम में वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन के लिए भी उपयोग में ली जा सकेगी।

(4) बोली मूल्यांकन समिति के सदस्य सारणी के नीचे न्यूनतम बोली या सर्वाधिक लाभप्रद बोली से संबंधित सिफारिश करेंगे और उस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे।

नियम 59.

प्रत्युत्तरदायिता का अवधारण.– (1) बोली मूल्यांकन समिति बोली दस्तावेजों और धारा 7 की उप–धारा (2) के उपबंधों के आधार पर बोली की प्रत्युत्तरदायिता का अवधारण करेगी।

(2) कोई प्रत्युत्तरदायी बोली वह है जो बिना किसी सारवान् विचलन, आरक्षण या लोप के बोली दस्तावेजों की अपेक्षाओं की पूर्ति करती है जहाँ:–

(क) ''विचलन'' बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं से हटना है ;

(ख) ''आरक्षण'' बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को सीमित करने वाली शर्तें लगाना या उनकी पूर्ण स्वीकृति से रोके रखना है ; और

(ग) ''लोप'' बोली दस्तावेजों में अपेक्षित समस्त सूचना या दस्तावेजों या उसके किसी भाग को प्रस्तुत करने में विफलता है।

(3) कोई सारवान् विचलन, आरक्षण या लोप वह है, जो,
(क) यदि स्वीकार किया जाता है तो,

(i)बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट उपापन की विषयवस्तु की परिधि, गुणवत्ता या सम्पादन को किसी सारभूत रूप से प्रभावित करेगा ; अथवा

(ii) limits in any substantial way, inconsistent with the bidding documents, the procuring entity's rights or the bidder's obligations under the proposed contract; or

(b) if rectified, shall unfairly affect the competitive position of other bidders presenting responsive bids.

(4) The bid evaluation committee shall examine the technical aspects of the bid in particular, to confirm that all requirements of bidding document have been met without any material deviation, reservation or omission.

(5) The procuring entity shall regard a bid as responsive if it conforms to all requirements set out in the bidding documents, or it contains minor deviations that do not materially alter or depart from the characteristics, terms, conditions and other requirements set out in the bidding documents, or if it contains errors or oversights that can be corrected without touching on the substance of the bid.

Rule 60.

Clarification of bids.- (1) To assist in the examination, evaluation, comparison and qualification of the bids, the bid evaluation committee may, at its discretion, ask any bidder for a clarification regarding its bid. The committee's request for clarification and the response of the bidder shall be in writing.

(2) Any clarification submitted by a bidder with regard to its bid that is not in response to a request by the committee shall not be considered.

(3) No change in the prices or substance of the bid shall be sought, offered, or permitted, except to confirm the correction of arithmetic errors discovered by the committee in the evaluation of the financial bids.

(ii)बोली दस्तावेजों से असंगत, प्रस्तावित संविदा के अधीन उपापन संस्था के अधिकारों या बोली लगाने वाले की बाध्यताओं को किसी सारभूत रूप से सीमित करेगा ; अथवा

(ख) यदि परिशोधित किया गया है तो प्रत्युत्तरदायी बोलियाँ प्रस्तुत करने वाले अन्य बोली लगाने वालों की प्रतियोगी स्थिति को अनुचित रूप से प्रभावित करेगा।

(4) बोली मूल्यांकन समिति, यह पुष्टि करने के लिए कि बोली दस्तावेज की समस्त अपेक्षाओं को बिना किसी सारवान् विचलन, आरक्षण या लोप के पूरा कर लिया गया है, विशिष्ट रूप से बोली के तकनीकी पहलुओं का परीक्षण करेगी।

(5) उपापन संस्था किसी बोली को प्रत्युत्तरदायी बोली के रूप में मानेगी यदि वह बोली दस्तावेजों में उपवर्णित समस्त अपेक्षाओं के अनुरूप है, या इसमें लघु विचलन अन्तर्विष्ट है जिससे बोली दस्तावेजों में उपवर्णित लक्षणों, निबंधनों, शर्तों और अन्य अपेक्षाओं में सारभूत परिवर्तन या विचलन नहीं होता
है, या यदि इसमें कोई त्रुटि या अन्वेक्षा रह गयी है तो उसे बोली के सार को प्रभावित किए बिना सही किया जा सकता है।

नियम 60.

बोलियों का स्पष्टीकरण.– (1) बोलियों की परीक्षा, मूल्यांकन, तुलना और अर्हता में सहायता के लिए बोली मूल्यांकन समिति, स्वविवेक से, किसी बोली लगाने वाले को उसकी बोली के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए कह सकेगी। स्पष्टीकरण के लिए समिति का अनुरोध और बोली लगाने वालों का प्रत्युत्तर लिखित में होंगे।

(2) किसी बोली लगाने वाले के द्वारा उसकी बोली के संबंध में प्रस्तुत किये गये किसी स्पष्टीकरण पर, जो समिति के किसी अनुरोध के जवाब में प्रस्तुत नहीं किया गया हो, विचार नहीं किया जायेगा।

(3) वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन में समिति द्वारा खोजी गयी किन्हीं गणितीय त्रुटियों की शुद्धि को पुष्ट करने के सिवाय बोली की कीमतों या सार में कोई परिवर्तन चाहा, प्रस्तावित, या अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(4) No substantive change to qualification information or to a submission, including changes aimed at making an unqualified bidder, qualified or an unresponsive submission, responsive shall be sought, offered or permitted.

(5) All communications generated under this rule shall be included in the record of the procurement proceedings.

Rule 61.

Non-material Non-conformities in bids.- (1) The bid evaluation committee may waive any nonconformities in the bid that do not constitute a material deviation, reservation or omission, the bid shall be deemed to be substantially responsive.

(2) The bid evaluation committee may request the bidder to submit the necessary information or document like [1][audited statement of accounts, PAN, etc.] within a reasonable period of time. Failure of the bidder to comply with the request may result in the rejection of its bid.

(3) The bid evaluation committee may rectify non-material nonconformities or omissions on the basis of the information or documentation received from the bidder under sub-rule (2)

---

1. Substituted by Notification No.F.2(1)FD/ (SPFC)/2017 dated 16.2.2018, published in Raj.Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 16.2.2018 (w.e.f. 16.2.2018) The previews provisions were as under:-

"Audit statement of accounts, VAT clearance certificate, PAN etc."

(4) किसी अनर्हित बोली लगाने वाले को अर्हित बनाने या किसी गैर–प्रत्युत्तरदायी प्रस्तुतीकरण को प्रत्युत्तरदायी बनाने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित करते हुए अर्हता सूचना या प्रस्तुतीकरण में कोई सारभूत परिवर्तन चाहा, प्रस्तावित, या अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(5) इस नियम के अधीन जनित समस्त संसूचनाएँ उपापन कार्यवाहियों के अभिलेख में सम्मिलित की जायेंगी।

नियम 61.

बोली में गैर–सारवान् गैर–अनुरूपता.– (1) बोली मूल्यांकन समिति, बोली में किन्हीं गैर–अनुरूपताओं का अधित्यजन कर सकती है जिसके कारण कोई तात्विक विचलन, आरक्षण या लोप न होता हो, ऐसी बोली सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी समझी जायेगी।

(2) बोली मूल्यांकन समिति बोली लगाने वाले को आवश्यक सूचना या दस्तावेज जैसे कि [1][संपरीक्षित लेखा विवरण, पेन इत्यादि] युक्तियुक्त कालावधि के भीतर प्रस्तुत करने का अनुरोध कर सकेगी। बोली लगाने वाले के अनुरोध का पालन करने में असफल होने के परिणामस्वरूप उसकी बोली को अस्वीकार किया जा सकेगा।

(3) बोली मूल्यांकन समिति उप–नियम (2) के अधीन बोली लगाने वाले से प्राप्त सूचना या दस्तावेजों के आधार पर गैर–सारवान, गैर–अनुरूपताओं या लोपों का परिशोधन कर सकेगी।

1.अधिसूचना सं एफ.2(1)एफ डी/(एस.पी.एफ.सी.)/2017 दिनांक 16.2.2018 द्वारा प्रतिस्थापित, राज. राज–पत्र विशेषांक भाग–4(ग)**(I)**दिनांक 16.2.2018 में प्रकाशित (16.2.2018 से प्रभावी)। पूर्व प्रावधान इस प्रकार थेः–

“संपरिक्षित लेखा विवरण, मू.प.क. (वैट) अनापत्ति प्रमाणपत्र पेन इत्यादि।“

Rule 63.

Evaluation of Technical bids in case of two part bids.-

(1) The criteria fixed for evaluation of technical bids shall be in accordance with the provisions of section 7 and clearly mentioned in the bidding documents so as to keep transparency in selection process. The criteria once fixed for evaluation of technical bids shall not be changed or relaxed.

(2) Techno-commercial qualifications of the bidders shall be evaluated in tabular form as per rule 57 on the basis of the weighting of marks assigned or minimum achievements fixed in the bidding documents for various criteria of qualifications in the area of professional, technical, financial, managerial competence, etc. i.e. like number of years of experience of the bidder in the subject matter of procurement, satisfactorily completion of similar contracts in past certain years, each valuing not less than specified percentage of the value of subject matter of procurement, financial turnover of the bidder in past certain years in relation to the value of subject matter of procurement, the value of orders in hand of the bidder at the time of submitting the bid relative to the value of subject matter of procurement, etc.

(3) Bidders securing specified minimum percent of marks or have fulfilled minimum achievement norms may be considered to have technically qualified.

(4) The number of firms qualified in technical evaluation should not generally be less than three. If the number is less than three and it is considered necessary by the procuring entity to continue with the procurement process, reasons shall be recorded in writing and included in the record of the procurement proceedings.

(5) The bidders who qualified in the technical evaluation shall be informed in writing about the date, time and place of opening of their financial bids. This date should generally be not later than fifteen days from the date of issue of letter.

नियम 63.

द्वि–भाग बोलियों के मामले में तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन.–

(1) तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के लिए नियत की गयी कसौटी धारा 7 के उपबंधों के अनुसार होगी और बोली दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होगी ताकि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनायी रखी जा सके। तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के लिए एक बार नियत की गयी कसौटी बदली या शिथिल नहीं की जायेगी।

(2) बोली लगाने वालों की तकनीकी–वाणिज्यिक अर्हता का मूल्यांकन, वृत्तिक, तकनीकी, वित्तीय, प्रबंधकीय क्षमता इत्यादि के क्षेत्रों में जैसे कि उपापन की विषयवस्तु में बोली लगाने वाले के अनुभव के वर्षों की संख्या, कतिपय पूर्व वर्षों में समरूप संविदाओं को संतोषप्रद रूप से पूरा करने, जिसमें प्रत्येक का मूल्य उपापन की विषयवस्तु के मूल्य के विनिर्दिष्ट प्रतिशत से न्यून न हो, उपापन की विषय–वस्तु के मूल्य के संबंध में कतिपय पूर्व वर्षों में बोली लगाने वाले का वित्तीय पण्यावर्त (टर्नआवर), उपापन की विषय–वस्तु के मूल्य के सापेक्ष बोली प्रस्तुत करते समय बोली लगाने वाले के हस्तगत आदेशों का मूल्य इत्यादि में अर्हता की विभिन्न कसौटियों के लिए बोली दस्तावेजों में समनुदिष्ट अंकों के भार या नियत न्यूनतम उपलब्धियों के आधार पर नियम 57 के अनुसार सारणी प्ररूप में किया जायेगा।

(3) बोली लगाने वाले, जो अंकों का विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करते हैं या न्यूनतम उपलब्धियों के मानदण्डों को पूरा करते हैं, तकनीकी रूप से अर्हित समझे जा सकेंगे।

(4) तकनीकी मूल्यांकन में अर्हित फर्मों की संख्या सामान्यतया तीन से कम नहीं होनी चाहिये। यदि संख्या तीन से कम है और उपापन संस्था द्वारा यह आवश्यक समझा जाता है कि उपापन प्रक्रिया को जारी रखा जाये तो इसके कारणों को अभिलिखित किया जायेगा और उपापन कार्यवाहियों के अभिलेख में सम्मिलित किया जायेगा।

(5) बोली लगाने वाले, जो तकनीकी मूल्यांकन में अर्हता प्राप्त कर लेते है, को उनकी वित्तीय बोलियों के खोले जाने की तारीख, समय और स्थान के बारे में लिखित रूप से सूचित किया जायेगा। यह तारीख सामान्यतया पत्र जारी किये जाने की तारीख से पन्द्रह दिवसों के बाद की नहीं होनी चाहिए।

Rule 64.

Correction of arithmetic errors in financial bids.- The bid evaluation committee shall correct arithmetical errors in substantially responsive bids, on the following basis, namely; -

(a) if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the bid evaluation committee there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

(b) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

(c) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to clause (a) and (b) above.

Rule 65.

Evaluation of financial bids.- Subject to the provisions of section 27, the procuring entity shall take following actions for evaluation of financial bids;-

(a) in case of single part bid system where bid is received in single cover along with requisite bid security, processing fee or user charges and price of bidding documents within specified time, it shall be considered for financial evaluation by the bids evaluation committee;

(b) in case of two part bid system the financial bids of the bidders who qualified in technical evaluation shall be opened at the notified time, date and place by the bid evaluation committee in the presence of the bidders or their representatives who choose to be present;

नियम 64.

वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार.– बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;

(ख) यदि योग के घटकों को जोडने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा ; और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

नियम 65.

वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन.– धारा 27 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपापन संस्था वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित कार्रवाई करेगी :–

(क) एकल भाग बोली प्रणाली के मामले में जहाँ बोली, अपेक्षित बोली प्रतिभूति, प्रक्रिया फीस या उपयोक्ता प्रभारों और बोली दस्तावेज की कीमत के साथ विनिर्दिष्ट समय के भीतर एकल आवरण में प्राप्त की जाती है वहाँ बोली मूल्यांकन समिति द्वारा वित्तीय मूल्यांकन के लिए इस पर विचार किया जायेगा;

(ख) द्वि–भाग बोली प्रणाली के मामले में ऐसे बोली लगाने वाले, जो तकनीकी मूल्यांकन में अर्हित हों, की वित्तीय बोलियाँ बोली मूल्यांकन समिति द्वारा बोली लगाने वालों की या उनके उन प्रतिनिधियों की, जो उपस्थित रहना चाहें, की उपस्थिति में अधिसूचित समय, तारीख और स्थान पर खोली जायेंगी;

(c) the process of opening, marking and signing on the financial bids shall be as prescribed in rule 55;

(d) the names of the bidders, the rates given by them and conditions put, if any, shall be read out and recorded;

(e) conditional bids are liable to be rejected;

(f) the evaluation shall include all costs and all taxes and duties applicable to the bidder as per law of the Central / State Government / Local Authorities, and the evaluation criteria specified in the bidding documents shall only be applied;

(g) the offers shall be evaluated and marked L1, L2, L3 etc. L1 being the lowest offer and then others in ascending order in case price is the only criteria, or evaluated and marked H1, H2, H3 etc. in descending order in case quality is also a criteria and the combined score of technical and financial evaluation is considered;

(h) the bid evaluation committee shall prepare a comparative statement in tabular form in accordance with rule 58 with its report on evaluation of financial bids and recommend the lowest offer for acceptance to the procuring entity, if price is the only criterion, or most advantageous bid in other case;

(i) it shall be ensured that the offer recommended for sanction is justifiable looking to the prevailing market rates of the goods, works or service required to be procured; and

(j) in case a rate contract is being entered, more than one firm at the same lowest rate may be considered to ensure uninterrupted delivery but for this purpose, counter offer of lowest rate will be given for acceptance to the bidders quoting higher rates in the order of ascending value.

(ग) वित्तीय बोलियों के खोले जाने, उन्हें चिह्नित और हस्ताक्षरित किये जाने की प्रक्रिया नियम 55 में यथा–विहित होगी;

(घ) बोली लगाने वालों के नाम, उनके द्वारा दी गयी दरें और लगायी गयी शर्तें, यदि कोई हों, पढ़ी और अभिलिखित की जायेंगी;

(ड़) सशर्त बोलियाँ अस्वीकार किये जाने योग्य होंगी;

(च) मूल्यांकन में समस्त लागत और केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी की विधि के अनुसार बोली लगाने वाले पर लागू समस्त कर और शुल्क सम्मिलित होंगे, और बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट मूल्यांकन कसौटी ही लागू होगी।

(छ) यदि कीमत ही एकमात्र कसौटी हो तो प्रस्तावों का मूल्यांकन करके एल 1, एल 2, एल 3 इत्यादि के रूप में एल 1 को निम्नतम प्रस्ताव मानते हुए और तब अन्य प्रस्तावों को आरोही क्रम में चिह्नित किया जायेगा, या यदि गुणवत्ता भी एक कसौटी हो और तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के संयुक्त प्राप्तांकों पर विचार किया गया हो तो उनका मूल्यांकन करके अवरोही क्रम में एच .1, एच. 2, एच. 3 इत्यादि के रूप में चिह्नित किया जायेगा;

(ज) बोली मूल्यांकन समिति वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन पर अपनी रिपोर्ट के साथ नियम 58 के अनुसार तालिका प्ररूप में एक तुलनात्मक विवरण तैयार करेगी और यदि कीमत ही केवल कसौटी हो तो उपापन संस्था को निम्नतम प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए या अन्य मामले में सर्वाधिक लाभप्रद बोली की सिफारिश करेगी ;

(झ) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मंजूरी के लिए सिफारिश किया गया प्रस्ताव उपाप्त किये जाने वाले अपेक्षित माल, संकर्मों या सेवा की प्रचलित बाजार दरों को देखते हुए उचित है; और

(ञ) यदि कोई दर संविदा की जा रही हो तो निर्विघ्न परिदान को सुनिश्चित करने के लिए एक ही निम्नतम दर पर एक से अधिक फर्मों पर विचार किया जा सकेगा, किन्तु इस प्रयोजन के लिए आरोही मूल्य के क्रम में ऊँची दरें कोट करने वाले बोली लगाने वालों को स्वीकृति के लिए निम्नतम दर का प्रतिप्रस्ताव दिया जायेगा।

Comparison of rates of firms outside and those in Rajasthan

Rule 66 [1][xxx]

Rule 67.

Price / purchase preference in evaluation.- Price and /or purchase preference notified by the State Government and as mentioned in the bidding documents shall be considered in the evaluation of bids and award of contract.

Rule 68.

Lack of competition.- (1) A situation may arise where, if after evaluation of bids the bid evaluation committee may end-up with one responsive bid only, in such situation, the bid evaluation committee should check as to whether while floating the Notice Inviting Bids all necessary requirements to encourage competition like standard bid conditions, industry friendly specifications, wide publicity, sufficient time for formulation of bids, etc. were fulfilled. If not, the Notice Inviting Bids should be refloated after rectifying deficiencies. The bid process shall be considered valid even if there is one responsive bid, provided that-

---

1.Deleted by Notification No. F. (1)/FD/SPFC/2017, dated 16.2.2018, published in Raj. Gazette E.O. Part 4 (ग) (I), dated 16.2.2018 (w.e.f. 16.2.2018). (The deleted Provision of Rule 66 was as under before 16.2.2018;-

66. Comparison of rates of firms outside and those in Rajasthan.- While tabulating the bids of those firms which are not entitled to price preference, the element of Rajasthan Value Added Tax shall be excluded from the rated quoted by rates of firms of Rajasthan and the element of Central Sales tax shall be included in the rates of firms from outside Rajasthan for evaluation purpose).

राजस्थान की और बाहर की फर्मों की दरों की तुलना

नियम 66-[1][xxx]

नियम 67.

मूल्यांकन में कीमत/क्रय अधिमान.– बोलियों के मूल्यांकन और संविदा के अधिनिर्णय में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित और बोली दस्तावेजों में यथा–वर्णित कीमत और/या क्रय अधिमान पर विचार किया जायेगा।

नियम 68.

प्रतियोगिता की कमी.– (1) ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां यदि बोलियों के मूल्यांकन के पश्चात्, मूल्यांकन समिति अन्त में मात्र एक ही प्रत्युत्तरदायी बोली पाए, ऐसी परिस्थिति में मूल्यांकन समिति को यह जांच करनी चाहिये कि क्या बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के जारी करते समय प्रतियोगिता को बढ़ावा देने वाली समस्त आवश्यक अपेक्षाएँ जैसे कि मानक बोली शर्तें, उद्योगपरक विनिर्दिष्टताएँ, विस्तृत प्रचार, बोलियां तैयार करने के लिए पर्याप्त समय इत्यादि को पूरा किया गया था। यदि नहीं तो ऐसी कमियों को दूर करने के पश्चात्, बोली आमंत्रित करने वाला नोटिस पुनः जारी किया जाना चाहिये। परन्तु बोली प्रक्रिया मात्र एक प्रत्युत्तरदायी बोली के होने पर भी विधिमान्य मानी जायेगी यदि–

1.अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./एसपीएफसी/2017 दिनांक 16.2.2018 द्वारा विलोपित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग) (1) दिनांक 16.2.2018 में प्रकाशित (16.2.2018 से प्रभावी)। उक्त नियम 66 के विलोपित प्रावधान इस प्रकार थेः–

66. राजस्थान की और बाहर की फर्मों की दरों की तुलना.– उन फर्मों की बोलियों का सारणीकरण करते समय जो कीमत अधिमान की हकदार नहीं है, मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए, राजस्थान की फर्मों द्वारा कोट की गयी दरों से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर का तत्व अपवर्जित कर दिया जायेगा और राजस्थान से बाहर की फर्मों की दरों में केन्द्रीय विक्रय कर का तत्व सम्मिलित किया जायेगा।

(a) the bid is technically qualified;

(b) the price quoted by the bidder is assessed to be reasonable;

(c) the bid is unconditional and complete in all respects;

(d) there are no obvious indicators of cartelisation amongst bidders; and

(e) the bidder is qualified as per the provisions of section 7

[1][(2) The bid evaluation committee shall prepare a justification note for approval of the procuring entity, clearly including views of the accounts/finance member of the committee.

(3) The procuring entity competent to decide a procurement case as delegation of financial powers shall decide as to whether to sanction the single bid or re-invite bids after recording reasons for doing so.]

(4) If a decision to reinvite the bids is taken, market assessment shall be carried out for estimation of market depth, eligibility criteria and cost estimate.

---

1. Substituted by Notification No.F.2(1)FD/G&T (SPFC)/2017 dated 6.8.2018, published in Raj.Gazette EO Pt.4(Ga)(II) dated 6.8.2018 (w.e.f. 6.8.2018)

(क) बोली तकनीकी रूप से अर्हित हो;

(ख) बोली लगाने वाले द्वारा कोट की गयी कीमत युक्तियुक्त प्रतीत हो;

(ग) बोली शर्त रहित और सभी प्रकार से पूर्ण हो;

(घ) बोली लगाने वालों के बीच व्यावसायिक समुहन के कोई स्पष्ट लक्षण नहीं हों; और

(ङ) बोली लगाने वाला धारा 7 के उपबंधों के अनुसार अर्हित हो।0

[1][(2)बोली मूल्यांकन समिति, समिति के लेखा वित्त सदस्य के विचार को स्पष्ट रूप से सम्मिलित करते हुए, उपापन संस्था के अनुमोदन के लिए तर्कसंगत टिप्पण तैयार करेगी।

(3) किसी उपापन मामले को विनिश्चित करने में सक्षम उपापन संस्था, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार ऐसा करने के अपने कारण अभिलिखित करने के पश्चात् यह विनिश्चय करेगी कि क्या एकल बोली को मंजूर कर लिया जाये या बोलियां पुनः आमंत्रित की जायें।]

(4) यदि बोली पुनः आमंत्रित करने का विनिश्चय लिया जाता है तो बाजार की घनता के प्राक्कलन, पात्रता कसौटी और लागत प्राक्कलन के लिए बाजार का निर्धारण किया जायेगा।

1.अधिसूचना सं एफ.2(1)/वित्त/जी एण्ड टी (एस.पी.एफ.सी.)/2017 दिनांक 6.8.2018 द्वारा प्रतिस्थापित, राज. राज–पत्र विशेषांक भाग–4(ग)(II)दिनांक 6.8.2018 में प्रकाशित (6.8.2018 से प्रभावी)।

Rule 72.

Procuring entity's right to accept or reject any or all bids.- The Procuring entity reserves the right to accept or reject any bid, and to annul the bidding process and reject all bids at any time prior to award of contract, without thereby incurring any liability to the bidders. Reasons for doing so shall be recorded in writing.

Rule 73.

Right to vary quantity.-

[1][(1) Deleted]

[2]**[**(1) If the procuring entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the bidding documents due to change in circumstances, the bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the bidding documents.

---

1. Existing sub-rule (1) deleted and sub-rule (2) and (3) renumbered as sub-rule (1) and (2) by Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 4.9.2013, published in Raj.Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 4.9.2013 for "(1) At the time of award of contract, the quantity of goods, works or services originally specified in the bidding documents may be increased, but such increase shall not exceed twenty percent of the quantity specified in the bidding documents. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the bid and the bidding documents."

2. Existing sub-rule (2) so re-numberred substituted by Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 4.9.2013, published in Raj.Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 4.9.2013 for - "(2) Repeat orders for extra items or additional quantities may be placed, if it is provided in the bidding documents, on the rates and conditions given in the contract if the original order was given after inviting open competitive bids. Delivery or completion period may also be proportionately increased. The limits of repeat order shall be as under- (a) 50% of the quantity of the individual items and 20% of the value of original contract in case of works; and
(b) 25% of the value of goods or services of the original contract.]"

नियम 72.

किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार– उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

नियम 73.

परिमाण में परिवर्तन का अधिकार.–

[1][(1) विलोपित]

[2][(1)यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषय–वस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

---

1. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 4.9.2013 द्वारा विद्यमान उप–नियम (1) हटाया गया और विद्यमान उप–नियम (2) को उप–नियम (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया, राज. राज–पत्र विशेषांक भाग–4 (ग) (1) दिनांक 4.9. 2013 में प्रकाशित (4.9.2013 से प्रभावी)।–''(1) संविदा के अधिनिर्णय के समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।''

2. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2011 दिनांकः 04.09.2013 द्वारा विद्यमान उप–नियम (3) को पुनःसंख्यांकित कर उप–नियम (2) किया गया है, उक्त उप–नियम (2) को प्रतिस्थापित किया गया, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(।)दिनांकः 04.09.2013 में प्रकाशित (4.09.2013 से प्रभावी)–'' (2) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गई दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी–

(क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 20 प्रतिशत; और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 25 प्रतिशत।''

[1][(2) Orders for extra items may be placed by the procuring entity in accordance with the Schedule of Powers as prescribed by the Fianance Department, upto 5% of the value of the original contract, if allowed in the bidding documents. The fair market value of such extra items payable by the procuring entity to the contractor shall be determined by the procuring entity in accordance with guidelines prescribed by the administration department concerned.

(3) Orders for additional quantities may be placed, if allowed in the bidding documents on the rates and conditions given in the contract and the original order was given after inviting open competitive bids. Delivery or completion period may also be proportionately increased. The limits of orders for additional quantities shall be as under:-

(a) 50% of the quantity of the individual items and 50% of the value of original contract in case of works; and

(b) 50% of the value of goods or services of the original contract.

Provided that in exceptional circumstances and without changing the scope of work envisaged under the contract, a procuring entity may procure additional quantities beyond 50% of the quantity of the individual items as provided in the original work order with prior approval of the Administration Department concerned as follows:-

(i) the procuring entity shall obtain prior approval for revised requirement from the competent authority for reasons to be recorded in writing. Whenever necessary, due to the quantum of orders for additional quantities, the procuring entity shall obtain prior and revised technical, financial and administrative sactions from the competent authorites;

Existing sub-rule (2) again substituted by Notification No. F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 16.2.2018, published in Rajasthan Gazettee EO Part 4(Ga)(I) dated 16.2.2018 with immediate effect for - [(2) Repeat orders for extra items or additional quantities may be placed, if it is provided in the bidding documents, on the rates and conditions given in the contract if the original order was given after inviting open competitive bids. Delivery or completion period may also be proportionately increased. The limits of repeat order shall be as under-

(a) 50% of the quantity of the individual items and 50% of the value of original contract in case of works; and

(b) 50% of the value of goods or services of the original contract.]

[1][(2) अतिरिक्त मदों के लिए आदेश, यह बोली दस्तावेजों में अनुज्ञात किया जाये, मूल संविदा के मूल्य के 5 प्रतिशत तक, वित्त विभाग द्वारा यथा विहित शक्तियों की अनुसूची के अनुसार उपापन संस्था द्वारा रखे जा सकेंगे। संविदाकार को उपापन संस्था द्वारा संदेय ऐसी अतिरिक्त मदों का उचित बाजार मूल्य, संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा विहित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार, उपापन संस्था द्वारा अवधारित किया जायेगा।

(3) यदि बोली दस्तावेजों में अनुज्ञात किया जाये तो अतिरिक्त मात्रा के लिए आदेश, संविदा में दी गयी शर्तों और दरों पर दिये जा सकेंगे और मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियों के आमंत्रण के पश्चात् दिये जा सकेंगे। परिदान या पूर्णता कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकेगी। अतिरिक्त मात्राओं के लिए आदेश की सीमा निम्नानुसार होगीः–

(क) वैयक्तिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और संकर्मों की दशा में मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत; और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशतः

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों में और संविदा के अधीन परिकल्पित कार्य के विस्तार को बदले बिना, संबंधित प्रशासनिक विभाग के पूर्व अनुमोदन से कोई उपापन संस्था मूल संकर्म आदेश में यथा उपबंधित वैयक्तिक मदों की मात्रा के 50 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त मात्रा का उपापन निम्नानुसार कर सकेगीः–

(i) कि उपापन संस्था, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, पुनरीक्षित अपेक्षाओं के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी। अतिरिक्त मात्राओं के लिए आदेशों की मात्रा के कारण, जहाँ कहीं आवश्यक हो, उपापन संस्था सक्षम प्राधिकारियों से पूर्व और पुनरीक्षित तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी अभिप्राप्त करेगीः

1.अधिसूचना सं एफ.2(1)एफ डी/(एस.पी.एफ.सी.)/2017 दिनांक 16.2.2018 द्वारा प्रतिस्थापित, राज. राज–पत्र विशेषांक भाग–4(ग)(I)दिनांक 16.2.2018 में प्रकाशित (16.2.2018 से प्रभावी)।–

1[2(2) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी–

(क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत; और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।''

(ii) that the additional quantities so procured shall be part and parcel of the work being executed;

(iii) that the limit of 50% of the value of original contract shall not be exceeded in any case.]

Rule 74.

Dividing quantities among more than one bidder at the time of award.- As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the bidder, whose bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the bidder, whose bid is accepted and the second lowest bidder or even more bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the bidder, whose bid is accepted if such condition is specified in the bidding documents. Counter offer to first lowest bidder (L1), in order to arrive at an acceptable price, shall amount to negotiation. However, any counter offer thereafter to second lowest bidder (L2), third lowest bidder (L3) etc., (at the rates accepted by L1) in case of splitting of quantities, as pre- disclosed in the bidding documents, shall not be deemed to be a negotiation.

Rule 75.

Performance security.- [1][(1) Performance security shall be solicited from all successful bidders except the

(i) Departments/Boards of the State Government or Central Government;

1. Substituted by Notification No.F.2(1)FD/G&T (SPFC)/2017 dated 6.8.2018, published in Raj.Gazette EO Pt.4(Ga)(II) dated 6.8.2018 (w.e.f. 6.8.2018)

(ii) कि इस प्रकार उपाप्त अतिरिक्त मात्राएँ निष्पादित किये जाने वाले कार्य का भाग होंगी;

(iii) कि मूल संविदा के मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा किसी भी दशा में नहीं बढ़ाई जायेगी।

नियम 74.

अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन.— सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषय—वस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी हैं या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषय—वस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यपूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुँचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल1) को किया गया प्रति—प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि, परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि(एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति—प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

नियम 75.

कार्य सम्पादन प्रतिभूति.—[1][(1) निम्नलिखित के सिवाय, समस्त सफल बोली लगाने वालों से कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना ली जायेगी:—

(i)राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के विभाग/बोर्ड;

1.अधिसूचना सं एफ.2(1)/वित्त/जी एण्ड टी (एस.पी.एफ.सी.)/2017 दिनांक 6.8.2018 द्वारा प्रतिस्थापित, राज. राज—पत्र विशेषांक भाग—4(ग)(II)दिनांक 6.8.2018 में प्रकाशित (6.8.2018 से प्रभावी)।

(ii) Governement Companies as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013;

(iii) Company owned or controlled, directly or indirectly, by the Central Government, or by any State Government or Government, or partly by the Central Government and partly by one or more State Governments which is subject to audit by the Auditor appointed by the Comptroller and auditor-General of India under sub-section (5) or (7) of section 139 of the Companies Act, 2013; or

(iv) Autonomous bodies, Registered Societies, Coorperative Societies which are owned or controlled or managed by the State Government or Central Government.

However, a performance security declaration shall be taken from them. The State Government may relax the provision of performance security in particular procurement or any class of procurement.]

(2) The amount of performance security shall be five percent, or as may be specified in the bidding documents, of the amount of supply order in case of procurement of goods and services and ten percent of the amount of work order in case of procurement of works. In case of Small Scale Industries of Rajasthan it shall be one percent of the amount of quantity ordered for supply of goods and in case of sick industries, other than Small Scale Industries, whose cases are pending before the Board of Industrial and Financial Reconstruction (BIFR), it shall be two percent of the amount of supply order.

[1][Provided that, during the period commencing from the date of commencement of the Rajasthan Transparency in Public Procurement (Second Amendment) Rules, 2020 to 31.12.2021, the performance security shall be taken as under:-

1. Added by Notification No. No.F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017 dated 13.8.2020, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 13.8.2020 and substituted by Notification No. No.F.2 (1) FD / G&T (SPFC) / 2017 dated 18.12.2020 for - "Provided that, during the period commencing from the date of commencement of the Rajasthan Transparency in Public Procurement (Amendment) Rules, 2020 to 31.03.2021, the performance security shall be taken as under:-
(a) 2.5%, or as may be specified in the bidding documents, of the amount of supply order in case of procurement of goods and services and 5% of the amount of work order, in case of procurement of works;
(b) 0.5% of the amount of quantity ordered for supply of goods, in case of Small Scale Industries of Rajasthan; and
(c) 1% of the amount of supply order, in case of sick industries, other than Small Scale Industries, whose cases are pending before the Board of Industrial and Financial Reconstruction (BIFR).

(ii)कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खण्ड (45) में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनियाँ;

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या भागतः केन्द्रीय सरकार द्वारा और भागतः एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रित कंपनी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 की उप–धारा (5) या (7) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अध्यधीन हो; या

(iv) स्वायत्त निकाय, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां, सहकारी सोसाइटियां जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हो। तथापि, उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशेष उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।]

(2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम की पाँच प्रतिशत या जैसी कि बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट की जाये, होगी और संकर्मों के उपापन के मामले में संकर्म आदेश की रकम की दस प्रतिशत होगी। राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में माल के प्रदाय के लिए आदिष्ट परिमाण की रकम की एक प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों, जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, के मामले में यह प्रदाय आदेश की रकम का दो प्रतिशत होगी।

[1][परन्तु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020 के प्रारम्भ की तारीख से 31.12.2021 तक की कालावधि के दौरान कार्य संपादन प्रतिभूति निम्नानुसार ली जायेगी:–

1. अधिसूचना संख्या प.2(1) वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक 13.8.2020 द्वारा जोड़ा गया एवं अधिसूचना दिनांक 18.12.2020 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया–''परन्तु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (संशोधन) नियम, 2020 के प्रारम्भ की तारीख 13.08.2020 से 31.03.2021 तक की कालावधि के दौरान कार्य संपादन प्रतिभूति निम्नानुसार ली जायेगी:– (क) माल और सेवाओं के उपापन के मामले में, प्रदाय आदेश की रकम का 2.5 प्रतिशत, या बोली दस्तावेज में यथा विनिर्दिष्टानुसार और संकर्मों के उपापन के मामले में, संकर्म आदेश की रकम का 5 प्रतिशत;

(ख) राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में, माल के प्रदाय के लिए आदिष्ट परिमाण की रकम का 5 प्रतिशत; और

(ग) लघु उद्योगों से भिन्न, रूग्ण उद्योगों की दशा में, जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के समक्ष लंबित हैं, प्रदाय आदेश की रकम का 1 प्रतिशत; और,,

(a) 2.5%, or as may be specified in the bidding documents, of the amount of supply order in case of procurement of goods and services and 3% of the amount of work order, in case of procurement of works;

(b) 0.5% of the amount of quantity ordered for supply of goods, in case of Small Scale Industries of Rajasthan; and

(c) 1% of the amount of supply order, in case of sick industries, other than Small Scale Industries, whose cases are pending before the Board of Industrial and Financial Reconstruction (BIFR); and]

[1][(2A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) above, where the State Government being of the opinion that there exist grave situations such as natural calamity or Pandemic or Epidemic diseases or floods etc. in which the economy is adversely affected, the State Government may, by order, direct the procurement entity to reduce the performance security taken in case of existing contracts of ongoing projects, from such date and on such conditions as may be specified in the order.]

(3) Performance security shall be furnished in any one of the following forms-

(a) deposit through eGRAS;

(b) Bank Draft or Banker's Cheque of a scheduled bank;

(c) National Savings Certificates and any other script/instrument under National Savings Schemes for promotion of small savings issued by a Post Office in Rajasthan, if the same can be pledged under the relevant rules. They shall be accepted at their surrender value at the time of bid and formally transferred in the name of procuring entity with the approval of Head Post Master;

(d) Bank guarantee/s of a scheduled bank. It shall be got verified from the issuing bank. Other conditions regarding bank guarantee shall be same as mentioned in the rule 42 for bid security;

1 Inserted by Notification No.F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017 dated 17.3.2021, published in Raj. Gazette EO Pt. 4(Ga)(I) dated 17.3.2021

(क) माल और सेवाओं के उपापन के मामले में, प्रदाय आदेश की रकम का 2.5 प्रतिशत, या बोली दस्तावेज में यथा विनिर्दिष्टानुसार और संकर्मों के उपापन के मामले में, संकर्म आदेश की रकम का 3 प्रतिशत;

(ख) राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में, माल के प्रदाय के लिए आदिष्ट परिमाण की रकम का 0.5 प्रतिशत; और

(ग) लघु उद्योगों से भिन्न, रूग्ण उद्योगों के मामले में, जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के समक्ष लंबित हैं, प्रदाय आदेश की रकम का 1 प्रतिशत; और,,

[1][(2 ए) उपरोक्त उप–नियम (2) में किसी भी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार की राय है कि प्राकृतिक आपदा या महामारी या महामारी रोग या बाढ़ आदि जैसे गंभीर स्थितियां मौजूद हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, राज्य सरकार, आदेश द्वारा उपापन संस्था को चालू परियोजनाओं के मौजूदा अनुबंधों के मामले में ली गई कार्य संपादन प्रतिभूति को आदेश में उल्लेखित शर्तों पर एवं दिनांक से कम करने का निर्देश दे सकती है, ऐसी तारीख से और ऐसी शर्तों पर जो आदेश में निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

(3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगीः–

(क) ''ई. जी. आर. ए. एस. के माध्यम से जमा'';

(ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक;

(ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।

(घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियाँ यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी। बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्तें बोली प्रतिभूति के लिए नियम 42 में वर्णित के समान होंगी।

1. अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफ.डी./जीएण्डटी(एसपीएफसी)/2017) दिनांक 17.03.2021 द्वारा अन्तःस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I)दिनांक 17.03.2021 में प्रकाशित।

<u>नोटः–</u> दिनांकः 17.03.2021 से नियम 75 के उप–नियम (2) के बाद उपनियम (2 ए) अंतःस्थापित किया गया है। इस अधिसूचना का हिन्दी भाषा में अधिकृत रूपांतरण आदिनांक प्रगतिरत है। उपरोक्त अनुवाद पाठकों की सुविधा हेतु लेखक द्वारा किया गया हैं।

(e) Fixed Deposit Receipt (FDR) of a scheduled bank. It shall be in the name of procuring entity on account of bidder and discharged by the bidder in advance. The procuring entity shall ensure before accepting the Fixed Deposit Receipt that the bidder furnishes an undertaking from the bank to make payment/premature payment of the Fixed Deposit Receipt on demand to the procuring entity without requirement of consent of the bidder concerned. In the event of forfeiture of the performance security, the Fixed Deposit shall be forfeited along with interest earned on such Fixed Deposit.

[1][(f) In case of procurement of works, the successful bidder at the time of signing of the contract agreement, may submit option for deduction of performance security from his each running and final bill @ 10% of the amount of the bill [2][:]

[3][Provided that, during the period commencing from the date of commencement of the Rajasthan Transparency in Public Procurement (Second Amendment) Rules, 2020 to 31.12.2021, in case of procurement of works, the successful bidder at the time of signing of the contract agreement, may submit option for deduction of performance security from his each running and final bill @ 3% of the amount of the bill.]

(4) Performance security furnished in the form specified in clause (b) to (e) of sub-rule (3) shall remain valid for a period of sixty days beyond the date of completion of all contractual obligations of the bidder, including warranty obligations and maintenance and defect liability period.

---

1. Added by Notification No. F.1 (8) FD/GF & AR/2011 dated 4-9-2013, published in Raj. Gazette E.O. Part 4 (Ga) (I) dated 4.9.2013 (w.e.f. 4.9.2013).

2. Substituted by Notification No. No.F.2(1) FD / G&T (SPFC) / 2017 dated 13.8.2020, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 13.8.2020 for - "(.)"

3. Added by Notification No. No.F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017 dated 13.8.2020, published in Raj. Gazette EO Pt.4(Ga)(I) dated 13.8.2020 and substituted by Notification No. No.F.2 (1) FD / G&T (SPFC) / 2017 dated 18.12.2020 for -

"Provided that, during the period commencing from the date of commencement of the Rajasthan Transparency in Public Procurement (Amendment) Rules, 2020 to 31.03.2021, in case of procurement of works, the successful bidder at the time of signing of the contract agreement, may submit option for deduction of performance security from his each running and final bill @ 5% of the amount of the bill."

(ङ) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का माँग पर संदाय/समय पूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा, ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।

[1][(च) संकर्मों के उपापन में मामले में, सफल बोली लगाने वाला संविदा करार पर हस्ताक्षर करते समय अपने प्रत्येक चालू और अंतिम बिल में से बिल की रकम के दस प्रतिशत की दर से कार्य सम्पादन प्रतिभूति की कटौती के लिए विकल्प प्रस्तुत कर सकेगा [2][:]

[3][परन्तु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020 के प्रारंभ की तारीख से 31.12.2021 तक की कालावधि के दौरान संकर्मों के उपापन के मामले में, सफल बोली लगाने वाला संविदा करार पर हस्ताक्षर करते समय अपने प्रत्येक चालू और अंतिम बिल में से बिल की रकम के 3 प्रतिशत की दर से कार्य संपादन प्रतिभूति की कटौती के लिए विकल्प प्रस्तुत कर सकेगा।]

(4) उप–नियम (3) के खण्ड (ख) से (ङ) के प्ररूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति, वारंटी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।

---

1. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 4.6.2013 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया, राज. राज–पत्र विशेषांक भाग–4(ग) (1) दिनांक 4.9.2019 में प्रकाशित (4.9.2013 से प्रभावी)।

2. अधिसूचना संख्या प.2(1) वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक 13.8.2020 द्वारा "।" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

3. अधिसूचना संख्या प.2(1) वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक 13.8.2020 द्वारा जोड़ा गया एवं अधिसूचना दिनांक 18.12.2020 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया – "परन्तु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (संशोधन) नियम, 2020 के प्रारंभ की तारीख 18.08.2020 से 31.03.2021 तक की कालावधि के दौरान संकर्मों के उपापन के मामले में, सफल बोली लगाने वाला संविदा करार पर हस्ताक्षर करते समय अपने प्रत्येक चालू और अंतिम बिल में से बिल की रकम के 5 प्रतिशत की दर से कार्य संपादन प्रतिभूति की कटौती के लिए विकल्प प्रस्तुत कर सकेगा।"

Exclusion of bids

Section 25.

Exclusion of bids.- (1) A procuring entity shall exclude a bid if-

(a) the bidder is not qualified in terms of section 7;

(b) the bid materially departs from the requirements specified in the bidding documents or it contains false information;

(c) the bidder submitting the bid, his agent or any one acting on his behalf, gave or agreed to give, to any officer or employee of the procuring entity or other governmental authority a gratification in any form, or any other thing of value, so as to unduly influence the procurement process;

(d) a bidder, in the opinion of the procuring entity, has a conflict of interest materially affecting fair competition.

(2) A bid shall be excluded as soon as the cause for its exclusion is discovered.

(3) Every decision of a procuring entity to exclude a bid shall be for reasons to be recorded in writing.

(4) Every decision of the procuring entity under sub-section (3) shall be -

(a) communicated to the concerned bidder in writing;

(b) published on the State Public Procurement Portal.

Comment:- Sec 25 & Sec 46 should be read together.

Rule 62.

Exclusion of bids.- A procuring entity shall exclude a bid in accordance with the provisions of section 25.

बोलियों का अपवर्जन

धारा 25.

बोलियों का अपवर्जन.–(1) कोई उपापन संस्था किसी बोली को अपवर्जित करेगी यदि–

(क) बोली लगाने वाला धारा 7 के निबंधनों के अनुसार अर्हित नहीं है;

(ख) बोली सारवान् रूप से, बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं से अलग है या इसमें मिथ्या सूचना अन्तर्विष्ट है;

(ग) बोली प्रस्तुत करने वाला बोली लगाने वाला, उसका अभिकर्ता या उसके निमित्त काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, उपापन संस्था या अन्य सरकारी प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को कोई परितोषण, किसी भी रूप में, या किसी मूल्यांकन वस्तु के रूप में, देता है या देने की सहमति देता है, ताकि उपापन प्रक्रिया को असम्यक् रूप से प्रभावित किया जाये;

(घ) उपापन संस्था की राय में, किसी बोली लगाने वाले का निष्पक्ष प्रतियोगिता को सारवान् रूप से प्रभावित करने वाला विरोधी हित हो।

(2) कोई बोली अपवर्जित की जायेगी जैसे ही उसके अपवर्जन के कारण का पता चलता है।

(3) किसी उपापन संस्था का किसी बोली को अपवर्जित करने का प्रत्येक विनिश्चय लेखब़द्ध किये जाने वाले कारणों से होगा।

(4) उपापन संस्था का उप–धारा (3) के अधीन लिया गया प्रत्येक विनिश्चय–

(क) संबंधित बोली लगाने वाले को लिखित में संसूचित किया जायेगा;

(ख) राज्य लोक उपापन पोर्टल में प्रकाशित किया जायेगा।

टिप्पणीः– धारा 25 और धारा 46 साथ–साथ पढ़ी जानी चाहिए।

नियम 62.

बोलियों का अपवर्जन.– उपापन संस्था धारा 25 के उपबंधों के अनुसार किसी बोली को अपवर्जित करेगी।

Cancellation of the procurement process

The provisions related to cancellation of bid are given in section 26 and rule 78 which are as under-

Section 26.

Cancellation of the procurement process.- (1) A procuring entity may, for reasons to be recorded in writing, cancel the process of procurement initiated by it –

(a) at any time prior to the acceptance of the successful bid; or

(b) after the successful bid is accepted in accordance with sub-sections (4) and (5).

(2) The procuring entity shall not open any bids or proposals after taking a decision to cancel the procurement and shall return such unopened bids or proposals.

(3) The decision of the procuring entity to cancel the procurement and reasons for such decision shall be immediately communicated to all bidders that participated in the procurement process.

(4) If the bidder whose bid has been accepted as successful fails to sign any written procurement contract as required, or fails to provide any required security for the performance of the contract, the procuring entity may cancel the procurement process.

(5) If a bidder is convicted of any offence under this Act, the procuring entity may-

उपापन प्रक्रिया का रद्दकरण

उपापन प्रक्रिया के रद्दकरण के सम्बन्ध में प्रावधान धारा 26 तथा नियम 78 में दिए गए है जो इस प्रकार है–

धारा 26.

उपापन प्रक्रिया का रद्दकरण.–(1) कोई उपापन संस्था, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, उसके द्वारा प्रारंभ की गयी उपापन की प्रक्रिया–

(क) सफल बोली की स्वीकृति से पूर्व किसी भी समय; या

(ख) सफल बोली स्वीकृत होने के पश्चात्, उप–धारा (4) और (5) के अनुसार रद्द कर सकेगी।

(2) उपापन संस्था, उपापन को रद्द करने का विनिश्चय करने के पश्चात् किसी भी बोली या प्रस्थापना को नहीं खोलेगी और ऐसे बिना खुली बोलियों या प्रस्थापनाओं को लौटायेगी।

(3) उपापन संस्था के किसी उपापन को रद्द करने का विनिश्चय और ऐसे विनिश्चय के कारण समस्त बोली लगाने वालों को, जिन्होंने उस उपापन प्रक्रिया में भाग लिया है, तुरंत संसूचित किये जायेंगे।

(4) यदि कोई बोली लगाने वाला, जिसकी बोली सफल बोली के रूप में स्वीकार कर ली गयी हो, यथा–अपेक्षित किसी भी लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है, या संविदा के निष्पादन के लिए अपेक्षित कोई भी प्रतिभूति उपलब्ध करवाने में विफल रहता है तो उपापन संस्था उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी।

(5) यदि कोई बोली लगाने वाले को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है तो उपापन संस्था–

(a) cancel the relevant procurement process if the bid of the convicted bidder has been declared as successful but no procurement contract has been entered into;

(b) rescind the relevant contract or forfeit the payment of all or a part of the contract value if the procurement contract has been entered into between the procuring entity and the convicted bidder.

Rule 78.

Cancellation of procurement process.- If any procurement process has been cancelled, it shall not be reopened but it shall not prevent the procuring entity from initiating a new procurement process for the same subject matter of procurement, if required.

---x---x---

(क) सुसंगत उपापन प्रक्रिया को रद्द कर सकेगी, यदि दोषसिद्ध बोली लगाने वाले की बोली सफल बोली के रूप में घोषित की गयी है किन्तु कोई उपापन संविदा नहीं की गयी है;

(ख) सुसंगत संविदा को विखंडित कर सकेगी या संविदा मूल्य के संपूर्ण संदाय या उसके किसी भाग को समपहृत कर सकेगी यदि उपापन संविदा उपापन संस्था और दोषसिद्ध बोली लगाने वाले के बीच की गयी है।

नियम 78.

उपापन प्रक्रिया का रद्दकरण.– यदि कोई उपापन प्रक्रिया रद्द कर दी गयी है तो उसे पुनः खोला नहीं जायेगा किन्तु इससे उपापन संस्था को, यदि अपेक्षित है तो, उसी विषय–वस्तु के लिए, नयी उपापन प्रक्रिया प्रारंभ करने से रोका नहीं जायेगा।

---x---x---

Award of contract

Provisions pertaining to award of contract after the examination of bids on the prescribed norms are narrated in section 27 and rule 70, 71 which are as under:-

Section 27.

Award of contract.- (1) Subject to the provisions of section 25 and sub-section (2) of section 6, the procuring entity shall consider a bid as successful-

(a) where price is the only award criterion, the bid with the lowest bid price;

(b) where there are price and other award criteria, the most advantageous bid ascertained on the basis of the criteria and procedures for evaluating bids as specified in the bidding documents;

(c) where there are no financial criteria, the most advantageous bid ascertained on the basis of selected non-financial criteria or other parameters for evaluating bids as specified in the bidding documents.

(2) A bid shall be treated as successful in terms of sub section (1), only after the competent authority has approved the procurement in terms of that bid.

(3) As soon as the procuring entity, with the approval of the competent authority, decides to accept a bid, it shall communicate that fact to all participating bidders and also publish the decision on the State Public Procurement Portal.

(4) While communicating acceptance of the bid, the procuring entity shall advise the successful bidder to complete the requirements within a specified time, including signing of any agreement or furnishing any security, if necessary, to conclude the procurement contract.

संविदा का अधिनिर्णय

बोलियों के निर्धारित मानकों पर परीक्षण उपरान्त संविदा के अधिनिर्णय सम्बन्धी निर्णय के बारे में प्रावधान धारा 27 तथा नियम 70, 71 में दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैः–

धारा 27.

संविदा का अधिनिर्णय.– (1) उपापन संस्था, धारा 25 और धारा 6 की उप–धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी बोली को–

(क) जहाँ केवल कीमत ही अधिनिर्णय कसौटी है, वहाँ न्यूनतम बोली कीमत वाली बोली को;

(ख) जहाँ कीमत और अन्य अधिनिर्णय कसौटी है, वहाँ कसौटी और बोली के मूल्यांकन के लिए बोली दस्तावेजों में यथाविनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के आधार पर सर्वाधिक लाभप्रद अभिनिश्चित बोली को;

(ग) जहाँ कोई वित्तीय कसौटी नहीं है, वहाँ चयनित गैर–वित्तीय कसौटी और बोली के मूल्यांकन के लिए बोली दस्तावेजों में यथाविनिर्दिष्ट अन्य पैमानों के आधार पर सर्वाधिक लाभप्रद अभिनिश्चित बोली को, सफल बोली समझेगी।

(2) कोई बोली, सक्षम प्राधिकारी द्वारा, उस बोली के निबंधनों के अनुसार उपापन अनुमोदन के पश्चात् ही, उप–धारा (1) के निबंधनों के अनुसार सफल बोली मानी जायेगी।

(3) उपापन संस्था, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, जैसे ही किसी बोली को स्वीकार करने का विनिश्चय करती है तो वह समस्त भाग लेने वाले बोली लगाने वालों को इस तथ्य की संसूचना देगी और इस विनिश्चय को राज्य लोक उपापन पोर्टल में प्रकाशित करेगी।

(4) उपापन संस्था, बोली की स्वीकृति संसूचित करते समय, सफल बोली लगाने वाले को, उपापन संविदा पूर्ण करने के लिए, विनिर्दिष्ट समय के भीतर–भीतर, किसी करार पर हस्ताक्षर करने या कोई प्रतिभूति देने, यदि आवश्यक हो, सहित अपेक्षाओं की पूर्ति करने की सलाह देगी।

Rule 70.

Acceptance of the successful bid and award of contract.- (1) The procuring entity after considering the recommendations of the bid evaluation committee and the conditions of bid, if any, financial implications, trials, sample testing and test reports, etc., shall accept or reject the successful bid. If any member of the bid evaluation committee has disagreed or given its note of dissent, the matter shall be referred to the next higher authority, as per delegation of financial powers, for decision.

(2) Decision on bids shall be taken within original validity period of bids and time period allowed to procuring entity for taking decision. If the decision is not taken within the original validity period or time limit allowed for taking decision, the matter shall be referred to the next higher authority in delegation of financial powers for decision.

(3) Before award of the contract, the procuring entity shall ensure that the price of successful bid is reasonable and consistent with the required quality.

(4) A bid shall be treated as successful only after the competent authority has approved the procurement in terms of that bid.

(5) The procuring entity shall award the contract to the bidder whose offer has been determined to be the lowest or most advantageous in accordance with the evaluation criteria set out in the bidding documents and if the bidder has been determined to be qualified to perform the contract satisfactorily on the basis of qualification criteria fixed for the bidders in the bidding documents for the subject matter of procurement.

(6) Prior to the expiration of the period of bid validity, the procuring entity shall inform the successful bidder, in writing, that its bid has been accepted.

नियम 70.

सफल बोली का स्वीकार किया जाना और संविदा का अधिनिर्णय.– (1) उपापन संस्था, बोली मूल्यांकन समिति की सिफारिशों और बोली की शर्तों, यदि कोई हो, वित्तीय परिणामों, परीक्षण, नमूना परीक्षण, परीक्षण रिपोर्टों इत्यादि पर विचार करने के पश्चात् सफल बोली को स्वीकार या अस्वीकार करेगी। बोली मूल्यांकन समिति का कोई सदस्य यदि असहमत होता है या अपनी विसम्मति की टिप्पण देता है तो मामला, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुरूप, विनिश्चय के लिए, अगले उच्चतर प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) बोली पर विनिश्चय, बोली की मूल विधिमान्यता कालावधि और उपापन संस्था को विनिश्चय लेने के लिए अनुज्ञात कालावधि के भीतर लिया जायेगा। यदि बोली की मूल विधिमान्यता कालावधि या विनिश्चय लेने के लिए अनुज्ञात कालावधि के भीतर विनिश्चय नहीं लिया जाता है तो मामला वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुरूप अगले उच्चतर प्राधिकारी को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जायेगा।

(3) संविदा अधिनिर्णय किये जाने के पूर्व, उपापन संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि सफल बोली की कीमत उचित और अपेक्षित गुणवत्ता के प्रति सुसंगत है।

(4) कोई बोली तब ही सफल मानी जायेगी जब सक्षम प्राधिकारी ने उस बोली के निबंधनों में उपापन को अनुमोदित कर दिया हो।

(5) उपापन संस्था संविदा उस बोली लगाने वाले को अधिनिर्णीत करेगी जिसका प्रस्ताव बोली दस्तावेजों में उपवर्णित मूल्यांकन कसौटी के अनुसार निम्नतम या सर्वाधिक लाभप्रद अवधारित किया गया हो और यदि उपापन की विषय–वस्तु के लिए बोली दस्तावेजों में बोली लगाने वालों के लिए नियत अर्हता कसौटी के आधार पर बोली लगाने वाले को संविदा संतोषजनक रूप से निष्पादित करने के लिए अर्हित अवधारित किया गया हो।

(6) बोली की विधिमान्यता की कालावधि के अवसान के पूर्व, उपापन संस्था लिखित में सफल बोली लगाने वाले को सूचित करेगी कि उसकी बोली स्वीकार कर ली गयी है।

(7) As soon as a bid is accepted by the competent authority, its written intimation shall be sent to the concerned bidder by registered post or email and asked to execute an agreement in the format given in the bidding documents on a non judicial stamp of requisite value and deposit the amount of performance security or a performance security declaration, if applicable, within a period specified in the bidding documents or where the period is not specified in the bidding documents then within fifteen days from the date on which the letter of acceptance or letter of intent is despatched to the bidder.

(8) If the issuance of formal letter of acceptance is likely to take time, in the meanwhile a Letter of Intent (LOI) may be sent to the bidder. The acceptance of an offer is complete as soon as the letter of acceptance or letter of intent is posted and/ or sent by email (if available) to the address of the bidder given in the bidding document. Until a formal contract is executed, the letter of acceptance or Letter of Intent shall constitute a binding contract.

(9) The bid security of the bidders whose bids could not be accepted shall be refunded soon after the contract with the successful bidder is signed and its performance security is obtained.

Rule 71.

Information and publication of award.- Information of award of contract shall be communicated to all participating bidders and published on the State Public Procurement Portal in accordance with provisions of sub-section (3) of section 27.

(7) जैसे ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई बोली स्वीकार की जाती है उसकी लिखित सूचना संबंधित बोली लगाने वाले को रजिस्ट्रीकृत डाक या ई–मेल द्वारा भेजी जायेगी और उससे अपेक्षित मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर बोली दस्तावेजों में दिये गये रूपविधान में एक करार निष्पादित करने और यदि लागू होती हो तो कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम या कार्य सम्पादन प्रतिभूति की घोषणा, बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या जहाँ ऐसी कालावधि बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट न हो तो उस तारीख, जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाये, से पन्द्रह दिवस के भीतर जमा करने के लिए कहा जायेगा।

(8) यदि स्वीकृति के औपचारिक पत्र के जारी किये जाने में समय लगने की संभावना हो तो तब तक बोली लगाने वाले को आशय पत्र प्रेषित किया जा सकेगा। किसी प्रस्ताव का स्वीकार किया जाना तब पूर्ण मान लिया जायेगा जैसे ही स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली दस्तावेज में दिये गये बोली लगाने वाले के पते पर डाक में डाल दिया गया हो और/या ई–मेल (यदि उपलब्ध हो) द्वारा प्रेषित कर दिया गया हो। जब तक औपचारिक संविदा का निष्पादन नहीं कर दिया जाये तब तक स्वीकृति पत्र या आशयपत्र एक नियत आबद्धकर संविदा होगी।

(9) ऐसे बोली लगाने वाले, जिनकी बोलियाँ स्वीकार नहीं की जा सकी थी, उनकी बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली लगाने वाले के साथ संविदा हस्ताक्षरित होने और उसकी कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्राप्त होने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।

नियम 71.

अधिनिर्णय की सूचना और प्रकाशन.– संविदा के अधिनिर्णय की सूचना सभी प्रतिभागी बोली लगाने वालों को संसूचित की जायेगी और धारा 27 की उप–धारा (3) के उपबंधों के अनुसार राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशित की जायेगी।

Methods of procurement

There are total 13 method of procurement (please see the chart given in the beginning of the book) have been described in section 28 and rule 5 and 14 and in Finance Department Notification which are as under-

Section 28.

Methods of procurement.- (1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, a procuring entity may procure a subject matter of procurement by means of any of the following methods, namely;-

(a) Open Competitive Bidding; or

(b) Limited Bidding; or

(c) Two stage Bidding; or

(d) Single Source Procurement; or

(e) Electronic Reverse Auction; or

(f) Request for Quotations; or

(g) Spot Purchase; or

(h) Competitive negotiations; or

(i) Rate Contract; or

(j) Any other method of procurement notified by the State Government satisfying the principles of procurement contained in this Act and which the State Government considers necessary in public interest.

उपापन की पद्धति

अधिनियम तथा नियमों में उपापन की कुल 13 पद्धतियों (कृपया पुस्तक के प्रारम्भ में दिया गया चार्ट देखें) का वर्णन धारा 28 तथा नियम 5 एवं नियम 14 तथा वित्त विभाग के नॉटिफिकेशन में मिलता है, जो इस प्रकार है–

धारा 28.

उपापन की पद्धति.–(1) इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, कोई उपापन संस्था उपापन की विषय–वस्तु का, निम्नलिखित पद्धतियों में से किसी एक पद्धति से उपापन कर सकेगी, अर्थात्:–

(क) खुली प्रतियोगी बोली; या

(ख) सीमित बोली; या

(ग) द्वि–प्रक्रम बोली; या

(घ) एकल स्रोत उपापन; या

(ड़) इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम; या

(च) कोटेशनों के लिए अनुरोध; या

(छ) मौके पर क्रय; या

(ज) प्रतियोगी बातचीत; या

(झ) दर संविदा; या

(ञ) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपापन के सिद्धान्तों का समाधान करने वाला और जिसको राज्य सरकार लोकहित में आवश्यक समझे, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उपापन की कोई भी अन्य पद्धति।

(2) The State Government may, by notification, declare adoption of electronic procurement as compulsory for different stages and types of procurement, and on such declaration, every requirement for written communication under this Act shall be deemed to have been satisfied if it were done by electronic means.

(3) In procuring a subject matter of procurement, every procuring entity shall follow the detailed procedure in respect of the relevant method of procurement as may be prescribed.

Rule 5.

e-procurement.- All subject matters of procurement of an estimated value, as may be [1]notified by the State Government under sub-section (2) of section 28, shall be procured through e-procurement. In such cases every bidder shall deposit user charges as may be fixed by the State Government, from time to time. Every bid shall be digitally signed by the bidder. The procedure of e-procurement shall be as specified for this purpose on the State Public Procurement Portal.

Comments: - Special care has to be taken while uploading bid on E-proc software specially while uploading BOQ online.

The entries on the software should be as per the approved bid document while submitting entries online.

The BOQ is in excel sheet on the E-proc software and if any formula inserted wrongly in the BOQ, evolution of financial bid may be difficult.

Detail regarding E-proc software given at e-proc.rajasthan.gov like Help for contractors, Information about DSC , Builders manual kit & FAQ should be studied carefully and entry should be made accordingly on this software.

1. "the adoption of electronic procurement shall be compulsory in following types of procurement, namely :-

1. Procurement of Goods and Services having estimated value of rupees ten lakh or more; and

2. Procurement of Works having estimated value of rupees five lakh or more. This notification shall come into force with effect from 01st September, 2016." (Substituted vide Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 31.8.2016, published in Rajasthan Gazette Ext. Ord. Pt.4 (Ga)(II) dated 31.8.2016 effective from 1.9.2016.)

For - "the adoption of electronic procurement shall be compulsory in following types of procurement, namely :-

1. Procurement of Goods and Services having estimated value of rupees twenty five lakhs or more.

2. Procurement of Works having estimated value of rupees ten lakhs or more." (Vide Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 16.9.2015, Published in Rajasthan Gazette Ext. Ord. Pt.4 (Ga)(I) dated 17.9.2015 effective from 17.9.2015.)

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उपापन के विभिन्न प्रक्रमों और प्रकारों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपापन को अंगीकृत करना अनिवार्य घोषित कर सकेगी और ऐसी घोषणा पर, इस अधिनियम के अधीन लिखित संसूचना के लिए प्रत्येक अपेक्षा पूर्ण की गयी समझी जायेगी, यदि वह इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा की गयी है।

(3) उपापन की विषय–वस्तु के उपापन में, प्रत्येक उपापन संस्था, उपापन की सुसंगत पद्धति के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया का पालन करेगी, जो विहित की जाये।

नियम 5.

ई–उपापन.– प्राक्कलित मूल्य के उपापन की समस्त विषय–वस्तु, जो धारा 28 की उप–धारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा [1]अधिसूचित की जाये, ई–उपापन के माध्यम से उपापित की जायेंगी। ऐसे मामलों में प्रत्येक बोली लगाने वाला ऐसे उपयोक्ता प्रभारों का निक्षेप करेगा जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत किये जाये। प्रत्येक बोली, बोली लगाने वाले द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित की जायेगी। ई–उपापन की प्रक्रिया राज्य लोक उपापन पोर्टल पर इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्टानुसार होगी।

टिप्पणीः – E-proc सॉफ्टवेयर पर बोली अपलोड करते समय BOQ यानी बिल ऑफ क्वांटिटी को सही रूप से और सही तरीके से अपलोड करने का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।

विभाग द्वारा ऑनलाइन प्रविष्टियाँ बोली को अपलोड करते समय वैसी ही भरी जावे जैसी की बोली दस्तावेज में अनुमोदित है।

E-proc सॉफ्टवेयर में BOQ एक्सेल शीट में होता है जिसमें कोई फार्मूला गलत रूप से डाला गया हो तो बोली के वित्तीय परिणामों के मूल्यांकन में कठिनाई हो सकती है।

E-proc सॉफ्टवेयर e-proc.rajasthan.gov.in पर दिए गए Help for contractors, Information about DSC, Builders manual kit तथा FAQ का भली–भांति अध्ययन कर E-proc सॉफ्टवेयर पर प्रविष्टियाँ की जानी चाहिए।

1.''उपापन के निम्नलिखित प्रकारों मे इलेक्ट्रोनिक उपापन का अंगीकरण अनिवार्य होगा, अर्थात्ः–
1. दस लाख रुपये या अधिक के प्राक्कलित मूल्य वाले माल और सेवाओं के उपापनय और।
2. पांच लाख रुपये या अधिक के प्राक्कलित मूल्य वाले संकर्मों के उपापन।
यह अधिसूचना 01 सितम्बर, 2016 से प्रवृत्त होगी।'' (अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 31.8.2016 द्वारा प्रतिस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(II) दिनांक 31.8.2016 में प्रकाशित (1.9.2016 से प्रभावी) –
''उपापन के निम्नलिखित प्रकारों में इलेक्ट्रोनिक उपापन का अंगीकरण अनिवार्य होगा, अर्थात्ः–
1. पच्चीस लाख रुपये या अधिक के प्राक्कलित मूल्य वाले माल और सेवाओं के उपापन।
2. दस लाख रुपये या अधिक के प्राक्कलित मूल्य वाले संकर्मों के उपापन।'' (अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 16.9.2015, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 17.9.2015 में प्रकाशित (17.9.2015 से प्रभावी)।

Rule 14.

Methods of Procurement.- Subject to the provisions of the Act, these rules, any additional condition notified under section 37 and guidelines issued under the Act, a procuring entity may procure a subject matter of procurement by any of the methods specified or notified under sub-section (1) of section 28.

Comments:-

Gem Portal

Following Provisions have been incorporated regarding procurement from GeM Portal:-

1- Procurement through Government E-marketplace (GeM) portal allowed vide FD Notification S.O. No. 17 F2(1)FD/SPFC/2017 dated 01.05.2017.

2- Guidelines regarding use of Government e-marketplace (GeM) protal launched by DGS&D under Ministry Commerce and Industry, Government of India. vide FD Notification F1(8)FD/SPFC/2017 dated 01.05.2017

3- Monitoring of Registration of Users and procurement through GeM Portal vide FD circular F. 2(2) FD/SPFC/2017 Dated : 25.7.2017

4- Monitoring of Registration of Users and procurement through GeM Portal. Vide FD Circular No.F.6(2)FD/GF&AR/2016/SPFC Dated : 2.2.2018.

5- Instructions regarding Monitoring of registraion of users and procurement through GeM Portal issued vide FD Circular F.6(2)FD/GFAR/2016/ SPFC Dated: 31.05.2019.

6- Instruction regarding Time Bound payment for procurement from Govt. E-marketplace issued vide FD Circular F.1(8)FD/SPFC/2017 Dated: 26.06.2019.

7- Instruction regarding Monitoring of Registration of Users and Procurement through GeM Portal issued vide FD Circular F.6 (2)FD/GFAR/2016/SPFC Dated: 18.06.2020 .

8- Monitoring of Registration of Users and Procurement through GeM Portal vide FD circular F.6 (2) FD/ GFAR /2016 / SPFC DATE 25.09.2020.

नियम 14.

उपापन की पद्धतियाँ.– अधिनियम, इन नियमों, धारा 37 के अधीन अधिसूचित किन्हीं अतिरिक्त शर्तों और अधिनियम के अधीन जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कोई उपापन संस्था धारा 28 की उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट या अधिसूचित पद्धतियों में से किसी एक पद्धति से उपापन की विषय–वस्तु का उपापन कर सकेगी।

टिप्पणीः–

जेम पोर्टल

जेम पोर्टल पर उपापन किये जाने हेतु निम्नांकित प्रावधान किये गये हैं:–

1. वित्त विभाग की अधिसूचना एस.ओ 17 एफडी/एसपीएफसी/2017 दिनांक 01.05.2017 द्वारा राजकीय ई:मार्केटप्लेस पोर्टल के माध्यम से उपापन अनुमत किया गया।
2. भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत DGS&D द्वारा launch किये गये Government e-marketplace (GeM) portal के उपयोग बाबत् दिशा निर्देश अधिसूचना संख्याः एफ.1(8) एफ.डी./एस.पी.एफ.सी./2017 दिनांक 01.05.2017 को जारी किये गये।
3. पोर्टल के माध्यम से उपयोगकर्ता के पंजीयन एवं उपापन की मॉनिटरिंग परिपत्र क्रमांकः एफ.2(2)एफ.डी./एसपीएफसी/2017 दिनांक 25.07.2017 को जारी किया गया।
4. पोर्टल के माध्यम से उपयोगकर्ता के पंजीयन एवं उपापन की मॉनिटरिंग परिपत्र क्रमांक एफ.6(2)एफ.डी./जीएफएआर/2016/एसपीएफसी दिनांक 02.02.2018 को जारी किया गया।
5. जेम पोर्टल पर उपापन हेतु रजिस्ट्रेशन के पर्यवेक्षण बाबत् परिपत्र क्रमांकः एफ.6(2)एफ.डी./जीएफएआर/2016/एसपीएफसी दिनांकः 31.05.2019 जारी किया गया।
6. ई–मार्केटप्लेस से उपापन करने पर समयबद्ध भुगतान बाबत् परिपत्र क्रमांकः एफ.1(8)एफ.डी./एसपीएफसी/2017 दिनांकः 26.06.2019 को जारी किया गया।
7. GeM पोर्टल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण और खरीद की निगरानी एफ.6(2)एफडी/जीएफएआर/2016/एस पी एफ सी दिनांकः 18.06.2020 को जारी किया गया।
8. पोर्टल के माध्यम से उपयोगकर्ता के पंजीयन एवं उपापन की मॉनिटरिंग परिपत्र क्रमांक एफ.6(2)एफ.डी./जीएफएआर/2016/एसपीएफसी दिनांक 25.09.2020 को जारी किया गया।

Tenders Rajasthan
Search | Active tenders | Tenders by Closing Date | Corrigendum | Results of tenders
MIS Reports
Tenders by Location
Tenders by Organisation
Tenders by Classification
Tenders in Archive
Tenders Status
Cancelled/Retendered
Downloads
Announcements
Debarment List
Recognitions
Site compatibility
Welcome to eProcurement System
Dashboard
Google Play
App Store
Latest Tenders
Tender Title
Reference No
Closing Date
Bid Opening Date
More...
Latest Corrigendum
Corrigendum Title
Reference No
Closing Date
Bid Opening Date
More...
Certifying Agency
Dashboard
india.gov.in
rajasthan.gov.in
Click here to Login
Online Bidder Enrollment
Generate / Forgot Password?
Find My Nodal Officer
Tender Search
Go
Advanced Search
FAQ
Feedback

Tenders Rajasthan
Search | Active Tenders | Tenders by Closing Date | Corrigendum | Results of Tenders
MIS Reports
Tenders by Location
Tenders by Organisation
Tenders by Classification
Tenders in Archive
Tenders Status
Cancelled/Retendered
Downloads
Announcements
Debarment List
Recognitions
Site compatibility
Tender Status
Back
Search Criteria I
Tender Status*
From Date*
To Date*
Form of Contract
Tender Category
Tender Type
Product Category
Search Criteria II
Organisation#
Tender Ref.No #
Department
Published From*
Division
Published To*
Sub Division
Search Criteria III
Tender ID*
Enter Captcha
2NKTBL
Refresh
Clear
Search
Dashboard
india.gov.in
rajasthan.gov.in
Government of Rajasthan
MMP on
eProcurement
Contents owned and maintained by Government of Rajasthan

Open competitive Bidding

Provisions pertaining to open competitive bidding have been prescribed in section 29 and rule 15 and rule 34 to 79(For rule 34 to 79, please refer as per page given in the index) which are as under:-

Section 29.

Open competitive bidding.- (1) Every procuring entity shall prefer the open competitive bidding as the most preferred method of procurement to be followed.

(2) Open competitive bidding may also be followed in case of two stage bidding in terms of section 32, electronic reverse auction in terms of section 33 and rate contract in terms of section 36.

(3) The procuring entity may follow the pre-qualification procedure specified in section 18 and invite bids from pre-qualified bidders only.

(4) Where the procuring entity chooses a method of procurement other than the open competitive bidding, it shall record the reasons and circumstances thereof.

(5) In case of an open competitive bidding, the procuring entity shall invite bids by publishing an invitation to bid on the State Public Procurement Portal and in at least one such other manner as may be prescribed.

Rule 15.

Open competitive bidding.- Procedure for procurement of a subject matter through open competitive bidding shall be as specified in Chapter-V of these rules.

[1][**15A. Swiss Challenge Method**.- Procedure for procurement of a subject matter through Swiss Challenge Method shall be as specified in CHAPTER-VA of these rules.]

---

1. Inserted by FD Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2014 dated 5.6.2015, published in Rajasthan Gazette Ext. Part.4(Ga)(I) dated 5.6.2015 effective from 5.6.2015.

खुली प्रतियोगी बोली

खुली प्रतियोगी बोली सम्बन्धी प्रावधान धारा 29 तथा नियम 15 एवं नियम 34–79 (नियम 34–79 हेतु कृपया अनुक्रमणिका में दिए गए पृष्ठानुसार देखें) में दिए गए जो निम्नानुसार हैं:–

धारा 29.

खुली प्रतियोगी बोली.–(1) प्रत्येक उपापन संस्था, खुली प्रतियोगी बोली को, उपापन की सर्वाधिक अधिमानित पद्धति के रूप में अपनाये जाने के लिए अधिमान देगी।

(2) खुली प्रतियोगी बोली, धारा 32 के निबंधनों के अनुसार द्वि–प्रक्रम बोली, धारा 33 के निबंधनों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम और धारा 36 के निबंधनों के अनुसार दर संविदा के मामले में भी अपनाई जा सकेगी।

(3) उपापन संस्था, धारा 18 में विनिर्दिष्ट पूर्व–अर्हता प्रक्रिया का पालन कर सकेगी और केवल पूर्व–अर्ह बोली लगाने वालों में से ही बोली आमंत्रित कर सकेगी।

(4) जहाँ कोई उपापन संस्था, खुली प्रतियोगी बोली से भिन्न उपापन की कोई पद्धति चुनती है, वहाँ वह इसके कारण और परिस्थितियाँ अभिलिखित करेगी।

(5) किसी खुली प्रतियोगी बोली के मामले में, कोई उपापन संस्था, राज्य लोक उपापन पोर्टल पर बोली का आमंत्रण प्रकाशित करके और कम से कम एक ऐसी अन्य रीति से, जो विहित की जाये, बोलियाँ आमंत्रित करेगी।

नियम 15.

खुली प्रतियोगी बोली.– खुली प्रतियोगी बोली के माध्यम से किसी विषय–वस्तु के उपापन की पद्धति इन नियमों के अध्याय 5 में विनिर्दिष्टानुसार होगी।

[1]**[15A.स्विस चैलेन्ज पद्धति.**– स्विस चैलेन्ज पद्धति के माध्यम से किसी विषय–वस्तु के उपापन के लिए प्रक्रिया वह होगी जो इन नियमों के अध्याय–5क में विनिर्दिष्ट की जाये।**]**

1. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक 5.6.2015 द्वारा अन्तःस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I)दिनांक 5.6.2015 में प्रकाशित (5.6.2015 से प्रभावी)।

Swiss Challenge Method of Procurement

1[**CHAPTER-VA**

For an unsolicited proposal of above 50 crores for a government project, Swiss challenge method may be adopted. In this method, third party is allowed to challenge the original proposal through open bidding, and then lets the original proponent counter-match. Relevant rules are prescribed in rule 15(A) and rule 79(A) to 79(O) which are as under.

Rule 79 A.

Swiss Challenge Method of Procurement.- The Swiss Challenge Method is a method in which an unsolicited proposal for a government project is received and allows third party to challenge the original proposal through open bidding, and then lets the original proponent counter-match the most advantageous / most competitive offer.

Rule 79 B.

Eligible sectors under Swiss Challenge Method.- In following sectors Swiss Challenge Method of procurement may be adopted, namely;-

(i) Agriculture, Horticulture, allied sector & post-harvest management Agriinfrastructure [Agriculture and horticulture Markets; Floriculture parks and markets; Agro-food processing and allied infrastructure (including common-user cold storage facilities)];

(ii) Transportation & Logistics [Roads (including bridges, highways, interchanges, and flyovers), Public Transport, Railway systems, Urban transport systems; MRTS, LRTS, Monorail, High-capacity bus systems, Airstrips, Inland water transport, Bus/Truck/Urban Transport Terminals and associated public facilities such as Public Amenities Centers];

(iii) Warehousing infrastructure (including container freight stations, container depots, cold storage facilities and tank farms);

---

1. Inserted by FD Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2014 dated 5.6.2015, published in Rajasthan Gazette Ext. Part.4(Ga)(I) dated 5.6.2015 effective from 5.6.2015.

उपापन की स्विस चैलेन्ज पद्धति

[1][अध्याय–5क

50 करोड़ से ऊपर के किसी सरकारी परियोजना के लिए अनपेक्षित प्रस्ताव हेतु स्विस चैलेंन्ज पद्धति अपनायी जा सकती है। इस पद्धति में अनपेक्षित प्रस्ताव पर खुली बोली के माध्यम से मूल प्रस्ताव को चुनौती द्वारा सर्वाधिक प्रतियोगी प्रस्ताव का प्रति मिलान किया जाता है। तत्संबंधी नियम 15(A)तथा नियम 79(क) से 79(ण)में दिये गये है जो इस प्रकार हैः–

नियम 79क

उपापन की स्विस चैलेन्ज पद्धति– स्विस चैलेन्ज पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें किसी सरकारी परियोजना के लिए एक अनपेक्षित प्रस्ताव प्राप्त किया जाता है और जो तीसरे पक्षकार को खुली बोली के माध्यम से मूल प्रस्ताव को चुनौती देने की अनुमति प्रदान करती है, और तब मूल प्रस्तावक को, सर्वाधिक लाभप्रद/सर्वाधिक प्रतियोगी प्रस्ताव का प्रति–मिलान करने की सुविधा प्रदान करती है।

नियम 79ख

स्विस चैलेन्ज पद्धति के अधीन पात्र सेक्टर– निम्नलिखित सेक्टरों में उपापन की स्विस चैलेन्ज पद्धति अंगीकार की जा सकेगी, अर्थात्ः–

(i) कृषि, उद्यान–कृषि, सहबद्ध सेक्टर और फसलोत्तर प्रबंध के लिए कृषि–अवसंरचना [कृषि और उद्यान कृषि बाजार; पुष्प–कृषि उद्यान और बाजार; कृषि–खाद्य प्रसंस्करण और सहबद्ध अवसंरचना (सामान्य–उपयोक्ता के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधा सहित)];

(ii) परिवहन और प्रचालन–तन्त्र [सड़कें (पुलों, राजमार्गो, पथ परिवर्तकों और फ्लाई–ओवरों सहित), लोक परिवहन, रेलवे प्रणाली, शहरी परिवहन प्रणालियाँः एम आर टी एस, एल आर टी एस, मोनोरेल, उच्च–क्षमता की बस प्रणालियां, हवाई पट्टियाँ, अंतर्देशीय जल परिवहन, बस/ट्रक/शहरी परिवहन टर्मिनल और संबद्ध लोक सुविधाएँ जैसे लोक सुविधा केन्द्र;]

(iii) भांडागारण अवसंरचना (माल भाड़ा कंटेनर स्टेशन, कंटेनर डिपो, कोल्ड स्टोरेज सुविधाएँ और टैंक फार्म सहित) ;

---

1. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक 5.6.2015 द्वारा अन्तःस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांकभाग 4(ग)(I)दिनांक 5.6.2015 में प्रकाशित (5.6.2015 से प्रभावी)।

(iv) Mechanized and Multistory Parking facilities;

(v) Urban and Municipal Infrastructure (Sanitation, Water Supply and Sewerage; Desalination; Underground drainage; Solid waste/ Bio-medical waste/ Hazardous waste; Collection, transportation, treatment and disposal facilities);

(vi) Education including Technical Education (Skill development etc.);

(vii) Gas distribution network;

(viii) Medical and Health Sector;

(ix) Housing Sector & Environment;

(x) Information Technology;

(xi) Water Body Eco-system Management;

(xii) Industrial infrastructure;

(xiii) Irrigation Sector;

(xiv) Land Reclamation;

(xv) New & Renewable Energy (solar, wind, hydel etc.);

(xvi) Power sector;

(xvii) Public Buildings, Markets, gardens, parks;

(xviii) Sports and Recreation infrastructure;

(xix) Trade Fair, Convention, Exhibition and Cultural Centers;

(xx) Tourism Sector;

(xxi) Water Supply Project;

(xxii) Up-gradation and restructuring of any of the projects in above sectors;

(xxiii) Any project in public-private partnership that the State Government may find beneficial;

(xxiv) Any proposal for the partial or complete disinvestment of a state public sector undertaking;

(xxv) Any other project, which is a combination of above mentioned sectors; and

(iv)यन्त्रीकृत और बहुमंजिला पार्किंग सुविधाएँ;

(v)शहरी और नगरपालिका अवसंरचना (साफ–सफाई, जल प्रदाय और मल–वहन; अलवणीकरण, भूमिगत जल–निकास; ठोस अपशिष्ट/जैव–चिकित्सा अपशिष्ट/परिसंकटमय अपशिष्टः संग्रहण, परिवहन, उपचार और व्ययन सुविधाएं);

(vi)तकनीकी शिक्षा को सम्मिलित करते हुए शिक्षा (कौशल विकास इत्यादि);

(vii)गैस वितरण नेटवर्क;

(viii)चिकित्सा और स्वास्थ्य सेक्टर;

(ix)आवासन सेक्टर और पर्यावरण;

(x)सूचना प्रौद्योगिकी;

(xi)जल निकाय पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंध;

(xii)औद्योगिक अवसंरचना;

(xiii) सिंचाई सेक्टर;

(xiv)भूमि–सुधार;

(xv)नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, वायु, पन बिजली इत्यादि);

(xvi)पॉवर सेक्टर;

(xvii) सार्वजनिक भवन, बाजार, उद्यान, पार्क;

(xviii)खेल और मनोरंजन अवसंरचना;

(xix)व्यापार मेला, सम्मेलन, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक केन्द्र;

(xx)पर्यटन सेक्टर;

(xxi)जल प्रदाय परियोजना;

(xxii)उपर्युक्त सेक्टरों में परियोजनाओं में से किसी भी परियोजना का उन्नयन और पुनः संरचना;

(xxiii)लोक–निजी भागीदारी में कोई भी परियोजना जिसे राज्य सरकार फायदाप्रद समझे;

(xxiv)किसी राज्य लोक सेक्टर उपक्रम के आंशिक या सम्पूर्ण अपनियोजन के लिए कोई प्रस्ताव;

(xxv)अन्य कोई परियोजना, जो उपर्युक्त वर्णित सेक्टरों का संयोजन हो; और

(xxvi) On recommendations, with appropriate justifications, of the Administrative Department for inclusion of any new sector, SLEC may recommend for inclusion of the same to the State Government. Any new sector can be added to the list of "eligible sectors" of these rules, only after the consent of the Finance Department of State Government on the recommendations of the SLEC.

Rule 79 C.

Projects, which shall not be acceptable under Swiss Challenge Method.- The following proposals shall not be acceptable under Swiss Challenge Method, namely;-

(i) Proposals which contravene the provisions of any law that is in force;

(ii) Proposals/ projects which would result in monopolistic situation;

(iii) Projects which are less than Rs. 50.00 crores (Rs. Fifty Crores) in value.

(iv) Proposals / projects that fall outside the sectors and below the financial limits as prescribed in these rules.

(v) Proposals of PPP Projects involving financial assistance from State Government by way of viability gap funding (VGF) more than 20% of the total project cost, excluding the cost of land.

Rule 79 D.

Procedure.- (1) The Project Proponent or his authorized representative, shall submit an application along with certificate in Form No. 2 and details of proposal in Form No. 3 to the Administrative Department. If Pre-Feasibility Report or detailed project report is available then same shall also be submitted with application. The contents of Pre-Feasibility Report shall be as specified in Form No. 4 and the contents of detailed project report shall be as specified in Form No. 5.

(xxvi)किसी नए सेक्टर को सम्मिलित किये जाने के लिए समुचित न्यायोचित्यों के साथ, प्रशासनिक विभाग की सिफारिश पर, राज्य स्तरीय सशक्त समिति राज्य सरकार से इसे सम्मिलित करने की सिफारिश कर सकेगी। रा.स्त.स.स. की सिफारिशों पर राज्य सरकार के वित्त विभाग की सहमति के पश्चात् ही कोई नया सेक्टर इन नियमों में ''पात्र सेक्टरों'' की सूची में, जोड़ा जा सकता है।

नियम 79ग.

परियोजनाएँ, जो स्विस चैलेन्ज पद्धति के अधीन प्रतिग्राह्य (स्वीकार्य) नहीं होंगी.– स्विस चैलेंज पद्धति के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव प्रतिग्राह्य (स्वीकार्य) नहीं होंगे, अर्थात्:–

(i)प्रस्ताव जो प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के प्रतिकूल हैं;

(ii)प्रस्ताव/परियोजनाएँ जिसका परिणाम एकाधिकार स्थिति है;

(iii) परियोजनाएँ जो मूल्य में 50.00 करोड़ रुपये (पचास करोड़ रुपये) से कम हैं;

(iv)प्रस्ताव/परियोजनाएँ जो इन नियमों में यथाविहित वित्तीय परिसीमाओं से कम और सेक्टरों के बाहर आते हैं;

(v)पी.पी.पी. परियोजनाओं के प्रस्ताव जिसमें वायेबिलिटि गैप फंडिंग (वी जी एफ) के माध्यम से राज्य सरकार से भूमि की लागत को अपवर्जित करते हुए कुल परियोजना लागत के 20 प्रतिशत से अधिक वित्तीय सहायता अन्तर्वलित हो।

नियम 79 घ

प्रक्रिया– (1) परियोजना प्रस्तावक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि, प्ररूप सं. 2 में प्रमाण पत्र और प्ररूप सं. 3 में प्रस्ताव के ब्यौरे सहित एक आवेदन प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत करेगा। यदि पूर्व–साध्यता रिपोर्ट या ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट उपलब्ध हो तो उसे भी आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाये। पूर्व–साध्यता रिपोर्ट की विषय–वस्तु प्ररूप सं. 4 में यथा–विनिर्दिष्ट होगी और ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट की विषय–वस्तु प्ररूप सं. 5 में यथा–विनिर्दिष्ट होगी।

(2) The Administrative Department shall scrutinize the proposal as to whether it falls into the purview of the department's development plans and whether "Public Need" is established and the proposal prima facie addresses the public need and requirement.

(3) If the Administrative Department finds that the proposal received under Swiss Challenge Method has no uniqueness and is similar to the procurement of goods/works/services, that is already being done under conventional method, then the Administrative Department would be under an obligation to reject such a proposal, but in case, if the Administrative Department considers that a proposal received is appropriate to be taken under Swiss Challenge Method, despite its being similar to the procurement being done under conventional methods, then it would record reasons in writing for accepting it under Swiss Challenge Method.

(4) The Administrative Department shall examine and offer its comments regarding the proposal submitted by Project Proponent. After examination if the Administrative Department is satisfied that the conditions specified in sub-rule (2) above, are fulfilled, it shall submit its recommendations to the State Level Empowered Committee (SLEC) through Planning Department of the State Government, for according the 'permission to proceed'.

(5) The Planning Department shall arrange and coordinate the meetings of the SLEC. The SLEC, after necessary examination, may accord the permission to proceed with or without modifications. The permission to proceed shall be conveyed by the Principal Secretary/Secretary, Planning Department to the Administrative Department concerned. On receipt of the permission to proceed, the same shall be exhibit by the Administrative Department on State Public Procurement Portal.

(2) प्रशासनिक विभाग प्रस्ताव की इस बात के लिए संवीक्षा करेगा कि क्या यह विभाग की विकास योजनाओं के कार्यक्षेत्र में आता है और क्या उससे ''जनावश्यकता'' स्थापित होती है और प्रस्ताव प्रथमदृष्ट्या जनावश्यकता और अपेक्षाओं को पूरा करता है।

(3) यदि प्रशासनिक विभाग को यह पता चलता है कि स्विस चैलेंज पद्धति के अधीन प्राप्त प्रस्ताव मे कोई अनन्यता नहीं है और वह पारंपरिक पद्धति के अधीन पहले से ही किये गये माल/संकर्म/सेवाओं के उपापन के समान है तब प्रशासनिक विभाग ऐसे किसी प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए बाध्य होगा, किन्तु यदि प्रशासनिक विभाग यह मान लेता है कि किसी प्राप्त प्रस्ताव का उसके पारंपरिक पद्धतियों के अधीन किये गये उपापन की समानता के बावजूद स्विस चैलेन्ज पद्धति के अधीन लिया जाना समुचित है तो वह स्विस चैलेंज पद्धति के अधीन उसे स्वीकार करने के लिए कारणों को अभिलिखित करेगा।

(4) प्रशासनिक विभाग, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का परीक्षण करेगा और इसके संबंध में अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करेगा। परीक्षा के पश्चात् यदि प्रशासनिक विभाग का यह समाधान हो जाता है कि उपरोक्त उप–नियम (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया गया है, तो वह ''अग्रसर किये जाने की अनुज्ञा'' प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार के आयोजना विभाग के माध्यम से राज्य स्तरीय सशक्त समिति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

(5) आयोजना विभाग रा.स्त.स.स. की बैठकों की व्यवस्था और समन्वय करेगा। रा.स्त.स.स. आवश्यक परीक्षा के पश्चात्, उपान्तरणों के सहित या रहित कार्यवाही किये जाने के लिए अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा। कार्यवाही किये जाने की अनुज्ञा प्रमुख सचिव/सचिव, आयोजना विभाग द्वारा संबंधित प्रशासनिक विभाग को दी जायेगी। कार्यवाही किये जाने की अनुज्ञा की प्राप्ति पर, राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रशासनिक विभाग द्वारा उसे प्रदर्शित किया जायेगा।

(6) After obtaining permission to proceed from SLEC, a letter shall be issued by the Administrative Department to the Project Proponent allowing a period of three months, for undertaking detailed studies including preparation of Detailed Project Report required for bidding and submit the detailed and comprehensive proposal to Administrative Department. In case, the Project Proponent fails to submit detailed and comprehensive proposal within a period of three months and submits written request to the Administrative Department, the Administrative Department may in appropriate case, after recording reasons in writing extendthe period specified above.

(7) If the Project Proponent fails to submit the detailed and comprehensive proposal within a specified period or extended period, as the case may be, the Administrative Department may at its discretion exercise the option to develop the project on its own or through its agencies or through any third party, without the Project Proponent having any claims, and if the Administrative Department exercises the option in the manner as specified above, it shall be exhibit by the Administrative Department on State Public Procurement Portal.

Rule 79 E.

Preparation and submission of detailed and comprehensive proposal.- (1) The Project Proponent shall submit a detailed and comprehensive proposal in **Form No. 6** along with detailed project report in hard copy and soft copy, Earnest Security equal to 0.05% of the total estimated cost of the Project, Bid Value/Financial Proposal-IRR etc. (with details and supporting documents, wherever necessary), project financial summary in Form No. 7 and check list for submission of documents in Form No. 8 within a period specified in rule 79D to the Administrative Department in hard copy and soft copy.

(6) रा.स्त.स.स. से कार्यवाही किये जाने की अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के पश्चात्, बोली के लिए अपेक्षित ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और प्रशासनिक विभाग को ब्यौरेवार और व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करने को सम्मिलित करते हुए विस्तृत अध्ययन करने के लिए तीन माह की कालावधि अनुज्ञात करके प्रशासनिक विभाग द्वारा परियोजना प्रस्तावक को एक पत्र जारी किया जायेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक तीन माह की कालावधि के भीतर ब्यौरेवार और व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करने में असफल रहता है और प्रशासनिक विभाग को लिखित निवेदन प्रस्तुत करता है तो प्रशासनिक विभाग समुचित मामले में, कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, उपर्युक्त विनिर्दिष्ट कालावधि को बढ़ा सकेगा।

(7) यदि परियोजना प्रस्तावक विनिर्दिष्ट कालावधि या, यथास्थिति, बढ़ाई गयी कालावधि के भीतर ब्यौरेवार और व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो प्रशासनिक विभाग स्वयं के विवेकानुसार, परियोजना प्रस्तावक के किसी दावे के बिना परियोजना स्वयं या अपने अभिकरणों या किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से परियोजना के विकास के विकल्प का प्रयोग कर सकेगा, और यदि प्रशासनिक विभाग उपर्युक्त यथा विनिर्दिष्ट रीति में विकल्प का प्रयोग करता है तो प्रशासनिक विभाग द्वारा इसे राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

नियम 79 ङ

ब्यौरेवार और व्यापक प्रस्ताव तैयार करना और उसका प्रस्तुत किया जाना–
(1) परियोजना प्रस्तावक हार्ड प्रति और सॉफ्ट प्रति में ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट, परियोजना की कुल प्राक्कलित लागत के 0.05 प्रतिशत के बराबर अग्रिम प्रतिभूति, बोली मूल्य/वित्तीय प्रस्ताव– इन्टरनल रेट ऑफ रिटर्न (आई आर आर) इत्यादि (ब्यौरों और समर्थन दस्तावेजों सहित जहां कहीं आवश्यक हो) प्ररूप 7 में परियोजना वित्त सारांश और प्ररूप 8 में दस्तावेजों की प्रस्तुति के लिए चैक लिस्ट के साथ प्ररूप सं. 6 में ब्यौरेवार और व्यापक प्रस्ताव नियम 79घ में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्रशासनिक विभाग को हार्ड और सॉफ्ट प्रति में प्रस्तुत करेगा।

(2) It should be ensured by the Project Proponent that all financial reports and/or the documents having financial details must be duly verified from a competent Chartered Accountant.

(3) The Administrative Department may carry out additional studies for independently determining the project cost, project revenues, viability and risk analysis etc. to ensure proper benchmarking.

[1][(4) The Project Proponent shall submit the detailed and comprehensive proposal in two covers. The first cover shall include the detailed project report, the survey data, specifications (input/output), as well as designs of the project, total estimated cost of the project on the basis of detailed project report, cost of preparation of detailed project report, along with the Earnest Security. The detailed project report shall include the details as specified in Form No. 5. The first cover shall be opened by the Administrative Department, or by a Committee constituted by the Administrative Department for this purpose. The Bid Value, in such form, as may be required by the Administrative Department, shall be submitted in a separate cover, duly sealed by the project proponent, which shall be opened by the Administrative Department, or by a Committee constituted by the Administrative Department for this purpose, only at the time of opening of the financial bids received from other bidders through open competitive bidding process.]

---

1. Substituted by FD Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2014 dated 28.8.2015, published in Rajasthan Gazette Ext.Ord.Pt.4(Ga)(I) dated 28.8.2015 for - (4) The Project Proponent shall submit the detailed and comprehensive proposal in two covers. The first cover shall include, the survey data, specifications (input/ output), as well as designs of the project, along with the Earnest Security. The financial proposal-Bid Value, DPR preparation cost and Internal Rate of Return etc., shall be submitted in a separate cover.

(2) परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वित्तीय ब्यौरों वाली समस्त वित्तीय रिपोर्टें और/या दस्तावेज किसी सक्षम चार्टेड एकाउटेंट द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित किये गये हैं।

(3) प्रशासनिक विभाग उचित संदर्भिका सुनिश्चित करने के लिए परियोजना लागत, परियोजना राजस्वों, व्यवहार्यता और जोखिम विश्लेषण इत्यादि को स्वतन्त्र रूप से अवधारित करने के लिए अतिरिक्त अध्ययन कर सकेगा।

[1][(4) परियोजना प्रस्तावक ब्यौरेवार और व्यापक प्रस्ताव दो आवरणों में प्रस्तुत करेगा। प्रथम आवरण में ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट, सर्वेक्षण डाटा, विनिर्देश (इनपुट/आउटपुट) के साथ ही परियोजना की डिजाईन, ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट के आधार पर परियोजना की कुल प्राक्कलित लागत, अग्रिम प्रतिभूति सहित ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट की तैयारी की लागत अंतर्विष्ट होगी। ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट में प्ररूप सं. 5 में यथा विनिर्दिष्ट ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे। प्रथम आवरण प्रशासनिक विभाग द्वारा, या इस प्रयोजन के लिए प्रशासनिक विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा खोला जायेगा। बोली मूल्य, ऐसे प्ररूप में, जैसा प्रशासनिक विभाग द्वारा अपेक्षित हो, परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्यक् रूप से सीलबंद पृथक आवरण में प्रस्तुत किया जायेगा, जो खुली प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अन्य बोली लगाने वालों से प्राप्त वित्तीय बोलियों के खोले जाने के समय पर ही प्रशासनिक विभाग द्वारा, या इस प्रयोजन के लिए प्रशासनिक विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा खोला जायेगा।]

1. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक 28.8.2015 द्वारा प्रतिस्थापित, राज. राज–पत्र विशेषांक भाग–4(ग) (1) दिनांक 28.8.2015 में प्रकाशित – ''(4) परियोजना प्रस्तावक ब्यौरेवार और व्यापक प्रस्ताव दो आवरणों में प्रस्तुत करेगा। प्रथम आवरण में सर्वेक्षण डाटा, विनिर्देश (इनपुट/आउटपुट) परियोजना के डिजाईनों, और अग्रिम प्रतिभूति को सम्मिलित करेगा। वित्तीय प्रस्ताव–बोली मूल्य, डीपीआर तैयारी लागत और आई आर आर इत्यादि एक प्रथक आवरण में की जायेगी।''

Rule 79 F.

Earnest Security.- (1) The Project Proponent shall furnish interest-free Earnest Security, as a token of sincerity and good faith, amounting to 0.05% of the total estimated cost of the project through demand draft or bank guarantee, acceptable to the Administrative Department concerned, with a validity period of not less than 180 days commencing from the date of submission of detailed and comprehensive proposal (including claim period of 60 days), to be extended as may be mutually agreed, from time to time. The Bid shall be summarily rejected if the detailed and comprehensive proposal is not accompanied by the Earnest Security.

(2) The Project Proponent shall also submit the requisite Bid Security as specified in the Bid Document, in case the bidding process is initiated under the proposed project by the Administrative Department concerned. [1][The Bid Security shall be calculated on the basis of the total estimated cost of the Project as per the detailed project report.] The Project Proponent shall be required to furnish the Bid Security as specified in the Bid document by the last date and time fixed for submission of bids under the bidding process initiated for the proposed project. The Earnest Security furnished by the Project Proponent earlier shall be adjusted against the Bid Security. If Project Proponent fails to furnish Bid Security of required amount within the time specified in Bid Document, his Earnest Security shall be forfeited and he shall have no right as the Project Proponent.

---

1. Inserted by FD Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2014 dated 28.8.2015, published in Rajasthan Gazette Ext. Ord.Pt.4(Ga)(I) dated 28.8.2015.

नियम 79 च

अग्रिम प्रतिभूति– (1) परियोजना प्रस्तावक ब्याज–रहित अग्रिम प्रतिभूति को सत्यनिष्ठा और सद्भावना के टोकन के रूप में परियोजना की कुल प्राक्कलित लागत की 0.05 प्रतिशत रकम का, मांग देय ड्राफ्ट या बैंक प्रत्याभूति, जो संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्रतिग्राह्य हो, के माध्यम से, ब्यौरेवार और व्यापक प्रस्ताव के प्रस्तुत किये जाने की तारीख से प्रारम्भ होने वाले 180 दिनों से अनिम्न की विधिमान्य कालावधि में, जो समय–समय पर पारस्परिक सहमति से बढ़ाई जा सकेगी (60 दिन की दावे की कालावधि को सम्मिलित करते हुए), प्रस्तुत करेगा। बोली विचार किये बिना अस्वीकृत की जायेगी यदि ब्यौरेवार और व्यापक प्रस्ताव के साथ अग्रिम प्रतिभूति नहीं है।

(2) यदि बोली लगाने की प्रक्रिया, संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना के अधीन आरंभ की गयी है तो परियोजना प्रस्तावक बोली दस्तावेज में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित बोली प्रतिभूति भी प्रस्तुत करेगा। [1][बोली प्रतिभूति, ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट के अनुसार परियोजना की कुल प्राक्कलित लागत के आधार पर संगणित की जायेगी।]परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तावित परियोजना के लिए आरंभ की गयी बोली प्रक्रिया के अधीन बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख और समय तक बोली दस्तावेज में यथा विनिर्दिष्ट बोली प्रतिभूति प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत की गयी अग्रिम प्रतिभूति, बोली प्रतिभूति के विरूद्ध समायोजित की जायेगी। यदि परियोजना प्रस्तावक, बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपेक्षित रकम की बोली प्रतिभूति प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसकी अग्रिम प्रतिभूति समपहृत कर ली जायेगी और उसे परियोजना प्रस्तावक के रूप में कोई अधिकार नहीं होगा।

---

1. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक 28.8.2015 द्वारा अन्तःस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 28.8.2015 में प्रकाशित।

Rule 79 G.

Detailed Project Report (DPR) preparation cost.- (1) The direct cost of preparing the DPR shall be mentioned by the Project Proponent in detailed and comprehensive proposal. The DPR preparation cost shall include external payout, internal cost, out-of pocket expenses and taxes, all accompanied by original receipts.

[1][(2) The Administrative Department or a Committee, constituted by the Administrative Department for this purpose, shall negotiate the cost of preparation of the detailed project report with the Project Proponent and ensure that such assessment of the detailed project report preparation cost shall be reasonable and justifiable. The reimbursement of detailed project report preparation cost to the project proponent shall be 0.1% of the final bid value or of the approved negotiated cost of preparation of detailed project report, whichever is lower.]

(3) The cost of preparation of DPR, as determined under sub-rule (2) above, may be reimbursed to the Project Proponent only in the case of final selection of successful bidder, if it is other than the Project Proponent, and only after the Procuring Entity has entered into agreement with such successful bidder. The cost of preparation of the DPR, payable to the Project Proponent, shall be recovered from the successful bidder as specified in the bid document;

Provided that the Project Proponent shall not be entitled for the cost of preparation of DPR if he fails to furnish Bid Security as specified in sub-rule (2) of rule 79F.

---

1. Substituted by FD Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2014 dated 28.8.2015, published in Rajasthan Gazette Ext. Ord.Pt.4(Ga)(I) dated 28.8.2015 for - "(2) The Administrative Department or a Committee, constituted by the Administrative Department for this purpose, shall negotiate the cost of preparation of the DPR with the Project Proponent and ensure that such costs shall be reasonable and justifiable subject to a maximum limit of 0.01% of the project cost, as determined by the Administrative Department, or Rs. 10,00,000/- (Rs. Ten Lakhs), whichever is lower."

नियम 79 छ.

ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) तैयार करने की लागत.–(1) ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रत्यक्ष लागत, परियोजना प्रस्तावक द्वारा ब्यौरेवार और व्यापक प्रस्ताव में वर्णित की जायेगी। ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट की तैयारी लागत में बाह्य अदायगी, आंतरिक लागत, आउट आफ पाकेट व्यय और कर, सभी के साथ मूल रसीदें सम्मिलित होंगी।

[1][(2) प्रशासनिक विभाग, या इस प्रयोजन के लिए प्रशासनिक विभाग द्वारा गठित समिति, परियोजना प्रस्तावक के साथ ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट की तैयारी की लागत पर वार्ता करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट तैयारी की लागत का ऐसा निर्धारण युक्तिसंगत और न्यायोचित हो। परियोजना प्रस्तावक को ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट की तैयारी की लागत की प्रतिपूर्ति अंतिम बोली मूल्य का या ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट की तैयारी की अनुमोदित वार्तानुसार लागत, इनमें से जो भी कम हो, का 0.1% की जायेगी।]

(3) उपर्युक्त उप–नियम (2) के अधीन यथा अवधारित, डी पी आर तैयार करने की लागत की प्रतिपूर्ति, सफल बोली लगाने वाले के अंतिम चयन और उपापन संस्था के ऐसे सफल बोली लगाने वाले के साथ करार करने के पश्चात् ही केवल परियोजना प्रस्तावक को प्रतिपूर्ति की जायेगी यदि वह परियोजना प्रस्तावक से भिन्न है। परियोजना प्रस्तावक को संदेय डी पी आर तैयार करने की लागत, सफल बोली लगाने वाले से वसूल की जायेगी जैसा बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट है :

परन्तु परियोजना प्रस्तावक डी पी आर तैयार करने की लागत के लिए हकदार नहीं होगा यदि वह नियम 79च के उप–नियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट बोली की प्रतिभूति देने में असफल रहता है।

---

1. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक 28.8.2015 द्वारा प्रतिस्थापित ,राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 28.8.2015 में प्रकाशित–''(2) प्रशासनिक विभाग, या इस प्रयोजन के लिए प्रशासनिक विभाग द्वारा गठित समिति, परियोजना प्रस्तावक के साथ डीपीआर की तैयारी लागत पर वार्ता करेगा और यह सुनिश्चित करेगा की ऐसी लागते, प्रशासनिक विभाग द्वारा यथा अवधारित परियोजना लागत के 0.01प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए या रू,10,00,000/–(दस लाख रूपये), जो भी कम हो, युक्तिसंगत और न्यायोचित होगी।''

(4) In case, for any reason whatsoever, the project is not taken up by the Administrative Department, the cost of preparation of DPR shall not be reimbursed to the Proposal Proponent.

Rule 79 H.

Clarifications regarding Detailed Project Report (DPR).- No changes shall be permitted in the DPR once the Project Proponent has submitted the DPR to the Administrative Department concerned. However, the Administrative Department may seek clarifications with respect to the DPR from the Project Proponent and these clarifications shall be attached as an addendum to the DPR.

Rule 79 I.

Bid Parameters and Bid Value.- (1) The Project Proponent shall submit the detailed and comprehensive proposal along with the bid parameters and Bid Value. The decision on the bid parameters shall be taken by the Administrative Department concerned and the Administrative Department shall have the authority to make changes to the project proposal as per the needs, requirements and development plans of the Administrative Department, without changing the basic theme and fundamental structure of the project proposal. Any such change in the bid parameters shall [1][be intimated to the Project Proponent if required, the] Administrative Department may provide an additional time of fifteen days to the Project Proponent for submitting the final bid value.

---

1. Substituted by FD Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2014 dated 28.8.2015, published in Rajasthan Gazette Ext. Ord. Pt.4(Ga)(I) dated 28.8.2015 for -
"be intimated to the Project Proponent. The Administrative Department concerned shall evaluate the bid value vis-à-vis the final bid parameters and if required, the"

(4) किसी भी कारण से यदि परियोजना प्रशासनिक विभाग द्वारा नहीं ली जाती है तो डी पी आर की तैयारी लागत की प्रतिपूर्ति परियोजना प्रस्तावक को नहीं की जायेगी।

नियम 79 ज

ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) के संबंध में स्पष्टीकरण– एक बार परियोजना प्रस्तावक द्वारा संबंधित प्रशासनिक विभाग को डी पी आर प्रस्तुत करने के पश्चात् डी पी आर में कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। तथापि, प्रशासनिक विभाग परियोजना प्रस्तावक से डी पी आर के संबंध में स्पष्टीकरण माँग सकेगा और ये स्पष्टीकरण डी पी आर के साथ युक्तिका के रूप में संलग्न किये जायेंगे।

नियम 79 झ.

बोली परिमाप और बोली मूल्य.– (1) परियोजना प्रस्तावक बोली परिमापों और बोली मूल्य के साथ ब्यौरेवार और व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। बोली परिमापों पर विनिश्चय संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा लिया जायेगा और प्रशासनिक विभाग के पास यह प्राधिकार होगा कि वह परियोजना प्रस्ताव की मूल विषय वस्तु और आधारभूत ढाँचे को परिवर्तित किये बिना, प्रशासनिक विभाग की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं और विकास योजनाओं के अनुसार परियोजना प्रस्ताव को परिवर्तित कर सके। बोली परिमापों में ऐसा कोई परिवर्तन परियोजना [1][प्रस्तावक को संसूचित किया जायेगा। यदि अपेक्षित हो, तो]प्रशासनिक विभाग अंतिम बोली मूल्य को प्रस्तुत करने के लिए परियोजना प्रस्तावक को पंद्रह दिन का अतिरिक्त समय उपलब्ध करवा सकेगा।

---

1. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक 28.8.2015 द्वारा विद्यमान अभिव्यक्ति ''प्रस्तावक को संसूचित किया जायेगा। संबंधित प्रशासनिक विभाग अंतिम बोली परिमापों के मुकाबले बोली मूल्य का मूल्यांकन करेगा और यदि अपेक्षित हो, तो'' के स्थान पर प्रतिस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I)दिनांक 28.8.2015 में प्रकाशित।

[1][(2) If the additional time is allowed under sub-rule (1), the Project Proponent shall submit the final bid value in such form as may be required by the Administrative Department. After submission of final bid value by the project proponent, the original bid value submitted by the project proponent shall become inoperative. The final bid value shall be submitted in a separate cover, duly sealed by the project proponent, which shall be opened only at the time of opening of the financial bids received from bidders through open competitive bidding process. In case, the Project Proponent desires to give additional information, he may enclose such information separately. After submission of the final bid value by the project proponent, the Administrative Department shall submit the proposal, with appropriate recommendation, to the State Level Empowered Committee.]

Rule 79 J.

Competent Authority for approval of Projects under SCM and Procedure to be followed thereof.- (1) After examination of the detailed and comprehensive proposal, the Administrative Department shall submit detailed and comprehensive proposal along with its recommendation to SLEC for consideration. The Administrative Department shall also indicate the budgetary provisions for the project proposal.

(2) On receipt of recommendation of the Administrative Department, the SLEC shall examine, consider and grant approvals on merits.

---

1. Substituted by FD Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2014 dated 28.8.2015, published in Rajasthan Gazette Ext. Ord. Pt.4(Ga)(I) dated 28.8.2015 for -
"(2) The Project Proponent shall submit the bid value in such form as may be required by the Administrative Department. In case, the Project Proponent desires to give additional information, he may enclose such information separately. After explicit consent of the Project Proponent on the final bid value, the Administrative Department shall submit the proposal, with appropriate recommendation, to the SLEC."

[1][(2) यदि उप–नियम (1) के अधीन अतिरिक्त समय अनुज्ञात किया जाता है, तो परियोजना प्रस्तावक अंतिम बोली मूल्य ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत कर सकेगा जैसा कि प्रशासनिक विभाग द्वारा अपेक्षा की जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंतिम बोली मूल्य के प्रस्तुतीकरण के पश्चात्, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया मूल बोली मूल्य, अप्रवर्तनीय हो जायेगा। अंतिम बोली मूल्य, परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्यक् रूप से सीलबंद पृथक् आवरण में प्रस्तुत किया जायेगा, जो कि खुली प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के माध्यम से बोली लगाने वालों से प्राप्त वित्तीय बोलियों के खोलने के समय पर ही खोला जायेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अतिरिक्त सूचना देने की वांछा करता है, तो वह ऐसी सूचना पृथक् से परिवेष्ठित कर सकेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंतिम बोली मूल्य के प्रस्तुतीकरण के पश्चात्, प्रशासनिक विभाग, समुचित सिफारिश के साथ, प्रस्ताव राज्य स्तरीय सशक्त समिति को प्रस्तुत करेगा।']

नियम 79 ञ.

स्विस चैलेंज पद्धति (एस.सी.एम.) के अधीन परियोजनाओं का अनुमोदन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और उसके लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया.– (1) ब्यौरेवार और व्यापक प्रस्ताव के परीक्षण के पश्चात् प्रशासनिक विभाग ब्यौरेवार और व्यापक प्रस्ताव को अपनी सिफारिशों के साथ रा.स्त.स.स. को विचारण के लिए प्रस्तुत करेगा। प्रशासनिक विभाग परियोजना प्रस्ताव के लिए बजट उपबंधों को भी उपदर्शित करेगा।

(2) प्रशासनिक विभाग से प्राप्त सिफारिशों की प्राप्ति पर रा.स्त.स.स. परीक्षण करेगी, विचार करेगी और गुणागुण पर अनुमोदन प्रदान करेगी।

1. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक 28.8.2015 द्वारा प्रतिस्थापित, राज. राज–पत्र विशेषांक भाग–4(ग) (1) दिनांक 28.8.2015 में प्रकाशित–(2) परियोजना प्रस्तावक अंतिम बोली मूल्य ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत कर सकेगा जैसा कि प्रशासनिक विभाग द्वारा अपेक्षा की जाये। यदि परियोजना प्रस्तावक अतिरिक्त सूचना देने की वांछा करता है ता वह ऐसी सूचना प्रथक से परिवेष्ठित कर सकेगा। अंमित बोली मूल्य पर परियोजना प्रस्तावक की स्पष्ट सहमति के पश्चात् प्रशासनिक विभाग समुचित सिफारिशों के साथ प्रस्ताव रा.स्त.स.स को प्रस्तुत करेगा।

Rule 79 K.

Bidding Process.- (1) The DPR (except for proprietary technology details) shall be shared with prospective bidders so as to ensure fair competition and for providing an opportunity for a competitive bidding process. The open competitive bidding process, as provided in Chapter-V of these rules, shall be initiated by the Administrative Department concerned after approval of the project proposal from SLEC.

(2) The bidding document, among other essential clauses, shall incorporate details about the necessary clearances/approvals to be taken from respective authorities and who, i.e. the Administrative Department or the successful Bidder/ Project Proponent, shall be responsible for taking it, keeping in view the nature and [1][requirements of individual project. The bidding document shall clearly incorporate that the open bidding process is being taken up under Swiss Challenge Method of procurement.]

(3) After examination of the bids, if the proposal of the Project Proponent is found to be lowest or most advantageous, as the case may be, in accordance with the evaluation criteria as specified in bidding document, then the Project Proponent shall be selected and awarded the project. In case bid of other bidder is found lowest or most advantageous, as the case may be, the Project Proponent shall be given an opportunity to match the lowest or most advantageous bid within a period as specified. If the Project Proponent agrees to match the lowest or most advantageous bid, within the time period specified, the Project Proponent shall be selected and awarded the project. In case the Project Proponent fails to match the lowest or most advantageous bid, within the period specified, the bidder who has submitted lowest or most advantageous bid, as the case may be, shall be selected and awarded the project;

1.Substituted by FD Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2014 dated 28.8.2015, published in Rajasthan Gazette Ext. Ord. Pt.4(Ga)(I) dated 28.8.2015 for - requirements of individual project.

नियम 79 ट

बोली प्रक्रिया.– (1) प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के लिए अवसर उपलब्ध कराने के लिए और उचित प्रतियोगिता सुनिश्चित करने के लिए डी पी आर (सांपत्तिक प्रौद्योगिकी ब्यौरों को छोड़कर) भावी बोली लगाने वालों के साथ साझा किया जायेगा। इन नियमों के अध्याय–5 में यथा उपबंधित खुली प्रतियोगी बोली प्रक्रिया, राज्य स्तरीय सशक्त समिति द्वारा परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात्, संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा आरंभ की जायेगी।

(2) बोली दस्तावेज में, अन्य आवश्यक खण्डों के साथ, सम्बन्धित प्राधिकारियों से प्राप्त की जाने वाली आवश्यक अनापत्तियों/अनुमोदनों के बारे में ब्यौरे सम्मिलित होंगे और जो, अर्थात् प्रशासनिक विभाग या सफल बोली लगाने वाला/परियोजना प्रस्तावक, व्यैक्तिक परियोजना की प्रकृति और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, इसे लेने के लिए [1][उत्तरदायी होगा। बोली दस्तावेज स्पष्ट रूप से यह सम्मिलित करेगा कि खुली बोली प्रक्रिया को उपापन की स्विस चैलेंज पद्धति के अधीन लिया जा रहा है।]

(3) बोलियों के परीक्षण के पश्चात्, बोली दस्तावेज में यथा–विनिर्दिष्ट मूल्यांकन मानदंड के अनुसार, यदि परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव निम्नतम या, यथास्थिति, सर्वाधिक लाभप्रद पाया जाता है, तब परियोजना प्रस्तावक को चयनित किया जायेगा और उसे परियोजना अधिनिर्णीत की जायेगी। यदि अन्य बोली लगाने वाले की बोली निम्नतम या, यथास्थिति, सर्वाधिक लाभप्रद पायी जाती है तो परियोजना प्रस्तावक को यथा–विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर निम्नतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली का मिलान करने के लिए अवसर दिया जायेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक, विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर, निम्नतम या, यथास्थिति, सर्वाधिक लाभप्रद बोली का मिलान करने के लिए सहमत हो जाता है, तो परियोजना प्रस्तावक को चयनित किया जायेगा और उसे परियोजना अधिनिर्णीत की जायेगी। यदि परियोजना प्रस्तावक, विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर, निम्नतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली का मिलान करने में असफल रहता है तो, उस बोली लगाने वाले को जिसने निम्नतम या, यथास्थिति, सर्वाधिक लाभप्रद बोली प्रस्तुत की है, चयनित किया जायेगा और उसे परियोजना अधिनिर्णीत की जायेगी;

---

1. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक 28.8.2015 द्वारा विद्यमान अभिव्यक्ति ''उत्तरदायी होगा'' के स्थान पर प्रतिस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 28.8.2015 में प्रकाशित।

[1][Provided that, if through the open bidding process, bid of other bidder is found lowest or most advantageous, as the case may be, the project proponent shall be given an opportunity to match such lowest or most advantageous bid, only if the final bid value offered by the project proponent is within 15% of such lowest or most advantageous bid, as the case may be.]

Rule 79 L.

Transaction Advisor.- (1) The Administrative Department concerned may appoint a Transaction Advisor for the project or entrust the responsibility on officer of the Department. The Transaction Advisor shall be capable to offer technical, financial and legal advice and assist the Administrative Department concerned in finalization of the successful bidder.

(2) In case, the Administrative Department desires to appoint a Transaction Advisor for a project proposal received under Swiss Challenge Method, it may initiate the process of the appointment of the Transaction Advisor immediately after the permission to proceed is granted by the SLEC in order to save time in the process. It shall be ensured by the Administrative Department that the process of appointment of the Transaction Advisor is completed before submission of DPR by the Project Proponent.

(3) The functions and responsibilities of the Transaction Advisor shall be as under,-

---

1. Added by FD Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2014 dated 28.8.2015, Published in Rajasthan Gazette Ext. Ord. Pt.4(Ga)(I) dated 28.8.2015.

[1][परंतु यदि खुली बोली प्रक्रिया के माध्यम से, अन्य बोली लगाने वाले की बोली निम्नतम, या यथास्थिति, सर्वाधिक लाभप्रद पायी जाती है, तो परियोजना प्रस्तावक को ऐसी निम्नतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली के मिलान का अवसर केवल तब ही दिया जायेगा, जब यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गयी अंतिम बोली मूल्य ऐसी निम्नतम, या यथास्थिति, सर्वाधिक लाभप्रद बोली के 15% के भीतर है।]

नियम 79 ठ.

संव्यवहार सलाहकार.– (1) संबंधित प्रशासनिक विभाग परियोजना के लिए संव्यवहार सलाहकार नियुक्त कर सकेगा या विभाग के अधिकारी को उत्तरदायित्व न्यस्त (दायित्व सौंपना) कर सकेगा। संव्यवहार सलाहकार तकनीकी, वित्तीय और विधिक सलाह देने के लिए समर्थ होगा और सफल बोली लगाने वाले के चयन को अंतिम रूप देने में संबंधित प्रशासनिक विभाग की सहायता करेगा।

(2) यदि प्रशासनिक विभाग स्विस चैलेंज पद्धति के अधीन प्राप्त किसी परियोजना प्रस्ताव के लिए संव्यवहार सलाहकार नियुक्त करने की वांछा करता है तो, प्रक्रिया में लगने वाले समय को बचाने के क्रम में राज्य स्तरीय सशक्त समिति द्वारा आगे बढ़ने की अनुज्ञा की मंजूरी के पश्चात् तत्काल संव्यवहार सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकेगा।

(3) संव्यवहार सलाहकार के कृत्य और उत्तरदायित्व निम्नानुसार होंगे,–

1.अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक 28.8.2015 द्वारा प्रतिस्थापित, राज. राज–पत्र विशेषांक भाग–4(ग) (1) दिनांक 28.8.2015 में प्रकाशित (28.8.2015 से प्रभावी)।

(i) he shall examine the DPR with respect to technology, technical specifications, cost estimates, drawings, Internal Rate of Return (IRR), Net Present Value (NPV), Equity debt ratio, Value for Money analysis, necessary approvals (statutory or otherwise) required for the implementation of the project etc.;

(ii) he, if required by the Administrative Department, shall carry out additional studies for independently determining the project cost, project revenues, viability and risk analysis etc. including Value for Money analysis to ensure proper benchmarking;

(iii) he shall be required to specify broad parameters regarding environment and social safeguards that need to be adhered by the concessionaire during implementation period in the bid document;

(iv) he shall assist the Administrative Department to get necessary approvals from appropriate authorities for the implementation of the project;

(v) he shall develop documents for Request for Qualification (RFQ)/Request for Proposals (RFP) and submit to the Administrative Department concerned for approval. The bidding criteria shall be designed in such a way that maximum competition is ensured;

(vi) he shall develop and present the RFP and the concession agreement to the concerned authorities for approval and after competent approval, the same shall be launched into the market;

(vii) he shall assist the Administrative Department concerned with the Bid process management, including Request for Proposal (RFP) launch, formulation of responses to bidder queries, bid evaluation and recommendations as per the criteria mentioned in the RFP document, recommending a bidder, contract negotiations and bid closure which are required to be undertaken, for bringing the Project to a Technical close;

(i)वह परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी, तकनीकी विनिर्देशों, लागत प्राक्कलनों, रेखाचित्रों, आई आर आर, शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन पी वी), साम्य ऋण अनुपात, धन विश्लेषण के लिए मूल्य, आवश्यक अनुमोदनों (कानूनी या अन्यथा) इत्यादि के संबंध में डी पी आर का परीक्षण करेगा;

(ii)वह, यदि प्रशासनिक विभाग द्वारा अपेक्षित हो, उचित संदर्भिका सुनिश्चित करने के लिए धन विश्लेषण के लिए मूल्य को सम्मिलित करते हुए परियोजना लागत, परियोजना राजस्व, अर्थक्षमता और जोखिम विश्लेषणों इत्यादि का स्वतंत्र रूप से अवधारण करने के लिए अतिरिक्त अध्ययन करेगा;

(iii)उससे पर्यावरण और सामाजिक रक्षोपायों के संबंध में विस्तृत परिमापों को विनिर्दिष्ट करने की अपेक्षा की जायेगी जिसकी बोली दस्तावेज में क्रियान्वयन कालावधि के दौरान रियायतग्राही द्वारा पालना करना आवश्यक होगा;

(iv)वह परियोजना के क्रियान्वयन के लिए समुचित प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में प्रशासनिक विभाग की सहायता करेगा;

(v)वह अर्हता के लिए अनुरोध (आर एफ क्यू)/प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आर एफ पी) के लिए दस्तावेज तैयार करेगा और संबंधित प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। बोली मानदंड इस प्रकार तैयार किये जायेंगे ताकि अधिकतम प्रतियोगिता सुनिश्चित हो;

(vi)वह प्रस्तावों के लिए अनुरोध और रियायत करार तैयार करेगा और अनुमोदन के लिए संबंधित प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेगा और सक्षम अनुमोदन के पश्चात्, उसे बाजार में जारी करेगा;

(vii)वह प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर एफ पी) जारी करने, बोली लगाने वाले के प्रश्नों के प्रत्युत्तर तैयार करने, आर एफ पी दस्तावेजों में वर्णित मानदण्डों के अनुसार बोली मूल्यांकन और सिफारिश करने, बोली लगाने वाले की सिफारिश करने, संविदा बातचीत करने और बोली समापन करने, जो किसी परियोजना के तकनीकी समापन के लिए किया जाना अपेक्षित है, को सम्मिलित करते हुए, बोली प्रक्रिया प्रबंधन में संबंधित प्रशासनिक विभाग की सहायता करेगा;

(viii) he shall submit all the documents for approval to the Administrative Department. He shall not provide any document to the bidder(s) or any other person(s) without explicit consent from the Administrative Department concerned; and

(ix) he shall perform any other functions or responsibilities assigned by the Administrative Department.

79 M. Time frame for the total process.- The time frame for procurement through Swiss Challenge Method shall be as under;-

S. No.	Activity	Time Required
1.	Examination of preliminary report and permission to the proponent to proceed for preparation of detailed proposal OR rejection of the proposal, as the case may be, by the Administrative Department.	One Month from the date of receipt of the proposal.
2.	Detailed proposal submission by the proponent.	Within three Months or Period extended under sub-rule (6) of rule 79D.
3.	Examination of detailed proposal, preparation of bid documents and approval from competent authority	Forty Five days
4.	Bid invitation and submission of bids	(i) Thirty days from the date of first publication of Notice Inviting Bids;

(viii)वह अनुमोदन के लिए सभी दस्तावेज प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत करेगा। वह संबंधित प्रशासनिक विभाग की अभिव्यक्त सहमति के बिना बोली लगाने वाले (बोली लगाने वालों) या किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) को कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवायेगा; और

(ix)वह प्रशासनिक विभाग द्वारा नियत किन्हीं अन्य कृत्यों या उत्तरदायित्वों का पालन करेगा।

नियम 79 ङ. संपूर्ण प्रक्रिया के लिए समय–सीमा– स्विस चैलेंज पद्धति के माध्यम से उपापन के लिए समय–सीमा निम्नानुसार होगी :–

क्रसं	क्रियाकलाप	अपेक्षित समय
1.	प्रशासनिक विभाग द्वारा आरंभिक रिपोर्ट के परीक्षण और ब्यौरेवार प्रस्ताव की तैयारी के लिए अग्रसर होने के लिए प्रस्तावक को अनुज्ञा या, यथास्थिति, प्रस्ताव का रद्दकरण।	प्रस्ताव प्राप्त करने की तारीख से एक माह
2.	प्रस्तावक द्वारा ब्यौरेवार प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण	तीन माह के भीतर या नियम 79 घ के उप–नियम (6) के अधीन विस्तारित कालावधि
3.	ब्यौरेवार प्रस्ताव का परीक्षण, बोली दस्तावेजों की तैयारी और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन	पैंतालीस दिन
4.	बोली आमंत्रण और बोलियों का प्रस्तुतीकरण	(i) बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से तीस दिन;

		(ii) Where clarifications/ addendum are issued, at least fifteen days from date of issue of clarifications/addendum; or (iii) In case of International Competitive Bidding, the period of submission of bids shall be forty five days from the date of first publication of Notice Inviting Bids and at least twenty days from the date of issue of clarifications/addendum.
5.	Bids evaluation	Fifteen Days
6.	Time for project proponent to match the most advantageous bid, if any.	Fifteen Days
7.	Letter of Award	Within 7 days of approval of award by the competent authority.
8.	Execution of Contract Agreement	Within fifteen days of issue of letter of award or a period as specified in the bidding documents.

Provided that, in appropriate cases, the Administrative Department may relax the above mentioned period.

		(ii) जहाँ स्पष्टीकरण/ युक्तिका जारी किये जायें, वहाँ स्पष्टीकरण/ युक्तिका के जारी करने की तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन; या (iii) अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की दशा में, बोली प्रस्तुत करने की कालावधि बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन और स्पष्टीकरण/ युक्तिका के जारी करने की तारीख से कम से कम बीस दिन होगी
5.	बोली मूल्यांकन	पन्द्रह दिन
6.	सर्वाधिक लाभप्रद बोली, यदि कोई हो, के मिलान के लिए परियोजना प्रस्तावक के लिए समय	पन्द्रह दिन
7.	अधिनिर्णय पत्र	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णय के अनुमोदन के सात दिन के भीतर
8.	संविदा करार का निष्पादन	अधिनिर्णय के पत्र के जारी करने के पन्द्रह दिन के भीतर या बोली दस्तावेजों में यथा–विनिर्दिष्ट कालावधि

परंतु समुचित मामलों में, प्रशासनिक विभाग उपर्युक्त वर्णित कालावधि शिथिल कर सकेगा।

Rule 79 N.

Eligibility criteria for the Project Proponent.- (1) [1][The legal entity or person, including joint venture or consortium] shall be eligible for submitting proposal as Project Proponent, if,-

(i) the person or lead member shall have an average turnover of minimum of 100% project cost in the last three financial years and in case of Joint venture/consortium, an average turnover of minimum of 100% of project cost in last three financial years by lead member and the audited balance sheets of last three financial years shall be submitted;

(ii) [2][the person or lead member, or any other member of the joint venture or consortium, shall have experience] in handling at least one project in that Sector in which the proposal is being submitted, costing not less than 100% of total project cost over the last 10 years, in such project(s) where the contract has been awarded and work has been completed. (Work order and completion certificate from the client shall be provided);

(iii) he shall not be blacklisted by Central Government, any State Government or any Government agency. He shall submit an undertaking to the effect that he has not been blacklisted by Central Government, any State Government or any Government agency; and

---

1.Substituted by FD Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2014 dated 28.8.2015, published in Rajasthan Gazette Ext. Ord.Pt.4(Ga)(I) dated 28.8.2015 for-"The following legal entity or person."

2.Substituted by FD Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2014 dated 28.8.2015, published in Rajasthan Gazette Ext. Ord.Pt.4(Ga)(I) dated 28.8.2015 for-" The person or lead member shall have experience."

नियम 79ढ.

परियोजना प्रस्तावक के लिए पात्रता मानदंड.– (1) [1][सहउद्यम या कन्सोरटियम को सम्मिलित करते हुए, विधिक संस्था या व्यक्ति]परियोजना प्रस्तावक के रूप में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे, यदि,–

(i) व्यक्ति या कन्सोरटियम के मुख्य सदस्य का, परियोजना लागत के न्यूनतम 100% का गत तीन वित्तीय वर्षों में औसत पण्यावर्त (कुल बिक्री) और सहउद्यम/ कन्सोरटियम की दशामें मुख्य सदस्य का परियोजना लागत के न्यूनतम 100% का गत तीन वित्तीय वर्षों में औसत पण्यावर्त (कुल बिक्री) होगा और अंतिम तीन वर्षों का संपरीक्षित तुलन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा;

(ii) [2][व्यक्ति या मुख्य सदस्य, या सहउद्यम या कन्सोरटियम के किसी अन्य सदस्य के पास] गत 10 वर्षों में कुल परियोजना लागत के कम से कम 100% लागत वाली में [उस सेक्टर, जिसमें प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है,]ऐसी परियोजना (परियोजनाओं) में कम से कम एक परियोजना, जहां संविदा अवार्ड कर दी गयी है और संकर्म पूर्ण हो गया है, को संभालने का अनुभव होना चाहिए (क्लाइंट द्वारा कार्य आदेश और समापन प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जायेगा);

(iii)वह केन्द्र सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी सरकारी अभिकरण द्वारा काली सूची में डाला गया नहीं होगा। वह इस आशय का वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि वह केन्द्र सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी सरकारी अभिकरण द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है; और

---

1. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक 28.8.2015 द्वारा विद्यमान अभिव्यक्ति ''निम्नलिखित विधिक संस्था या व्यक्ति'' के स्थान पर प्रतिस्थापित राज. राज–पत्र विशेषांक भाग–4(ग) (1) दिनांक 28.8.2015 में प्रकाशित।
2. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक 28.8.2015 द्वारा विद्यमान अभिव्यक्ति '' व्यक्ति या मुख्य सदस्य के पास'' के स्थान पर प्रतिस्थापित, राज. राज–पत्र विशेषांक भाग–4(ग) (1) दिनांक 28.8.2015 में प्रकाशित।''

(iv) he shall necessarily fulfill the prequalification / qualification criteria/ parameters for bidders, as per the bid document issued by the Administrative Department for open bidding process for the project.

(2) In case of consortium, a person authorised through power of attorney executed by all the members in his favour, shall sign the proposal on behalf of all the member of the consortium and such power of attorney shall be submitted along with the proposal.

[1][(3) In case of joint venture or consortium, the Lead Member, and the member of joint venture or consortium, on the basis of whose technical capability, the technical eligibility of joint venture or consortium for the project is decided, shall not be allowed to exit from the joint venture or consortium [2][:]

[3][Provided that, if the Lead Member of the joint venture or consortium intends to exit the joint venture or consortium, then, the proposed exit may be allowed by the Administrative Department concerned after ensuring the following namely:-

(a) The provisions relating to terms and conditions for such exit have been clearly specified in the bidding documents and in the contract entered into by procuring entity with the joint venture or consortium, whose lead member intends to exit;

---

1. Substituted by FD Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2014 dated 28.8.2015, published in Rajasthan Gazette Ext. Ord.Pt.4(Ga)(I) dated 28.8.2015 for-"In case of consortium, the lead member shall not be allowed to exit consortium."
2. Substituted by Notification No. F.2(1) FD / SPFC / 2017 dated 16.2.2018, published in Rajasthan Gazettee EO Part 4(Ga)(I) dated 16.2.2018 with immediate effect for - punctuation mark (.)
3. Added by Notification No. F.2(1) FD / SPFC / 2017 dated 16.2.2018, published in Rajasthan Gazettee EO Part 4(Ga)(I) dated 16.2.2018 with immediate effect.

(iv)वह परियोजना के लिए खुली बोली प्रक्रिया के लिए प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी किये गये बोली दस्तावेज के अनुसार, बोली लगाने वालों के लिए पूर्व–अर्हता/अर्हता मानदंड/परिमाप आवश्यक रूप से पूर्ण करेगा।

(2) कन्सोरटियम की दशा में, सभी सदस्यों द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित मुख्तारनामों के माध्यम से प्राधिकृत कोई व्यक्ति, कन्सोरटियम के सभी सदस्यों की ओर से प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेगा और ऐसा मुख्तारनामा प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

[1][(3)सहउद्यम या कन्सोरटियम की दशा में, मुख्य सदस्य, और सहउद्यम या कन्सोरटियम के सदस्य, जिनके तकनीकी सामर्थ्य के आधार पर, परियोजना के लिए सहउद्यम या कन्सोरटियम की तकनीकी पात्रता विनिश्चित की गयी है, को सहउद्यम या कन्सोरटियम से निकास अनुज्ञात नहीं किया जायेगा [;]]

[3][परन्तु यदि संयुक्त उद्यम या संघ का मुख्य सदस्य, संयुक्त उद्यम या संघ से बहिर्गमन का आशय रखता है, तब, प्रस्तावित बहिगर्मन को निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के पश्चात् प्रशासनिक विभाग द्वारा अनुज्ञात किया जा सकेगा, अर्थात्:–

(क)ऐसे बहिगर्मन के लिए निबंधनों और शर्तों से संबंधित उपबंध, बोली दस्तावेज में और संयुक्त उद्यम या संघ, जिसका मुख्य सदस्य बहिर्गमन का आशय रखता है, के साथ उपापन इकाई द्वारा की गयी संविदा में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किये गये है;

---

1. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक 28.8.2015 द्वारा विद्यमान ''(3) कन्सोरटियम की दशा में, मुख्य सदस्य को कन्सोरटियम से बाहर जाना अनुज्ञात नही किया जाएगा'' के स्थान पर प्रतिस्थापित, राज. राज–पत्र विशेषांक भाग–4(ग) (1) दिनांक 28.8.2015 में प्रकाशित।
2. अधिसूचना सं एफ.2(1)एफ डी/(एस.पी.एफ.सी.)/2017 दिनांक 16.2.2018 द्वारा ''।'' के स्थान पर प्रतिस्थापित, राज. राज–पत्र विशेषांक भाग–4(ग) (1) दिनांक 28.8.2015 में प्रकाशित (16.02.2018 से प्रभावी)।
3.अधिसूचना सं एफ.2(1)एफ डी/(एस.पी.एफ.सी.)/2017 दिनांक 16.2.2018 द्वारा जोड़ा गया, राज. राज–पत्र विशेषांक भाग–4(ग)(I)दिनांक 16.2.2018 में प्रकाशित (16.2.2018 से प्रभावी)।

(b) A written request, along with submitting an principle approval from other members of the joint venture/consortium, lender, competent member proposed to be substituted in place of the lead member etc., has been made by the lead member to the Administrative department for such exit;

(c) Such exit shall be sanctioned by the Administrative Department only after expiry of at least two years from the date of completion of the Project;

(d) All necessary measures shall be taken by Administrative Department to ensure that such exit shall not negatively affect the operation and maintenance of the Project;

(e) No such exit shall be allowed, until and unless a competent substitute is duly proposed for replacement in the joint venture/consortium and such replacement is diligently approved by the Administrative Department;

(f) The lead member shall be under an obligation to clear all government dues pending against the lead member on the date of application for such exit and, thus, the Administrative Department concerned shall ensure there are no outstanding dues, whatsoever, against the lead member on the date of such exit.]

(4) In case of,-

(i) company, certificate of incorporation;

(ii) in case of firm, certificate of registration; and

(iii) in case of partnership firm, partnership deed

shall be submitted along with the proposal.

(ख) एक लिखित अनुरोध, संयुक्त उद्यम/संघ के अन्य सदस्यों, उधार देने वाले, मुख्य सदस्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित सक्षम सदस्य इत्यादि से सैद्धान्तिक रूप में अनुमोदन प्रस्तुत किये जाने के साथ लिखित निवेदन किया जायेगा;

(ग) ऐसा बहिगर्मन, परियोजना की पूर्णता की तारीख से कम से कम दो वर्ष के अवसान के पश्चात् ही प्रशासनिक विभाग द्वारा मंजूर किया जायेगा;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे बहिर्गमन से परियोजना का संचालन और रखरखाव प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं होगा, प्रशासनिक विभाग द्वारा समस्त आवश्यक उपाय किये जायेगे;

(ड़) ऐसा कोई भी बहिर्गमन तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि संयुक्त उद्यम/संघ में प्रतिस्थापन के लिए सक्षम प्रतिस्थापन सम्यक् रूप से प्रस्तावित नहीं कर दिया जाये और ऐसे प्रतिस्थापन को प्रशासनिक विभाग द्वारा तत्परतापूर्वक अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है;

(च) मुख्य सदस्य, ऐसे बहिर्गमन के लिए आवेदन की तारीख पर मुख्य सदस्य के विरूद्ध लंबित समस्त सरकारी शोध्यों के संदाय करने की बाध्यता के अधीन रहेगा और, इस प्रकार, संबंधित प्रशासनिक विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे बहिगर्मन की तारीख पर मुख्य सदस्य के विरूद्ध कोई बकाया शोध्य, चाहे कोई भी हो, न हो।]

(4)

(i)कंपनी की दशा में, निगमन प्रमाणपत्र

(ii)फर्म की दशा में, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, और

(iii)भागीदारी फर्म की दशा में, भागीदारी विलेख,

प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे।

Rule 79 O.

Power to call off the Project.- The Administrative Department concerned shall have the right to call off the project anytime during the process without assigning any reason to the Project Proponent, but it may call off the project before entering into an agreement with the Project Proponent or the successful bidder, as the case may be. Once an agreement is entered into by the Administrative Department concerned, the respective clauses of the duly entered agreement shall apply. If the Administrative Department calls off the project in the manner as specified above, the same shall be exhibit by the Administrative Department on State Public Procurement Portal.]

---x---x---

नियम 79 ण

परियोजना को वापस लेने की शक्ति– संबंधित प्रशासनिक विभाग को परियोजना प्रस्तावक को कोई कारण समनुदेशित किये बिना, प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय परियोजना को वापस लेने की शक्ति होगी, किंतु वह परियोजना प्रस्तावक या, यथास्थिति, सफल बोली लगाने वाले के साथ करार करने से पूर्व ही परियोजना को वापस ले सकेगा। एक बार जब संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा करार कर लिया जाता है, तब सम्यक् रूप से किये गये करार के सम्बन्धित खंड लागू होंगे। यदि प्रशासनिक विभाग यथा उपर्युक्त विनिर्दिष्ट रीति में परियोजना को वापस ले लेता है, तो उसे राजस्थान लोक उपापन पोर्टल पर प्रशासनिक विभाग द्वारा दर्शित किया जायेगा।]

---x---x---

Limited Bidding

Provisions pertaining to limited bidding are described in section 30 and rule 16 which are as under:-

Section 30.

Limited bidding.- (1) A procuring entity may choose to procure the subject matter of procurement by the method of limited bidding, if –

(a) the subject matter of procurement can be supplied only by a limited number of bidders; or

(b) the time and cost involved to examine and evaluate a large number of bids may not be commensurate with the value of the subject matter of procurement; or

(c) owing to an urgency brought about by unforeseen events, the procuring entity is of the opinion that the subject matter of procurement cannot be usefully obtained by adopting the method of open competitive bidding; or

(d) Procurement from a category of prospective bidders is necessary in terms of sub-section (2) of section 6.

(2) Subject to the rules as may be made in this behalf, the procedure for limited bidding shall include the following, namely;-

(a) the procuring entity shall issue an invitation to bid by writing directly, and on the same day, to-

(i) all the bidders who can supply the subject matter of procurement in terms of clause(a) of sub-section (1); or

(ii) all the bidders who are registered for the subject matter of procurement with the procuring entity or with any other procuring entity, where procuring entity uses the list of registered bidders of such other procuring entity in terms of sub section (5) of section 19; or

सीमित बोली

सीमित बोली सम्बन्धी प्रावधान धारा 30 तथा नियम 16 में वर्णित है जो इस प्रकार है:–

धारा 30.

सीमित बोली.–(1) कोई उपापन संस्था, उपापन की विषय–वस्तु उपाप्त कराने के लिए, सीमित बोली की पद्धति चुन सकेगी, यदि.–

(क) उपापन की विषय–वस्तु का प्रदाय केवल बोली लगाने वालों की सीमित संख्या द्वारा ही किया जा सकता हो; या

(ख) बड़ी संख्या में बोलियों के परीक्षण और मूल्यांकन में अन्तर्वलित समय और लागत उपापन की विषय–वस्तु के मूल्य के अनुरूप न हो सके; या

¼ग) अकल्पित घटनाओं द्वारा घटित किसी अत्यावश्यकता के कारण उपापन संस्था की यह राय हो कि उपापन की विषय–वस्तु , खुली प्रतियोगी बोली की पद्धति अपनाकर उपयुक्त रूप से प्राप्त नहीं की जा सकती हो; या

(घ) धारा 6 की उप–धारा (2) के निबंधनों के अनुसार, भावी बोली लगाने वालों के प्रवर्ग में से उपापन आवश्यक हो।

(2) इस निमित्त बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, सीमित बोली की प्रक्रिया, में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात् ;–

(क) उपापन संस्था, बोली के लिए आमंत्रण सीधे ही लिखित में और उसी दिन.–

(i) उन समस्त बोली लगाने वालों को, जो उप–धारा (1) के खण्ड (क) के निबंधनों के अनुसार उपापन की विषय–वस्तु का प्रदाय कर सकते है; या

(ii) उन समस्त बोली लगाने वालों को, जो उसी उपापन संस्था या जहाँ उपापन संस्था, धारा 19 की उप–धारा (5) के निबंधनों के अनुसार, रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूची का उपयोग करती है, वहाँ किसी अन्य उपापन संस्था में उपापन की विषय–वस्तु के लिए रजिस्ट्रीकृत है; या

(iii) an adequate number of bidders who can supply the subject matter of procurement selected in a non-discriminatory manner to ensure effective competition, in case of clause (b) of sub-section (1);

(b) a procuring entity may allow all prospective bidders who fulfil the qualification criteria laid down for the procurement, whether an invitation to bid has been issued to such a bidder or not, to participate in the bidding process.

Rule 16.

Limited bidding.- (1) In case of procurement of a subject matter as per clause (b) of subsection (1) of section 30, a procuring entity may adopt the method of limited bidding if the estimated cost or value of the subject matter is less than Rupees two lakh on one occasion but it shall not exceed Rupees ten lakh in a financial year;

[1][Provided that a Panchayati Raj Institution or its committee may adopt the method of limited bidding if the estimated cost or value of the subject matter is less than Rupees five lakh on one occasion but it shall not exceed Rupees fifty lakh in a financial year.

Provided further that procurement shall be made by the Panchayati Raj Institution or its committee in accordance with the guidelines issued by the Rural Development and Panchayati Raj Department.]

(2) The procedure for limited bidding shall be as under;-

(a) The procuring entity shall issue an invitation to bid by exhibiting it on the State Public Procurement Portal and by writing directly, and on the same day, to-

(i) all the bidders who can supply the subject matter of procurement in terms of clause (a) of sub-section (1) of section 30; or

---

1. Inserted by FD Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2014 dated 5.6.2015, published in Rajasthan Gazette Ext. Part.4(Ga)(I) dated 5.6.2015 effective from 5.6.2015.

(iii) बोली लगाने वालों की किसी पर्याप्त संख्या को, जो उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के मामले में, प्रभावी प्रतियोगिता सुनिश्चित करने के लिए किसी अविभेदकारी रीति से चयनित उपापन की विषय वस्तु का प्रदाय कर सकते हों, जारी करेगी;

(ख) कोई उपापन संस्था, समस्त भावी बोली लगाने वालों को अनुज्ञात कर सकेगी, जो उपापन के लिए अधिकथित अर्हता कसौटी को पूर्ण करते है, चाहे ऐसे किसी बोली लगाने वाले को बोली लगाने के लिए बोली प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आमंत्रण जारी किया गया हो या नहीं।

नियम 16.

सीमित बोली.– (1) धारा 30 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसार किसी विषय–वस्तु के उपापन की दशा में, कोई उपापन संस्था सीमित बोली की पद्धति अंगीकृत कर सकेगी यदि विषय–वस्तु की प्राक्कलित लागत या मूल्य एक बार में दो लाख रुपये से कम हो किन्तु वित्तीय वर्ष में यह दस लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।

[1][परन्तु यह कि कोई पंचायती राज संस्था या उसकी समिति सीमित बोली की पद्धति अंगीकृत कर सकेगी यदि उस विषय–वस्तु की प्राक्कलित लागत या मूल्य एक अवसर पर पाँच लाख रुपये से कम हो किन्तु यह किसी वित्तीय वर्ष में पचास लाख रुपये से अधिक नहीं होगी;

परन्तु यह ओर कि उपापन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पंचायती राज संस्था या उसकी समिति द्वारा किया जायेगा।]

(2) सीमित बोली की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

(क) उपापन संस्था बोली का आमंत्रण राज्य लोक उपापन पोर्टल पर इसे प्रदर्शित कर और निम्नलिखित को सीधे लिखकर, और उसी दिन जारी करेगी,–

(i)सभी बोली लगाने वालों को, जो धारा 30 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के निबंधनों के अनुसार उपापन की विषयवस्तु का प्रदाय कर सकते हैं; या

---

1. अधिसूचना संख्या एफ.1(8)एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2014 दिनांक 5.6.2015 द्वारा अन्तःस्थापित, राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I)दिनांक 5.6.2015 में प्रकाशित (5.6.2015 से प्रभावी)।

(ii) all the bidders who are registered for the subject matter of procurement with the procuring entity or where a procuring entity does not register the bidders in respect of a subject matter of procurement, to the registered bidders of any other procuring entity, if any; or

(iii) at least three manufacturers, authorised dealers, authorised service centres, bona-fide dealers or service providers, in case registered bidders are not available.

(b) The procuring entity may allow all prospective bidders who fulfill the qualification criteria laid down for the procurement in the bidding documents, whether an invitation to bid has been issued to such bidders or not, to participate in the bidding process.

(c) A minimum period of seven days, in case of emergency after recording reasons three days, shall be given to the bidders to offer their bids.

(d) If limited bidding is invited under clause (b) and (c) of sub-section (1) of section 30, bid security shall not be obtained.

(e) For the remaining procedure of procurement by limited bidding, the provisions of Chapter-V shall apply mutatis mutandis except publication of Notice Inviting Bids in the news papers as per sub-rule (6) or (7) of rule 43.

(ii)सभी बोली लगाने वालों को, जो उपापन संस्था के साथ उपापन की विषय–वस्तु के लिए रजिस्ट्रीकृत हैं या जहाँ कोई उपापन संस्था उपापन की विषय–वस्तु के संबंध में बोली लगाने वालों को रजिस्टर नहीं करती है वहाँ किसी अन्य उपापन संस्था के रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों को, यदि कोई हों ; या

(iii)यदि रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वाले उपलब्ध नहीं हों तो कम से कम तीन विनिर्माताओं, प्राधिकृत व्यवहारियों, प्राधिकृत सेवा केन्द्रों, सद्भाविक व्यवहारियों या सेवा प्रदाताओं को।

(ख) उपापन संस्था बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ऐसे समस्त भावी बोली लगाने वालों को अनुज्ञात कर सकेगी जो बोली दस्तावेजों में उपापन के लिए अधिकथित अर्हता कसौटी को पूरा करते है चाहे ऐसे बोली लगाने वालों को बोली लगाने का आमंत्रण जारी किया गया हो या नहीं।

(ग) बोली लगाने वालों को उनकी बोली प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम सात दिवस की कालावधि, आपातकालीन दशा में, कारण अभिलिखित करने के पश्चात्, तीन दिवस की कालावधि दी जायेगी।

(घ) यदि धारा 30 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन सीमित बोली आमंत्रित की जाती है तो बोली की प्रतिभूति अभिप्राप्त नहीं की जायेगी।

(ङ) सीमित बोली द्वारा उपापन की शेष प्रक्रिया के लिए अध्याय 5 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे सिवाय नियम 43 के उप–नियम (6) या (7) के अनुसार समाचार पत्रों में बोली आमंत्रित करने के नोटिस के प्रकाशन के।

Single source procurement

The provisions pertaining to single source requirement are described in section 31 and rule 17 which are as under:-

Section 31.

Single source procurement.- (1) A procuring entity may choose to procure the subject matter of procurement by the method of single source procurement, if-

(a) the subject matter of procurement is available only from a particular prospective bidder, or a particular prospective bidder has exclusive rights in respect of the subject matter of procurement, such that no reasonable alternative or substitute source exists, and the use of any other procurement method would therefore not be possible; or

(b) owing to a sudden unforeseen event, there is an extremely urgent need for the subject matter of procurement, and engaging in any other method of procurement would be impractical; or

(c) the procuring entity, having procured goods, equipment, technology or services from a supplier, determines that additional supplies or services must be procured from that supplier for reasons of standardization or because of the need for compatibility with existing goods, equipment, technology or services; or

(d) there is an existing contract for the subject matter of procurement which can be extended for additional goods, works or services and that the procuring entity is satisfied that no advantage would be obtained by further competition, the prices are reasonable and provisions for such extension exist in the original contract; or

एकल स्रोत

एकल स्रोत उपापन पद्धति के सम्बन्ध में प्रावधान धारा 31 तथा नियम 17 में दिए गए है, जो इस प्रकार हैं:–

धारा 31.

एकल स्रोत उपापन–(1)कोई उपापन संस्था, एकल स्रोत रीति से उपापन की विषय–वस्तु के उपापन का चयन कर सकती है यदि.–

(क) उपापन की विषय–वस्तु केवल किसी विशिष्ट भावी बोली लगाने वाले से ही उपलब्ध हो, या उपापन की विषय–वस्तु के संबंध में किसी विशिष्ट भावी बोली लगाने वाले को ऐसे अनन्य अधिकार हों कि कोई युक्तियुक्त वैकल्पिक या प्रतिस्थापक स्रोत अस्तित्व में न हो और इसलिए किसी अन्य उपापन रीति का प्रयोग संभव न हो; या

(ख) अचानक किसी अकल्पित घटना के कारण उपापन की विषय वस्तु की अत्यंत तत्काल आवश्यकता हो और उपापन की किसी अन्य रीति से सम्बद्ध होना अव्यवहारिक होगा; या

(ग) उपापन संस्था, किसी प्रदाता से माल, उपस्कर, प्रौद्योगिकी या सेवाएँ उपाप्त कर के यह अवधारित करे कि मानकीकरण के कारणों के लिए या विद्यमान माल, उपस्कर, प्रौद्योगिकी या सेवाओं की अनुरूपता की आवश्यकता के कारण उस प्रदाता से अतिरिक्त प्रदायों या सेवाओं को उपाप्त किया जाना चाहिए; या;

(घ) उपापन की विषय–वस्तु के लिए कोई विद्यमान संविदा हो जिसे अतिरिक्त माल, संकर्म या सेवाओं के लिए बढ़ाया जा सके और उपापन संस्था का यह समाधान हो जाये कि और प्रतियोगिता से कोई लाभ नहीं होगा, कीमतें युक्तियुक्त हैं और मूल संविदा में ऐसे विस्तार के लिए उपबंध विद्यमान है; या

(e) the procuring entity determines that the use of any other method of procurement is not appropriate for the protection of national security interests; or

(f) procurement from a particular prospective bidder is necessary in terms of sub-section (2) of section 6; or

(g) subject matter is of artistic nature; or

(h) Subject matter of procurement is of such nature as requires the procuring entity to maintain confidentiality, like printing of examination papers.

(2) Subject to the rules as may be made in this behalf, the procedure for single source procurement shall include the following, namely;-

(a) the procuring entity shall solicit a bid from a single prospective bidder;

(b) the procuring entity may engage in negotiations in good faith with the bidder.

Rule 17.

Single source procurement.-(1) In addition to the conditions enumerated in sub-section (1) of section 31, a procuring entity may procure the subject matter by the method of single source procurement, if-

[1][(a) Hiring of the services of consultant or professional is required, for a period upto twenty four months and upto financial limit of Rupees twelve lakh in each case, subject to delegation of financial powers; or]

(b) Price of subject matter of procurement is administered by the State Government or the Central Government.

---

1. Substituted by Notification No.F.2(1)FD/G&T (SPFC)/2017 dated 6.8.2018, published in Raj.Gazette EO Pt.4(Ga)(II) dated 6.8.2018 (w.e.f. 6.8.2018)

(ड.) उपापन संस्था यह अवधारित करे कि उपापन की किसी अन्य रीति का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के संरक्षण के लिए समुचित नहीं है; या

(च) धारा 6 की उप–धारा (2) के निबंधनों के अनुसार किसी विशिष्ट भावी बोली लगाने वाले से उपापन आवश्यक हो; या

(छ) विषय–वस्तु कलात्मक प्रकृति की हो; या

(ज) उपापन की विषय वस्तु ऐसी प्रकृति की हो, जो गोपनीयता बनाये रखने के लिए आवश्यक हो, जैसे परीक्षा के प्रश्न–पत्रों की छपाई।

(2) इस निमित्त बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, एकल स्त्रोत उपापन के लिए प्रक्रिया में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात्:–

(क) उपापन संस्था, किसी एकल भावी बोली लगाने वाले से किसी बोली की अभ्यर्थना करेगी;

(ख) उपापन संस्था, बोली लगाने वाले से सद्भावपूर्वक बातचीत कर सकेगी।

नियम 17.

एकल स्रोत उपापन.– (1) धारा 31 की उप–धारा (1) में प्रगणित शर्तों के अतिरिक्त, कोई उपापन संस्था एकल स्रोत उपापन की पद्धति द्वारा विषय–वस्तु का उपापन कर सकेगी यदि –

[1][(क) वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अध्यधीन चौबीस मास तक की कालावधि के लिए प्रत्येक मामले में बारह लाख रुपये की वित्तीय सीमा तक परामर्शी या वृत्तिक की सेवाएँ भाड़े पर लेना आवश्यक हो ; या]

(ख) उपापन की विषय–वस्तु का मूल्य राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासित हो।

---

1. अधिसूचना सं एफ.2(1)जी एण्ड टी (एस.पी.एफ.सी.)/2017 दिनांक 6.8.2018 द्वारा प्रतिस्थापित, राज. राज–पत्र विशेषांक भाग–4(ग)(II)दिनांक 6.8.2018 में प्रकाशित (6.8. 2018 से प्रभावी)।

(2) The procedure for single source procurement shall be as under;-

(a) The procuring entity shall solicit a bid from the single prospective bidder and shall also exhibit the invitation to bid on the State Public Procurement Portal if the value of procurement is rupees one lakh or more. The procuring entity shall not exhibit the invitation to bid on the State Public Procurement Portal, if it is of the opinion that subject matter for procurement is of nature specified in clause (e) or (h) of sub-section (1) of section 31.

(b) The procuring entity may engage in negotiations in good faith with the bidder.

(c) The single source may be selected out of the list of empanelled / registered bidders for the subject matter of procurement with the procuring entity or with any other procuring entity, where procuring entity uses the list of registered bidders of other procuring entity in terms of sub-section (5) of section 19 or suitable bidder identified through other reliable sources.

(d) Bid security shall not be obtained in case of single source procurement.

(e) Except as otherwise provided in this rule and provisions of Chapter-V relating to pre-qualification proceedings, bid security, publication of Notice Inviting Bids in the news papers, price of bidding documents, sale of bidding documents, pre-bid clarifications, exclusion of bids, comparison of rates of firms outside and those in Rajasthan, price/purchase preference in evaluation and dividing quantities among more than one bidder at the time of award, all other provisions of Chapter-V shall mutatis mutandis apply, but in case of matters covered under sub-rule (1) performance security shall not be obtained.

(2) एकल स्रोत उपापन के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

(क) उपापन संस्था किसी एकल भावी बोली लगाने वाले से किसी बोली की अभ्यर्थना करेगी और यदि उपापन का मूल्य एक लाख या उससे अधिक है तो बोली के आमंत्रण को राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी प्रदर्शित करेगी। उपापन संस्था राज्य लोक उपापन पोर्टल पर बोली के आमंत्रण को प्रदर्शित नहीं करेगी यदि उसकी यह राय है कि उपापन की विषयवस्तु धारा 31 की उप–धारा (1) के खण्ड (ङ) या (ज) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की है।

(ख) उपापन संस्था बोली लगाने वाले से सद्भावपूर्वक बातचीत कर सकेगी।

(ग) एकल स्रोत, उपापन संस्था के साथ उपापन की विषयवस्तु के लिए पैनलित/रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों या किसी अन्य उपापन संस्था के साथ विषय–वस्तु के लिए पैनलित/रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूची में से, जहाँ उपापन संस्था धारा 19 की उप–धारा (5) के निबंधनों में अन्य उपापन संस्था के रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूची का उपयोग करती है, या अन्य विश्वसनीय स्रोतों के माध्यम से अभिज्ञात उपयुक्त बोली लगाने वालों में से चयनित किया जा सकेगा।

(घ) एकल स्रोत उपापन की दशा में बोली की प्रतिभूति अभिप्राप्त नहीं की जायेगी।

(ङ) इस नियम और पूर्व–अर्हता कार्यवाहियों, बोली की प्रतिभूति, समाचार पत्रों में बोली आमंत्रित करने के नोटिस के प्रकाशन, बोली दस्तावेजों का मूल्य, बोली दस्तावेजों के विक्रय, बोली–पूर्व स्पष्टीकरणों, बोलियों के अपवर्जन, राजस्थान की और बाहर की फर्मों की दरों की तुलना, मूल्यांकन में कीमत/क्रय अधिमान, अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के मध्य परिमाण विभाजित करने से संबंधित अध्याय 5 के उपबंधों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अध्याय 5 के समस्त अन्य उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे किन्तु उप–नियम (1) के अधीन आने वाले मामलों में कार्य सम्पादन प्रतिभूति अभिप्राप्त नहीं की जायेगी।

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), in the emergent situation arising out of floods and other natural calamities, the subject matter of procurement may be procured up to the ceiling rates. The committee consisting of the following, shall decide the ceiling rates for subject matter of procurement on the basis of rates received during the last six months or the prevailing market rates analysis, namely;-

(a) District Collector - Chairman

(b) District level officer of the concerned department - Member

(c) Treasury Officer - Member Secretary

(d) Special invitee, if required – Member

---x---x---

(3) उप–नियम (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बाढ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न आपात परिस्थिति में, उपापन की विषय–वस्तु का उपापन अधिकतम दरों की सीमा तक किया जा सकेगा। निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति, गत छः मास के दौरान प्राप्त दरों या विद्यमान बाजार दर विश्लेषण के आधार पर उपापन की विषय–वस्तु के लिए अधिकतम दरें विनिश्चित करेगी, अर्थात् :–

(क) जिला कलक्टर – अध्यक्ष

(ख) संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी – सदस्य

(ग) कोषाधिकारी – सदस्य सचिव

(घ) विशेष आमंत्रित, यदि आवश्यक हो, – सदस्य

---x---x---

Two stage bidding

If the subject matter is such that it is not possible to decide the specification of subject matter without opinion of bidders , two stage bidding method can be adopted as per the provisions of section 32 and rule 18, which are as under

Section 32.

Two stage bidding.- (1) A procuring entity may choose to procure the subject matter of procurement by the method of two stage bidding, if-

(a) it is not feasible for the procuring entity to formulate detailed specifications or identify specific characteristics for the subject matter of procurement, without receiving inputs regarding its technical aspects from bidders; or

(b) the character of the subject matter of procurement is subject to such rapid technological advances and market fluctuations to make open competitive bidding unfeasible; or

(c) the procuring entity seeks to enter into a contract for the purpose of research, experiment, study or development, except where the contract includes the production of items in quantities sufficient to establish their commercial viability or to recover research and development costs; or

(d) the bidder is expected to carry out a detailed survey or investigation and undertake a comprehensive assessment of risks, costs and obligations associated with the particular procurement.

(2) Subject to the rules as may be made in this behalf, the procedure for two stage bidding shall include the following, namely;-

(a) in the first stage of the bidding process, the procuring entity shall invite bids containing the technical aspects and contractual terms and conditions of the proposed procurement without a bid price;

द्वि–प्रक्रमी बोली

यदि उपापन की विषय–वस्तु ऐसी हो जिसके तकनीकी पहलुओं पर बोली दाताओं का अभिमत प्राप्त किए बिना विषयवस्तु के विनिर्देशों को तय किया जाना सम्भव ना हो तो ऐसी दशा में द्विक्रमी बोली अपनाई जा सकती है। द्विप्रक्रमी बोली के सम्बन्ध में प्रावधान धारा 32 और नियम 18 में दिए गए है, जो इस प्रकार है–

धारा 32.

द्वि–प्रक्रमी बोली .–(1) कोई उपापन संस्था किसी विषय–वस्तु का उपापन द्वि–प्रक्रमी बोली की रीति से करने का चयन कर सकेगी, यदि.–

(क) किसी उपापन संस्था के लिए, उपापन की विषय वस्तु हेतु बोली लगाने वालों से इसके तकनीकी पहलुओं से संबंधित आगम प्राप्त किये बिना, विस्तृत विनिर्देशों को बनाना या विनिर्दिष्ट लक्षणों की पहचान करना साध्य न हो; या

(ख) खुली प्रतियोगी बोली को असाध्य बनाने के लिए उपापन की विषय–वस्तु का लक्षण ऐसे त्वरित प्रौद्योगिकी विकास और बाजार के उतार–चढ़ाव के अध्यधीन हो; या

(ग) उपापन संस्था, उसके सिवाय जहाँ संविदा में मदों का इतनी मात्राओं में उत्पादन सम्मिलित है जो उनकी वाणिज्यिक अर्थक्षमता स्थापित करने या अनुसंधान और विकास लागत वसूलने के लिए पर्याप्त हो, अनुसंधान, प्रयोग, अध्ययन या विकास के प्रयोजन के लिए कोई संविदा कर सकेगी; या

(घ) बोली लगाने वाले से अपेक्षित है कि वह विस्तृत सर्वेक्षण या जाँच करे और किसी विशिष्ट उपापन से संबंधित जोखिमों, लागत और बाध्यताओं के व्यापक निर्धारण का जिम्मा ले।

(2) उन नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो इस निमित्त बनाये जायें, द्वि–प्रक्रमी बोली की प्रक्रिया में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात्;–

(क) बोली प्रक्रिया के प्रथम प्रक्रम पर, कोई उपापन संस्था प्रस्तावित उपापन के तकनीकी पहलुओं और संविदा संबंधी निबंधनो और शर्तों को अन्तर्विष्ट करने वाली बोली बिना किसी बोली मूल्य के आमंत्रित करेगी;

(b) all first stage bids, which are otherwise eligible, shall be evaluated in accordance with the procedure laid down in the rules through an appropriate committee constituted by the procuring entity;

(c) the committee may hold discussions with the bidders and if any such discussion is held, equal opportunity shall be given to all bidders to participate in the discussions;

(d) in revising the relevant terms and conditions of the procurement, the procuring entity shall not modify the fundamental nature of the procurement itself, but may add, amend or delete any specifications of the subject matter of procurement or criterion for evaluation;

(e) notwithstanding anything contained in sections 29 and 30, in the second stage of the bidding process, the procuring entity shall invite bids from all those bidders whose bids at the first stage were not rejected, to present final bid with bid prices in response to a revised set of terms and conditions of the procurement;

(f) any bidder, invited to bid but not in a position to supply the subject matter of procurement due to changes in the specifications, may withdraw from the bidding proceedings without forfeiting any bid security that he may have been required to provide or being penalised in any way, by declaring his intention to withdraw from the procurement proceedings with adequate justification.

Rule 18.

Two stage bidding.- The procedure for two stage bidding shall be as under;-

(a) In the first stage of the bidding process, the procuring entity shall invite proposals containing the professional and technical competence, qualifications of bidders regarding the subject matter of procurement and contractual terms and conditions of the proposed procurement;

(ख) प्रथम प्रक्रम की समस्त बोलियों का, जो अन्यथा पात्र है, उपापन समिति द्वारा गठित एक समुचित समिति के माध्यम से नियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसरण में, मूल्यांकन किया जायेगा;

(ग) समिति बोली लगाने वालों के साथ विचार–विर्मश कर सकेगी और यदि ऐसा कोई विचार–विर्मश किया जाता है तो समस्त बोली लगाने वालों को विचार–विमर्श में भाग लेने का समान अवसर प्रदान किया जायेगा;

(घ) उपापन के सुसंगत निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण करते समय, उपापन संस्था उपापन के मौलिक स्वरूप को उपांतरित नहीं करेगी, किन्तु उपापन की विषय–वस्तु के विनिर्देशों को या मूल्यांकन की कसौटी को जोड़, संशोधित या विलोपित कर सकेगी;

(ड़) धारा 29 और 30 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोली प्रक्रिया के द्वितीय प्रक्रम पर उपापन संस्था, उन समस्त बोली लगाने वालों से, जिनकी बोली प्रथम प्रक्रम पर नामंजूर नहीं हुई थी, उपापन के निबंधनों और शर्तो के पुनरीक्षित समुच्चय के प्रत्युत्तर में बोली की कीमतों के साथ अन्तिम बोली प्रस्तुत करने के लिए बोली आमंत्रित करेगी।

(च) कोई भी बोली लगाने वाला, जिसे बोली के लिए आमंत्रित किया गया हो, किन्तु वह विनिर्देशों में परिवर्तन के कारण उपापन की विषय–वस्तु के प्रदाय की स्थिति में न हो तो उपापन कार्यवाहियों से समुचित कारण से पीछे हटने के आशय की घोषणा करके बोली की प्रतिभूति, जो उसके द्वारा उपलब्ध करायी जाने अपेक्षित हो, को जब्त करवाये बिना या किसी भी रूप में दण्डित हुए बिना, बोली की कार्यवाहियों से पीछे हट सकेगा।

नियम 18.

द्वि–प्रक्रमी बोली.– द्वि–प्रकमी बोली के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(क) बोली प्रक्रिया के प्रथम प्रक्रम में, उपापन संस्था उपापन की विषय–वस्तु के संबंध में वृत्तिक और तकनीकी क्षमता, बोली लगाने वालों की अर्हताओं और प्रस्तावित उपापन के संविदा संबंधी निबंधनों और शर्तों को अन्तर्विष्ट करने वाले प्रस्ताव आमंत्रित करेगी।

(b) All first stage bids, which are otherwise eligible, shall be evaluated in accordance with the procedure laid down in these rules and the bidding documents by bids evaluation committee;

(c) The committee may hold discussions with the bidders and if any such discussion is held, equal opportunity shall be given to all bidders to participate in the discussions;

(d) In revising the technical design, stipulations, relevant terms and conditions of the procurement, the procuring entity shall not modify the fundamental nature of the procurement itself, but may add, amend or delete any specification of the subject matter of procurement or criterion for evaluation;

(e) Notwithstanding anything contained in sections 29 and 30, in the second stage of the bidding process, the procuring entity shall invite bids from all those bidders whose bids at the first stage were not rejected, to present final bid with bid prices and detailed technical bid in response to a revised set of terms and conditions of the procurement;

(f) Any bidder invited to bid but not in a position to supply the subject matter of procurement due to changes in the specifications, may withdraw from the bidding proceedings without liability of forfeiting bid security.

(g) Except as otherwise provided in this rule all other provisions of Chapter-V shall, mutatis mutandis, apply.

(ख) प्रथम प्रक्रम की समस्त बोलियों का, जो अन्यथा पात्र है, इन नियमों में अधिकथित प्रक्रिया और बोली दस्तावेजों के अनुसार, बोली मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा।

(ग) समिति बोली लगाने वालो ं के साथ विचार–विमर्श कर सकेगी और यदि ऐसा कोई विचार–विमर्श किया जाता है तो समस्त बोली लगाने वालों को विचार–विमर्श में भाग लेने का समान अवसर प्रदान किया जायेगा।

(घ) उपापन के तकनीकी डिजाइन, अनुबंधों, सुसंगत निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण करते समय, उपापन संस्था उपापन के मौलिक स्वरूप को उपांतरित नहीं करेगी किन्तु उपापन की विषयवस्तु के किसी विनिर्देश को या मूल्यांकन की कसौटी को जोड़, संशोधित या विलोपित कर सकेगी।

(ङ) धारा 29 और 30 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोली प्रक्रिया के द्वितीय प्रक्रम में उपापन संस्था, उन समस्त बोली लगाने वालों से, जिनकी बोली प्रथम प्रक्रम में अस्वीकृत नहीं हुई थी, उपापन के निबंधनों और शर्तों के पुनरीक्षित समुच्चय के प्रत्युत्तर में बोली की कीमतों और विस्तृत तकनीकी बोली के साथ, अंतिम बोली प्रस्तुत करने के लिए, बोली आमंत्रित करेगा।

(च) कोई बोली लगाने वाला, जिसे बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया गया है किन्तु जो विनिर्देशों में परिवर्तन के कारण उपापन की विषयवस्तु के प्रदाय की स्थिति में न हो, बोली की प्रतिभूति के समपहरण (जब्ती) के दायित्व के बिना बोली की कार्यवाहियों से पीछे हट सकेगा।

(छ) इस नियम में यथा–उपबंधित के सिवाय, अध्याय 5 के समस्त अन्य उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

Electronic reverse auction

If a detailed description of subject matter of the procurement and a competitive market of bidders and criteria quantifiable in monetary terms are available method of electronic reverse auction can be adopted as per the the provisions of section 33 and rule 19, 20, 21, 22 and 23 which are as under. However, it is pertinent to mention here that above method can be adopted after the required software is issued by the state government.

Section 33.

Electronic reverse auction.- (1) A procuring entity may choose to procure a subject matter of procurement by the method of electronic reverse auction, if-

(a) it is feasible for the procuring entity to formulate a detailed description of the subject matter of the procurement;

(b) there is a competitive market of bidders anticipated to be qualified to participate in the electronic reverse auction, such that effective competition is ensured; and

(c) the criteria to be used by the procuring entity in determining the successful bid are quantifiable and can be expressed in monetary terms.

(2) Subject to the rules as may be made in this behalf, the procedure for electronic reverse auction shall include the following, namely;-

(a) the procuring entity shall invite bids to the electronic reverse auction by causing an invitation to be published in accordance with sub-section (5) of section 29 or issued in accordance with subsection (2) of section 30, as the case may be;

(b) the invitation shall, in addition to the information as set out in section 20, include details relating to–

(i) access to and registration for the auction;

(ii) opening and closing of auction;

(iii) norms for conduct of the auction;

इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम

उपापन की विषय–वस्तु का विस्तृत विवरण और बोली लगाने वालों का विस्तृत प्रतियोगी बाजार तथा मौद्रिक रूप में व्यक्त किए जा सकने वाले मानदण्ड उपलब्ध हो तो इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम उपापन पद्धति अपनाई जा सकती है जिसके सम्बन्ध में प्रावधान धारा 33 तथा नियम 19,20,21,22 तथा 23 में दिए गए है जो निम्नानुसार है। यद्यपि यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम हेतु आवश्यक सॉफ्टवेयर राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने पर ही यह उपापन पद्धति अपनाई जा सकेगी।

धारा 33.

इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम.– (1) कोई उपापन संस्था उपापन की किसी विषय–वस्तु के इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम की रीति से उपापन का चयन कर सकेगी, यदि,–

(क) उपापन संस्था के लिए उपापन की विषय वस्तु का विस्तृत वर्णन तैयार कराना साध्य हो;

(ख) बोली लगाने वालों का एक प्रतियोगी बाजार हो, जिसका इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम में प्रतिभागी होने के लिए अर्ह होना, इस प्रकार संभावित हो कि प्रभावी प्रतियोगिता सुनिश्चित हो सके; और

(ग) सफल बोली अवधारित करने में उपापन संस्था द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले मानदण्ड माप योग्य है और धन के रूप में अभिव्यक्त किये जा सकते हों।

(2) नियमों के अध्यधीन, जो इस निमित्त बनाये जायें, इलेक्ट्रानिक रिवर्स नीलाम की प्रक्रिया में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात्;–

(क) उपापन संस्था, इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम के लिए धारा 29 की उप – धारा (5) के अनुसार प्रकाशित या, यथास्थिति, धारा 30 की उप–धारा(2) के अनुसार जारी आमंत्रण द्वारा बोली आमंत्रित करेगी;

(ख) आमंत्रण में धारा 20 में यथा वर्णित सूचना के अतिरिक्त निम्नलिखित से संबंधित ब्यौरे सम्मिलित होंगे–

(i) नीलाम तक पहुंच और उसके लिए रजिस्ट्रीकरण;

(ii) नीलाम का खुलना और बन्द होना;

(iii) नीलाम के संचालन के मानक;

(iv) any other information as may be relevant to the method of procurement.

(3) Electronic reverse auction may also be used for obtaining the best financial bid in two stage bidding under section 32 and where the two part bid system is followed in terms of section 13.

Rule 19.

Procedure of electronic reverse auction.- (1) The procuring entity shall solicit bids by causing an invitation to the electronic reverse auction to be published in accordance with rule 43. The invitation shall include,-

(a) the name and address of the procuring entity including e-mail address if any;

(b) a detailed description of the subject matter of the procurement and the required time and location for providing such subject matter;

(c) the terms and conditions of the procurement contract, to the extent they are already known to the procuring entity, and the form of the contract, if any, to be signed by the parties;

(d) the criteria and procedures to be used for ascertaining the qualifications of bidders and any documentary evidence or other information that must be presented by bidders to demonstrate their qualifications;

(e) the criteria and procedure for examining bids against the description of the subject matter of the procurement;

(f) the criteria and procedure for evaluating bids, including any mathematical formula that shall be used in the evaluation procedure during the auction;

(g) the manner in which the bid price is to be formulated and expressed, including a statement as to whether the price is to cover elements other than the cost of the subject matter of the procurement, such as any applicable transportation, insurance charges, customs duties, taxes, etc.;

(iv) कोई भी अन्य सूचना जो उपापन की रीति से सुसंगत हो।

(3) इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम, धारा 32 के अधीन द्वि–प्रक्रमी बोली में सर्वोत्तम वित्तीय बोली अभिप्राप्त करने के लिए और जहां धारा 13 के निबंधनानुसार द्वि–भाग बोली प्रणाली का अनुसरण किया जाता है, के लिए भी उपयोग में लायी जा सकती है।

नियम 19.

इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम की प्रक्रिया.– (1) उपापन संस्था नियम 43 के अनुसार प्रकाशित किये जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम के लिए आमंत्रण द्वारा बोली की अभ्यर्थना करेगी। आमंत्रण में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :–

(क) उपापन संस्था का नाम और पता और ई–मेल पता, यदि कोई हो,

(ख) उपापन की विषय–वस्तु का ब्यौरेवार विवरण और ऐसी विषय–वस्तु उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित समय और स्थान ;

(ग) उपापन संविदा के निबंधन और शर्तें, उस विस्तार तक जहाँ तक वे उपापन संस्था को पहले से ज्ञात हो, और पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने वाली संविदा का प्ररूप, यदि कोई हो;

(घ) बोली लगाने वालों की अर्हताओं को अभिनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कसौटी और प्रक्रियाएँ और कोई दस्तावेजी साक्ष्य या अन्य सूचना जो बोली लगाने वालों द्वारा उनकी अर्हताएँ प्रदर्शित करने के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए ;

(ङ) उपापन की विषय–वस्तु के विवरण के विरूद्ध बोलियों का परीक्षण करने के लिए कसौटी और प्रक्रिया ;

(च) किसी गणितीय सूत्र को सम्मिलित करते हुए, जो नीलाम के दौरान मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रयुक्त किया जायेगा, बोलियों का मूल्यांकन करने के लिए कसौटी और प्रक्रिया;

(छ) ऐसे कथन को सम्मिलित करते हुए कि क्या कीमत में उपापन की विषय–वस्तु की लागत से अन्यथा तत्व जैसे कोई लागू परिवहन, बीमा प्रभार, सीमा शुल्क, कर इत्यादि समाविष्ट है, रीति जिसमें बोली की कीमत निश्चित और अभिव्यक्त की जानी है ;

(h) the minimum number of bidders required to register for the auction;

(i) how the auction can be accessed;

(j) the deadline by which the bidders must register for the auction and the requirements for registration;

(k) the date and time of the opening of the auction and the requirements for identification of bidders at the opening of the auction;

(l) the criteria governing the closing of the auction;

(m) other rules for the conduct of the auction, including the information that will be made available to the bidders in the course of the auction, the language in which it will be made available and the conditions under which the bidders will be able to bid;

(n) references to the Act and these rules, and other laws and regulations directly pertaining to the procurement proceedings, including those applicable to procurement involving classified information, and the place where those laws and regulations may be found;

(o) the means by which the bidders may seek clarification of information relating to the procurement proceedings;

(p) the name, designation and address of one or more officers or employees of the procuring entity including e-mail address, if any, who are authorised to communicate directly with and to receive communications directly from the bidders in connection with the procurement proceedings before and after the auction without the intervention of an intermediary;

(q) verification of any formalities including, where applicable, ascertainment of qualifications or responsiveness before execution of a written procurement contract and only after the fulfillment of such formalities, the contract shall come into force; and

(ज) नीलाम के लिए रजिस्टर किये जाने के लिए अपेक्षित बोली लगाने वालों की न्यूनतम संख्या ;

(झ) नीलाम तक कैसे पहुँचा जा सकता है ;

(ञ) समय–सीमा जिस तक बोली लगाने वालों को नीलाम के लिए रजिस्टर करा लेना चाहिए और रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षाएँ ;

(ट) नीलाम के खुलने की तारीख और समय और नीलाम के खुलने के समय बोली लगाने वालों की पहचान के लिए अपेक्षाएं ;

(ठ) नीलाम बंद करने को शासित करने वाली कसौटी;

(ड) जानकारी जो नीलाम के अनुक्रम में बोली लगाने वालों को उपलब्ध करायी जायेगी, भाषा जिसमें यह उपलब्ध करायी जायेगी और शर्तें जिनके अधीन बोली लगाने वाले बोली लगायेंगे, को सम्मिलित करते हुए नीलाम के संचालन के लिए अन्य नियम;

(ढ) उपापन कार्यवाहियों से प्रत्यक्षतः संबंधित अधिनियम और इन नियमों, और अन्य विधियों और विनियमों के संदर्भ उनको सम्मिलित करते हुए जो वर्गीकृत सूचना अन्तर्वर्लित करने वाले उपापन पर लागू हैं, और वह स्थान जहाँ ये विधियाँ और विनियम उपलब्ध हो सकेंगे;

(ण) साधन जिनके द्वारा बोली लगाने वाले उपापन कार्यवाहियों संबंधी सूचना का स्पष्टीकरण चाह सकेंगे;

(त) उपापन संस्था के एक या इससे अधिक अधिकारियों या कर्मचारियों के नाम, पदनाम और ई–मेल पते, यदि कोई हों, सहित पते जो उपापन कार्यवाहियों के संबंध में, नीलाम के पूर्व और पश्चात्, किसी मध्यवर्ती के मध्यक्षेप के बिना, बोली लगाने वाले के साथ सीधे ही सम्पर्क करने और उनसे सीधे ही संसूचना प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हों;

(थ) किसी लिखित उपापन संविदा के निष्पादन के पूर्व अर्हताओं या प्रत्युत्तरदायिता के अभिनिश्चय, जहाँ लागू हो, को सम्मिलित करते हुए किन्हीं औपचारिकताओं का सत्यापन और ऐसी औपचारिकताओं की पूर्ति के पश्चात् ही संविदा प्रवृत्त होगी; और

(r) Any other requirement, which is considered by the procuring entity essential for the purpose.

(2) The procuring entity may decide, in the light of the circumstances of the given procurement, that the electronic reverse auction shall be preceded by an examination or evaluation of initial bids. In such case, the invitation to the auction shall, in addition to information specified in sub-rule (1) of this rule, include,-

(a) an invitation to present initial bids, together with instructions for preparing initial bids; and

(b) the manner, place and deadline for presenting initial bids.

(3) Where the electronic reverse auction has been preceded by evaluation of initial bids, the procuring entity shall promptly after the completion of the evaluation of initial bids,-

(a) despatch the notice of rejection specifying the reasons for rejection to each bidder whose initial bid was rejected;

(b) issue an invitation to the auction to each qualified bidder whose initial bid is responsive, providing all information required to participate in the auction; and

(c) where an evaluation of initial bids has taken place, each invitation to the auction shall also be accompanied by the outcome of the evaluation, as relevant to the bidder to which the invitation is addressed.

Rule 20.

Registration for the electronic reverse auction and the timing of holding the auction.- (1) Confirmation of registration for the electronic reverse auction shall be communicated promptly to each registered bidder.

(2) If the number of bidders registered for the electronic reverse auction is less than three, to ensure effective competition, the procuring entity may cancel the auction. The cancellation of the auction shall be communicated promptly to each registered bidder.

(द) कोई अन्य अपेक्षा जो इस प्रयोजन के लिए उपापन संस्था द्वारा आवश्यक समझी जाये।

(2) उपापन संस्था, दिये गये उपापन की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह विनिश्चय कर सकेगी कि इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम से पूर्व आरंभिक बोलियों का परीक्षण या मूल्यांकन किया जायेगा। ऐसे मामलों में, नीलाम के लिए आमंत्रण में इस नियम के उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट सूचना के अतिरिक्त,–

(क) आरंभिक बोलियाँ तैयार करने के लिए अनुदेशों के साथ, आरंभिक बोलियाँ प्रस्तुत करने का आमंत्रण; और

(ख) आरंभिक बोलियाँ प्रस्तुत करने की रीति, स्थान और समय सीमा ; सम्मिलित होगी।

(3) जहाँ आरंभिक बोलियों का मूल्यांकन इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम से पूर्व किया गया है वहाँ उपापन संस्था, आरंभिक बोलियों के मूल्यांकन के पूर्ण होने के पश्चात्, तत्परता से ,–

(क) प्रत्येक बोली लगाने वाले को, जिसकी आरंभिक बोली अस्वीकृत की गयी है, अस्वीकृति के लिए कारण विनिर्दिष्ट करते हुए, अस्वीकृति का नोटिस प्रेषित करेगी ;

(ख) प्रत्येक अर्हित बोली लगाने वाले को, जिसकी आरंभिक बोली प्रत्युत्तरदायी है, नीलाम में भाग लेने के लिए अपेक्षित समस्त सूचना उपलब्ध कराते हुए नीलाम का आमंत्रण जारी करेगी ; और

(ग) जहाँ आरंभिक बोलियों का मूल्यांकन किया जा चुका है वहाँ नीलाम के प्रत्येक आमंत्रण के साथ बोली लगाने वाले, जिसे आमंत्रण संबोधित किया गया है, को यथा–सुसंगत मूल्यांकन का परिणाम भी संलग्न होगा।

नियम 20.

इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम के लिए रजिस्ट्रीकरण और नीलाम आयोजित करने का समय.– (1) इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम के लिए रजिस्ट्रीकरण की पुष्टि से प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वाले को तत्परता से संसूचित किया जायेगा।

(2) यदि इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम के लिए रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की संख्या तीन से कम है तो प्रभावी प्रतियोगिता सुनिश्चित करने के लिए, उपापन संस्था नीलाम को रद्द कर सकेगी। नीलाम के रद्दकरण से प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वाले को तत्परता से संसूचित किया जायेगा।

(3) The period of time between the issuance of the invitation to the electronic reverse auction and the auction shall be of minimum seven days to bidders to prepare for the auction, taking into account the reasonable needs of the procuring entity.

Rule 21.

Requirements during the electronic reverse auction.- (1) The electronic reverse auction shall be based on,-

(a) price, where the procurement contract is to be awarded to the lowest-priced bid; or

(b) price and other criteria specified to the bidders as applicable, where the procurement contract is to be awarded to the most advantageous bid.

(2) During the auction;-

(a) all bidders shall have an equal and continuous opportunity to present their bids;

(b) there shall be automatic evaluation of all bids in accordance with the criteria, procedure and formula provided to the bidders;

(c) each bidder must receive, instantaneously and on a continuous basis during the auction, sufficient information allowing it to determine the standing of its bid visà- vis other bids; and

(d) there shall be no communication between the procuring entity and the bidders or among the bidders, other than as provided for in clauses (a) and (c) above.

(3) The procuring entity shall not disclose the identity of any bidder during the auction.

(4) The auction shall be closed in accordance with the criteria specified to the bidders.

(5) The procuring entity shall suspend or cancel the auction in the case of failures in its communication system that put at risk the proper conduct of the auction. The procuring entity may also cancel the procurement process under the provisions of section 26.

(3) इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम के लिए आमंत्रण जारी करने और नीलाम के बीच समय की कालावधि, उपापन संस्था की युक्तियुक्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, नीलाम के लिए बोली लगाने वालों को तैयारी के लिए, न्यूनतम सात दिवस होगी।

नियम 21.

इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम के दौरान अपेक्षाएँ.– (1) इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम निम्नलिखित पर आधारित होगा,–

(क) कीमत, जहां उपापन संविदा न्यूनतम कीमत बोली के लिए अधिनिर्णीत की जानी है ; या

(ख) कीमत और बोली लगाने वाले को विनिर्दिष्ट अन्य कसौटी, जो लागू हो, जहाँ उपापन संविदा, सर्वाधिक लाभप्रद बोली के लिए अधिनिर्णीत की जानी है।

(2) नीलाम के दौरान :–

(क) समस्त बोली लगाने वालों को उनकी बोली प्रस्तुत करने का समान और निरन्तर अवसर होगा ;

(ख) बोली लगाने वालों के लिए उपलब्ध करवायी गयी कसौटी, प्रक्रिया और फार्मूला के अनुसार समस्त बोलियों का स्वचलित मूल्यांकन होगा ;

(ग) प्रत्येक बोली लगाने वाले को नीलाम के दौरान तत्काल और निरन्तरता के आधार पर, अन्य बोलियों के मुकाबले में उसकी बोली की अवस्थिति का अवधारण करने के लिए उसे अनुज्ञात पर्याप्त सूचना, प्राप्त होनी चाहिए, और

(घ) उपर्युक्त खण्डों (क) और (ग) में यथा–उपबंधित के सिवाय, उपापन संस्था और बोली लगाने वालों या बोली लगाने वालों के बीच कोई संपर्क नहीं होगा।

(3) उपापन संस्था नीलाम के दौरान किसी बोली लगाने वाले की पहचान प्रकट नहीं करेगी।

(4) नीलाम, बोली लगाने वालों के लिए विनिर्दिष्ट कसौटी के अनुसार बंद किया जायेगा।

(5) उपापन संस्था नीलाम को, उसकी संचार प्रणाली की विफलता की दशा में जो उस नीलाम के उचित संचालन को जोखिम में डाले, निलम्बित या रद्द करेगी। उपापन संस्था धारा 26 के उपबंधों के अधीन भी उपापन प्रक्रिया को रद्द कर सकेगी।

Rule 22.

Requirements after the electronic reverse auction.- (1) At the closure of the electronic reverse auction the lowest priced bid or the most advantageous bid, as the case may be, shall be the successful bid.

(2) In procurement by means of an auction that was not preceded by examination or evaluation of initial bids, the procuring entity shall ascertain after the auction the responsiveness of the successful bid and the qualifications of the bidder submitting it. The procuring entity shall reject that bid if it is found to be unresponsive or if the bidder submitting it is found unqualified. Without prejudice to the right of the procuring entity to cancel the procurement, the procuring entity may select the bid that was the next lowest-priced or next most advantageous bid at the closure of the auction, if the bid is ascertained to be responsive and the bidder submitting it, is ascertained to be qualified.

Rule 23.

Other provisions for electronic reverse auction.-Except as otherwise provided in rule 19 to 22, the provisions of Chapter-V shall, mutatis mutandis, apply to electronic reverse auction, except rules 40, 49, 50, 52, 64, 68 and 69

नियम 22.

इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम के पश्चात् अपेक्षाएँ,– (1) इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम के बंद होने पर न्यूनतम कीमत बोली या, यथास्थिति, सर्वाधिक लाभप्रद बोली, सफल बोली होगी।

(2) किसी नीलाम के माध्यम से उपापन में जिसकी प्रारंभिक बोलियों का पूर्व में परीक्षण या मूल्यांकन नहीं किया था, उपापन संस्था नीलाम के पश्चात् सफल बोली की प्रत्युत्तरदायिता और इसे प्रस्तुत करने वाले बोली लगाने वाले की अर्हताएँ अभिनिश्चित करेगी। उपापन संस्था उस बोली को अस्वीकार करेगी यदि वह गैर–प्रत्युत्तरदायी पायी जाये या यदि बोली लगाने वाला जिसने उसे प्रस्तुत किया है, अयोग्य पाया जाये। उपापन को रद्द करने के उपापन संस्था के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपापन संस्था उस बोली का चयन कर सकेगी जो नीलाम के बंद होने पर अगली निम्नतम कीमत या अगली सर्वाधिक लाभप्रद बोली थी यदि वह बोली प्रत्युत्तरदायी अभिनिश्चित की जाये और उसे प्रस्तुत करने वाला बोली लगाने वाला अर्हित अभिनिश्चित किया जाये।

नियम 23.

इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम के लिए अन्य उपबंध.– नियम 19 से 22 में जैसा अन्यथा उपबंधित है के सिवाय, अध्याय–5 के उपबंध, नियम 40, 49, 50, 52, 64, 68 और 69 के सिवाय, यथावश्यक परिवर्तनों सहित इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलाम पर लागू होंगे।

Request for quotations and spot purchase

For procurement of small value like 1 lakh and 50000 , method of procurement request for quotation and spot purchase may be adopted as per the provisions of section 34 and rule 24, 25 , 26 which are as below:-

Section 34.

Request for quotations and spot purchase.- (1) A procuring entity may choose to procure a subject matter of procurement of value below a monetary value as may be prescribed, by the method of request for quotations in the following situations, namely;-

(a) procurement of readily available commercial-off the-shelf goods that are not specially produced to the particular description of the procuring entity and for which there is an established market; or

(b) physical services that are not specially provided to the particular description of the procuring entity and are readily available in the market; or

(c) procurement of any goods or works or services which are urgently required for maintenance or emergency repairs.

(2) Subject to the rules as may be made in this behalf, the procedure for request for quotations shall include the following, namely;-

(a) quotations shall be requested from as many potential bidders as practicable, subject to a minimum of three;

(b) each bidder shall be permitted to give only one quotation;

(c) the successful quotation shall be the lowest priced quotation meeting the needs of the procuring entity as set out in the request for quotations.

कोटेशनों और मौके पर क्रय के लिए अनुरोध

कम मूल्य के उपापन यथा 1 लाख तथा 50,000 के लिए क्रमशः कोटेशन और मौके पर क्रयकी उपापन की पद्धति अपनाई जा सकती है, इसके प्रावधान धारा 34 नियम 24, 25, 26 में दिए गए हैं, जो निम्नानुसार है–

धारा 34.

कोटेशनों और मौके पर क्रय के लिए अनुरोध.–(1) उपापन संस्था निम्नलिखित स्थितियों में कोटेशन के लिए अनुरोध की रीति द्वारा किसी धनीय मूल्य, जो विहित किया जाये, से नीचे के मूल्य के उपापन की विषय–वस्तु के उपापन का चयन कर सकती है, अर्थात्:–

(क) आसानी से उपलब्ध वाणिज्यिक रूप से तैयार माल का उपापन जो कि उपापन संस्था के विशिष्ट विवरण के लिए विशेष रूप से उत्पादित नहीं किये जाते हैं और जिसके लिए एक स्थापित बाजार है; या

(ख) भौतिक सेवाएँ जो कि उपापन संस्था के विशेष विवरण के लिए विशेष रूप से मुहैया नहीं करायी जाती हैं और आसानी से बाजार में उपलब्ध है; या

(ग) किसी माल या संकर्म या सेवाओं का उपादान जो कि अनुरक्षण या आपात मरम्मतों के लिए आवश्यक रूप से अपेक्षित हैं।

(2) इस निमित्त बनाये गये इन नियमों के अध्यधीन कोटेशन के लिए अनुरोध की प्रक्रिया में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(क) कोटेशन इतने अधिक यथासाध्य संभावी बोली लगाने वालों से जो न्यूनतम तीन के अध्यधीन होंगे, माँगे जायेंगे;

(ख) प्रत्येक बोली लगाने वाले को केवल एक कोटेशन देने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा;

(ग) कोटेशन के लिए अनुरोध में यथा उपवर्णित उपापन संस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला न्यूनतम कीमत वाला कोटेशन सफल कोटेशन होगा।

(3) A procuring entity may do a spot purchase of the subject matter of procurement specified in sub-section (1) through a purchase committee comprising three members within the procuring entity and in such cases the purchase committee shall record a certificate to the effect that it is satisfied that the goods or services are of requisite quality and are priced at the prevailing market rate.

(4) Nothing contained in sections 5 to 10 (both inclusive), sections 12 to 27 (both inclusive) and Chapter III shall apply to purchases made under this section.

Rule 24.

Request for Quotations.- (1) A procuring entity may adopt the method of request for quotations for procurement if the estimated cost or value of the subject matter of procurement is less than Rupees one lakh on one occasion but it shall not exceed Rupees five lakh in a financial year.

(2) The procedure for request for quotations shall be as under;-

(a) quotations shall be requested from as many potential bidders as practicable, subject to a minimum of three;

(b) each bidder from whom a quotation is requested shall be informed whether any elements other than the charges for the subject matter of the procurement itself, such as any applicable transportation, insurance charges, customs duties, taxes, etc. are to be included in the price.

(c) each bidder shall be permitted to give only one quotation.

(d) the successful quotation shall be the lowest priced quotation meeting the needs of the procuring entity as set out in the request for quotations.

(3) उपापन संस्था के भीतर के तीन सदस्यों से मिलकर बनी क्रयसमिति के माध्यम से उपापन संस्था उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट उपापन की विषय वस्तु का मौके पर क्रय कर सकती है और ऐसे मामलों में क्रय समिति इस आशय का प्रमाण–पत्र अभिलिखित करेगी कि यह समाधान हो गया है कि माल या सेवाएँ अपेक्षित गुणवत्ता की हैं और प्रचलित बाजार दर के मूल्य की हैं।

(4) इस धारा के अधीन किये गये पर धारा 5 से 10 (दोनों सम्मिलित), धारा 12 से 27 (दोनों सम्मिलित) और अध्याय 3 में की कोई बात लागू नहीं होगी।

नियम 24.

कोटेशनों के लिए अनुरोध.– (1) कोई उपापन संस्था, उपापन के लिए कोटेशन के लिए अनुरोध की पद्धति अंगीकृत कर सकेगी यदि उपापन की विषय–वस्तु की प्राक्कलित लागत या मूल्य एक अवसर पर एक लाख रुपये से कम हो किन्तु यह एक वित्तीय वर्ष में पांच लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।

(2) कोटेशन के अनुरोध के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

(क) कोटेशन न्यूनतम तीन के अध्यधीन रहते हुए, यथासाध्य संभावी बोली लगाने वालों से माँगे जायेंगे ;

(ख) प्रत्येक बोली लगाने वाला, जिससे कोटेशन का अनुरोध किया गया है, को सूचित किया जायेगा कि क्या उपापन की विषय–वस्तु स्वयं के प्रभारों से भिन्न कोई अन्य तत्व जैसे परिवहन, बीमा प्रभार, सीमा शुल्क, कर इत्यादि, जो लागू हों, कीमत में सम्मिलित किये जाने हैं।

(ग) प्रत्येक बोली लगाने वाले को केवल एक कोटेशन देने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।

(घ) कोटेशन के लिए अनुरोध में यथा–उपवर्णित उपापन संस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला न्यूनतम कीमत वाला कोटेशन सफल कोटेशन होगा।

Rule 25.

Spot Purchase.- (1) A procuring entity may adopt the method of spot purchase for procurement if the estimated cost or value of the subject matter of procurement is less than Rupees fifty thousand on one occasion but it shall not exceed Rupees three lakh in a financial year.

(2) A procuring entity shall procure a subject matter of procurement on the recommendation of the spot purchase committee. The committee shall survey the market to ascertain the reasonableness of rate, quality and specifications and identify the appropriate supplier of the subject matter and shall record the following certificate-

"Certified that we………………………………..…………………………, (names of members of the committee) members of the spot purchase committee are jointly and individually satisfied that the subject matter recommended for procurement is of the requisite specifications and quality, priced at the prevailing market rate and the supplier recommended is reliable and competent to supply/provide the subject matter in question."

Rule 26.

Procurement without quotations.- The subject matter of procurement valuing up to rupees ten thousand may be procured on one occasion subject to a limit of below rupees one lakh during a financial year without inviting quotations, from the Government Departments / Corporations, authorised dealers, cooperative stores / bhandars or retailers who are bona-fide dealers in the subject matter of procurement.

नियम 25.

मौके पर क्रय.– (1) कोई उपापन संस्था, उपापन के लिए मौके पर क्रय की पद्धति को अंगीकृत कर सकेगी यदि उपापन की विषय–वस्तु की प्राक्कलित लागत या मूल्य एक अवसर पर पचास हजार रुपये से कम हो किन्तु यह एक वित्तीय वर्ष में तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।

(2) कोई उपापन संस्था, मौका क्रय समिति की सिफारिश पर उपापन की विषय–वस्तु का उपापन कर सकेगी। समिति दर, गुणवत्ता और विनिर्देशों की युक्तियुक्तता अभिनिश्चित करने और विषय–वस्तु के समुचित प्रदायकर्ता की पहचान करने के लिए बाजार का सर्वेक्षण करेगी और निम्नलिखित प्रमाणपत्र अभिलिखित करेगी –

'' प्रमाणित किया जाता है कि हम .... (समिति के सदस्यों के नाम) मौका क्रय समिति के सदस्यों का संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से यह समाधान हो गया है कि सिफारिश की गयी उपापन की विषय–वस्तु, अपेक्षित विनिर्देशों और गुणवत्ता की है, प्रचलित बाजार दर की कीमत की हैं और सिफारिश किया गया प्रदायकर्त्ता विश्वसनीय है और प्रश्नगत विषय–वस्तु का प्रदाय करने/उपलब्ध कराने में सक्षम है।''

नियम 26.

कोटेशनों के बिना उपापन.– किसी वित्तीय वर्ष के दौरान एक लाख रुपये से नीचे की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, एक अवसर पर दस हजार रुपये तक मूल्य के उपापन की विषय वस्तु, सरकारी विभागों/निगमों, प्राधिकृत व्यवहारियों, सहकारी स्टोर्स/भंडारों या ऐसे फुटकर विक्रेताओं से, जो उपापन की विषय–वस्तु के सद्भावी व्यवहारी हैं, कोटेशन आमंत्रित किये बिना उपाप्त की जा सकेगी।

Competitive negotiations

If there is an urgency due to unforeseen events or the prices of subject matter like livestock or agriculture produces fluctuate frequently and the method of competitive negotiation may be adopted as per the provisions prescribed in section 35 and rule 28 , which are as under

Section 35.

Competitive negotiations.- (1) A procuring entity may choose to procure a subject matter of procurement by the method of competitive negotiations, if –

(a)owing to an urgency brought about by unforeseen events, the procuring entity is of the opinion that the subject matter of procurement cannot be usefully obtained by adopting the method of open competitive bidding or any other method; or

(b) The subject matter of procurement involves livestock, cotton, oilseeds or such other agricultural produces whose prices fluctuate frequently and in the opinion of the procuring entity the subject matter of procurement cannot be usefully obtained by adopting the method of open competitive bidding or any other method.

(2) Subject to the rules as may be made in this behalf, the procedure for competitive negotiation shall include the following, namely;-

(a) purchase of the subject matter of procurement under this section shall be made through a purchase committee within the procuring entity and in such cases the purchase committee shall record a certificate to the effect that it is satisfied that the subject matter of procurement is of requisite quality and are priced at the prevailing market rate;

(b) to ensure effective competition, an adequate number, not being less than three, of potential bidders selected in a non-discriminatory manner shall be included in procurement process;

प्रतियोगी बातचीत

अकल्पित घटना के कारण कोई अत्यावश्यकता हो या पशुधन और कृषि जिंसों वाली कीमतों में उतार–चढाव जैसी कोई उपापन की वस्तु हो तो प्रतियोगी बातचीत की उपापन की पद्धति अपनाई जा सकती है जिसके प्रावधान धारा 35 तथा नियम 28 में दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं–

धारा 35.

प्रतियोगी बातचीत.–(1) उपापन संस्था प्रतियोगी बातचीत की रीति द्वारा उपापन की विषय–वस्तु का चयन कर सकेगी, यदि–

(क) अकल्पित घटनाओं के द्वारा हुई अत्यावश्यकता को देखते हुए उपापन संस्था की यह राय हो कि खुली प्रतियोगी बोली लगाने वाली रीति या किसी अन्य रीति को अंगीकृत कर उपापन की विषय–वस्तु उपयोगी रूप से प्राप्त नहीं की जा सकती; या

(ख) उपापन की विषय–वस्तु में पशुधन, कपास, तिलहन या ऐसी अन्य कृषि उपज अन्तर्वलित है, जिनकी कीमतों में निरन्तर उतार–चढ़ाव होता है और उपापन संस्था की राय में उपापन की विषय–वस्तु को खुली प्रतियोगी बोली लगाने वाली रीति या किसी अन्य रीति को अंगीकृत कर उपयोगी रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता।

(2) इस निमित्त बनाये गये नियमों के अध्यधीन प्रतियोगी बातचीत के लिए प्रक्रिया में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(क) इस धारा के अधीन उपापन की विषय–वस्तु का क्रय उपापन संस्था के भीतर क्रय समिति के माध्यम से किया जायेगा और ऐसे मामलों में क्रय समिति इस आशय का प्रमाण–पत्र अभिलिखित करेगी कि यह समाधान हो गया है कि उपापन की विषय वस्तु अपेक्षित गुणवत्ता की है और प्रचलित बाजार दर की कीमत की है;

(ख) प्रभावी प्रतियोगिता को सुनिश्चित करने के लिए अविभेदकारी रीति से पर्याप्त संख्या में चयनित संभावी बोली लगाने वालों को जो, तीन से कम न हों, उपापन प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे;

(c) an equal opportunity shall be given to all bidders to participate in the negotiations.

(3) Nothing contained in sections 5 to 10 (both inclusive), sections 12 to 27 (both inclusive) and Chapter III shall apply to purchases made under this section.

Rule 28

Competitive negotiations.- The procedure for competitive negotiation shall be as under;-

(a) Procurement of the subject matter shall be made through the competitive negotiations committee. The committee shall give the following certificate-

"Certified that we --(names of members of the committee), members of the competitive negotiations committee are jointly and individually satisfied that the subject matter of procurement recommended is of the requisite specifications and quality, priced at the prevailing market rate and the supplier recommended is reliable and competent to supply the subject matter of procurement."

(b) to ensure effective competition, an adequate number, not being less than three, of potential bidders selected in a non-discriminatory manner shall be included in procurement process;

(c) an equal opportunity shall be given to all bidders to participate in the negotiations. Any requirements, guidelines, documents, clarifications or other information related to the negotiations that is communicated by the procuring entity to a bidder before or during the negotiations shall be communicated, subject to section 49, at the same time and on an equal basis to all other bidders engaging in negotiations with the procuring entity related to the procurement, unless such information is specific or exclusive to that bidder;

(ग) बातचीत में भाग लेने के लिए समस्त बोली लगाने वालो को समान अवसर दिया जायेगा।

(3) इस धारा के अधीन किये गये क्रयों पर धारा 5 से 10 (दोनों सम्मिलित), धारा 12 से 27 (दोनों सम्मिलित) और अध्याय 3 में अन्तर्विष्ट कोई बात लागू नहीं होगी।

नियम 28.

प्रतियोगी बातचीत.– प्रतियोगी बातचीत के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार होगी –

(क) विषय–वस्तु का उपापन प्रतियोगी बातचीत समिति के माध्यम से किया जायेगा। समिति निम्नलिखित प्रमाणपत्र देगी :–

''प्रमाणित किया जाता है कि हम .... (समिति के सदस्यों के नाम) प्रतियोगी बातचीत समिति के सदस्यों का संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से यह समाधान हो गया है कि सिफारिश की गयी उपापन की विषय–वस्तु अपेक्षित विनिर्देशों और गुणवत्ता की है, प्रचलित बाजार दर की कीमत की है और सिफारिश किया गया प्रदायकर्त्ता विश्वसनीय है और उपापन की विषय वस्तु का प्रदाय करने में सक्षम है।''

(ख) प्रभावी प्रतियोगिता सुनिश्चित करने के लिए, अविभेदकारी रीति से चयनित संभावी बोली लगाने वालों की पर्याप्त संख्या, जो तीन से कम न हो, उपापन प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे ;

(ग) बातचीत में भाग लेने के लिए समस्त बोली लगाने वालों को समान अवसर दिया जायेगा। बातचीत से संबंधित कोई अपेक्षाएँ, मार्गदर्शक सिद्धान्त, दस्तावेज, स्पष्टीकरण या अन्य सूचना जो बातचीत से पूर्व या इसके दौरान किसी बोली लगाने वाले को उपापन संस्था द्वारा संसूचित की जाती है, उपापन से संबंधित उपापन संस्था के साथ बातचीत में सम्मिलित समस्त अन्य बोली लगाने वालों को उसी समय और एक समान आधार पर, धारा 49 के अध्यधीन रहते हुए, संसूचित की जायेगी, जब तक कि ऐसी सूचना उस बोली लगाने वाले के लिए विनिर्दिष्ट या अनन्य न हो ;

(d) after completion of negotiations, the procuring entity shall request all bidders remaining in the proceedings to present, by a specified time and date, a best and final offer with respect to all aspects of their proposals;

(e) the committee shall keep the record of all the bids received;

(f) no negotiations shall take place between the procuring entity and bidders with respect to their best and final offers;

(g) the procuring entity shall ensure that the successful offer is the lowest or most advantageous offer; and

(h) Nothing contained in sections 5 to 10 (both inclusive), sections 12 to 27 (both inclusive) and Chapter III of the Act shall apply to purchases made by competitive negotiations.

---x---x---

(घ) बातचीत पूर्ण होने के पश्चात्, उपापन संस्था, कार्यवाही में शेष रहे समस्त बोली लगाने वालों को विनिर्दिष्ट समय और तारीख तक, अपने प्रस्तावों के समस्त पहलुओं के संबंध में सर्वश्रेष्ठ और अंतिम प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध करेगी ;

(ङ) समिति, प्राप्त की गयी समस्त बोलियों का अभिलेख रखेगी ;

(च) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के मध्य उनके सर्वश्रेष्ठ और अंतिम प्रस्तावों के संबंध में कोई बातचीत नहीं होगी ;

(छ) उपापन संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि सफल प्रस्ताव सबसे कम या सर्वाधिक लाभप्रद प्रस्ताव है; और

(ज) धारा 5 से 10 (दोनों को सम्मिलित करते हुए), धारा 12 से 27 (दोनों को सम्मिलित करते हुए) और अधिनियम के अध्याय 3 में अन्तर्विष्ट कोई बात प्रतियोगी बातचीत द्वारा किये गये क्रय पर लागू नहीं होगी।

---x---x---

Rate contract

Where demand of subject matter is created many times in a financial year procuring method of rate contract is adopted, relevant provisions are given in the section 36 and rule 29 which are as under:-

Section 36.

Rate contract.- (1) A procuring entity may choose to engage in a rate contract procedure in accordance with the rules as may be made in this behalf, where it determines that-

(a) the need for the subject matter of procurement is expected to arise on an indefinite or repeated basis during a given period of time;

(b) by virtue of the nature of the subject matter of procurement, the need for it may arise during a given period of time.

(2) A procuring entity may award a rate contract on the basis of open competitive bidding or by means of other procurement methods in accordance with the provisions of this Act.

(3) Subject to the rules as may be made in this behalf, the procedure for rate contract shall include the following, namely;-

(a)the manner in which rate contract is to be entered into, including selection of the method of bidding to be followed; and

(b) the manner in which a procurement contract has to be entered into using rate contract procedure.

Rule 29.

Rate contract.- (1) In addition to the conditions included in sub-section (1) of section 36 for adopting the method of rate contract, a procuring entity may adopt the method of rate contract, when it determines that by virtue of the nature of subject matter of procurement, the need for that subject matter may arise on an urgent basis during a given period of time.

(2) The procedure for rate contract shall be as under;-

दर संविदा

जहाँ उपापन की विषय–वस्तु की माँग आवर्ती आधार पर एक वित्तीय वर्ष में अनेकों बार होती है ऐसे में दर संविदा की उपापन की पद्धति अपनाई जाती है जिसके सम्बन्ध में प्रावधान धारा 36 तथा नियम 29 में दिए गए है, इस प्रकार है–

धारा 36.

दर संविदा.–(1) कोई उपापन संस्था इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार दर संविदा प्रक्रिया में संलग्न होने के चयन कर सकती है, जिसमें यह अवधारित किया जायेगा कि–

(क) दी गई समयावधि के दौरान उपापन की विषय–वस्तु की आवश्यकता अनिश्चित या दुहराये गये आधार पर उत्पन्न होने की आशा की जाती है;

(ख) उपापन की विषय–वस्तु की प्रकृति के आधार पर इसकी आवश्यकता दी गई समयावधि के दौरान उत्पन्न हो सकती है।

(2) उपापन संस्था इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार खुली प्रतियोगी बोली लगाने वाले के आधार पर या अन्य उपापन रीतियों के माध्यम से दर संविदा प्रदान कर सकती है।

(3) इस निमित्त बनाये गये नियमों के अध्यधीन दर संविदा के लिए प्रक्रिया में निम्नलिखित सम्मिलित होंगें, अर्थात्:–

(क) वह रीति, जिसमें अनुसरण की जाने वाली बोली की रीति के चयन को सम्मिलित करते हुए दर संविदा की जानी है; और

(ख) वह रीति, जिसमें उपापन संविदा दर संविदा प्रक्रिया का उपयोग करते हुए की जानी है।

नियम 29.

दर संविदा.– (1) दर संविदा की पद्धति अंगीकार करने के लिए धारा 36 की उप–धारा (1) में सम्मिलित शर्तों के अतिरिक्त, उपापन संस्था दर संविदा की पद्धति अंगीकार कर सकेगी जब वह यह अवधारित करे कि उपापन की विषय–वस्तु की प्रकृति के आधार पर, समय की दी गयी कालावधि के दौरान अति आवश्यक आधार पर, उस विषय–वस्तु की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है।

(2) दर संविदा के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

(a) A procuring entity may award a rate contract by the method of open competitive bidding. If it is not possible to adopt the method of open competitive bidding, the procuring entity after recording reasons may adopt another method of procurement. An approximate quantity of required goods, works or service during the period shall be indicated in the Notice Inviting Bids, but no minimum quantity is guaranteed.

(b) The period of rate contract shall be generally one year, preferably a financial year to match with budget provisions and levy of taxes. It may be a shorter period, if variations in market prices are expected to be significant. It may also be a longer period up to maximum two years, if the variations in market prices are not expected to be significant. The reasons for selecting the period for rate contract shall be recorded.

(c) In the first stage single part or two part bids shall be invited in accordance with the provisions of section 13.

(d) A rate contract shall be entered, for price without a commitment for quantity, place and time of supply of subject matter of procurement, with the bidder of lowest priced bid or most advantageous bid.

(e) In the second stage supply or work order shall be placed at the contracted price for supply or execution of the required quantity of the subject matter of procurement mentioning the place of supply or execution, delivery schedule, etc., as and when needed.

(f) Rate contracts may be entered with more than one bidder as parallel rate contracts provided there is such provision in the bidding documents, in the order of their standing in final evaluation, by giving them counter offer of prices of the lowest or most advantageous bidder, in order to secure prompt delivery of goods or services or execution of works, if the quantity of the subject matter of procurement required is beyond the capacity of the lowest bidder or the subject matter of procurement is of critical or vital nature.

(क) उपापन संस्था, खुली प्रतियोगी बोली की पद्धति द्वारा दर संविदा का अधिनिर्णय कर सकेगी। यदि खुली प्रतियोगी बोली की पद्धति अंगीकार करना संभव नहीं हो तो उपापन संस्था, कारण अभिलिखित करने के पश्चात्, उपापन की अन्य पद्धति अंगीकृत कर सकेगी। कालावधि के दौरान अपेक्षित माल, संकर्मों या सेवाओं की अनुमानित मात्रा बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस में उप–दर्शित की जायेगी किन्तु किसी न्यूनतम मात्रा की गारंटी नहीं दी जायेगी।

(ख) दर संविदा की कालावधि सामान्यतः एक वर्ष, बजट व्यवस्था और करों के उद्ग्रहण के अनुरूप होने के लिए अधिमानतः एक वित्तीय वर्ष होगी। यह और कम कालावधि की हो सकेगी यदि बाजार कीमतों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की प्रत्याशा हो। यह अधिकतम दो वर्ष की दीर्घतर कालावधि तक भी हो सकेगी यदि बाजार कीमतों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की प्रत्याशा न हो। दर संविदा के लिए कालावधि का चयन करने के लिए कारण अभिलिखित किये जायेंगे।

(ग) प्रथम प्रक्रम में एकल भाग या द्वि–भाग बोलियाँ धारा 13 के उपबंधों के अनुसार आमंत्रित की जायेंगी।

(घ) कोई दर संविदा, न्यूनतम कीमत वाली बोली या सर्वाधिक लाभप्रद बोली के बोली लगाने वाले के साथ, उपापन की विषय–वस्तु की मात्रा, स्थान और समय के लिए प्रतिबद्धता के बिना, कीमत के लिए की जायेगी।

(ङ) द्वितीय प्रक्रम में जब कभी आवश्यक हो उपापन की विषय–वस्तु की अपेक्षित मात्रा के प्रदाय या निष्पादन के लिए संविदाकृत कीमत पर, प्रदाय या निष्पादन का स्थान, परिदान अनुसूची, इत्यादि वर्णित करते हुए प्रदाय या कार्य आदेश दिया जायेगा।

(च) दर संविदा, बोली दस्तावेजों में ऐसा उपबंध होने पर एक से अधिक बोली लगाने वालों के साथ समानान्तर दर संविदाओं के रूप में, अंतिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति के क्रम में, उन्हें न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले की कीमत का प्रति–प्रस्ताव देते हुए, माल या सेवाओं के तुरन्त प्रदाय या संकर्मों के तुरन्त निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए की जा सकेंगी, यदि अपेक्षित उपापन की विषय वस्तु की मात्रा न्यूनतम बोली लगाने वाले की क्षमता से परे है या उपापन की विषय वस्तु संकटपूर्ण और अति महत्वपूर्ण प्रकृति की है।

(g) The terms and conditions of the rate contract including provision for liquidated damages shall be similar to those prescribed for procurement by open competitive bidding.

(h) The prices under a rate contract shall be subject to price fall clause. A clause regarding price fall shall be incorporated in the terms and conditions of rate contract. Price fall clause is a price safety mechanism in rate contracts and it provides that if the rate contract holder quotes / reduces its price to render similar goods, works or services at a price lower than the rate contract price to anyone in the State at any time during the currency of the rate contract, the rate contract price shall be automatically reduced with effect from the date of reducing or quoting lower price, for all delivery of the subject matter of procurement under that rate contract and the rate contract shall be amended accordingly. The firms holding parallel rate contracts shall also be given opportunity to reduce their price by notifying them the reduced price giving them fifteen days time to intimate their acceptance to the revised price. Similarly, if a parallel rate contract holding firm reduces its price during currency of the rate contract, its reduced price shall be conveyed to other parallel rate contract holding firms and the original rate contract holding firm for corresponding reduction in their prices. If any rate contract holding firm does not agree to the reduced price, further transaction with it, shall not be conducted.

(i) It should be ensured that new rate contracts become operative right after the expiry of the existing rate contracts without any gap. In case it is not possible to conclude the new rate contracts due to unavoidable reasons, the existing rate contracts may be extended on same price, terms and conditions for a period not exceeding 3 months. In such cases it shall be ensured that market prices have not fallen down during the period for the subject matter of procurement or its constituents, to be procured under the rate contract.

(j) Except as otherwise provided in this rule all other provisions of Chapter-V shall, mutatis mutandis, apply.

(छ) परिनिर्धारित नुकसानी के लिए उपबंधों को सम्मिलित करते हुए दर संविदा के निबंधन और शर्तें उनके समान होंगी जो खुली प्रतियोगी बोली द्वारा उपापन के लिए विहित की गयी हैं।

(ज) दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड के अध्यधीन होंगी। कीमत गिरने संबंधी खण्ड, दर संविदा के निबंधनों और शर्तों में सम्मिलित किया जायेगा। कीमत गिरने का खण्ड, दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा क्रियाविधि है और यह उपबंध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, संकर्मों या सेवाएँ देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय–वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मों और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म, कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

(झ) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नयी दर संविदाएँ बिना किसी विलम्ब के विद्यमान दर संविदाओं की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् प्रभावी हो जायें। यदि अपरिहार्य कारणों से नयी दर संविदाओं का तय किया जाना संभव नहीं हो तो विद्यमान दर संविदाएँ उसी कीमत, निबंधनों और शर्तों पर तीन मास से अनधिक की कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेंगी। ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि दर संविदा के अधीन उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषय–वस्तु या उसके घटकों की बाजार कीमतें इस कालावधि के दौरान गिर न गयी हों।

(ञ) इस नियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अध्याय – 5 के समस्त अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

Additional conditions for use of methods of Procurement

Section 37.

Additional conditions for use of methods of procurement.- Notwithstanding anything contained in sections 30to 36 (both inclusive), the State Government may through notification, add the conditions for the use of any of the methods of procurement mentioned in clauses (b) to (i) of sub-section (1) of section 28, in a manner that is consistent with the principles of transparency and accountability.

---x---x---

उपापन की रीतियों का उपयोग करने के लिए अतिरिक्त शर्ते

धारा 37.

उपापन की रीतियों का उपयोग करने के लिए अतिरिक्त शर्ते.–धारा 30 से 36 (दोनों सम्मिलित) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, अधिसूचना के माध्यम से, ऐसी रीति से, जो कि पारदर्शिता और उत्तरदायित्वता के सिद्धान्तों से संगत है, धारा 28 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) से (झ) में उल्लिखित उपापन की किसी रीति के उपयोग के लिए शर्तों को जोड़ सकती है।

---x---x---

Appeal

Any bidder aggrieved in the matter of procurement may appeal, relevant provisions are prescribed in section 38, 39 & 40 and Rule 83, 84 & 85 which are as under:-

Section 38.

Appeals.- (1) Subject to section 40, if any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of this Act or the rules or guidelines issued there under, he may file an appeal to such officer of the procuring entity, as may be designated by it for the purpose, within a period of ten days or such other period as may be specified in the pre-qualification documents, bidder registration documents or bidding documents, as the case may be, from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved;

Provided that after the declaration of a bidder as successful in terms of section 27, the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings;

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bid before the opening of the financial bid, an appeal related to the matter of financial bid may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

(2) On receipt of an appeal under sub-section (1), the officer designated under that sub-section shall, after affording a reasonable opportunity of being heard to the parties, determine as to whether or not the procuring entity has complied with the provisions of this Act, the rules and guidelines made there under and the terms of the pre-qualification documents, bidder registration documents or bidding documents, as the case may be, and pass an order accordingly which shall, subject to the order passed under sub-section (5), be final and binding on the parties to the appeal.

अपील

उपापन संबंधी मामलों में व्यथित होने पर बोलीदाता अपील कर सकता है जिसके प्रावधान धारा 38,39 व 40 तथा नियम 83, 84 व 85 में दिये गए है जो इस प्रकार हैः–

धारा 38.

अपील.– (1) धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्रवाई या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगाः

परन्तु धारा 27 के निबंधनों मे बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी, जिसने उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है;

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है, वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी, जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाये गये नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधो और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबंधनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा, जो उप–धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) The officer to whom an appeal is filed under sub section (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of filing of the appeal.

(4) If the officer designated under sub-section (1) fails to dispose of the appeal filed under that sub-section within the period specified in sub-section (3), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed under sub section (2), the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to an officer or authority designated by the State Government in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in sub-section (3) or of the date of receipt of the order passed under sub-section (2), as the case may be.

(5) On receipt of an appeal under sub-section (4), the officer or authority designated under that sub-section shall, after affording a reasonable opportunity of being heard to the parties, determine as to whether or not the procuring entity has complied with the provisions of this Act, the rules and guidelines made thereunder and the terms of the pre-qualification documents, bidder registration documents or bidding documents, as the case may be, and pass an order accordingly which shall be final and binding on the parties to the appeal.

(6) The officer or authority to which an appeal is filed under sub-section (4) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of filing of the appeal;

Provided that if the officer or authority to which an appeal is filed under sub-section (4) is unable to dispose of the appeal within the aforesaid period, he shall record reason for the same.

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथासम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप–धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला यह उपापन संस्था उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप–धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाये गये नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा, जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप–धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा–सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा:

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) The officer or authority to which an appeal may be filed under sub-section (1) or (4) shall be indicated in the prequalification documents, bidder registration documents or bidding documents, as the case may be.

(8) Every appeal under sub-sections (1) and (4) shall be filed in such form and manner and shall be accompanied by such fee as may be prescribed.

(9) While hearing an appeal under this section, the officer or authority concerned shall follow such rules of procedure as may be prescribed.

(10) No information which would impair the protection of essential security interests of India, or impede the enforcement of law or fair competition, or prejudice the legitimate commercial interests of the bidder or the procuring entity, shall be disclosed in a proceeding under this section.

Rule 83.

Form of Appeal.- (1) An appeal under sub-section (1) or (4) of section 38 shall be in Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(2) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(3) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

Rule 84.

Fee for filing appeal.- (1) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जायेगा।

(8) उप–धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी, जो विहित की जाये।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया–नियमों का अनुसरण करेगा, जो विहित किये जायें।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रर्वतन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि–सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जायेगी।

नियम 83.

अपील का प्ररूप.– (1) धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

नियम 84.

अपील फाइल करने के लिए फीस.– (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पाँच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank payable in the name of Appellate Authority concerned.

Rule 85.

Procedure for disposal of appeal.- (1) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(2) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(a) hear all the parties to appeal present before him; and

(b) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(3) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(4) The order passed under sub-rule (3) shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Section 39.

Stay of procurement proceedings.- While hearing of an appeal under section 38, the officer or authority hearing the appeal may, on an application made in this behalf and after affording a reasonable opportunity of hearing to the parties concerned, stay the procurement proceedings pending disposal of the appeal, if he, or it, is satisfied that failure to do so is likely to lead to miscarriage of justice.

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

नियम 85.

अपील के निपटारे की प्रक्रिया.– (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

धारा 39.

उपापन कार्यवाहियों को रोकना.–धारा 38 के अधीन अपील की सुनवाई के समय अपील सुनने वाला अधिकारी या प्राधिकारी इस निमित्त किये गये आवेदन पर और संबंधित पक्षकारों को सुनने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात् अपील का निपटारा लंबित रहने तक उपापन कार्यवाहियों पर रोक लगा सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा किये जाने में असफल होने पर घोर अन्याय होने की संभावना है।

Section 40.

Appeal not to lie in certain cases.- No appeal under section 38 shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely;-

(a) determination of need of procurement in terms of section 5;

(b) provisions limiting participation of bidders in the bid process in terms of the provisions of section 6;

(c) the decision of whether or not to enter into negotiations in terms of section 15;

(d) cancellation of a procurement process in terms of section 26;

(e) applicability of the provisions of confidentiality under section 49.

---x---x---

धारा 40.

कतिपय मामलों में अपील नहीं होगी.—धारा 38 के अधीन उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलों से संबंधित किसी विनिश्चय के विरूद्ध कोई अपील नहीं होगी, अर्थात्:—

(क) धारा 5 के निबन्धनों में उपापन की आवश्यकता का अवधारण;

(ख) धारा 6 के उपबंधों के निबंधनों में बोली प्रक्रिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध;

(ग) यह विनिश्चय कि धारा 15 के निबन्धनों में बातचीत की जाये या नहीं;—

(घ) धारा 26 के निबंधनों में उपापन प्रक्रिया का रद्दकरण;

(ड़) धारा 49 के अधीन गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना।

---x---x---

Offences and Penalties

The violation of provisions of Rajasthan Transparency in Public Procurement have been categorised as crime and provision of penalties and jail have been prescribed in section 41, 42, 43, 44, 45, 46 & 47 which are as follows:-

Section 41.

Punishment for taking gratification or valuable thing in respect of public procurement.-
Whoever, being an officer or employee of the procuring entity acting in connection with any procurement process, accepts or obtains or agrees to accept or attempts to obtain from any person, for himself or for any other person, any gratification other than legal remuneration or any valuable thing without consideration or for a consideration which he knows to be inadequate, in connection with such public procurement, as a motive or reward for doing or forbearing to do any official act or for showing or forbearing to show, in the exercise of his official functions, favour or disfavour to any person or for rendering or attempting to render any service or disservice to any person, shall be punishable with imprisonment which shall be not less than six months but which may extend to five years and shall also be liable to fine.

Section 42.

Interference with procurement process.- (1) Whoever-

(a) interferes with or influences any procurement process with the intention of securing any wrongful gain or undue advantage for any prospective bidder or bidder; or

(b) interferes with the procurement process with the intention of causing any unfair disadvantage for any prospective bidder or bidder; or

(c) engages in any action or lobbying, directly or indirectly, with the objective of unduly restricting fair competition; or

अपराध और शास्तियाँ

लोक उपापन में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के प्रावधानों के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी मानते हुए जुर्माने और जेल के दण्ड के प्रावधान धारा 41, 42, 43, 44, 45, 46, व 47 में दिए गये है जो इस प्रकार है:–

घारा 41.

लोक उपापन के संबंध में परितोषण या मूल्यवान वस्तु लेने के लिए दण्ड. जो कोई, उपापन संस्था का अधिकारी या कर्मचारी होने के कारण किसी भी उपापन प्रक्रिया के संबंध में कार्य करते हुए, ऐसे लोक उपापन के संबंध में, कोई भी पदीय कार्य करने या करने से प्रविरत रहने या अपने पदीय कृत्यों के प्रयोग में किसी भी व्यक्ति के प्रति अनुग्रह या अननुग्रह दर्शाने या दर्शाने से प्रविरत रहने, किसी भी व्यक्ति को कोई भी सेवा या अपकार देने या देने का प्रयास करने के लिए, किसी भी व्यक्ति से व्यक्ति से स्वयं के लिए या किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए विधिक पारिश्रमिक से भिन्न कोई परितोषण या कोई मूल्यवान वस्तु प्रतिफल के बिना या ऐसे प्रतिफल, जो वह जानता है कि अपर्याप्त है, के लिए, स्वीकार करता है या अभिप्राप्त करता है या स्वीकार करने के लिए सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयास करता है, वह ऐसे कारावास से, जो छह मास से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पाँच वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 42.

उपापन प्रक्रिया में हस्तक्षेप.–(1) जो कोई–

(क) किसी भी भावी बोली लगाने वाले या बोली लगाने वाले के लिए सदोष अभिलाभ या अनुचित लाभ को सुरक्षित करने के आशय से किसी भी उपापन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है या उस पर प्रभाव डालता है; या

(ख) किसी भी भावी बोली लगाने वाले या बोली लगाने वाले के लिए अनुचित अलाभ कारित करने के आशय से उपापन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है; या

(ग) असम्यक् रूप से उचित प्रतियोगिता को निर्बाधित करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी कार्रवाई या सदस्यों को प्रभावित करने में लगता है; या

(d) intentionally influences any procuring entity or any officer or employee thereof or wilfully or fraudulently makes any assertion or representation that would restrict or constrain fair competition in any procurement process; or

(e) engages a former officer or employee of a procuring entity as an employee, director, consultant, adviser or otherwise, within a period of one year after such former officer or employee was associated with a procurement in which the employer had an interest; or

(f) engages in any form of bid-rigging, collusive bidding or anticompetitive behaviour in the procurement process; or

(g) intentionally breaches confidentiality referred to in section 49 for any undue gain, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to five years and shall also be liable to fine which may extend to fifty lakh rupees or ten per cent of the assessed value of procurement, whichever is less.

(2) A bidder who-

(a) withdraws from the procurement process after opening of financial bids;

(b) withdraws from the procurement process after being declared the successful bidder;

(c) fails to enter into procurement contract after being declared the successful bidder;

(d) fails to provide performance security or any other document or security required in terms of the bidding documents after being declared the successful bidder, without valid grounds, shall, in addition to the recourse available in the bidding documents or the contract, be punished with fine which may extend to fifty lakh rupees or ten per cent of the assessed value of procurement, whichever is less.

(घ) किसी उपापन संस्था या उसके किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी को आशयपूर्वक प्रभावित करता है या जानबूझकर या कपटपूर्वक कोई ऐसा प्राख्यान या व्यपदेशन करता है जो कि किसी उपापन प्रक्रिया में उचित प्रतियोगिता को निर्बधित या मजबूर करेगा; या

(ड़) उपापन संस्था के किसी पूर्व अधिकारी या कर्मचारी को, ऐसे पूर्व अधिकारी या कर्मचारी के उस उपापन में, जिसमें नियोजक का हित था, सहयुक्त होने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के भीतर, कर्मचारी, निदेशक, परामर्शी, सलाहकार या अन्यथा रूप में लगाता है; या

(च) उपापन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से बोली घुमाने, दुस्संधिपूर्ण बोली लगाने या गैर–प्रतियोगी व्यवहार से लगता है; या

(छ) किसी असम्यक् अभिलाभ के लिए धारा 49 में निर्दिष्ट गोपनीयता को आशयपूर्वक भंग करता है, ऐसी अवधि के कारावास से जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और ऐसे जुर्माने से भी, जो पचास लाख रूपये या उपापन के निर्धारित मूल्य के दस प्रतिशत, जो भी कम हो, तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) बोली लगाने वाला, जो,

(क) वित्तीय बोलियों के खुलने के पश्चात् उपापन प्रक्रिया से हटता है;

(ख) सफल बोली लगाने वाला घोषित होने के पश्चात् उपापन प्रक्रिया से हटता है;

(ग) सफल बोली लगाने वाला घोषित होने के पश्चात् उपापन संविदा करने में असफल होता है;

(घ) सफल बोली लगाने वाला घोषित होने के पश्चात् बोली लगाने वाले दस्तावेजों के निबंधनों में अपेक्षित, कार्य संपादन प्रतिभूति या कोई अन्य दस्तावेज या प्रतिभूति उपलब्ध करवाने में, वैध आधारों के बिना असफल रहता है, वह, बोली लगाने वाले दस्तावेजों या संविदा में उपलब्ध अवलम्ब के अतिरिक्त ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो पचास लाख रूपये या उपापन के निर्धारित मूल्य के दस प्रतिशत, जो भी कम हो, तक का हो सकेगा।

***Comment**:- Regarding Section 42 (2) (A), as per the circular of PWD मु.अ./G&T/2019/–Dated 29.05.2019 Finance Department has clarified following vide id no. 101901752 dated 13.05.2019:-*

1. *The process of debarring of a firm participating in a bid, forfeiture of bid security and blacklisting a firm is conducted administratively whereas penalties and jail are in the jurisdiction of judiciary after the certification of the crime.*
2. *As per the provision of sec 42 (2) (a), the competent court is empowered to impose penalties. The concerning procuring entity has to submit a complaint (Istgasa) in the competent court as per the provisions of Indian penal court.*
3. *To forfeit bid security under section 42 (11) (a) of RTPP act is a administrative procedure, whereas action under section 42 (2) (a) is a different procedure under the jurisdiction of court. Both the action are separate and independent from each other.*

***Comments:-** Please refer the circular dated 29.05.2019 issued by PWD.*

Section 43.

Vexatious appeals or complaints.- Whoever intentionally files any vexatious, frivolous or malicious appeal or complaint under this Act, with the intention of delaying or defeating any procurement or causing loss to any procuring entity or any other bidder, shall be punished with fine which may extend to twenty lakh rupees or five per cent of the value of procurement, whichever is less.

टिप्पणी *:–धारा 42 (2) (क) तथा नियम 42 (11) (क) के संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग के परिपत्र क्रमांक मु.अ./जी एण्ड टी/2019/–दिनांक 29.05.2019 में वर्णित वित्त विभाग की आई डी संख्या 101901752 दिनांक 13.05.2019 द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण निम्नानुसार है:–*

1. *किसी फर्म को उपापन प्रक्रिया में भाग लेने में विवर्जित किये जाने, प्रतिभूति जब्त करने एवं ब्लैक लिस्ट करने की प्रक्रिया सामान्यतः प्रशासनिक तौर पर सम्पादित होती है, जबकि अपराध के प्रमाणीकरण के उपरान्त शास्तियाँ एवं कारावास न्यायिक क्षेत्राधिकार का विषय होता है।*
2. *आरटीपीपी अधिनियम की धारा 42 (2)(क) के अन्तर्गत शास्तियाँ लगाये जाने की अधिकारिता सक्षम न्यायिक न्यायालय को प्राप्त है। दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में संबंधित उपापन संस्था को नियमानुसार इस्तगासा प्रस्तुत करना होगा।*
3. *आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 42 (11)(क) के अन्तर्गत Bid Security जब्त करना अलग प्रशासनिक प्रक्रिया है, जबकि आरटीपीपी अधिनियम की धारा 42 (2)(क) न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की प्रक्रिया है। दोनों मामलों में कार्यवाहियाँ अलग–अलग एवं स्वतन्त्र होती है।*

टिप्पणी:– कृपया सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 29.05.2019 देखें।

धारा 43.

तंग करने वाली अपीलें या परिवाद.–जो कोई भी किसी उपापन में विलम्ब कारित करने या उसे विफल करने या किसी उपापन संस्था या किसी अन्य बोली लगाने वाले को हानि कारित करने के आशय से इस अधिनियम के अधीन कोई तंग करने वाली, तुच्छ या द्वेषपूर्ण अपील या परिवाद दाखिल करता है वह ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो बीस लाख रूपये या उपापन के मूल्य के पाँच प्रतिशत, जो भी कम हो, तक का हो सकेगा।

Section 44.

Offences by companies.- (1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who at the time the offence was committed was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of having committed the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly;

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable for any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of having committed such offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.- For the purpose of this section-

(i) "company" means a body corporate and includes a limited liability partnership, firm, registered society or cooperative society, trust or other association of individuals; and

(ii) "director" in relation to a limited liability partnership or firm, means a partner in the firm.

धारा 44.

कंपनियों द्वारा अपराध.–(1) इस अधिनियम के अधीन जहाँ कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा कारित किया जाता है, वहाँ प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो अपराध कारित किये जाने के समय पर कम्पनी के कारोबार के संचालन का प्रभारी था और उसके लिए कम्पनी के प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही कम्पनी अपराध कारित किये जाने के लिए दोषी समझी जायेगी और उसके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने और तदनुसार दण्डित किये जाने के लिए दायी होगी;

परन्तु इस उप–धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि ऐसा कोई व्यक्ति किसी दण्ड के लिए दायी होगा, यदि यह साबित कर देता है कि अपराध उसके ज्ञान के बिना कारित किया गया था या कि ऐसे अपराध को कारित करने से रोकने के लिए उसने सम्यक् तत्परता का प्रयोग किया था।

(2) उप–धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ कोई अपराध इस अधिनियम के अधीन किसी कम्पनी द्वारा कारित किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी की सहमति से या मौनानुकूलता से या उसकी ओर से किसी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है, तो वहाँ ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी ऐसे अपराध को कारित किये जाने का दोषी समझा जायेगा और उसके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने और तदनुसार दण्डित किये जाने का दायी होगा।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजन के लिए–

(i) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसमें कोई सीमित दायित्व भागिता, फर्म, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी या सहकारी सोसाइटी, न्यास या अन्य व्यष्टि–संगम सम्मिलित है; और

(ii) सीमित दायित्व भागिता या फर्म के संबंध में "निदेशक" से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

Section 45.

Abetment of certain offences.- Whoever abets an offence punishable under this Act, whether or not that offence is committed in consequence of that abetment, shall be punished with the punishment provided for the offence.

Section 46.

Debarment from bidding.- (1) A bidder shall be debarred by the State Government if he has been convicted of an offence –

(a) under the Prevention of Corruption Act, 1988 (Central Act No. 49 of 1988); or

(b) under the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860) or any other law for the time being in force, for causing any loss of life or property or causing a threat to public health as part of execution of a public procurement contract.

(2) A bidder debarred under sub-section (1) shall not be eligible to participate in a procurement process of any procuring entity for a period not exceeding three years commencing from the date on which he was debarred.

(3) If a procuring entity finds that a bidder has breached the code of integrity prescribed in terms of section 11, it may debar the bidder for a period not exceeding three years.

(4) Where the entire bid security or the entire performance security or any substitute thereof, as the case may be, of a bidder has been forfeited by a procuring entity in respect of any procurement process or procurement contract, the bidder may be debarred from participating in any procurement process undertaken by the procuring entity for a period not exceeding three years.

(5) The State Government or a procuring entity, as the case may be, shall not debar a bidder under this section unless such bidder has been given a reasonable opportunity of being heard.

धारा 45.

कतिपय अपराधों का दुष्प्रेरण.—जो कोई इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है वह, उस अपराध के लिए उपबंधित दण्ड से दण्डनीय होगा, चाहे वह अपराध उक्त दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप कारित किया गया है या नहीं।

धारा 46.

बोली लगाने से विवर्जन.—(1) बोली लगाने वाला राज्य सरकार द्वारा विवर्जित किया जायेगा, यदि वह.—

(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 49) के अधीन; या

(ख) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन, लोक उपापन संविदा के निष्पादन के भाग के रूप में जीवन या सम्पत्ति की हानि कारित करने या लोक स्वास्थ्य की आशंका कारित करने के, किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन विवर्जित बोली लगाने वाला उस तारीख, जिसको वह विवर्जित किया गया था, से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए किसी उपापन संस्था की उपापन प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य नहीं होगा।

(3) यदि उपापन संस्था यह पाती है कि किसी बोली लगाने वाले ने धारा 11 के निबंधनों में विहित सत्यनिष्ठा संहिता का भंग किया है तो वह बोली लगाने वाले को तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए विवर्जित कर सकेगी।

(4) जहाँ किसी बोली लगाने वाले की सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या सम्पूर्ण कार्य संपादन प्रतिभूति या, यथास्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन किसी उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समपहृत कर लिया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन संस्था द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

(5) राज्य सरकार या, यथास्थिति, कोई उपापन संस्था इस धारा के अधीन किसी बोली लगाने वाले को तब तक विर्वजित नहीं करेगी, जब तक कि ऐसी बोली लगाने वाले को सुनने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो।

Section 47.

Previous sanction necessary for prosecution.- No court shall take cognizance of an offence punishable under this Act, alleged to have been committed by a public servant during the course of his employment, except with the previous sanction,-

(a) in case of a person who is employed in connection with the affairs of the State and is not removable from his office save by or with the sanction of the State Government, of that Government;

(b) in the case of any other person, of the authority competent to remove him from his office.

Section 48.

Requirement of professional standards, training and certification.- The State Government may prescribe professional standards to be achieved by officials dealing with procurement matters under this Act and specify suitable training and certification requirements for the same.

---x---x---

धारा 47.

अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति का आवश्यक होना.—कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध, जिसका किसी लोक सेवक द्वारा अपने नियोजन के दौरान कारित किया जाना अभिकथित किया गया हो, का संज्ञान.—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति, जो राज्य के मामलात के संबंध में नियोजित है और राज्य सरकार की स्वीकृति के सिवाय अपने पद से हटाये जाने योग्य नहीं है, उस सरकार की;

(ख) किसी भी अन्य व्यक्ति के मामले में उसको पद से हटाने के लिए सक्षम अधिकारी की, पूर्व सहमति के सिवाय, नहीं लेगा।

धारा 48.

वृत्तिक मानकों, प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण की आवश्यकता.—राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन उपापन संबंधी मामलों पर कार्यवाही करने वाले पदधारियों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले वृत्तिक मानक विहित कर सकेगी और उसके लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण आवश्यकताएँ विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

---x---x---

Confidentiality

The provision pertaining to maintain transparency in public procurement have been described in section 49 and Rule 77 which are as under:-

Section 49.

Confidentiality.- (1) Notwithstanding anything contained in this Act but subject to the provisions of any other law for the time being in force providing for disclosure of information, a procuring entity shall not disclose any information if such disclosure, in its opinion, is likely to-

(a) impede enforcement of any law;

(b) affect the security or strategic interests of India;

(c) affect the intellectual property rights or legitimate commercial interests of bidders;

(d) affect the legitimate commercial interests of the procuring entity in situations that may include when the procurement relates to a project in which the procuring entity is to make a competitive bid, or the intellectual property rights of the procuring entity.

(2) Except as otherwise provided in this Act, a procuring entity shall treat all communications with bidders related to the procurement process in such manner as to avoid their disclosure to competing bidders or to any other person not authorised to have access to such information.

(3) The procuring entity may impose on bidders and subcontractors, if there are any for fulfilling the terms of the procurement contract, conditions aimed at protecting information, the disclosure of which violates sub-section (1).

Rule 77.

Confidentiality.- In addition to the restrictions specified in section 49, the procuring entity, while procuring a subject matter of such nature which requires the procuring entity to maintain confidentiality, may impose condition for protecting confidentiality of such information.

गोपनीयता

लोक उपापन में गोपनीयता बरतने संबंधी प्रावधान धारा 49 तथा नियम 77 में दिये गये है जो इस प्रकार हैः–

धारा 49.

गोपनीयता.–(1) इस अधिनियम में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी, किन्तु जानकारी के प्रकटीकरण का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, उपापन संस्था किसी सूचना को प्रकट नहीं करेगी, यदि ऐसे प्रकटीकरण से, उसकी राय में,–

(क) किसी भी विधि के प्रवर्तन में अड़चन आने;

(ख) भारत की सुरक्षा या सामरिक हितों के प्रभावित होने;

(ग) बोली लगाने वालों के बौद्धिक सम्पत्ति संबंधी अधिकारों या विधिसम्मत, वाणिज्यिक हितों के प्रभावित होने;

(घ) उपापन संस्था के विधिसम्मत् वाणिज्यिक हितों के, उन स्थितियों में, जिनमें वह स्थिति सम्मिलित है, जब उपापन किसी ऐसी परियोजना से संबंधित हो, जिसमें उपापन संस्था को कोई प्रतियोगी बोली लगानी हो, या उपापन संस्था के बौद्धिक संपत्ति संबंधी अधिकारों के प्रभावित होने, की संभावना है।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय उपापन संस्था, उपापन प्रक्रिया से संबंधित समस्त संसूचना को बोली लगाने वालों के साथ ऐसी रीति से बरतेगी ताकि प्रतियोगी बोली लगाने वालों या किसी भी ऐसे अन्य व्यक्ति, जो ऐसी सूचना तक पहुँच रखने के लिए प्राधिकृत नहीं है को उसके प्रकटीकरण से बचा जा सके।

(3) उपापन संस्था, बोली लगाने वालों और उप–संविदाकरों, यदि कोई हों, पर उपापन संविदा के निबंधनों के पूरा करने के लिए सूचना, जिसके प्रकटीकरण से उप–धारा (1) का अतिक्रमण होता है, के संरक्षण के उद्देश्य से शर्तें अधिरोपित कर सकेगी।

नियम 77.

गोपनीयता.– उपापन संस्था ऐसी प्रकृति की विषयवस्तु उपापन करते समय, जिसमें उपापन संस्था से गोपनीयता बनाये रखना अपेक्षित है, धारा 49 में विनिर्दिष्ट निबंधनों के अतिरिक्त, ऐसी सूचना की गोपनीयता के संरक्षण के लिए शर्तें अधिरोपित कर सकेगी।

State Procurement Facilitation Cell

To maintain the SPP portal, to arrange the traning and certification and to provide guidance pertaining to provison of act & rules etc; provision to establish a State Procurement Facilitation Cell in section 50 is as under:-

Section 50.

State Procurement Facilitation Cell.- (1) The State Government shall establish a State Procurement Facilitation Cell which shall be headed by an officer not below the rank of a Secretary to the Government.

(2) The State Procurement Facilitation Cell shall discharge the following functions, namely;-

(a) to maintain and update the State Public Procurement Portal set up under section 17;

(b) to arrange for training and certification specified in terms of section 48;

(c) to recommend to the State Government measures for effective implementation of the provisions of this Act;

(d) to provide guidance, consistent with the provisions of this Act and the rules and guidelines made thereunder, to the procuring entities with respect to the matter relating to public procurement;

(e) to study different methods of public procurement and prepare and recommend standard bidding documents, pre-qualification documents or bidder registration documents;

(f) subject to the provisions of sub-section (2) of section 28, encourage procuring entities to adopt electronic procurement; and

राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ

SPP portal को संधारित करने, प्रशिक्षण की व्यवस्था करने तथा अधिनियम व नियमों के संदर्भ में मार्गदर्शन प्रदान करने आदि उद्देश्यों के लिए राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ के प्रावधान धारा 50 में दिए गए है जो इस प्रकार हैः–

धारा 50,

राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ,–(1) राज्य सरकार राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ की स्थापना करेगी, जिसका प्रमुख कोई ऐसा अधिकारी होगा, जो शासन सचिव से अनिम्न रैंक का हो।

(2) राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्ः–

(क) धारा 17 के अधीन स्थापित राज्य लोक उपापन पोर्टल का संधारण करना और उसको आदिनांकित करना;

(ख) धारा 48 के निबंधनों में विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण की व्यवस्था करना;

(ग) इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपायों की राज्य सरकार को सिफारिश करना;

(घ) लोक उपापन संबधित मामलों के संबध में उपापन संस्थाओं को इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों से संगत मार्गदर्शन देना;

(ङ) लोक उपापन के विभिन्न तरीकों का अध्ययन करना और मानक बोली दस्तावेजों, पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों की सिफारिश करना;

(च) धारा 28 की उप–धारा (2) के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए, उपापन संस्थाओं को इलेक्ट्रॉनिक उपापन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना; और

(g) To discharge such other functions as may be assigned to it by the State Government consistent with the provisions of this Act and the rules and guidelines made thereunder.

(3) The State Procurement Facilitation Cell shall have the power to require a procuring entity or any other person by notice in writing to furnish such information as may be necessary for performing its functions under this Act.

---x---x---

(छ) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधो से संगत ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो उसे राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित किये जायें।

(3) राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ को, किसी उपापन संस्था या किसी भी अन्य व्यक्ति से, लिखित नोटिस द्वारा, ऐसी सूचना, जो इस अधिनियम के अधीन इसके कृत्यों के पालन के लिए आवश्यक हो, भेजने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी।

---x---x---

Protection of action taken in good faith

Section 51.

Protection of action taken in good faith.- (1) Every officer or employee of a procuring entity or any member of a committee constituted under this Act, acting under or in pursuance of the provisions of this Act or rules, guidelines, orders or notifications made thereunder shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

(2) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer or employee or any other person acting in the discharge of any function under this Act for any loss or damage caused or likely to be caused by any act which is done or intended to be done in good faith and in pursuance of the provisions of this Act.

(3) For the purposes of this section, 'good faith' shall have the same meaning as is assigned to it under section 52 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण

धारा 51.

सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण.—(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों, मार्गदर्शक सिद्धान्तों, आदेशों या अधिसूचनाओं के उपबन्धों के अधीन या अनुसरण में कार्य करने वाली किसी उपापन संस्था का प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी या इस अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति का कोई भी सदस्य भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

(2) कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ इस अधिनियम के अधीन किसी भी कृत्य के निर्वहन में कार्य करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी या किसी भी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध किसी ऐसे कार्य द्वारा कारित या कारित होना संभाव्य किसी भी हानि या नुकसानी के लिए नहीं होंगी, जो सद्भावपूर्वक और इस अधिनियम के उपबंधो के अनुसरण में किया गया है या किये जाने के लिए आशयित है।

(3) इस धारा के प्रयोजनार्थ ''सद्भाव'' का वही अर्थ होगा, जो उसे भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा के अधीन समनुदेशित किया गया है।

Application of other laws

Section 52.

Application of other laws.- The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.

Recovery of sums payable under the Act

Section 53.

Recovery of sums payable under the Act.- Any sum payable by any person under this Act shall be recoverable as arrears of land revenue.

Service of notice, documents and orders

Section 54.

Service of notice, documents and orders.- (1) For the purposes of this Act a notice, document or order shall be deemed to be served-
(a) on any individual by -
(i) delivering it to the person personally; or
(ii) leaving it at, or sending it by post to, the address of the place of residence or business of the person last known;

(b) on a body corporate by leaving it at, or sending it by post to, the registered office of the body corporate.

(2) For the purposes of this Act, when the procedure laid down by sub-section (1) is followed, service shall be deemed to be effected by properly addressing, preparing and posting the document, notice or order, as the case may be.

अन्य विधियों का लागू होना

धारा 52.

अन्य विधियों का लागू होना,–इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

अधिनियम के अधीन संदेय राशियों की वसूली

धारा 53.

अधिनियम के अधीन संदेय राशियों की वसूली,– इस अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति द्वारा संदेय कोई भी राशि भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

नोटिस, दस्तावेजों और आदेशों की तामील

धारा 54.

नोटिस, दस्तावेजों और आदेशों की तामील,– (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कोई नोटिस, दस्तावेज या आदेश–

(क) किसी भी व्यष्टि पर उसे–

(i)उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से परिदत्त करके; या

(ii)उस व्यक्ति के अंतिम ज्ञात निवास–स्थान या कारोबार के पते पर छोड़कर या डाक द्वारा भेजकर;

(ख) उसे किसी निगमित निकाय पर, उस निगमित निकाय के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर छोड़कर या डाक द्वारा भेजकर, तामील किया हुआ समझा जायेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, जब उप–धारा (1) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाये तो तामील, दस्तावेज, नोटिस या यथास्थिति, आदेश समुचित रूप से संबोधित करके, तैयार करके और डाक में डालकर, की गयी समझी जायेगी।

Power of State Government to make rules

Section 55.

Power of State Government to make rules.- (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act and different sets of rules may be made for different classes or categories of procurements or procuring entities.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely;-

(i) procurements covered under sub-section (4) of section 3;

(ii) matters to be decided while determining need for procurement under section 5;

(iii) circumstances in which participation of bidders may be limited under section 6;

(iv) identification and treatment of conflict of interest situations under section 7;

(v) additional qualifications to be fulfilled by bidders under clause (f) of sub-section (1) of section 7;

(vi) time frame for various stages of the process of procurement under section 9;

(vii) information or record of procurement proceedings required to be maintained under clause (i) of subsection (1) of section 10;

(viii) code of integrity under section 11;

(ix) guidelines for drawing up the description of the subject matter of procurement under section 12;

(x) evaluation criteria under sub-section (1) of section 14;

(xi) maintenance of records of trials and testing under sub-section (2) of section 14;

(xii) provisions relating to price negotiations under section 15;

(xiii) terms and conditions of procurement contracts under section 16;

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति

धारा 55.

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति.—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी और उपापनों या उपापन संस्थाओं के विभिन्न वर्गों या प्रवर्गों के लिए भिन्न–भिन्न नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या उनमें से किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किये जा सकेंगे, अर्थात्:—

- (i) धारा 3 की उप–धारा (4) के अन्तर्गत आने वाले उपापन;
- (ii) धारा 5 के अधीन उपापन के लिए आवश्यकता का अवधारण करते समय विनिश्चित किये जाने वाले मामले;
- (iii) परिस्थितियाँ, जिनमें धारा 6 के अधीन बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित किया जा सकेगा;
- (iv) धारा 7 के अधीन हित के विरोध की स्थितियों की पहचान और उनसे निपटना;
- (v) धारा 7 की उप–धारा (1) के खण्ड (च) के अधीन बोली लगाने वालों द्वारा पूरी की जाने वाली अतिरिक्त अर्हताएँ;
- (vi) धारा 9 के अधीन उपापन की प्रक्रिया के विभिन्न प्रक्रमों की समय–सीमा;
- (vii) धारा 10 की उप–धारा (1) के खण्ड (झ) के अधीन रखी जानी अपेक्षित उपापन कार्यवाहियों की सूचना या अभिलेख;
- (viii) धारा 11 के अधीन सत्यनिष्ठा संहिता;
- (ix) धारा 12 के अधीन उपापन की विषय–वस्तु का विवरण तैयार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त;
- (x) धारा 14 की उप–धारा (1) के अधीन मूल्यांकन की कसौटी;
- (xi) धारा 14 की उप–धारा (2) के अधीन परीक्षणों और जाँचों का अभिलेख रखना;
- (xii) धारा 15 के अधीन कीमत की बातचीत से संबंधित उपबंध;
- (xiii) धारा 16 के अधीन उपापन संविदाओं के निबंधन और शर्तें;

(xiv) information to be provided on the State Public Procurement Portal under section 17;

(xv) procedure for pre-qualification under section 18;

(xvi) procedure and conditions for registration of bidders under section 19;

(xvii) provisions relating to content of bidding documents under section 20;

(xviii) standard conditions of bidding documents including its form under sub-section (3) of section 20;

(xix) procedure for submission, opening and evaluation of bids, including constitution of committees for those purposes under section 24;

(xx) procedure in respect of various methods of procurement under section 28;

(xxi) manner of publication of bid under sub-section (5) of section 29;

(xxii) provisions relating to monetary value for procurement through request for quotations and spot purchase under section 34;

(xxiii) form, manner and fee for appeals under section 38;

(xxiv) procedure to be followed while hearing appeal under section 38;

(xxv) professional standards, training and certification for officials dealing with procurement matters under section 48;

(xxvi) provisions relating to bid securities, performance securities, inspection of works, goods and services, modification and withdrawal of bids, and contract management;

(xxvii) any other matter which is required to be prescribed by the State Government for carrying out the provisions of this Act.

(xiv) धारा 17 के अधीन राज्य लोक उपापन पोर्टल पर उपलब्ध करायी जाने वाली सूचना;

(xv) धारा 18 के अधीन पूर्व–अर्हता के लिए प्रक्रिया;

(xvi) धारा 19 के अधीन बोली लगाने वालों के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया और शर्तें;

(xvii) धारा 20 के अधीन बोली दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु से संबंधित उपबंध;

(xviii) धारा 20 की उप–धारा (3) के अधीन बोली दस्तावेजों के प्ररूप सहित उनकी मानक शर्तें;

(xix) धारा 24 के अधीन, इन प्रयोजनों के लिए समितियाँ गठित करने सहित, बोलियाँ प्रस्तुत करने, खोलने और उनका मूल्यांकन करने की प्रक्रिया;

(xx) धारा 28 के अधीन उपापन की विभिन्न पद्धतियों के संबंध में प्रक्रिया;

(xxi) धारा 29 की उप–धारा (5) के अधीन बोली के प्रकाशन की रीति;

(xxii) धारा 34 के अधीन कोटेशनों और मौके पर क्रय अनुरोधों के माध्यम से उपापन के लिए धनीय–मूल्य से संबंधित उपबंध;

(xxiii) धारा 38 के अधीन अपीलों के लिए प्ररूप, रीति और फीस;

(xxiv) धारा 38 के अधीन अपील सुनते समय अनुसरण की जाने वाली कार्रवाई;

(xxv) धारा 48 के अधीन उपापन मामलों में कार्यवाही करने वाले कर्मचारियों के लिए वृत्तिक मानक, प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण;

(xxvi) बोली प्रतिभूतियों, कार्य संपादन प्रतिभूतियों, संकर्मो के निरीक्षण, मालों और सेवाओं के निरीक्षण, बोलियों के उपान्तरण और प्रत्याहरण और संविदा प्रबन्धन से संबंधित उपबंध;

(xxvii) कोई भी अन्य विषय जो इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित हो।

(3) All rules made under this section shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days, which may comprise in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

---x---x---

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह स़त्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की किसी कालावधि के लिए, जो एक सत्र या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र के, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये है या उसके ठीक अगले सत्र के अवसान से पूर्व राज्य विधान–मण्डल का सदन ऐसे नियमों में कोई उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, कोई प्रभाव नहीं रखेंगे, तथापि, ऐसे किसी उपान्तरण या बातिलकरण (निरस्तीकरण) से उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी भी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

---x---x---

Power to issue guidelines

Section 56.

Power to issue guidelines.- (1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, a procuring entity may issue guidelines giving details of procedure or general forms or standard specifications and manuals required for giving effect to the provisions of this Act and the rules made thereunder.

(2) All guidelines issued by a procuring entity under this section shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days, which may comprise in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such guidelines or resolves that any such guideline should not be made, such guideline shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

---x---x---

मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी करने की शक्ति

धारा 56.

मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी करने की शक्ति.– (1) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपापन संस्था, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधो को प्रभावी करने के लिए अपेक्षित प्रक्रिया या साधारण प्ररूपों या मानक विनिर्देशों और निदेशिका के ब्यौरे देते हुए मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी कर सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन किसी उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये समस्त मार्गदर्शक सिद्धान्त, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की किसी कालावधि के लिए, जो एक सत्र या दो कम्रवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र के, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या उसके ठीक अगले सत्र के अवसान से पूर्व राज्य विधान–मण्डल का सदन ऐसे मार्गदर्शक सि़द्धान्त में कोई उपान्तरण करता है या यह संकल्प पारित करता है कि ऐसे कोई मार्गदर्शक सिद्धान्त नहीं बनाये जाने चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्त केवल ऐसे उपान्तरित रूप से प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, कोई प्रभाव नहीं रखेगें, तथापि, ऐसे किसी उपान्तरण या बातिलकरण (निरस्तीकरण) से उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी भी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

---x---x---

Power to remove difficulties

Section 57.

Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary for removing the difficulty;

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the State Legislature.

---x---x---

कठिनाइयों का निराकरण

धारा 57.

कठिनाइयों का निराकरण.–(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से संगत ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक प्रतीत हों;–

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके इस प्रकार किये जाने, पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

---x---x---

Power to exempt

Section 58.

Power to exempt.- (1) If the State Government is satisfied that it is necessary in public interest so to do, it may, by order published in the Official Gazette and for reasons to be recorded in such order, exempt any procurement or a class or category of procurements or a class or category of procuring entities from the application of all or any of the provisions of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before the House of the State Legislature.

Comments:-State government has allowed exemption under section 58 in the following matters:-

1.Exemption under section 58 has been allowed to electricity companies to hire consultancy services white notification F-1 (Q) FD/G&AR 2014 dated 28.8.2015 and in the matter of requirement of electricity vide notification

2. Exemption under section 58 has been allowed to electricity companies for procurement of electricity vide notification F. 2(1)FD/SPPP/ 2017 dated 12.01.2018

3. A cabinet sub-committee has been authorized vide notification no.F2(1)FD/SPFC/2017 dated 19.09.2018 to consider exemption in future under section 58.

4. Exemption has been allowed under section 58 to the procurement from non Government organizations empanelled by Panchayati Raj and Rural Development department vide notification no. F(8)FD/GF&AR/2011 Dated 28.10.2016.

5.Exemption has been allowed under section 58 to mines & minerals department for hiring services to collect royalty and additional royalty vide notification no. F(8)FD/GF&AR/2011 dated 04.1.2017

6. Government e-Market place (GeM) Portal of government of India has been exempted from application of section 4, 11, 17 & 46 of Rajasthan transparency in public procurement act 2012 vide notification F2(1)FD/SPFC/2017 dated 01.05.2017.

छूट देने की शक्ति

धारा 58.

छूट देने की शक्ति.–(1) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा और ऐसे आदेश में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, किसी भी उपापन या उपापनों के किसी वर्ग या प्रवर्ग या उपापन संस्था के किसी वर्ग या प्रवर्ग को इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं भी उपबंधों की प्रयोज्यता से छूट दे सकेगी।
(2) उप–धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

टिप्पणीः–सरकार द्वारा **धारा 58** की छूट निम्नांकित मामलों में दी गई हैः–

1. विद्युत कम्पनियों कों परामर्शी सेवाओं के उपापन में नोटिफिकेशन सं. एफ–1(Q) FD/GF&AR 2014 दिनांक 28.08.2015

2. विद्युत के उपापन हेतु धारा 58 के अन्तर्गत छूट हेतु जारी नोटिफिकेशन संख्या विद्युत सं. एफ 2(1) FD/SPPP/ 2017 दिनांक 12.01.2018 जारी किया गया है

3. भविष्य में धारा 58 में छूट के प्रकरणों पर विचार करने के लिए वित्त विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक F2(1)FD/SPFC/2017 दिनांक 19.09. 2018 द्वारा मंत्री मण्डलीय उप समिति को अधिकृत किया गया है

4. पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज विभाग द्वारा पेनल में ली गई गैर सरकारी संगठनों से उपापन को राजस्थान में लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम 2012 कें प्रावधानों से वित्त विभाग के नोटिफिकेशन सं. F1(8)FD/GF&AR/2011 दिनांक 28.10.2016 द्वारा छूट प्रदान की गई है
5. खान एवं भूगर्भ विभाग को नोटिफिकेशन सं. F(8)FD/GF&AR/2011 दिनांक 04.01.2017 द्वारा रायल्टी तथा अतिरिक्त रायल्टी वसूल करने की सेवाओं के उपापन के लिए की गई है।
6. भारत सरकार के Government e-Market place (GeM) Portal को भी राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 में धारा 4, 11, 17 तथा 46 के अलावा छूट प्रदान की गई है (नोटिफिकेशन क्रमांक F2(1)FD/SPFC/2017 दिनांक 01.05.2017

7. Medical Dept. / Food and Civil Supply Dept. /District collectors were allowed Exemption from the provisions of RTPP Act 2012 vide order no. SO 217 & 227 Circular No P.2(1) FD/SPFC/2017 Rescinded vide SO No. 269 & 270 F.2(1) FD/SPFC/2017 dated 06.04.2020 & 24.06.2020)

8- Exemption to food & civil supply department for procurement of goods & services related to management of Covid-19 pandemic S.O. 227 dated: 20.04.2020.

9. Exemption from the provisions of RTPP Act, 2012 to Medical Dept./District collectors S.O. 236 dated:06.04.2020

10. Exemption from the provisions of RTPP Act, 2012 to Food and Civil Supply Dept./District Collectors S.O. 237 dated: 20.04.2020.

11. Exemption under RTPP Act, 2012 for the procurement related to Management of Covid-19 pandemic only, by medical & health department and district collectors. S.O. 525 dated: 18.04.2021

12. Exemption under RTPP Act, 2012 for the procurement and installation of Oxygen Plants and Oxygen concentrators and other ancillary matters related to management of Covid-19 only, by Department of Local Bodies. S.O. 529 dated: 04.05.2021

7. चिकित्सा विभाग/खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग/जिला कलेक्टरों को आरटीटीपी अधिनियम 2012 के प्रावधानों में छूट वित्त विभाग के एसओ सं. क्रमंशः 217 एवं एस.ओ 227 पी. 2 (1) एफ.डी /एस पी एफ सी/2017 दी गयी तथा एसओ सं. क्रमंशः 269 व 270 F.2(1) FD/SPFC/2017 दिनांकः 6.4.2020 एवं 24.06.2020 द्वारा निरसन किया गया।

8. कोविड–19 महामारी के प्रबंधन से संबंधित वस्तुओं एवं सेवाओं के उपापन हेतु खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को छूट, एस.ओ. 227 दिनांकः 20.04.2020।

9. आरटीपीपी अधिनियम, 2012 के प्रावधानों में चिकित्सा विभाग/जिला कलेक्टरों को छूट। एस.ओ. 236 दिनांकः 06.04.2020।

10. आरटीपीपी अधिनियम, 2012 के प्रावधानों से खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग/जिला कलेक्टरों को छूट। एस.ओ. 237 दिनांकः 20.04.2020।

11. कोविड–19 के प्रबंधन से संबंधित उपापन में चिकित्सा एवं स्वास्थय विभाग तथा जिला कलेक्टर्स को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के प्रावधानों में छूट। एस.ओ. 525 दिनांकः 18.04.2021

12. कोविड–19 के प्रबंधन से संबंधित ऑक्सीजन उपकरण तथा ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर्स के उपापन में स्थानीय निकाय विभाग को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के प्रावधानों में छूट। एस.ओ. 529 दिनांकः 04.05.2021

Savings

Section 59.

Savings.- All rules, regulations, orders, notifications, departmental codes, manuals, bye-laws, official memoranda or circulars relating to procurement of goods, services or works provided for in this Act, which are in force on the date of commencement of this Act, shall continue to be in force to the extent they are consistent with the provisions of this Act, until they are repealed or superseded by any rule, guideline, notification or order, as the case may be, made or issued under this Act.

Rule 86.

Repeal and savings.- All rules, regulations, orders, notifications, departmental codes, manuals, by-laws, official memoranda or circulars relating to procurement of goods, services or works provided for in these rules, which are in force on the date of commencement of these rules, in relation to the matter covered by these rules are hereby repealed to the extent they are covered by these rules;

Provided that such repeal shall not affect the previous operation of rules, regulations, orders, notifications, departmental codes, manuals, by-laws, official memoranda or circulars, so repealed and the procurement process commenced before the commencement of these rules shall continue as per the provisions of rules, regulations, orders, notifications, departmental codes, manuals, by-laws, official memoranda or circulars, so repealed.

व्यावृत्तियाँ

धारा 59.

व्यावृत्तियाँ.– इस अधिनियम में उपबंधित किये गये मालों, सेवाओं या संकर्मो के उपापन से संबंधित समस्त नियम, विनिमय, आदेश, अधिसूचनाएँ, विभागीय संहिताएँ, निदेशिकाएँ, उप–विधियाँ, कार्यालय ज्ञापन या परिपत्र, जो इस अधिनियम के प्रांरभ की तारीख को प्रवृत्त हों, उनके इस अधिनियम के उपबंधों से संगत होने की सीमा तक तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे, जब तक कि उनको इस अधिनियम के अधीन बनाये या जारी किये गये किसी भी नियम, मार्गदर्शक सिद्धान्त, अधिसूचना या, यथास्थिति, आदेश द्वारा निरसित या अधिक्रमित नहीं कर दिया जाता।

नियम 86.

निरसन और व्यावृत्तियाँ.– इन नियमों में उपबंधित माल, सेवा या संकर्मों के उपापन से संबंधित समस्त नियम, विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ, विभागीय संहिताएँ, निर्देशिकाएँ, उप–विधियाँ, शासकीय–ज्ञापन या परिपत्र, जो इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले मामलों के संबंध में इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को प्रवृत्त थे, इन नियमों के अन्तर्गत आने की सीमा तक इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु ऐसा निरसन इस प्रकार निरसित ऐसे नियमों, विनियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं, विभागीय संहिताओं, निर्देशिकाओं, उप–विधियों, शासकीय ज्ञापनों या परिपत्रों के पूर्वगामी प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगा और इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व आरम्भ की गयी उपापन प्रक्रिया इस प्रकार निरसित नियमों, विनियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं, विभागीय संहिताओं, निर्देशिकाओं, उप–विधियों, शासकीय ज्ञापनों और परिपत्रों के उपबंधों के अनुसार जारी रहेगी।

लेखक परिचय

शिक्षा :

जोधपुर विश्वविद्यालय से वर्ष 1988 में एम. ए (अर्थशास्त्र)।

राजकीय सेवा एवं अनुभव :

वर्ष 1989 से 1998 तक भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय जोधपुर में लगभग 10 वर्ष की सेवाएँ प्रदान की।

- राजस्थान लेखा सेवा की राज्य सेवा में 13 मई 1998 को प्रवेश तथा अप्रेल 1999 तक हरिश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में प्रशिक्षु अधिकारी रहे।
- प्रथम पदस्थापन जिला परिषद् जैसलमेर में लेखाधिकारी के पद पर अप्रेल 1998 से मई 2003 तक
- लेखाधिकारी शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर मई 2003 से जुलाई 2005 तक
- वरिष्ठ प्रबन्धक (वित्त) राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन (वर्ष 2005 से जुलाई 2006) तथा अगस्त 2007 से मई 2010
- वरिष्ठ लेखाधिकारी स्वायत्त शासन विभाग मई 2010 से अक्टूबर, 2010 तक
- वरिष्ठ लेखाधिकारी मृदा संरक्षण एवं जल संरक्षण विभाग जुलाई 2006 से अगस्त 2007
- महाप्रबन्धक (वित्त) राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (अक्टूबर 2010 से जुलाई 2013)
- मुख्य लेखाधिकारी एवं वित्तीय सलाहकार पशुपालन विभाग (मई 2015 से दिसम्बर 2017)
- अतिरिक्त निदेशक (लेखा) हरिश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशिक्षण संस्थान (मार्च 2018 से मार्च 2019)
- वित्तीय सलाहकार सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर मार्च 2019 से लगातार।

पुरस्कार एवं विविध गतिविधियाँ :

- जैसलमेर में जिला स्तर पर आयोजित गणतंत्र दिवस पर जिला प्रशासन द्वारा उत्कृष्ट कार्यों हेतु प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित।
- वर्ष 2005 से 2013 तक राजस्थान लेखा सेवा परिषद में संयुक्त सचिव।
- राज0 लेखा सेवा तथा राज0 पुलिस सेवा के संयुक्त प्रोजेक्ट झालाना ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट के संस्थापक सदस्य एवं वर्ष 2008 से वर्ष 2013 तक इसके कोषाध्यक्ष।
- नॉलेज कॉरीडोर इंस्टीट्यूट की वर्ष 2015 में स्थापना – राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा नियम 2013 पर 27 दिसम्बर 2015 को एक लिखित परीक्षा का आयोजन – राजस्थान लेखा सेवा के प्रथम तीन अधिकारी सिंगापुर की 5 दिवसीय यात्रा से पुरूस्कृत।
- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा नियम 2013 पर एक लघु फिल्म का निर्माण – प्रशिक्षु अधिकारियों के समक्ष प्रदर्शन।
- सितम्बर, 2019 में ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के परीवीक्षाधीन प्रशिक्षुओं, राजस्थान लेखा सेवा, राजस्थान अभियंत्रिकी सेवा के अधिकारियों एवं कार्मिकों इत्यादि के लिए लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (PWF&AR) पुस्तिका का प्रकाशन
- आरटीपीपी एक्ट और रूल्स पर मोबाईल एप का निर्माण

  RTPP एक्ट और रूल्स में दिये गये ठेकेदारों के अधिकारों से रज्य आर्थिक कल्याण का एक मूल्यांकन विषय पर एम.फिल की डिग्री वर्ष 2021

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान

जयपुर परिसर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017
दूरभाष : 0141-2706556
फैक्स : 0141-2705420
ई–मेल : hcmripa@rajasthan.gov.in
वेबसाईट : www.hcmripa.gov.in

क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र

उदयपुर

रानी रोड, उदयपुर–313001
दूरभाष : (0294) 2431355/2430276
फैक्स : (0294) 2431355

बीकानेर

नागनेचेजी मंदिर के पास, शिव बाड़ी रोड, बीकानेर–334001
दूरभाष : (0151) 2240941
फैक्स : (0151) 2249008

जोधपुर

रामराज नगर के पास, चौखा, जोधपुर–342001
दूरभाष : (0291) 2556735

कोटा

आर.टी.ओ. कार्यालय के सामने, डी.सी.एम. रोड़, छत्रपुरा, कोटा–324007
दूरभाष : (0744) 2361729

मुद्रक : राज. राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर फोन : 0141-2751417